करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

जनवरी भाग-2

2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **7**

- अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग 7
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 8
- 1G इथेनॉल के उत्पादन के लिये संशोधित योजना 9
- भारतीय रेल वित्त निगम: IPO 10
- शासन व्यवस्था 12
- जाँच में देरी पर CVC के निर्देश 13
- पदोन्नति में आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश 15
- नियामक अनुपालन पोर्टल: DPIIT 16
- KIIFB ऋण मुद्दा 17
- जैव चिकित्सा अपशिष्ट 19
- आधार कानून की समीक्षा याचिका खारिज 21
- बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल 23
- दया याचिका पर निर्णय में देरी 25
- पराक्रम दिवस: नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती 27
- यातायात उल्लंघन प्रीमियम 28
- श्री नारायण गुरु 29
- श्रमशक्ति पोर्टल 31

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम 33

- चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 33
- सरकार की विनिवेश योजनाएँ 34
- K-शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी 35
- उत्तर-पूर्व उद्यमिता कोष 37
- बैड बैंक 38
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता' (संशोधन) अधिनियम, 2020 का SC द्वारा अनुमोदन 40
- भारत नवाचार सूचकांक 2020: नीति आयोग 42
- डिजिटल कॉपीराइट भुगतान 43
- एनबीएफसी के विनियमन के लिये 4- टियर स्ट्रक्चर 46
- ग्रीन बॉण्ड 47
- कानून का निर्माण और निरसन 49
- LLP अधिनियम के तहत अपराधों का डिक्रिमिनलाइज़ेशन 51

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 53

- इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिये अमेरिका की रणनीति 53
- भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का अफगानिस्तान दौरा 54
- ब्रिटेन की संसद में कश्मीर पर चर्चा 56
- भारत और ओमान 56
- ओपन स्काई संधि से अलग हुआ रूस 58
- 47वाँ G7 शिखर सम्मेलन 60
- भारत -श्रीलंका 62
- भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक 64
- घरेलू प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंक 66

नोट :

- शैडो उद्यमी 68
- एस-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली 69
- भारत-सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की 5वीं वार्ता 71
- भारत की वैक्सीन कूटनीति 73
- कतर और मिस्र के संबंधों की पुनर्बहाली 75
- अरुणाचल प्रदेश में चीन के नए गाँव 76

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 79

- डॉप्लर वेदर रडार 79
- कोविड-19 की त्वरित जाँच के लिये रैपिड ब्लड टेस्ट 80
- 5G प्रौद्योगिकी 81
- ओपन-रैन आर्किटेक्चर 82
- वैकल्पिक कैंसर-रोधी चिकित्सा 84
- अल्ट्रावायलेट–चमकीले तारे 86

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण 89

- यमुना में प्रदूषण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश 89
- अडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020: UNEP 90
- कार्बन पृथक्करण 91
- ई-कचरा प्रबंधन 93
- पर्यावरण बनाम विकास परिचर्चा 95
- भारत का आर्कटिक नीति मसौदा 97

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन 100

- रतले पनबिजली परियोजना 100

नोट :

सामाजिक न्याय 102

- दुर्लभ रोगों के लिये क्राउडफंडिंग 102
- असमानता वायरस रिपोर्ट: ऑक्सफैम इंटरनेशनल 103
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रदर्शन 105

कला एवं संस्कृति 107

- जलीकट्टू 107

चर्चा में 109

- हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 109
- अस्मी: मशीन पिस्टल 110
- भारतीय सेना दिवस 110
- तिरुवल्लुवर दिवस 111
- नागी-नकटी पक्षी अभयारण्य 111
- गवि गंगाधरेश्वर मंदिर: कर्नाटक 113
- इंडोनेशिया का सेमरू ज्वालामुखी 114
- पश्चिमी विक्षोभ 115
- इंडियन स्टार टोर्टोइज़ 115
- बांदीपुर टाइगर रिज़र्व 116
- गुरु गोबिंद सिंह जयंती 117
- युद्धाभ्यास डेज़र्ट नाइट-21 118
- शाहीन-III मिसाइल 118
- अभ्यास कवच 119
- स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन (SAAW) 119

नोट :

- 24वाँ हुनर हाट 120
- को-विन एप 121
- रिसा 121
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 122
- पद्म पुरस्कार 2021 123
- कान्हा टाइगर रिज़र्व 124
- 35वीं प्रगति बैठक 125
- कला उत्सव 2020 126

विविध **128**

दृष्टि The Vision

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग

- दूसरे देशों के साथ भारतीय संवैधानिक योजना की तुलना
- भारत के हितों पर देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल में दो बार महाभियोग का सामना करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। अमेरिकी कॉन्ग्रेस ने उन पर विद्रोह भड़काने का आरोप लगाया गया है।

- ज्ञात हो कि 06 जनवरी, 2021 को जब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन की जीत को प्रमाणित करने के लिये अमेरिकी कॉन्ग्रेस का सत्र शुरू हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग (जहाँ अमेरिकी संसद स्थित है) पर कब्ज़ा करने का असफल प्रयास किया।

प्रमुख बिंदु

अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग

- दो सदन: संयुक्त राज्य अमेरिका की विधायिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की कॉन्ग्रेस में कुल दो सदन हैं:
  - सीनेट में प्रत्येक राज्य से दो प्रतिनिधि (सीनेटर) चुने जाते हैं, चाहे उस राज्य की आबादी कितनी भी हो।
  - हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें सदस्यों का चुनाव राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है।
- महाभियोग का कारण: अमेरिकी संविधान के मुताबिक, अमेरिका के राष्ट्रपति को देशद्रोह, रिश्वत लेने अथवा किसी अन्य गंभीर अपराध या दुष्कर्म के कारण पद से हटाया जा सकता है।
- पूर्ववर्ती महाभियोग
  - अब तक तीन अमेरिकी राष्ट्रपतियों- डोनाल्ड ट्रंप (वर्ष 2019), बिल क्लिंटन (वर्ष 1998) और एंड्रयू जॉनसन (वर्ष 1868) पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा महाभियोग चलाया गया है, हालाँकि सभी को सीनेट में विमुक्त कर दिया गया।
  - इस प्रकार किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को अब तक महाभियोग द्वारा पद से हटाया नहीं गया है।

भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधान

- भारत में राष्ट्रपति को केवल 'संविधान का उल्लंघन' करने की स्थिति में ही हटाया जा सकता है, साथ ही भारतीय संविधान में 'संविधान के उल्लंघन' के अर्थ को परिभाषित नहीं किया गया है।
- महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन- लोकसभा अथवा राज्यसभा द्वारा शुरू की जा सकती है।

भारत और अमेरिका में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी तंत्र

भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रकिया (अनुच्छेद 61)	अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग पर की प्रक्रिया
भारतीय राष्ट्रपति को 'संविधान के उल्लंघन' के मामले में महाभियोग की प्रकिया के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रकिया को संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है।	हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का कोई भी सदस्य महाभियोग के प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकता है यदि उसे संदेह है कि राष्ट्रपति 'राजद्रोह, रिश्वतखोरी अथवा किसी अन्य गंभीर अपराध या दुष्कर्म का दोषी है।'
जिस भी सदन में प्रकिया शुरू की गई है, उसके एक-चौथाई सदस्यों द्वारा संबंधित प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है, तभी सदन द्वारा उस पर विचार किया जाता है, जिसके बाद राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है।	हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सामान्य बहुमत (51 प्रतिशत) के माध्यम से महाभियोग की प्रकिया शुरू की जा सकती है, इसके बाद प्रकिया ट्रायल की ओर बढ़ती है।

नोट :

संसद के किसी एक सदन द्वारा महाभियोग प्रस्ताव के पारित (सदन की कुल सदस्यता के दो-तिहाई बहुमत से) होने के बाद, उसे विचार हेतु दूसरे सदन में भेजा जाता है।	ट्रायल की शुरुआत होती है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसकी अध्यक्षता करता है, जबकि अभियोजन पक्ष के सदस्य और सीनेटर एक निर्णायक मंडल के रूप में कार्य करते हैं। राष्ट्रपति अपनी ओर से एक वकील की नियुक्ति कर सकता है।
यदि अन्य सदन द्वारा भी दो-तिहाई बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति को उस प्रस्ताव के पारित होने की तिथि से उसे पद से हटाया जा सकता है।	ट्रायल के अंत में, सीनेट के सदस्यों द्वारा वोट किया जाता है और यदि कम-से-कम दो-तिहाई (67 प्रतिशत) सीनेटर राष्ट्रपति को अपराध का दोषी मानते हैं, तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है और शेष कार्यकाल के लिये उप-राष्ट्रपति पदभार संभाल लेता है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0

चर्चा में क्यों?

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने भारत के युवाओं को रोज़गारपरक कौशल में दक्ष बनाने के लिये 300 से अधिक कौशल पाठ्यक्रम उपलब्ध कराकर 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) 3.0' की शुरुआत की है।

प्रमुख बिंदु:

पृष्ठभूमि:

- सरकार द्वारा वर्ष 2015 में कौशल भारत मिशन शुरू किया गया था, जिसके तहत प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) चलाई गई है।
- इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक भारत में 40 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करना है एवं समाज में बेहतर आजीविका और सम्मान के लिये भारतीय युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण व प्रमाणन प्रदान करना है।

PMKVY 1.0:

- प्रारंभ: भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रमाणन योजना 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' 15 जुलाई, 2015 (विश्व युवा कौशल दिवस) को शुरू की गई थी।
- उद्देश्य: युवाओं को मुफ्त लघु अवधि का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना एवं मौद्रिक पुरस्कार के माध्यम से कौशल विकास को प्रोत्साहित करना।
- कार्यान्वयन: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा PMKVY का कार्यान्वयन किया गया है।
- मुख्य घटक: लघु अवधि का प्रशिक्षण, विशेष परियोजनाएँ, पूर्व शिक्षण को मान्यता, कौशल और रोज़गार मेला आदि
- परिणाम: वर्ष 2015-16 में 19.85 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया था।

PMKVY 2.0:

- कवरेज: PMKVY 2.0 को भारत सरकार के अन्य मिशनों जैसे- मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत आदि के साथ संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था।
- बजट: 12,000 करोड़ रुपए।
- दो घटकों के माध्यम से कार्यान्वयन:
  - केंद्र प्रायोजित केंद्र प्रबंधित (CSCM): यह घटक राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा लागू किया गया था। PMKVY, 2016-20 के लिये 75% फंड CSCM के तहत आवंटित किया गया है।
  - केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित (CSSM): इस घटक को राज्य सरकारों द्वारा राज्य कौशल विकास मिशनों (SSDMs) के माध्यम से लागू किया गया था। PMKVY, 2016-20 के लिये 25% फंड CSSM के तहत आवंटित किया गया है।

नोट :

- परिणाम: 1.2 करोड़ से अधिक युवाओं को PMKVY 1.0 और PMKVY 2.0 के तहत देश में एक बेहतर मानकीकृत स्किलिंग इकोसिस्टम के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है।

PMKVY 3.0:

- कवरेज: इसे 717 ज़िलों, 28 राज्यों/आठ केंद्रशासित प्रदेशों में लॉन्च किया गया, PMKVY 3.0 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- कार्यान्वयन: इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और ज़िलों में अधिक ज़िम्मेदारियों और समर्थन के साथ विकेंद्रीकृत संरचना में लागू किया जाएगा।
  - ज़िला कौशल समितियाँ (DSCs), राज्य कौशल विकास मिशनों (SSDM) के मार्गदर्शन में ज़िला स्तर पर कौशल अंतर को दूर करने और मांग का आकलन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
- विशेषताएँ:
  - यह योजना 948.90 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2020-2021 की योजना अवधि में आठ लाख उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की परिकल्पना करती है।
    - 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों द्वारा कौशल भारत के तहत प्रशिक्षण केंद्रों और 200 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) को सशक्त बनाने एवं कुशल पेशेवरों के एक मज़बूत पूल के निर्माण हेतु PMKVY 3.0 के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
  - यह युवाओं के लिये उद्योग से जुड़े अवसरों को भुनाने हेतु प्रारंभिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का प्रचार करेगी।
    - राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 भी समग्र विकास और रोज़गार में वृद्धि के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करती है।
  - इसके अंतर्गत प्रशिक्षण के लिये बॉटम-अप दृष्टिकोण को अपनाते हुए रोज़गारों की पहचान की जाएगी, जिनकी स्थानीय स्तर पर मांग हो और जो युवाओं को कौशल अवसरों (स्थानीय के लिए मुखर) से जोड़ते हों।
  - यह उन राज्यों जो कि बेहतर प्रदर्शन करते हैं, को वित्तीय आवंटन में प्राथमिकता देकर राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करेगी ।

1G इथेनॉल के उत्पादन के लिये संशोधित योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food & Public Distribution) ने पहली पीढ़ी (1G) के इथेनॉल उत्पादन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये पूर्व में लागू योजना में कुछ संशोधन किया है।

- इसका उद्देश्य पेट्रोल (इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम) के साथ इथेनॉल के सम्मिश्रण लक्ष्यों को प्राप्त करना है।

प्रमुख बिंदु

इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम:

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य पेट्रोल के साथ इथेनॉल को मिश्रित करना है, ताकि इसे जैव ईंधन की श्रेणी में लाया जा सके। इसके परिणामस्वरूप ईंधन आयात में कटौती तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी के चलते लाखों डॉलर की बचत होगी।
- लक्ष्य: वर्ष 2025 तक इथेनॉल के सम्मिश्रण को 20% तक बढ़ाना।

खाद्यान्नों से इथेनॉल का निष्कर्षण:

- केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में मक्का, ज्वार, फल, सब्जी आदि की अधिशेष मात्रा से ईंधन निकालने के लिये EBP कार्यक्रम के दायरे को बढ़ाया था।
- इससे पहले इस कार्यक्रम के तहत केवल अतिरिक्त गन्ना उत्पादन को इथेनॉल में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई थी।

इथेनॉल आसवन क्षमता के विस्तार के लिये वित्तीय सहायता: सरकार इस क्षेत्र में वित्तपोषण (Funding) को प्रोत्साहित करने हेतु ब्याज अनुदान (ऋण पर) प्रदान करेगी।

- अनाज (चावल, गेहूँ, जौ, मक्का और ज्वार), गन्ना, चुकंदर आदि खाद्य वस्तुओं से पहली पीढ़ी (1G) के इथेनॉल उत्पादन के लिये भट्टियाँ स्थापित करना।

- गन्ना आधारित भट्ठियों को दोहरे उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अनाज भट्ठियों में बदलना।

अपेक्षित लाभ:

- किसानों की आय बढ़ाने में:
  - किसानों को फसलों में विविधता लाने के लिये सुविधा प्रदान करना, जैसे- विशेष रूप से मक्का/मकई की खेती, जिसमें गन्ने और चावल की तुलना में कम पानी की आवश्यकता हो।
- रोज़गार प्रदान करना:
  - क्षमता में वृद्धि या नई भट्टियों की स्थापना में निवेश से ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे।
- विकेंद्रीकृत इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना:
  - देश के विभिन्न क्षेत्रों में नई अनाज आधारित भट्टियों (Distilleries) की स्थापना से इथेनॉल के विकेंद्रीकृत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा जिससे परिवहन लागत में काफी बचत होगी तथा इस प्रकार सम्मिश्रण लक्ष्य को पूरा करने में होने वाले विलंब को रोका जा सकेगा।

संबंधित पहल:

- E20 ईंधन: इससे पहले भारत सरकार ने E20 ईंधन (गैसोलीन के साथ 20% इथेनॉल का मिश्रण) को अपनाने के लिये सार्वजनिक टिप्पणियाँ आमंत्रित की थीं।
- प्रधानमंत्री जी-वन योजना, 2019 (Pradhan Mantri JI-VAN Yojana, 2019): इस योजना का उद्देश्य दूसरी पीढ़ी (2G) के इथेनॉल उत्पादन हेतु वाणिज्यिक परियोजनाओं की स्थापना के लिये एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना और इस क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देना है।
- जीएसटी में कटौती: सरकार ने ईंधन में इथेनॉल के सम्मिश्रण के लिये इस पर लगने वाली जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया है।
- राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018: इस नीति में 'आधारभूत जैव ईंधनों' यानी पहली पीढ़ी (1जी) के बायोइथेनॉल और बायोडीज़ल तथा 'विकसित जैव ईंधनों' यानी दूसरी पीढ़ी (2जी) के इथेनॉल, निगम के ठोस कचरे (एमएसडब्ल्यू) से लेकर ड्रॉप-इन ईंधन, तीसरी पीढ़ी (3जी) के जैव ईंधन, बायो CNG आदि को श्रेणीबद्ध किया गया है, ताकि प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत उचित वित्तीय और आर्थिक प्रोत्साहन बढ़ाया जा सके।

आगे की राह:

- जैव ईंधन नीति और इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिये, साथ ही इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये कि इथेनॉल उत्पादन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के कारण ईंधन और खाद्य ज़रूरतों के बीच प्रतिस्पर्द्धा न उत्पन्न हो बल्कि ईंधन उत्पादन के लिये केवल अधिशेष खाद्य फसलों का ही उपयोग किया जाना चाहिये।
- तीसरी पीढ़ी (शैवाल से प्राप्त) और चौथी पीढ़ी के जैव ईंधन (आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधों या बायोमास से प्राप्त) जैसे विकल्पों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

भारतीय रेल वित्त निगम: IPO

चर्चा में क्यों?

भारतीय रेल वित्त निगम (Indian Railway Finance Corporation- IRFC) के 'इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग' (Initial Public Offering- IPO) को जारी होने के पहले दिन 65% अंशदान मिला है।

- इससे पहले 'इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड' ने वर्ष 2019 में 'नेशनल स्टॉक एक्सचेंज' पर एक IPO जारी किया था।

प्रमुख बिंदु:

पहला IPO:

- यह वर्ष 2021 में जारी पहला IPO है जिसे गैर-बैंकिंग वित्तीय रेलवे कंपनी द्वारा पहली बार सार्वजनिक रूप से जारी किया गया।

एकत्रित राशि:

- IPO के माध्यम से केंद्र सरकार एवं IRFC के प्रवर्तक, कंपनी में 13.6% हिस्सेदारी की बिक्री करेंगे।
- 26 रुपए प्रति शेयर के उच्च मूल्य पर सरकार 3,243 करोड़ रुपए जुटाएगी और कंपनी का मार्केट कैप 23,845 करोड़ रुपए होगा।

उद्देश्य:

- IRFC अपने पूंजी आधार और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिये नए सिरे से IPO की आय का उपयोग करेगा।

रेलवे की क्षमता बढ़ाने के लिये अन्य सरकारी प्रयास:

- फ्रेट कॉरिडोर का विकास
- उच्च गति की रेलों का संचालन
- एलीवेटिड गलियारा

भारतीय रेल वित्त निगम

- यह भारतीय रेलवे की एक सहायक कंपनी है जो कि भारतीय रेलवे की एक समर्पित बाज़ार उधार शाखा भी है।

स्थापना:

- इसे वर्ष 1986 में निगमित किया गया था।

वित्तीय मॉडल:

- यह रोलिंग स्टॉक (Rolling Stock) परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के वित्तपोषण के लिये एक वित्तीय लीज़िंग मॉडल का अनुसरण करता है, जिसमें लोकोमोटिव, कोच, वैगन्स, ट्रक, फ्लैट, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, कंटेनर, क्रेन, ट्रॉली आदि शामिल हैं।
- वित्तीय लीज़िंग मॉडल
  - लीज़िंग मॉडल के माध्यम से राजस्व प्राप्त करने में आमतौर पर तीन पक्ष शामिल होते हैं: विक्रेता, खरीदार (पट्टेदार) और फाइनेंसर।
  - भुगतान के बदले किसी समझौते का स्वामित्त्व (आमतौर पर उपकरण) विक्रेता से पट्टेदार को हस्तांतरित किया जाता है।
  - पट्टेदार आवधिक शुल्क के बदले वस्तु के उपयोग के लिये तीसरे पक्ष के साथ अनुबंध करता है।
  - एक बार लीज़िंग अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद विक्रेता संबंधित समझौते के स्वामित्व को समाप्त कर सकता है या नहीं भी कर सकता है।

अंशदान

- यह भारतीय रेलवे की क्षमता वृद्धि में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो अपने वार्षिक योजना परिव्यय में वृद्धि के अनुपात में वित्तपोषण करके दीर्घकालिक व्यापार सुगमता सुनिश्चित करता है।

अन्य कार्य:

- यह रेलवे अवसंरचना परिसंपत्तियों और भारत सरकार की राष्ट्रीय परियोजनाओं (परियोजना परिसंपत्तियों) को पट्टे पर देने और रेल मंत्रालय के तहत अन्य संस्थाओं को ऋण देने में भी सक्षम है।

'इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग'

परिभाषा:

- IPO प्राथमिक बाज़ार में सार्वजनिक रूप से प्रतिभूतियों की बिक्री है।
  - प्राथमिक बाज़ार पहली बार जारी की जा रही नई प्रतिभूतियों की बिक्री से संबंधित है। इसे 'न्यू इश्यू मार्किट' (New Issues Market) के रूप में भी जाना जाता है।

नोट :

- यह द्वितीयक बाज़ार से अलग है जहाँ पहले से मौजूद प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है। इसे शेयर बाज़ार या स्टॉक एक्सचेंज के रूप में भी जाना जाता है।
- यह तब जारी होता है जब एक गैर-सूचीबद्ध कंपनी या तो प्रतिभूतियों को पहली बार बिक्री के लिये जारी करती है या अपनी मौजूदा प्रतिभूतियों को या दोनों को पहली बार जनता के सम्मुख पेश करती है।
  - गैर-सूचीबद्ध कंपनियाँ वे होती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं।
- आमतौर पर इनका उपयोग ऐसे नए और मध्यम आकार की फर्मों द्वारा किया जाता है जिन्हें अपने व्यवसाय को विकसित और विस्ताररित करने के लिये फंड की ज़रुरत होती है।

लाभ

- IPO द्वारा जुटाई गई धनराशि कंपनी को नए पूंजीगत उपकरणों और बुनियादी ढाँचे में निवेश करने में सहायता प्रदान करती है।
- एक IPO स्टॉक एक्सचेंज बाज़ार में इसके जारीकर्त्ता की प्रतिभूतियों की सूची प्रस्तुत करता है और व्यापार के लिये मार्ग प्रशस्त करता है।
- IPO एक कंपनी की उच्च प्रतिभाओं को आकर्षित करने में सहायता प्रदान करता है क्योंकि यह अपने कर्मचारियों को अतिरिक्त विकल्प प्रदान कर सकता है। यह शुरू में कंपनी को अपने अधिकारियों को कम वेतन का भुगतान करने में सक्षम बनाता है परंतु बदले में कर्मचारियों को कुछ समय बाद IPO से नकदी निकालने का विकल्प देता है।

शासन व्यवस्था

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy- MNRE) ने रूफटॉप सौर योजना (Rooftop Solar Scheme) के संबंध में परामर्श जारी किया है।

प्रमुख बिंदु:

उद्देश्य:

- घरों की छत पर सौर पैनल स्थापित कर सौर ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सौर योजना (द्वितीय चरण) को लागू कर रहा है।

  ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सौर योजना (द्वितीय चरण):
- इस परियोजना का लक्ष्य वर्ष 2022 तक रूफटॉप सौर योजना से 40,000 मेगावाट की संचयी सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करना है।
- इसमें ग्रिड से जुड़ी छत या छोटी सौर फोटोवोल्टिक (Solar Photovoltaic- SPV) प्रणाली, जिसमें SPV पैनल से उत्पन्न DC करंट, को पावर कंडीशनिंग यूनिट का उपयोग करके AC करंट में परिवर्तित किया जाता है और ग्रिड को संचालित किया जाता है।
- कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य में शामिल हैं:
  - रिहायशी, सामुदायिक, संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के मध्य ग्रिड से जुड़े एसपीवी रूफटॉप और छोटे एसपीवी बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना।
  - जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन पर निर्भरता को कम करना तथा पर्यावरण अनुकूल सौर बिजली उत्पादन को प्रोत्साहित करना।
  - निजी क्षेत्र, राज्य सरकार और व्यक्तियों द्वारा सौर ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिये सहयोगात्मक वातावरण निर्मित करना।
  - छत और छोटे पौधों की सहायता से ग्रिड तक सौर ऊर्जा की आपूर्ति हेतु एक सक्षम वातावरण निर्मित करना।
- राज्य में इस योजना का क्रियान्वयन वितरण कंपनियों (Distribution Companies-DISCOMs) द्वारा किया जा रहा है।
  - इस योजना के तहत मंत्रालय पहले 3 किलोवाट के लिये 40 प्रतिशत सब्सिडी तथा 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक के लिये 20 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान कर रहा है।
- आवासीय उपभोक्ता को सब्सिडी राशि घटाकर विक्रेताओं को रूफटॉप सोलर प्लांट की कीमत चुकानी होगी।

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये अन्य योजनाएँ:

- किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान-कुसुम (PM-KUSUM):
  - इस योजना में ग्रिड-कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट (0.5- 2 मेगावाट)/सोलर वाटर पंप/ग्रिड कनेक्टेड अग्रीकल्चर पंप शामिल हैं।
- अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्कों के विकास हेतु योजना:
  - यह मौजूदा सोलर पार्क योजना के तहत ही अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्कों (Ultra Mega Renewable Energy Power Parks- UMREPPs) को विकसित करने की योजना है।
- राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति:
  - राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति, 2018 का मुख्य उद्देश्य पवन और सौर संसाधनों, बुनियादी ढाँचे और भूमि के इष्टतम और कुशल उपयोग के लिये ग्रिड कनेक्टेड विंड-सोलर पीवी सिस्टम (Wind-Solar PV Hybrid Systems) को बढ़ावा देने के लिये एक रूपरेखा प्रस्तुत करना है।
  - पवन-सौर पीवी हाइब्रिड सिस्टम अक्षय ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तनशीलता को कम करने तथा बेहतर ग्रिड स्थिरता प्राप्त करने में सहायक होगा।
  - इस नीति का उद्देश्य उन नई प्रौद्योगिकियों और तरीकों को प्रोत्साहित करना है जिसमें पवन और सौर पीवी संयंत्रों का संयुक्त संचालन शामिल है।
- अटल ज्योति योजना (AJAY):
  - AJAY योजना को सितंबर 2016 में ग्रिड पावर (2011 की जनगणना के अनुसार) में 50% से कम घरों वाले राज्यों में सौर स्ट्रीट लाइटिंग (Solar Street Lighting- SSL) सिस्टम की स्थापना के लिये शुरू किया गया था।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन: आईएसए, भारत की एक पहल है जिसे 30 नवंबर, 2015 को पेरिस, फ्राँस में भारत के प्रधानमंत्री और फ्राँस के राष्ट्रपति द्वारा पार्टियों के सम्मेलन (COP-21) में शुरू किया गया था। इस संगठन के सदस्य देशों में वे 121 सौर संसाधन संपन्न देश शामिल हैं जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कर्क और मकर रेखा के मध्य स्थित हैं।
- वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड (OSOWOG): यह वैश्विक सहयोग को सुविधाजनक बनाने हेतु एक रूपरेखा पर केंद्रित है, जो परस्पर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों (मुख्य रूप से सौर ऊर्जा) के वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर उसे साझा करता है।
- राष्ट्रीय सौर मिशन (जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में राष्ट्रीय कार्य योजना का एक हिस्सा)
- सूर्यमित्र कौशल विकास कार्यक्रम: इसका उद्देश्य सौर प्रतिष्ठानों की निगरानी हेतु ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है।

जाँच में देरी पर CVC के निर्देश

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने हाल ही में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को सतर्कता संबंधी मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाही के विभिन्न चरणों के लिये समयसीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है, क्योंकि इस प्रकार की देरी से आरोपित अधिकारियों को या तो अनुचित लाभ प्राप्त हो रहा है या फिर उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है।

प्रमुख बिंदु

मुद्दा

- केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने पहले भी चिंता व्यक्त की है कि आयोग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बावजूद जाँचकर्त्ता निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप जाँच में अधिक समय लगता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने भी कुछ विशिष्ट मामलों को छोड़कर किसी भी न्यायालय द्वारा जारी 'स्टे आदेश' की अवधि को छह माह तक सीमित कर दिया है।

कारण

- न्यायालय द्वारा जारी किया गया 'स्टे आदेश'।
- न्यायपालिका के समक्ष लंबित मामले।
- अधिकारी द्वारा सेवा समाप्त किये जाने के बाद से मामला यथावत रखा जाना।

प्रभाव

- अनुचित उदाहरण
  - अनुचित देरी के कारण भ्रष्ट लोक सेवकों को अनुचित गतिविधियों में लिप्त होने का अधिक अवसर मिलता है, जिससे अन्य लोक सेवकों के समक्ष एक खराब उदाहरण प्रस्तुत होता है।
- ईमानदार अधिकारियों का हतोत्साहन
  - सतर्कता संबंधी मामलों के निपटान में होने वाली देरी के कारण प्राय: उन ईमानदार लोक सेवकों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जो ऐसे मामलों में शामिल होते हैं।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)

- केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission-CVC) एक शीर्ष सतर्कता संस्थान है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त होता है तथा केंद्र सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है।
  - यह केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, उनके निष्पादन, समीक्षा एवं सुधार के संबंध में सलाह भी देता है।

संरचना

- केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1964 में के. संथानम की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।
- वर्ष 2003 में आयोग को वैधानिक दर्जा देते हुए संसद द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम पारित किया गया।

कार्य

- CVC भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें सुनता है और इस दिशा में उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश करता है। निम्नलिखित संस्थाएँ, निकाय या व्यक्ति CVC के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं:
  - केंद्र सरकार
  - लोकपाल
  - सूचना प्रदाता/मुखबिर/सचेतक (Whistleblower)
- विदित हो कि केंद्रीय सतर्कता आयोग कोई अन्वेषण एजेंसी नहीं है। यह या तो CBI के माध्यम से या सरकारी कार्यालयों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों (CVO) के माध्यम से मामले की जाँच/अन्वेषण कराता है।

शासन

- केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास स्वयं का सचिवालय, मुख्य तकनीकी परीक्षक खंड (CTE) और विभागीय जाँच आयुक्त खंड (CDI) है। वहीं अन्वेषण कार्य के लिये CVC दो बाहरी स्रोतों- CBI और मुख्य सतर्कता अधिकारियों (CVO) पर निर्भर रहता है।
- संरचना
  - केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहु-सदस्यीय आयोग है, जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष) और अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त (सदस्य) होते हैं।
  - केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), गृह मंत्री (सदस्य) और लोकसभा में विपक्ष का नेता (सदस्य) शामिल होता है।

- मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO)
  - विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में सतर्कता संबंधी कार्यों का नेतृत्त्व मुख्य सतर्कता अधिकारियों (CVOs) द्वारा किया जाता है और सतर्कता संबंधी मामलों की जाँच से संबंधित आयोग की गतिविधियों का संचालन भी इन्ही अधिकारियों के माध्यम से होता है।
  - सभी विभागों/संगठनों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति आयोग से पूर्व-परामर्श के बाद की जाती है।
- कार्यकाल
  - CVO का कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है।
- निष्कासन
  - केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी सतर्कता आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा केवल कदाचार साबित होने या असमर्थता की स्थिति में हटाया जा सकता है।

पदोन्नति में आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने महान्यायवादी (Attorney General) को एम. नागराज मामले में वर्ष 2006 में संविधान पीठ द्वारा दिये गए निर्णय के खिलाफ किये गए फैसले के की प्रयोज्यता के संबंध में राज्यों द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न मुद्दों को संकलित करने के लिये कहा है।

- यह निर्देश सात न्यायाधीशों वाली खंडपीठ द्वारा केंद्र की एक याचिका पर दिया गया है जिसमें सवाल किया गया है कि सरकारी पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिये क्रीमी लेयर लागू होना चाहिये या नहीं।
- अदालत ने एम नागराज मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों की पदोन्नति में क्रीमी लेयर सिद्धांत के इस्तेमाल को बरकरार रखा था।

प्रमुख बिंदु

क्रीमी लेयर:

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'क्रीमी लेयर' (Creamy Layer) शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इंद्रा साहनी मामले (1992) में किया गया था।
- 'क्रीमी लेयर' शब्द अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अपेक्षाकृत अमीर और बेहतर शिक्षित समूहों को संबोधित करता है, जिन्हें सरकार प्रायोजित शैक्षिक और पेशेवर लाभ के कार्यक्रमों के योग्य नहीं माना जाता है।
- वर्तमान नियमों के अनुसार, OBC वर्ग के केवल वे उम्मीदवार जिनकी पारिवारिक आमदनी 6 लाख रूपए से कम है, आरक्षण के पात्र हैं। हालाँकि हाल ही में पारिवारिक आमदनी की सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया है।

संकलन का निर्देश देने के कारण:

- SC/ST समुदायों के सदस्यों के लिये पदोन्नति में क्रीमी लेयर सिद्धांत को लागू करने हेतु राज्यों द्वारा उठाए गए मुद्दे साधारण/सामान्य नहीं हैं, इसलिये इस प्रकार के मुद्दों को सात न्यायाधीशों की बेंच को संदर्भित करने से पहले संकलित किया जाना चाहिये।

एम. नागराज मामला (2006):

- इंद्रा साहनी मामले से अलग निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय ने पदोन्नति में SC/ST के लिये आरक्षण में क्रीमी लेयर अवधारणा को लागू करने के इंद्रा साहनी मामले (1992) में दिये गए अपने निर्णय (जिसमें उसने SC/ST को क्रीमी लेयर से बाहर रखा था, जबकि यह OBC पर लागू था) को पलट दिया।
- राज्यों को निर्देश: पाँच जजों की बेंच ने नागराज मामले में 77वें, 81वें, 82वें और 85वें संवैधानिक संशोधनों को बरकरार रखा, जो पदोन्नति में SC/ST समुदायों के आरक्षण का प्रावधान करते हैं, लेकिन राज्यों को कुछ निर्देश भी दिये गए जो इस प्रकार हैं:
  - राज्य पदोन्नति के मामले में SC/ST समुदाय को आरक्षण देने के लिये बाध्य नहीं है।

- यदि कोई राज्य पदोन्नति में SC/ST समुदायों को आरक्षण प्रदान करना चाहता है तो:
  - उसे उस वर्ग के पिछड़ेपन की स्थिति को दर्शाते हुए मात्रात्मक डेटा एकत्र करना होगा जिसे वह आरक्षण प्रदान करना चाहता है।
  - अनुच्छेद 335 का अनुपालन सुनिश्चित करने के अलावा राज्य को सार्वजनिक रोज़गार में उस वर्ग के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को दर्शाना होगा।
- राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा 50% की आरक्षण-सीमा के प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है।

अन्य संबंधित निर्णय:

- जरनैल सिंह बनाम वी.एल.एन गुप्ता (2018) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नागराज फैसले को एक उच्च पीठ को संदर्भित करने से इनकार कर दिया , परंतु बाद में यह कहकर अपने निर्णय को बदल दिया कि राज्यों को SC / ST समुदायों के पिछड़ेपन के मात्रात्मक डेटा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
- पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है:
  - नागराज मामले में अपने रुख की पुष्टि करते हुए वर्ष 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सार्वजनिक पदों पर पदोन्नति के मामले में आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है तथा किसी राज्य को इसे प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है।
- केंद्र द्वारा वर्तमान मांग: केंद्र ने न्यायालय से विभिन्न मुद्दों पर SC/ST को पदोन्नति में क्रीमी लेयर की अवधारणा को शुरू करने के अपने रुख की समीक्षा करने के लिये कहा गया:
  - पिछड़े वर्ग आरक्षण से वंचित हो सकते हैं: सरकार का मानना है कि 'क्रीमी लेयर' 'आरक्षण के लाभ से पिछड़े वर्गों को वंचित कर सकता है।
  - पिछड़ेपन की स्थिति को पुनः साबित करने की निरर्थकता : यह माना जाता है कि एक बार जब उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत राष्ट्रपति द्वारा पिछड़े वर्ग की सूची में जोड़ दिया गया है, तो फिर से SC/STको पिछड़ा साबित करने का कोई सवाल ही नहीं है।
    - अनुच्छेद 341 और 342 के तहत उक्त सूची को संसद के अलावा किसी अन्य द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है - यह परिभाषित करना कि किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में किसे SC/ST के रूप में माना जाएगा।

आरक्षण में पदोन्नति के लिये संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 16(4): इस अनुच्छेद के अनुसार, राज्य सरकारें अपने नागरिकों के उन सभी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण हेतु प्रावधान कर सकती हैं, जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- अनुच्छेद 16(4A): इस अनुच्छेद के अनुसार, राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिये कोई भी प्रावधान कर सकती हैं यदि राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- इसे संविधान में 77वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 1995 में शामिल किया गया था।
- अनुच्छेद 16 (4B): इसे 81वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें एक विशेष वर्ष के रिक्त SC/ST कोटे को अगले वर्ष के लिये स्थानांतरित कर दिया गया।
- अनुच्छेद 335: के अनुसार, सेवाओं और पदों को लेकर SC और ST के दावों पर विचार करने हेतु विशेष उपायों को अपनाने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें बराबरी के स्तर पर लाया जा सके।
  - 82वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2000 ने अनुच्छेद 335 में एक शर्त सम्मिलित की जो कि राज्य को किसी भी परीक्षा में अर्हक अंक में छूट प्रदान करने हेतु अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के पक्ष में कोई प्रावधान करने में सक्षम बनाता है।

नियामक अनुपालन पोर्टल: DPIIT

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने एक नियामक अनुपालन पोर्टल शुरू किया है जो नागरिकों, उद्योगों और सरकार के दवाब को कम करने के लिये एक सेतु का काम करेगा।

- DPIIT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह नागरिकों और व्यवसायों से संबंधित विनियामकों पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिये नोडल विभाग के रूप में कार्य कर रहा है क्योंकि अनुपालन संबंधी दवाब समय और लागत पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

प्रमुख बिंदु:

- उद्देश्य:
  - अनुपालन बोझ को कम करना, ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से नागरिक-सरकार संबंधों को मज़बूती प्रदान करना और पुरानी एवं अप्रचलित प्रक्रियाओं को हटाना।
  - विनिर्माण को बढ़ावा देने और भारतीय उद्योग को प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिये गुणवत्ता और विनिर्माण दो प्रमुख लागतजन्य मुद्दे हैं लेकिन अनुपालन बोझ भी एक प्रमुख लागतजन्य मुद्दा है।
- पोर्टल के संबंध में:
  - सभी केंद्रीय मंत्रालय/विभाग और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश अपने कानूनों/विनियमों/नियमों की जाँच करेंगे और सभी प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत और सरल बनाने, बोझिल अनुपालन को हटाने, कानूनों को कम करने और निरर्थक अधिनियमों को हटाने के लिये एक कार्य योजना को लागू करेंगे। इन विवरणों की विनियामक अनुपालन पोर्टल पर निगरानी की जाएगी।
  - यह सभी केंद्रीय और राज्य-स्तर की अनुपालन संबंधी प्रक्रियाओं के लिये इस प्रकार के पहले केंद्रीय ऑनलाइन भंडार के रूप में कार्य करेगा।
  - CII, FICCI और ASSOCHAM जैसे व्यापार निकायों से संबंधित उद्योग हितधारक नियामक अनुपालन बोझ को कम करने के लिये सिफारिशें भी प्रस्तुत करेंगे।
  - प्रत्येक मंत्रालय/विभाग और राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा की गई कार्रवाई की अनुकूलित रिपोर्ट निगरानी और मूल्यांकन के लिये भी प्रस्तुत की जाएगी।
- व्यवसाय सुधार कार्य योजना (BRAP) के तहत राज्यों की रैंकिंग वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। BRAP, 2019 में 19 राज्यों के विभागों द्वारा लागू किये जाने वाले 80 सुधारों (187 सुधार कार्रवाई बिंदुओं) की एक सूची थी। इन सुधारों में 12 व्यावसायिक विनियामक क्षेत्र शामिल हैं जैसे- एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सिंगल विंडो सिस्टम, श्रम, पर्यावरण आदि।
  - औद्योगिक गलियारों के विकास में तेज़ गति से वृद्धि का उद्देश्य विश्व स्तर पर सतत् बुनियादी ढाँचे द्वारा संचालित एक नियोजित और संसाधन-कुशल औद्योगिक आधार विकसित करने हेतु सुविधा प्रदान करना है जो नवाचार, विनिर्माण, रोज़गार सृजन और राष्ट्र को संसाधन सुरक्षा के मामले में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती हो।
  - 'इन्वेस्ट इंडिया' भारत की राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी है। यह निवेशकों के लिये कारोबारी माहौल को आसान बनाकर देश के निवेश माहौल को बदल रही है।
  - मेक इन इंडिया पहल को वर्ष 2014 में लॉन्च किया गया था, जिसमें निवेश की सुविधा, नवाचार को बढ़ावा देने, उच्च स्तरीय बुनियादी ढाँचे का निर्माण करने, व्यवसाय को आसान बनाने और कौशल विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से 25 क्षेत्रों के लिये कार्य योजना बनाई गई थी।

महत्त्व:

- वर्ष 2014 में वर्ल्ड बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट में भारत का स्थान 142वें से वर्ष 2019 में 63वाँ हो गया है।
- ये सभी नवाचार आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होंगे और उद्योगों के लिये व्यवसाय को सुविधाजनक बनाएंगे।

KIIFB ऋण मुद्दा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने कहा है कि महत्त्वपूर्ण बुनियादी परियोजनाओं के लिये केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) द्वारा लिये गए ऑफ-बजट ऋण ने संविधान के अनुच्छेद 293 (1) के तहत सरकारी ऋण की निर्धारित सीमा को दरकिनार कर दिया है और ऐसे ऋणों के लिये विधायी स्वीकृति नहीं दी गई है।

- ऑफ-बजट ऋण एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने के लिये अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं को निश्चित समयावधि के लिये आंशिक रूप से ऋण देती है।

संविधान के तहत ऋण हेतु प्रावधान:

- केंद्र और राज्यों द्वारा ऋण लेना: भारत के संविधान के भाग XII में अध्याय II ऋण से संबंधित है। अनुच्छेद 292 में केंद्र सरकार और अनुच्छेद 293 में राज्यों द्वारा ऋण लिये जाने संबंधी प्रावधान हैं।
- राज्य विधानसभाओं को सशक्त बनाना: अनुच्छेद 293 (1) राज्य विधानमंडलों को राज्य की कार्यकारी शक्तियों को ऋण लेने और गारंटी देने में सक्षम बनाने या उनकी शक्ति को सीमित करने के लिये कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- केंद्र की सहमति: अनुच्छेद 293 की धारा (3) और (4) के तहत ऐसे मामलों में जहाँ राज्य सरकारों द्वारा केंद्र से लिये गए ऋण बकाया का भुगतान किया जाना हो, उस स्थिति में नए ऋण प्राप्त करने के लिये केंद्र की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है और ऐसी सहमति शर्तों के अधीन दी जा सकती है।

प्रमुख बिंदु:

मुद्दे:

- संवैधानिक सीमा को दरकिनार किया: CAG के अनुसार, KIIFB ने संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत सरकारी ऋण पर निर्धारित सीमा को दरकिनार कर दिया है क्योंकि इन ऋणों को विधायी स्वीकृति नहीं प्राप्त थी।
- केंद्र की शक्तियों का अतिक्रमण: CAG ने कहा कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 37 के तहत केवल केंद्र को विदेशी ऋण लेने की शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार KIIFB द्वारा लिया गया ऋण संविधान के उल्लंघन और केंद्र की शक्तियों का अतिक्रमण है।
- पारदर्शिता का अभाव: KIIFB द्वारा लिये गए ऋण को बजट दस्तावेज़ों या खातों में नहीं दर्शाया गया है।
  - यह पारदर्शिता को लेकर संदेह पैदा करता है और ऋण की इंटर-जेनेरिक इक्विटी के कारण राज्य को ओपन मार्केट डेब्ट सहित सभी वित्तीय विवरणों को केंद्र के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है, जिसमें सभी स्रोतों से प्राप्त रसीदें तथा भुगतान विवरण दिखाया जाता है।
- बोझिल राज्य वित्त: KIIFB ने बॉण्ड जारी करके यह ऋण जुटाया जिसे पेट्रोलियम उपकर और मोटर वाहन कर के माध्यम से चुकाया जाना था।
  - CAG ने बताया कि चूँकि KIIFB के पास आय का कोई स्रोत नहीं है, इसलिये KIIFB द्वारा लिया गया ऋण (जिसके लिये राज्य गारंटर के रूप में था), अंततः राज्य सरकार के लिये प्रत्यक्ष दायित्व बन सकता है।
- बाहरी देयताओं के समायोजन का जोखिम: राज्य को मसाला बॉड जारी करने हेतु मंज़ूरी देने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की आलोचना की गई थी। CAG ने चिंता जताई है कि यदि इस प्रकार की प्रक्रिया को किसी अन्य राज्य द्वारा दोहराया गया, तो केंद्र की जानकारी के बिना देश की बाहरी देनदारियों में वृद्धि हो सकती है।
- निवेश में वृद्धि: केरल सरकार द्वारा बॉण्ड जारी किये जाने से राज्य में बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से निवेश में वृद्धि हुई, जिसे परंपरागत रूप से अपनी गैर-मैत्रीपूर्ण व्यावसायिक नीतियों, नौकरशाही की वजह से देरी और आवर्तक औद्योगिक हड़तालों के लिये जाना जाता है।

केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB):

- स्थापना: KIIFB की स्थापना 'केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड' का प्रबंधन करने हेतु वर्ष 1999 में केरल सरकार के वित्त विभाग के तहत हुई थी।
- उद्देश्य: इस फंड का मुख्य उद्देश्य केरल राज्य में महत्त्वपूर्ण और बड़े बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं हेतु निवेश प्रदान करना है।
- विशेषताएँ:
  - KIIFB भारत में पहली उप-संप्रभु इकाई थी जो अपतटीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीय बॉण्ड बाज़ार का दोहन करती थी।
  - वर्ष 2019 में KIIFB ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में अपना ₹ 2,150 करोड़ का मसाला बॉण्ड जारी किया। मसाला बॉण्ड भारत के बाहर जारी किया जाने वाला बॉण्ड है, लेकिन स्थानीय मुद्रा की बजाय इसे भारतीय मुद्रा में निर्दिष्ट किया जाता है।

नोट :

भूमिका में बदलाव: वर्ष 2016 में KIIFB की भूमिका बजट से परे विकास संबंधी परियोजनाओं के लिये संसाधन जुटाने हेतु निवेश बॉण्ड के संचालक से बदलकर एक इकाई के रूप में कर दी गई थी।

केरल सरकार की चिंताएँ:

- राज्य के विकास के लिये हानिकारक: केरल सरकार के अनुसार, KIIFB से प्राप्त धन का उपयोग स्कूलों, सड़कों, अस्पतालों आदि जैसे सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण के लिये किया जा रहा है और CAG के इस तरह के कदम से राज्य के हितों को चोट पहुँच सकती है।
- एकपक्षीयता: केरल सरकार ने CAG द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित किये जाने से पहले राज्य को टिप्पणी, अवलोकन या स्पष्टीकरण की पेशकश करने का अवसर नहीं देने पर चिंता जताई है।
- RBI द्वारा पहले से ही स्वीकृत: केरल सरकार ने इस तथ्य को भी उजागर किया कि KIIFB बॉण्ड RBI की मंज़ूरी के बाद ही जारी किये गए थे जो कि भारत सरकार के अधीन एक केंद्रीय निकाय है, तो फिर ऐसे ऋण असंवैधानिक कैसे हो सकते हैं।
- RBI की भूमिका:
  - RBI, बॉण्ड और डिबेंचर के मुद्दे तथा उनके प्रबंधन के लिये केंद्र एवं राज्य सरकारों के एजेंट के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत है।
  - RBI का आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग विभिन्न फंडों के तहत दिनांकित प्रतिभूतियों में राज्य सरकारों के अधिशेष नकद वित्त के निवेश की सुविधा के लिये राज्य सरकार को ऋण जारी करने की शक्ति रखता है।
  - यह केंद्र और राज्यों के लिये 'वेज एंड मीन्स एडवांस' (Ways and Means Advances- WMAs) का निर्माण करने तथा इसके लिये सीमाएँ तय करने हेतु भी अधिकृत है।
- संघवाद को कमज़ोर करना: वित्तीय स्वायत्तता के विकेंद्रीकरण के लिये राज्य उप-ऋण के विनियमन हेतु एक तंत्र प्रदान करना आवश्यक है।
  - यह राज्यों की व्यापक आर्थिक स्थिरता को बढ़ा सकता है। इसलिये अनुच्छेद 293 द्वारा केंद्र को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग परिस्थितियों तक सीमित होना चाहिये।

आगे की राह:

- उप-राष्ट्रीय राजकोषीय नीति की समीक्षा: चूँकि हाल के राजकोषीय झटकों जैसे-विमुद्रीकरण, जीएसटी और COVID-19 संकट के कारण राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है, इसलिये भारत की उप-राष्ट्रीय राजकोषीय नीति की समीक्षा की जानी चाहिये ताकि राज्यों को ऋण लेने में सक्षम बनाया जा सके। यह उन्हें वित्तीय स्वायत्तता का लाभ उठाने के अधिक अवसर प्रदान करेगा।
- राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व कानूनों को मान्य करना: यहाँ तक कि मैथ्यू बनाम भारत सरकार मामले में केरल उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि अनुच्छेद 293 राज्य को ऋण लेने मंक सक्षम बनाता है और यह राज्यों को अपने स्वयं के राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून (FRLs) को पारित करने का अधिकार देता है।
- सहकारी संघवाद: CAG द्वारा उठाई गई KIIFB की विधायी चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता है, इसके लिये केंद्र तथा केरल सरकार को जनहित में उपचारात्मक उपाय अपनाने चाहिये

जैव चिकित्सा अपशिष्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal- NGT) द्वारा देश में विभिन्न अधिकरणों/प्राधिकरणों को जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- केंद्रीय स्तर पर: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board- CPCB) को जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का सख्ती से अनुपालन और अपशिष्टों का वैज्ञानिक तरीके से निपटान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

- राज्य स्तर पर: सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को अनुपालन की निगरानी करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि प्राधिकरण द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में प्रत्येक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा को संरक्षित किया गया है और मानदंडों का पालन भी किया जा रहा है।
- ज़िला स्तर पर: ज़िला मजिस्ट्रेट को ज़िला पर्यावरण योजनाओं में सामजस्य/तालमेल स्थापित करने के लिये निर्देशित किया गया है।
- भूजल संदूषण: जैव चिकित्सा अपशिष्ट को ज़मीन की गहराई में गाड़ने की अनुमति देते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि इससे भूजल संदूषित नहीं होना चाहिये।
- पृथक्करण: यह सुनिश्चित किया जाए कि खतरनाक जैव चिकित्सा अपशिष्ट सामान्य कचरे के साथ मिश्रित न हों।
- नियमों का बार-बार उल्लंघन: ये निर्देश विभिन्न स्वास्थ्य तथा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार पर नियमित जुर्माना लगाए जाने के परिणामस्वरूप आए हैं।
- पूर्व अवलोकन: भविष्य में सामान्य कचरे स कोविड-19 जैव चिकित्सा अपशिष्ट का पृथक्करण सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने से बचाने के लिये आवश्यक है।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

- परिभाषा: जैव चिकित्सा अपशिष्ट को मानव और पशुओं के उपचार के दौरान उत्पन्न शारीरिक अपशिष्ट जैसे- सुई, सिरिंज तथा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्रियों के रूप में परिभाषित किया जाता है।
  - उद्देश्य: इन नियमों का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण देश में प्रतिदिन स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं (Healthcare Facilities- HCFs) से उत्पन्न जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उचित प्रबंधन करना है।
- विस्तार: टीकाकरण शिविर, रक्तदान शिविर, शल्य चिकित्सा शिविर या किसी अन्य स्वास्थ्य सेवा गतिविधि को शामिल करने के उद्देश्य से नियमों को विस्तारित किया गया है।
- चरणबद्ध तरीके से हटाना: मार्च 2016 से दो वर्षों के भीतर क्लोरीनयुक्त प्लास्टिक की थैलियों, दस्ताने और रक्त की थैलियों को चरणबद्ध तरीके से हटा लिया गया है।
- पूर्व-उपचार: इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (National AIDS Control Organisation- NACO) द्वारा निर्धारित कीटाणुशोधन प्रक्रिया के माध्यम से प्रयोगशाला अपशिष्ट, सूक्ष्म जीवाणु अपशिष्ट, रक्त के नमूने और रक्त की थैलियों को पूर्व-उपचारित किया जाना शामिल है।
- वर्गीकरण: कचरे के पृथक्करण में सुधार के लिये जैव चिकित्सा अपशिष्ट को पूर्व वर्गीकृत 10 श्रेणियों के अलावा 4 अन्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
- प्रदूषकों के लिये कठोर मानक: पर्यावरण में प्रदूषकों के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से नियमों को लागू करने हेतु अधिक कड़े मानकों को निर्धारित किया गया है।
- राज्य सरकार की भूमिका: राज्य सरकार सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधा स्थापित करने के लिये भूमि प्रदान करती है।

चिंताएँ:

- महामारी: महामारी के दौरान उत्पन्न जैव चिकित्सा अपशिष्ट के वैज्ञानिक तरीके से निपटान और संग्रहण ने अधिकारियों के समक्ष चुनौती पेश की है।
- अनुपालन की कमी: राज्य द्वारा कोविड-19 से संबंधित कचरे का निपटारा करते हुए CPCB द्वार जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।
  - कुछ राज्यों में कोविड-19 उपचार और क्वारंटाइन के दौरान घरों में उत्पन्न कचरे को अनुचित रूप से अलग करने की सूचना दी गई है।
- गैर-पृथक्करण: अपशिष्टों का सही से पृथक्करण न होने के कारण प्लास्टिक अपशिष्ट के दहन से उत्पन्न ज़हरीली गैस हवा के साथ मिलकर वायु प्रदूषण उत्पन्न करती है।

नोट :

- अपशिष्ट में वृद्धि: घरों से निकलने वाले जैव चिकित्सा अपशिष्ट में वृद्धि और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किये बिना इसका संग्रह कैसलोएड ((मरीज़ों की संख्या में वृद्धि के कारण डॉक्टर्स, नर्सों आदि के कार्यों में हुई वृद्धि) को बढ़ा सकता है।
- संबद्ध श्रमिकों का स्वास्थ्य: इस प्रकार उत्पन्न कचरे का उचित वैज्ञानिक प्रबंधन न करना संभावित रोगियों को प्रभावित कर सकता है और साथ ही यह संबंधित श्रमिकों और पेशेवरों को प्रभावित कर सकता है।
    - ऐसे मास्क और दस्ताने जिनका उपयोग खतरनाक सामग्री की देख-रेख में बिना किसी सुरक्षित उपायों के किया जाता है, हज़ारों स्वच्छता कर्मियों के जीवन को जोखिम में डालता है ।

सुझाव:

- समुचित पृथक्करण: कोविड -19 रोगियों द्वारा उपयोग किये जाने से बचे भोजन, डिस्पोज़ेबल प्लेट, चश्मे, प्रयुक्त मास्क, ऊतक आदि को पीले रंग के बैग में, जबकि उपयोग किये गए दस्तानों को लाल रंग के बैग में रखकर CBWTFs में कीटाणुशोधन एवं पुनर्चक्रण हेतु भेज देना चाहिये।
    - जहाँ कचरे का दहन नहीं किया जा सकता है, वहाँ पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिये उचित सावधानी बरतने वाले प्रोटोकॉल के अनुसार गहरी दफन प्रणालियों (Deep Burial Systems) को ठीक से अपनाए जाने की आवश्यकता है। इस प्रणाली में जैव चिकित्सा अपशिष्ट को 2 मीटर गहरी खाई में दफनाने और उसे चूने और मिट्टी की एक परत से कवर करना शामिल है।
- जागरूकता अभियान: जैव चिकित्सा अपशिष्ट के सही निपटान के बारे में लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिये दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्मों पर एक उपयुक्त कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिये।
- आधारभूत संरचना विकसित करना: सरकार को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership-PPP) मॉडल के तहत देश भर में रीसाइक्लिंग प्लांट स्थापित करने चाहिये (जैसा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत परिकल्पित है)।
- नियमों में सामंजस्य: केंद्र को प्लास्टिक उत्पादकों के लिये विस्तारित निर्माता ज़िम्मेदारी (Extended Producer Responsibility-EPR) को लेकर दिशा-निर्देशों के साथ जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के संयोजन हेतु एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बनाना चाहिये।
- नवाचार: स्टार्ट-अप और लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा अपशिष्ट पृथक्करण और उपचार हेतु समाधान की पेशकश के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- निरीक्षण: केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य विभागों और केंद्रीय स्तर पर गठित उच्च स्तरीय टास्क टीम द्वारा निरंतर और नियमित निगरानी की जानी चाहिये।

आधार कानून की समीक्षा याचिका खारिज

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने आधार अधिनियम, 2016 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने वाले वर्ष 2018 के अपने फैसले की समीक्षा से संबंधित एक याचिका को खारिज कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने आधार प्रणाली को मान्यता देते हुए सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वालों के लिये आधार नामांकन को अनिवार्य कर दिया था।
- न्यायालय ने अपने निर्णय में संसद द्वारा आधार कानून को धन विधेयक के रूप में पारित करने की मंजूरी दे दी थी। ज्ञात हो कि धन विधेयक को राज्यसभा की मंज़ूरी की आवश्यकता नहीं होती है।

- इसके पश्चात् निर्णय के विरुद्ध समीक्षा याचिका दायर की गई थी।

संबंधित मुद्दे

- इस मामले में प्राथमिक प्रश्न यह है क्या कि किसी विधेयक को अनुच्छेद 110 (1) के तहत धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी है अथवा न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
- यदि यह निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है, तो इस बात की समीक्षा की जाएगी कि क्या आधार अधिनियम, 2016 को धन विधेयक के रूप में सही ढंग से प्रमाणित किया गया है।

न्यायालय का निर्णय

- बहुमत का निर्णय
  - इस मामले की सुनवाई कर रही खंडपीठ के अधिकांश न्यायाधीशों (5 में से 4) ने वर्ष 2018 के निर्णय की समीक्षा से संबंधित याचिका को खारिज करने का समर्थन किया।
  - न्यायालय ने माना कि रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड (वर्ष 2019) वाद में न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय वर्ष 2018 के निर्णय पर पुनर्विचार के लिये पर्याप्त आधार नहीं है।
  - रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड
    - इस मामले में न्यायालय ने कहा था कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है, हालाँकि यह दायरा बेहद सीमित है।
    - इस मामले में कहा गया था कि वर्ष 2018 के निर्णय में न्यायालय ने इस प्रश्न का निर्णायक जवाब नहीं दिया था कि अनुच्छेद 110 (1) के तहत धन विधेयक में क्या शामिल होता है, इसलिये इस मामले को एक बड़ी खंडपीठ के पास हस्तांतरित किया जाना चाहिये, जो कि अभी गठित नहीं की गई है।
- मतभेदपूर्ण निर्णय
  - पाँच न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश ने बहुमत के दृष्टिकोण पर असहमति जताई और कहा कि आधार के संबंध में न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय पर प्रश्नचिह्न लगाने के संबंध में वर्ष 2019 का निर्णय पूर्णत: प्रासंगिक है और सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिये जल्द-से-जल्द सात न्यायाधीशों की बड़ी पीठ गठित करनी चाहिये।
  - उन्होंने सबरीमाला मामले का भी उल्लेख किया, जहाँ फरवरी 2020 में नौ-न्यायाधीशों वाली खंडपीठ ने समीक्षा याचिका को लंबित रखते हुए सितंबर 2019 में पाँच-न्यायाधीशों द्वारा दिये गए निर्णय के कारण उत्पन्न क़ानूनी प्रश्नों को बड़ी बेंच को संदर्भित किया था।
- अंतिम निर्णय
  - यद्यपि पाँच न्यायाधीशों वाली खंडपीठ में से एक सदस्य ने इसे 'संवैधानिक त्रुटि' करार दिया, किंतु बहुसंख्यक निर्णय के आधार सर्वोच्च न्यायालय ने आधार अधिनियम को मान्य करने वाले अपने वर्ष 2018 के निर्णय की समीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।

धन विधेयक

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 (1) धन विधेयक से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाता है, यदि वह:
  - किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन अथवा विनियमन करता हो।
  - केंद्र सरकार द्वारा लिये गए ऋण के विनियमन से संबंधित हो।
  - भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा या ऐसी किसी निधि में धन जमा करने या उसमें से धन निकालने से संबंधित हो।
  - भारत सरकार की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा करता हो।
  - भारत सरकार की संचित निधि से धन का विनियोग करता हो।
  - भारत की संचित निधि पर भारित किसी व्यय की उद्घोषणा या इस प्रकार के किसी व्यय की राशि में वृद्धि करता हो।

- भारत की संचित निधि या लोक लेखा में किसी प्रकार के धन की प्राप्ति या अभिरक्षा या इनसे संबंधित व्यय या इनके केंद्र या राज्य निधियों का लेखा परीक्षण करता हो।
- उपरोक्त विषयों का आनुषंगिक कोई विषय हो।

धन और वित्त विधेयक के बीच अंतर

धन विधेयक	वित्त विधेयक	
	वित्त विधेयक-I	वित्त विधेयक-II
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है।	भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 (1) वित्त विधेयक-I से संबंधित है।	भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 (3) वित्त विधेयक-II से संबंधित है।
यह केवल अनुच्छेद 110 में उल्लिखित प्रावधानों से संबंधित है।	इसमें न केवल अनुच्छेद 110 में वर्णित सभी मामले शामिल हैं, बल्कि इसमें सामान्य कानून के अन्य मामले भी हैं।	इसमें भारत की संचित निधि (CFI) से संबंधित व्यय शामिल हैं, जो कि अनुच्छेद 110 के तहत शामिल हैं।
अध्यक्ष द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं।	अध्यक्ष के प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती है।	अध्यक्ष के प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती है।
इन्हें केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।	इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।	इसे दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है।
इसे प्रस्तुत करने के लिये राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक होती है।	इसे प्रस्तुत करने के लिये राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक होती है।	इसे प्रस्तुत करने के लिये राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है।
इसे राष्ट्रपति द्वारा संशोधित और अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।	इसे राष्ट्रपति द्वारा संशोधित और अस्वीकार किया जा सकता है।	इसे राष्ट्रपति द्वारा संशोधित और अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।
राष्ट्रपति धन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, किंतु पुनर्विचार के लिये वापस नहीं कर सकता है।	राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिये वापस भेज सकता है।	राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिये वापस भेज सकता है।
गतिरोध के समाधान के लिये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।	राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है।	राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है।

बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल

चर्चा में क्यों?

सरकार द्वारा मानसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल को निलंबित कर दिया गया था, इसे संसद का बजट सत्र पूरा होने पर फिर से शुरू किया जाएगा।

- यह निलंबन COVID-19 महामारी को देखते हुए किया गया था। सरकार ने COVID मामलों की बढ़ती संख्या का हवाला देते हुए संसद के शीतकालीन सत्र को भी रद्द कर दिया था।

प्रमुख बिंदु:

प्रश्नकाल (विवरण):

- संसद सत्र का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिये होता है। हालाँकि केवल वर्ष 2014 में प्रश्नकाल का समय राज्यसभा में सुबह 11 बजे की बजाय दोपहर 12 बजे से कर दिया गया था।

नोट :

- इस एक घंटे के दौरान संसद सदस्य (सांसद) मंत्रियों से सवाल पूछते हैं और अपने- अपने मंत्रालय के कामकाज से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना मंत्रियों का उत्तरदायित्व होता है।
- प्रश्नकाल के दौरान निजी सदस्यों (सांसद जो मंत्री नहीं हैं) से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

विनियमन: इसका विनियमन संसदीय नियमों के अनुसार किया जाता है।

- दोनों सदनों (राज्यसभा और लोकसभा) के पीठासीन अधिकारी प्रश्नकाल के संचालन के लिये अंतिम प्राधिकारी होते हैं।

प्रश्नों के प्रकार: तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं-

- तारांकित प्रश्न (तारांकन द्वारा प्रतिष्ठित): तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है तथा इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं।
- अतारांकित प्रश्न: अतारांकित प्रश्नों के मामले में लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है, इसलिये इनके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं।
- अल्प सूचना के प्रश्न: ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिन्हें कम-से-कम 10 दिन का पूर्व नोटिस देकर पूछा जाता है। इनका उत्तर भी मौखिक दिया जाता है।

आवर्ती: प्रश्नकाल का आयोजन दोनों सदनों में सत्र के सभी दिनों में किया जाता है परंतु दो दिन प्रश्नकाल नहीं होता है जो कि एक अपवाद है।

- पहला, जब राष्ट्रपति दोनों सदनों के सांसदों को संबोधित करता है।
  - राष्ट्रपति का भाषण एक नई लोकसभा की शुरुआत और नए संसद वर्ष के पहले दिन होता है।
- दूसरा, जिस दिन वित्त मंत्री बजट पेश करता है।

प्रश्नकाल के बिना पूर्व के सत्र:

- पूर्व में भी राष्ट्रीय आपात स्थितियों के दौरान प्रश्नकाल को स्थगित किया जा चुका है।

प्रश्नकाल का महत्त्व:

- सांसद का अधिकार: प्रश्न पूछना सदस्यों का एक अंतर्निहित और अपरिवर्तित संसदीय अधिकार है।
- सरकार को जवाबदेह बनाए रखना:
  - प्रश्नकाल के दौरान ही सदस्य प्रशासन और सरकारी गतिविधि के हर पहलू के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं।
    - इस दौरान राष्ट्रीय के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में सरकार की नीतियों पर जोर दिया जाता है।
  - ट्रायल की तरह प्रश्नकाल के दौरान प्रत्येक मंत्री को प्रशासनिक गलती और अपने कार्यों के लिये जवाबदेह होना होगा।
- नीतियों का अनुकूलन: प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार राष्ट्र की आवश्यकता को तुरंत समझ सकती है और उसके अनुसार अपनी नीतियों तथा कार्यों को अनुकूलित कर सकती है।
- आयोग का गठन: कभी-कभी प्रश्नकाल एक आयोग की नियुक्ति, कोर्ट ऑफ़ इन्क्वायरी या यहाँ तक कि विधान के निर्माण के लिये भी उत्तरदायी हो सकता है यदि सदस्य द्वारा उठाए गए मामले व्यापक सार्वजनिक महत्त्व के हों।

संसद सत्र:

- संसद सत्र आहूत करना:
  - संसद सत्र आहूत करने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद-85 में निर्दिष्ट है।
  - यह निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है, तथा सांसदों को सत्र के लिये बुलाया जाता है।

सत्रों का आयोजन:

- भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। संसद के एक वर्ष में तीन सत्र होते हैं।

- सत्र आहूत करने के लिये राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को समय-समय पर सम्मन जारी करता है, परंतु संसद के दोनों सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल 6 माह से ज़्यादा का नही होना चाहिये। अर्थात् संसद को कम-से-कम वर्ष में दो बार मिलना चाहिये।
- बजट सत्र: सबसे लंबा बजट सत्र (पहला सत्र) जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह में समाप्त हो जाता है। बजट सत्र के दौरान एक अवकाश होता है ताकि संसदीय समितियाँ बजटीय प्रस्तावों पर चर्चा कर सकें।
- मानसून सत्र: दूसरा सत्र तीन सप्ताह का मानसून सत्र होता है, जो आमतौर पर जुलाई माह में शुरू होता है और अगस्त में खत्म होता है।
- शीतकालीन सत्र: शीतकालीन सत्र यानी तीसरे सत्र का आयोजन नवंबर से दिसंबर तक किया जाता है।

दया याचिका पर निर्णय में देरी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सॉलिसिटर जनरल ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वर्ष 1991 के राजीव गांधी हत्याकांड मामले में दोषी की दया याचिका पर तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा अगले तीन-चार दिनों में निर्णय लिया जाएगा।

- दया याचिका की अवधारणा का अनुसरण भारत सहित अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे कई देशों में किया जाता है।
- भारत में क्षमा प्रदान करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद-72 और अनुच्छेद-161 के तहत क्रमश: राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को सौंपी गई है। यह देश की न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत क्षमा करने या मृत्यु की सज़ा प्राप्त अपराधियों के प्रति दया दिखाने के लिये शक्तियों का हवाला देकर एक मानवीय पक्ष जोड़ता है।
  - क्षमा प्रदान करने या अपराधियों के प्रति दया दिखाने संबंधी शक्तियाँ भारत की न्यायिक प्रक्रिया में एक मानवीय पक्ष को शामिल करती हैं।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि

- सर्वप्रथम वर्ष 2015 में दोषी द्वारा दिये गए एक माफीनामे पर राज्य के राज्यपाल द्वारा विचार नहीं किया गया था, हालाँकि सितंबर 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित याचिका पर निर्णय देते हुए कहा कि क्षमादान पर निर्णय लेने हेतु राज्यपाल पूर्णत: उपयुक्त है।
- इसके पश्चात् राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुच्छेद 161 का हवाला देकर आरोपी की उम्रकैद की सज़ा को रद्द करने की सिफारिश की गई थी।
- हालाँकि राज्यपाल का निर्णय अभी भी लंबित है।

केंद्र सरकार का पक्ष

- केंद्र सरकार का पक्ष है कि दया याचिका को राज्यपाल के बजाय राष्ट्रपति के पास भेजा जाना चाहिये, क्योंकि इस मामले की सुनवाई एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जा रही है।

याचिकाकर्त्ता का पक्ष

- अपराधी क्षमादान के लिये राष्ट्रपति या राज्यपाल का चयन करने हेतु स्वतंत्र है।
- याचिकाकर्त्ता ने भारत संघ बनाम श्रीहरन वाद (वर्ष 2015) में संवैधानिक पीठ के निर्णय को संदर्भित किया, जिसमें कहा गया था कि 'कार्यकारी क्षमादान की शक्ति' 'राष्ट्रपति एवं राज्यपाल में निहित है।'
- दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 432 के तहत दोषियों की सज़ा को रद्द करने के तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव पर वर्ष 2018 में केंद्र की अस्वीकृति, अनुच्छेद 161 के तहत क्षमा के लिये राज्यपाल को अलग से याचिका देने हेतु बाधा नहीं है।
  - CrPC की धारा 432: इसके मुताबिक, उपयुक्त सरकार किसी भी समय, बिना किसी शर्त के या किसी विशिष्ट शर्त के आधार पर किसी भी व्यक्ति की सज़ा को रद्द कर सकती है अथवा सज़ा के किसी भी हिस्से को समाप्त कर सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय का अवलोकन

- सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा की गई देरी को 'असाधारण' करार दिया है। न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार की सिफारिश के बावजूद राज्यपाल द्वारा कोई निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है।
  - ज्ञात हो कि राज्यपाल, राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश को अस्वीकार नहीं कर सकता है, हालाँकि निर्णय देने को लेकर कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
  - राज्यपाल ने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिये पहले ही राज्य सरकार को फाइल लौटा दी गई थी, लेकिन सरकार अब भी अपने निर्णय पर बरकरार है।

क्षमादान की शक्ति:

राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति:

- संबंधित प्रावधान:
  - संविधान के अनुच्छेद-72 के तहत राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है, जो निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के लिये दोषी करार दिये गए हों।
    - संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के संदर्भ में दिये गए दंड में,
    - सैन्य न्यायालय द्वारा दिये गए दंड में,
    - यदि मृत्युदंड की सज़ा दी गई हो।
- सीमाएँ:
  - राष्ट्रपति क्षमादान की अपनी शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना नहीं कर सकता।
  - सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने कई मामलों में निर्णय दिया है कि राष्ट्रपति को दया याचिका का फैसला करते हुए मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्रवाई करनी है। इनमें वर्ष 1980 में मारू राम बनाम भारत संघ और वर्ष 1994 में धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य वाद शामिल हैं।
- प्रक्रिया:
  - राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका को मंत्रिमंडल की सलाह लेने के लिये गृह मंत्रालय के पास भेजा जाता है।
  - मंत्रालय याचिका को संबंधित राज्य सरकार को भेजता है, जिसका उत्तर मिलने के बाद मंत्रिपरिषद अपनी सलाह देती है।
- पुनर्विचार:
  - यद्यपि राष्ट्रपति के लिये मंत्रिमंडल की सलाह बाध्यकारी होती है, किंतु अनुच्छेद 74 (1) उसे मंत्रिमंडल के पुनर्विचार हेतु याचिका को वापस करने का अधिकार देता है। यदि मंत्रिमंडल बिना किसी भी बदलाव के इसे राष्ट्रपति को भेजता है तो राष्ट्रपति के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है।
- संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों के मध्य अंतर:

- अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का दायरा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से अधिक है, जो निम्नलिखित दो तरीकों से भिन्न है:
  - सैन्य मामले: राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सज़ा को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं।
  - मृत्युदंड: राष्ट्रपति मृत्युदंड से संबंधित सभी मामलों में क्षमादान दे सकता है, परंतु राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति मृत्युदंड के मामलों तक विस्तारित नहीं है।

शब्दावली:

- क्षमा (Pardon)- इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी को दंड, दंडादेशों एवं निर्हर्ताओं से पूर्णत: मुक्त कर दिया जाता है।

- लघुकरण (Commutation)- इसका अर्थ है सज़ा की प्रकृति को बदलना जैसे-मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना।
- परिहार (Remission) - सज़ा की अवधि में बदलाव जैसे- 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना।
- विराम (Respite) - विशेष परिस्थितियों की वजह से सज़ा को कम करना। जैसे- शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था के कारण।
- प्रविलंबन (Reprieve) - किसी दंड को कुछ समय के लिये टालने की प्रक्रिया। जैसे- फाँसी को कुछ समय के लिये टालना।

पराक्रम दिवसः नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को 'पराक्रम दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, यह प्रतिवर्ष 23 जनवरी को मनाई जाती है।

- सुभाष चंद्र बोस की वर्षगाँठ को चिह्नित करने के लिये वर्ष भर के कार्यक्रमों की योजना बनाने हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति भी गठित की गई है।
- हाल ही में भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किये गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने हेतु 'सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार' की स्थापना की गई है।

प्रमुख बिंदु

जन्म

- सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी, 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनकी माता का नाम प्रभावती दत्त बोस और पिता का नाम जानकीनाथ बोस था।

परिचय

- वर्ष 1919 में बोस ने भारतीय सिविल सेवा (ICS) परीक्षा पास की, हालाँकि कुछ समय बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
- वे स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे।
- उनके राजनीतिक गुरु चितरंजन दास थे।

कॉन्ग्रेस के साथ संबंध

- उन्होंने बिना शर्त स्वराज (Unqualified Swaraj) अर्थात् स्वतंत्रता का समर्थन किया और मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया जिसमें भारत के लिये डोमिनियन (अधिराज्य) के दर्जे की बात कही गई थी।
- उन्होंने वर्ष 1930 के नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया और वर्ष 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन तथा गांधी-इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने का विरोध किया।
- वर्ष 1930 के दशक में वह जवाहरलाल नेहरू और एम.एन. रॉय के साथ कॉन्ग्रेस की वाम राजनीति में संलग्न रहे।
- बोस ने वर्ष 1938 में हरिपुरा में कॉन्ग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव जीता।
- इसके पश्चात् वर्ष 1939 में उन्होंने त्रिपुरी में गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभि सीतारमैय्या के विरुद्ध पुन: अध्यक्ष पद का चुनाव जीता।
- गांधी जी के साथ वैचारिक मतभेद के कारण, बोस ने कॉन्ग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कॉन्ग्रेस से अलग हो गए। उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था।
- कॉन्ग्रेस से अलग होकर उन्होंने 'द फॉरवर्ड ब्लॉक' नाम से एक नया दल बनाया। इसके गठन का उद्देश्य अपने गृह राज्य बंगाल में वाम राजनीति के आधार को और अधिक मज़बूत करना था।

भारतीय राष्ट्रीय सेना

- जुलाई 1943 में वे जर्मनी से जापान-नियंत्रित सिंगापुर पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा 'दिल्ली चलो' जारी किया और 21 अक्तूबर, 1943 को 'आज़ाद हिंद सरकार' तथा 'भारतीय राष्ट्रीय सेना' के गठन की घोषणा की।
- भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन पहली बार मोहन सिंह और जापानी मेजर इविची फुजिवारा (Iwaichi Fujiwara) के नेतृत्त्व में किया गया था तथा इसमें मलायन (वर्तमान मलेशिया) अभियान के दौरान सिंगापुर में जापान द्वारा कैद किये गए ब्रिटिश-भारतीय सेना के युद्ध बंदियों को शामिल किया गया था।
- साथ ही इसमें सिंगापुर की जेल में बंद भारतीय कैदी और दक्षिण-पूर्व एशिया के भारतीय नागरिक भी शामिल थे। इसकी सैन्य संख्या बढ़कर 50,000 हो गई थी।
- INA ने वर्ष 1944 में इम्फाल और बर्मा में भारत की सीमा के भीतर मित्र देशों की सेनाओं का मुकाबला किया।
- नवंबर 1945 में ब्रिटिश सरकार द्वारा INA के सदस्यों पर मुकदमा चलाए जाने के तुरंत बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए।

यातायात उल्लंघन प्रीमियम

चर्चा में क्यों?

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority of India- IRDAI) द्वारा यातायात प्रबंधन के लिये गठित एक कार्यसमूह ने 'यातायात उल्लंघन प्रीमियम' (Traffic Violation Premium) शुरू करने की सिफारिश की है।

- इससे पहले सितंबर 2019 में, IRDAI ने मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम को यातायात उल्लंघन के साथ संबद्ध करने वाली प्रणाली की स्थापना हेतु एक कार्यसमूह का गठन किया था।

प्रमुख बिंदु

प्रीमियम के विषय में:

- वाहन मालिकों को वाहन से जुड़े यातायात उल्लंघन के आधार पर बीमा प्रीमियम का भुगतान करना पड़ सकता है।
- कार्यसमूह ने मोटर बीमा में इसके लिये एक पाँचवीं धारा "यातायात उल्लंघन प्रीमियम" को जोड़ने का सुझाव दिया गया है। इस प्रीमियम को मोटर के खुद के नुकसान, तीसरे पक्ष के मूल एवं अतिरिक्त बीमा और अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रीमियम के अलावा रखे जाने का सुझाव दिया गया है।
- प्रीमियम की गणना:
  - यातायात उल्लंघन के मामलों की गणना विभिन्न यातायात अपराधों की आवृत्ति और गंभीरता को आधार मानते हुए की जाती है।
  - यातायात उल्लंघन प्रीमियम की राशि ड्राइविंग आदतों पर निर्भर करेगी जिसका निर्धारण चालानों की संख्या तथा उनके प्रकार के आधार पर किया जाएगा।
  - यातायात उल्लंघन प्रीमियम वाहन के पंजीकृत मालिक (चाहे वह कोई व्यक्ति हो अथवा इकाई) द्वारा देय होगा।
- अंको (पॉइंट्स) की गणना:
  - कार्यसमूह द्वारा उपलब्ध कराई गई अपराधों की तालिका के अनुसार, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 100 अंकों का जुर्माना लगेगा, जबकि गलत पार्किंग के लिये 10 अंकों का जुर्माना होगा। प्रीमियम की राशि की गणना इन अंकों के आधार पर की जाएगी।
- डेटा संग्रहण:
  - ट्रैफिक चालान का डेटा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre- NIC) द्वारा संग्रहीत किया जाएगा और इसे दैनिक आधार पर भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो (Insurance Information Bureau of India- IIB) के साथ साझा किया जाएगा।

- IIB का उद्देश्य बीमाकर्त्ताओं, नियामक और सरकारी एजेंसियों सहित बीमा क्षेत्र के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी हितधारकों को एक पूर्ण, सुसंगत एवं संक्षिप्त तरीके से सूचना समर्थन प्रदान करना है।

- प्रक्रिया:
    - यह प्रीमियम वाहन पर है न कि चालक पर। इसका तात्पर्य यह है कि जब कोई नया वाहन खरीदा जाएगा तो इसके लिये यातायात उल्लंघन का अंक शून्य से शुरू होगा और इसके मालिक द्वारा वाहन का बीमा कराए जाने पर किसी भी यातायात उल्लंघन के प्रीमियम का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी, भले ही उस वाहन मालिक द्वारा पूर्व में कोई यातायात उल्लंघन किया गया हो (चाहे वह किसी और के स्वामित्त्व वाले वाहन चालक के रूप में किया गया यातायात उल्लंघन हो या स्वयं के किसी भी प्रकार की श्रेणी के वाहन द्वारा)।
    - हालाँकि यदि कोई व्यक्ति मोटर बीमा का नवीनीकरण कराता है, तो यातायात उल्लंघन प्रीमियम के लिये उसके यातायात उल्लंघन अंकों का भी मूल्यांकन किया जाएगा जिसका भुगतान करना आवश्यक होगा।
    - बिक्री के बाद वाहन बीमा हस्तांतरण के मामले में, वाहन स्वामित्व हस्तांतरण की तिथि से यातायात उल्लंघन प्रीमियम की शुरुआत शून्य से होगी।
- प्रयुक्त तकनीक:
    - भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो (IIB) यातायात उल्लंघन डेटा को प्राप्त करने, उल्लंघन करने वाले प्रत्येक वाहन के यातायात उल्लंघन अंकों की गणना करने और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली एकीकरण के माध्यम से सभी सामान्य बीमाकर्त्ताओं को यह जानकारी उपलब्ध कराने के लिये विभिन्न राज्यों की यातायात पुलिस और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ समन्वय स्थापित करेगा।

भारत में सड़क दुर्घटनाएँ:

- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) द्वारा जारी 'भारत में सड़क दुर्घटनाएँ- 2018 रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 4.67 लाख सड़क दुर्घटनाएँ हुईं, जिनमें 1.51 लाख नागरिक मारे गए।
- विश्व सड़क सांख्यिकी- 2018 के अनुसार, विश्व के 199 देशों में सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों की संख्या में भारत पहले स्थान पर था। इसके बाद क्रमशः चीन तथा अमेरिका का स्थान था।

सरकार द्वारा किये गए अन्य उपाय:

- सरकार ने पहले से ही संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 में विभिन्न प्रकार के यातायात उल्लंघनों के मामले में भारी जुर्माने का प्रावधान किया है। इसके अलावा, भारत सरकार महानगर और स्मार्ट शहरों में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ntelligent Traffic Management System) पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है।

श्री नारायण गुरु

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने श्री नारायण गुरु (Sree Narayana Guru) की कविताओं का अंग्रेज़ी अनुवाद, "नॉट मैनी, बट वन" (Not Many, But One) लॉन्च किया है।

प्रमुख बिंदु

जन्म:

- श्री नारायण गुरु का जन्म 22 अगस्त, 1856 को केरल के तिरुवनंतपुरम के पास एक गाँव चेमपज़ंथी (Chempazhanthy) में मदन असन और उनकी पत्नी कुट्टियम्मा (Kuttiyamma) के घर हुआ था।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा:

- उनका परिवार एझावा (Ezhava) जाति से संबंध रखता था और उस समय के सामाजिक मान्यताओं के अनुसार इसे 'अवर्ण" (Avarna) माना जाता था।

- उन्हें बचपन से ही एकांत पसंद था और वे हमेशा गहन चिंतन में लिप्त रहते थे। वह स्थानीय मंदिरों में पूजा करने के लिये प्रयासरत रहते थे, जिसके लिये भजनों तथा भक्ति गीतों की रचना करते रहते थे।
- छोटी उम्र से ही उनका आकर्षण तप की ओर था जिसके चलते वे संन्यासी के रूप में आठ वर्षों तक जंगल में रहे थे।
- उनको वेद, उपनिषद, साहित्य, हठ योग और अन्य दर्शनों का ज्ञान था।

महत्त्वपूर्ण कार्य:

- जातिगत अन्याय के खिलाफ:
  - उन्होंने "एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर" (ओरु जति, ओरु माथम, ओरु दैवम, मानुष्यानु) का प्रसिद्ध नारा दिया।
  - उन्होंने वर्ष 1888 में अरुविप्पुरम में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर बनाया, जो उस समय के जाति-आधारित प्रतिबंधों के खिलाफ था।
  - उन्होंने एक मंदिर कलावन्कोड (Kalavancode) में अभिषेक किया और मंदिरों में मूर्तियों की जगह दर्पण रखा। यह उनके इस संदेश का प्रतीक था कि परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है।
- धर्म-परिवर्त्तन का विरोध:
  - उन्होंने लोगों को समानता की सीख दी, उन्होंने इस बात को महसूस किया कि असमानता का उपयोग धर्म परिवर्तन के लिये नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि इससे समाज में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है।
  - श्री नारायण गुरु ने वर्ष 1923 में अलवे अद्वैत आश्रम (Alwaye Advaita Ashram) में एक सर्व-क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन किया, जिसे भारत में इस तरह का पहला कार्यक्रम बताया जाता है। यह एझावा समुदाय में होने वाले धार्मिक रूपांतरणों को रोकने का एक प्रयास था।

श्री नारायण गुरु का दर्शन:

- श्री नारायण गुरु बहुआयामी प्रतिभा, महान महर्षि, अद्वैत दर्शन के प्रबल प्रस्तावक, कवि और एक महान आध्यात्मिक व्यक्ति थे।

साहित्यिक रचनाएँ:

- उन्होंने विभिन्न भाषाओं में अनेक पुस्तकें लिखीं। उनमें से कुछ प्रमुख हैं: अद्वैत दीपिका, असरमा, थिरुकुरल, थेवरप्पाथिंकंगल आदि।

राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान:

- श्री नारायण गुरु मंदिर प्रवेश आंदोलन में सबसे अग्रणी थे और अछूतों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ थे।
- श्री नारायण गुरु ने वयकोम सत्याग्रह (त्रावणकोर) को गति प्रदान की। इस आंदोलन का उद्देश्य निम्न जातियों को मंदिरों में प्रवेश दिलाना था। इस आंदोलन की वजह से महात्मा गांधी सहित सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया।
- उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीयता के सार को समाहित किया और दुनिया की विविधता के बीच मौजूद एकता को रेखांकित किया।

विज्ञान में योगदान:

- श्री नारायण गुरु ने स्वच्छता, शिक्षा, कृषि, व्यापार, हस्तशिल्प और तकनीकी प्रशिक्षण पर ज़ोर दिया।
- श्री नारायण गुरु का अध्यारोप (Adyaropa) दर्शनम् (दर्शनमला) ब्रह्मांड के निर्माण की व्याख्या करता है।
- इनके दर्शन में दैवदशकम् (Daivadasakam) और आत्मोपदेश शतकम् (Atmopadesa Satakam) जैसे कुछ उदाहरण हैं जो यह बताते हैं कि कैसे रहस्यवादी विचार तथा अंतर्दृष्टि वर्तमान की उन्नत भौतिकी से मिलते-जुलते हैं।

दर्शन की वर्तमान प्रासंगिकता:

- श्री नारायण गुरु की सार्वभौमिक एकता के दर्शन का समकालीन विश्व में मौजूद देशों और समुदायों के बीच घृणा, हिंसा, कट्टरता, संप्रदायवाद तथा अन्य विभाजनकारी प्रवृत्तियों का मुकाबला करने के लिये विशेष महत्त्व है।

मृत्यु:

- श्री नारायण गुरु की मृत्यु 20 सितंबर, 1928 को हो गई। केरल में यह दिन श्री नारायण गुरु समाधि (Sree Narayana Guru Samadhi) के रूप में मनाया जाता है।

श्रमशक्ति पोर्टल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिये राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के निर्माण को सुचारु बनाने के लिये एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल- 'श्रमशक्ति' शुरू किया है।

- इसके अलावा श्रमिकों के लिये एक प्रशिक्षण पुस्तिका 'श्रमसाथी' का भी शुभारंभ किया गया।

प्रमुख बिंदु

पोर्टल के बारे में

- इस पोर्टल की शुरुआत आदिवासी प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डेटा एकत्र करने और उस डेटा को मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिये की गई है।

पोर्टल का उद्देश्य

- डेटा अंतराल को संबोधित करना
  - 'श्रमशक्ति' पोर्टल के ज़रिये एकत्रित किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के डेटा में जनसांख्यिकीय रूपरेखा, आजीविका विकल्प, कौशल संबंधी सूचना और प्रवासन के रुझान से जुड़े विवरण आदि शामिल होंगे।
  - यह उन प्रवासी श्रमिकों को सशक्त बनाने मदद करेगा, जो रोज़गार और आय की तलाश में पलायन करते हैं।
- नीति निर्माण में सहायक
  - यह राष्ट्रीय और राज्य सरकारों को स्रोत और गंतव्य दोनों राज्यों में प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिये प्रभावी रणनीति तैयार करने और नीतिगत निर्णय लेने में सहायता करेगा।
- प्रवासियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित करना
  - तस्करी
  - मज़दूरों के वेतन और उनके उत्पीड़न से संबंधित मुद्दे
  - कार्यस्थल पर व्यावसायिक जोखिम आदि
- अन्य योजनाओं से जोड़ना
  - यह पोर्टल प्रवासी श्रमिकों को 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत मौजूदा कल्याण योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा।

प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिये भारत सरकार की हालिया पहलें

- असीम पोर्टल
  - कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने कुशल कामगारों को आजीविका अवसर खोजने में मदद के लिये आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी-नियोक्ता मानचित्रण यानी असीम (Aatamanirbhar Skilled Employee-Employer Mapping-ASEEM) पोर्टल लॉन्च किया।
  - भारत के विभिन्न राज्यों से अपने घरों को वापस लौटे श्रमिकों तथा वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश लौटे भारतीय नागरिकों, जिन्होंने 'कौशल कार्ड' में पंजीकरण कराया है, के डेटाबेस को भी इस पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।
- 'राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली' डैशबोर्ड
  - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने एक ऑनलाइन डैशबोर्ड 'राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली' (NMIS) विकसित की है।
  - यह ऑनलाइन पोर्टल प्रवासी कामगारों का केंद्रीय कोष बनाएगा और उनके मूल स्थानों तक की यात्रा हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये अंतर-राज्यीय संचार/समन्वय में मदद करेगा।

- श्रम कानूनों का श्रम संहिताओं में समायोजन
  - हाल ही में सरकार द्वारा अलग-अलग श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में समायोजित किया गया है- वेतन संहिता अधिनियम-2019; औद्योगिक संबंध संहिता-2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020; पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्य शर्त संहिता-2020।
  - इन चार संहिताओं का उद्देश्य पूरे देश में औद्योगीकरण की प्रकिया को आसान बनाना और इस प्रकार अंततः तनावग्रस्त प्रवासी मज़दूरों को राहत प्रदान करना है।

आदिवासी कल्याण से संबंधित पहलें

- प्रधानमंत्री वन धन योजना
  - यह एक बाज़ार आधारित आदिवासी उद्यमिता विकास कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य आदिवासी स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का क्लस्टर बनाना और उन्हें जनजातीय उत्पादक कंपनियों के रूप में विकसित करना है।
  - इसका लक्ष्य मुख्यतः आदिवासी ज़िलों में जनजातीय समुदाय के स्वामित्व वाले लघु वन-उपज केंद्र (MFP) और वन धन विकास केंद्रों की स्थापना करना है।
- एकलव्य मॉडल रेज़िडेंशियल स्कूल
  - एकलव्य मॉडल रेज़िडेंशियल स्कूल (EMRS) योजना की शुरुआत वर्ष 1997-98 में दूरस्थ स्थानों पर अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक और उच्च-स्तरीय शिक्षा प्रदान करने हेतु की गई थी, ताकि उन बच्चों को गैर-अनुसूचित जनजाति के बच्चों के समान ही शिक्षा के सर्वोत्तम अवसरों तक पहुँच प्रदान की जा सके।
  - ये स्कूल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत प्रदान किये गए अनुदान द्वारा स्थापित किये जाते हैं।
- भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राईफेड)
  - वर्ष 1987 में स्थापित भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (TRIFED) राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष संगठन है, जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य करता है।
  - ट्राइफेड का प्रमुख उद्देश्य जनजातीय उत्पादों, जैसे- धातु कला, जनजातीय टेक्सटाइल और जनजातीय पेंटिंग आदि, जिन पर जनजातीय लोग अपनी आय के एक बड़े भाग हेतु बहुत अधिक निर्भर हैं, के विपणन विकास द्वारा देश में जनजातीय लोगों का सामाजिक-आर्थिक विकास करना है।

The Vision

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2020 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा वर्ष 2015 के बाद से अपने पाँच वर्षों के सबसे न्यूनतम स्तर 45.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुँच गया।

- व्यापार घाटा (Trade Deficit): जब किसी देश का कुल आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है तो इस स्थिति को उसके व्यापार घाटे के रूप संदर्भित किया जाता है।
- व्यापार घाटे की गणना कुल आयात और निर्यात के अंतर के आधार पर की जाती है।
  - व्यापार घाटा= कुल आयात -कुल निर्यात

प्रमुख बिंदु:

- वर्ष 2020 का द्विपक्षीय व्यापार: चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स (GAC) द्वारा जारी नवीन आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 87.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो वर्ष 2019 की तुलना में 5.6% कम है।
  - वर्ष 2020 में भारत द्वारा चीन से किया गया कुल आयात 66.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जिसमें 10.8% की वार्षिक गिरावट देखने को मिली और यह वर्ष 2016 से सबसे निचले स्तर पर था।
  - वर्ष 2020 में भारत से चीन को होने वाला निर्यात 16% की वार्षिक वृद्धि के साथ अब तक के सबसे उच्चतम स्तर 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।
- विश्लेषण:
  - वर्ष 2020 में घरेलू मांग में गिरावट के कारण भारत के कुल आयात में गिरावट दिखने को मिली।
  - हालाँकि अभी भी इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि भारत ने इन वस्तुओं को किसी अन्य देश से आयात कर या स्वयं ही निर्मित करते हुए चीन पर अपनी आयात निर्भरता को बदल दिया है।
- चीन से आयात होने वाले प्रमुख उत्पाद (वर्ष 2019 डेटा):
  - विद्युत मशीनरी और उपकरण, जैविक रसायन उर्वरक आदि।
- चीन को निर्यात होने वाले प्रमुख उत्पाद(2019 डेटा):
  - लौह अयस्क, कार्बनिक रसायन, कपास और अपरिष्कृत हीरा।
  - इसके अतिरिक्त वर्ष 2020 में COVID-19 के कारण आई मंदी के बाद विकास को पुन: गति प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई नई बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के साथ चीन में लौह अयस्क की मांग में वृद्धि देखी गई।
- चीन के साथ व्यापार घाटा:
  - भारत और चीन के बीच व्यापार का संतुलन चीन के पक्ष में अधिक झुका हुआ है। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा वर्ष 2020 में 45.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वर्ष 2019 में 56.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
  - चीन के साथ भारी व्यापार घाटे के लिये दो कारकों को उत्तरदायी माना जा सकता है, भारत द्वारा प्राथमिक रूप से चीन को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सीमित कमोडिटी बास्केट, और उन क्षेत्रों में बाज़ार पहुँच की बाधाएँ जहाँ भारत प्रतिस्पर्द्धी है, जैसे-कृषि उत्पाद तथा सूचना प्रौद्योगिकी।
  - समय के साथ चीन से मशीनरी, बिजली से संबंधित उपकरणों, दूरसंचार, जैविक रसायनों और उर्वरकों के निर्यात ने भारत के कच्चे माल-आधारित वस्तुओं को बहुत पीछे छोड़ दिया है।

नोट :

- चीन पर आयात निर्भरता कम करने के लिये किये गए उपाय:
  - पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव को देखते हुए भारत द्वारा 100 से अधिक चीनी मोबाइल एप्स पर प्रतिबंध लगाया गया।
  - भारत द्वारा कई क्षेत्रों में चीनी निवेश की जाँच में सख्ती की गई है, साथ ही सरकार द्वारा चीनी कंपनियों को 5G परीक्षण से बाहर रखने के निर्णय पर विचार किया जा रहा है।
  - सरकार ने हाल ही में चीन से टायरों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, साथ ही घरेलू कंपनियों के "अवसरवादी अधिग्रहण" पर अंकुश लगाने के लिये भारत के साथ थल सीमा साझा करने वाले देशों हेतु विदेशी निवेश के लिये पूर्व मंजूरी अनिवार्य कर दी है। यह एक ऐसा कदम है जो चीन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को सीमित करेगा।
  - वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 12 क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें भारत को एक वैश्विक आपूर्तिकर्त्ता बनाने और आयात बिल में कटौती करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें खाद्य प्रसंस्करण, जैविक खेती, लोहा, एल्युमीनियम और तांबा, कृषि रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक मशीनरी, फर्नीचर, चमड़ा और जूते, ऑटो पार्ट्स, वस्त्र, मास्क, सैनिटाइज़र और वेंटिलेटर शामिल हैं।
  - सक्रिय दवा सामग्री (API) के लिये चीन पर आयात निर्भरता में कटौती करने हेतु सरकार द्वारा मार्च 2020 में 13,760 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ चार योजनाओं वाले पैकेज को मंज़ूरी दी गई थी, इसका उद्देश्य देश में थोक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के घरेलू उत्पादन के साथ इनके निर्यात को बढ़ावा देना है।

सरकार की विनिवेश योजनाएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने कोविड-19 महामारी के कारण पवन हंस (Pawan Hans) के रणनीतिक विनिवेश (Disinvestment) हेतु बोली की समयसीमा को एक माह के लिये बढ़ा दिया है।

- नई दिल्ली स्थित पवन हंस लिमिटेड एक हेलीकॉप्टर सेवा कंपनी है। यह मिनी रत्न-I श्रेणी का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठ भूमि:

- वर्ष 2020-2021 के लिये सरकार का विनिवेश लक्ष्य: सरकार ने वर्ष 2020-21 में विनिवेश के माध्यम से 2.1 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है, जिसमें कुछ शेयरों को बेचकर अब तक लगभग 14,000 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं।
- सार्वजनिक क्षेत्र की नई नीति: सरकार ने मई 2020 में 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत घोषणा की थी कि रणनीतिक क्षेत्रों में अधिकतम चार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ होंगी और अन्य क्षेत्रों में राज्य के स्वामित्व वाली फर्मों का अंततः निजीकरण किया जाएगा। ।
  - इस नीति के तहत रणनीतिक क्षेत्रों के लिये एक सूची अधिसूचित की जाएगी जिसमें निजी कंपनियों के अलावा कम-से-कम एक और अधिकतम चार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम होंगे।
  - अन्य क्षेत्रों में औचित्य के आधार पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) का निजीकरण किया जाएगा।

वर्तमान स्थिति:

- पवन हंस के विनिवेश के लिये बोली की समयसीमा एक महीने के लिये बढ़ा दी गई है।
- इस साल एयर इंडिया और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों की रणनीतिक बिक्री पूरी होने की संभावना नहीं है।
- बाज़ारों में भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation of India- LIC) को सूचीबद्ध करने के लिये LIC अधिनियम, 1986 में और संशोधन की आवश्यकता है।

विनिवेश प्रक्रिया की आवश्यकता:

- सरकार पर आर्थिक रिकवरी के लिये संसाधन जुटाने और स्वास्थ्य देखभाल के लिये उच्चतर अपेक्षाओं को पूरा करने का दबाव है।

- सार्वजनिक व्यय में वृद्धि को काफी हद तक आगामी बजट में विनिवेश आय और मौद्रिक परिसंपत्तियों को बेचकर पूरा करना होगा।
- सरकार की भागीदारी गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में कम करना।

विनिवेश

- विनिवेश का अर्थ है सरकार द्वारा संपत्तियों की बिक्री या परिशोधन। इसमें केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, परियोजनाएँ या अन्य अचल संपत्तियाँ शामिल होती हैं।
- जिस तरह अन्य नियमित स्रोतों से राजस्व की कमी को पूरा किया जाता है, उसी प्रकार सरकारी खजाने पर राजकोषीय बोझ को कम करने या विशिष्ट ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा धन जुटाने के लिये विनिवेश किया जाता है।
- रणनीतिक विनिवेश के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के स्वामित्व और नियंत्रण का हस्तांतरण किसी अन्य इकाई (ज्यादातर निजी क्षेत्र की इकाई) को किया जाता है ।
    - साधारण विनिवेश के विपरीत रणनीतिक बिक्री या विनिवेश का मतलब एक प्रकार के निजीकरण से है।
- विनिवेश आयोग द्वारा रणनीतिक बिक्री को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) में सरकारी हिस्सेदारी के 50 प्रतिशत हिस्से की बिक्री अथवा ऐसा उच्च प्रतिशत, जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो, के रूप में परिभाषित किया जाता है, साथ ही इसमें उद्यमों के प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण भी शामिल होता है।
- वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (Department of Investment and Public Asset Management- DIPAM) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में रणनीतिक हिस्सेदारी की बिक्री हेतु एक नोडल विभाग है।
- भारत में रणनीतिक विनिवेश को मूल आर्थिक सिद्धांत द्वारा निर्देशित किया जाता है।सरकार को उन क्षेत्रों में विनिर्माण/उत्पादन और सेवाओं में संलग्न नहीं होना चाहिये जहाँ प्रतिस्पर्द्धी बाज़ार विद्यमान हो।
    - विभिन्न कारकों के कारण इस प्रकार की संस्थाओं की आर्थिक क्षमता रणनीतिक निवेशकों द्वारा बेहतर तरीके से विकसित की जा सकती है, उदाहरण के लिये- पूंजी, प्रौद्योगिकी उन्नयन और कुशल प्रबंधन प्रथाओं द्वारा।

K-शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'नोमुरा इंडिया नॉर्मलाइज़ेशन इंडेक्स' (Nomura India Normalization Index- NINI) के नवीनतम अध्ययन में भारतीय अर्थव्यवस्था पर COVID-19 तथा K-शेप्ड रिकवरी के प्रभाव संबंधी आँकड़े प्रस्तुत किये गए हैं।

- नोमुरा सर्विसेज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (नोमुरा होल्डिंग्स इंक-Nomura Holdings Inc) एक उपभोक्ता सेवा प्रदाता कंपनी है।

प्रमुख बिंदु:

अध्ययन के निष्कर्ष के प्रमुख बिंदु:

- COVID-19 का परिवारों पर प्रभाव:
    - पिरामिड के शीर्ष पर स्थित परिवारों में लॉकडाउन के दौरान काफी हद तक आय का संरक्षण, बचत दर में वृद्धि के साथ ही भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये धन एवं वस्तुओं का संग्रह किया गया।
    - इन घरों में रहने वाले लोगों की नौकरियों और आय के स्थायी रूप से प्रभावित होने की संभावना है।
- वर्तमान मौद्रिक नीति का प्रभाव:
    - लंबे समय से चली आ रही 'अति समायोजन की मौद्रिक नीति' के कारण वास्तविक उधार दरों में गिरावट आई है जो अंतत: ब्याज-संवेदनशील क्षेत्रों के लिये राहत का कार्य करेगी।
        - 'आर्थिक प्रसार' एक कंपनी के पूंजी निवेश पर आय सृजन की क्षमता संबंधी उपाय है।

- टीकाकरण का प्रभाव:
  - यात्रा, पर्यटन और टूरिज़्म जैसे बड़े क्षेत्र आखिरकार COVID-19 के प्रभाव से उभरेंगे।
- COVID-19 के बाद आर्थिक पुनर्बहाली:
  - वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 7% हो गया है, जो पूर्व-महामारी लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद के 3.5% का दोगुना है। इसलिये सरकार उच्च ईंधन करों, विनिवेश और सिन टैक्स को प्रोत्साहित कर रही है।
  - भारत 'K-शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी' के दौर से गुज़र रहा है, जिससे कॉरपोरेट्स और परिवारों की अच्छी आर्थिक स्थिति के साथ अधिक मज़बूती आई है, जबकि छोटी फर्में और गरीब परिवार महामारी के कारण उत्पन्न गरीबी और ऋणग्रस्तता के दुष्चक्र में फँसे हैं।

इकोनॉमिक रिकवरी

- अर्थ:
  - यह मंदी के बाद की व्यावसायिक चक्र अवस्था है, इसकी प्रमुख विशेषता एक निरंतर अवधि में व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार होना है।
  - आमतौर पर आर्थिक सुधार के दौरान सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है, आय में वृद्धि होती है और बेरोज़गारी कम होने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था की पुनर्बहाली होती है।
- प्रकार:
  - 'इकोनॉमिक रिकवरी' के कई रूप होते हैं, जिसे वर्णमाला संकेतन का उपयोग करके दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिये, Z-शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी, V-शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी, U-शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी, U-शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी, W-शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी, L-शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी और K-शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी।
- K-शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी
  - K-शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी तब होती है, जब मंदी के बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग दर, समय या परिमाण में 'रिकवरी' होती है। यह विभिन्न क्षेत्रों, उद्योगों या लोगों के समूहों में समान 'रिकवरी' के सिद्धांत के विपरीत है।
  - के-शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी से अर्थव्यवस्था की संरचना में व्यापक परिवर्तन होता है और आर्थिक परिणाम मंदी के पहले तथा बाद में मौलिक रूप से बदल जाते हैं।
  - इस प्रकार की रिकवरी को 'K-शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी' कहा जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जब एक मार्ग पर साथ चलते हैं तो डायवर्ज़न के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो कि रोमन अक्षर 'K' की दो भुजाओं से मिलता-जुलता है।

COVID-19 के बाद 'के-शेप्ड रिकवरी' के निहितार्थ:

- निचले वर्ग के परिवारों को नौकरियों और मज़दूरी में कटौती के रूप में आय का स्थायी नुकसान हुआ है, अगर श्रम बाज़ार में तेज़ी से सुधर नहीं होता है तो यह मांग पर आवर्ती दवाब बढ़ाएगा।
- COVID-19 के कारण आय का प्रभावी हस्तांतरण गरीबों से अमीरों की ओर देखा गया है, इससे मांग में बाधा उत्पन्न होगी क्योंकि गरीबों में आय की तुलना में उपभोग की एक उच्च सीमांत प्रवृत्ति होती है (यानी वे बचत करने के बजाय खर्च करने की प्रवृत्ति रखते हैं)।
- यदि COVID-19 की वजह से आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा में कमी आती है या आय और अवसरों की बीच असमानता में वृद्धि होती है तो यह उत्पादकता को नुकसान पहुँचाकर और राजनीतिक-आर्थिक बाधाओं को बढ़ाकर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि की प्रवृत्ति पर रोक लगा सकता है।

आगे की राह:

- के-शेप्ड रिकवरी और महामारी के कारण उत्पन्न गरीबी को देखते हुए सब्सिडी, रोज़गार सृजन, ग्रामीण विकास और अन्य सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों जैसे क्षेत्रों में खर्च करने के लिये बजटीय आवंटन के बढ़ने की संभावना है।

नोट :

उत्तर-पूर्व उद्यमिता कोष

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) ने उत्तर-पूर्व उद्यमिता कोष (North East Venture Fund- NEVF) योजना पर एक अपडेट जारी किया है।

प्रमुख बिंदु

फंड के संबंध में:

- उत्तर-पूर्व उद्यमिता कोष योजना की शुरुआत पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) के सहयोग से उत्तर-पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड (NEDFi) द्वारा सितंबर 2017 में की गई थी।
- NEVF पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला और एकमात्र समर्पित उद्यमिता कोष है।
    - उधमिता पूंजी, निजी इक्विटी का एक प्रकार है जिसके तहत निवेशकों द्वारा उन स्टार्टअप कंपनियों और छोटे व्यवसायों का वित्तपोषण किया जाता है जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें दीर्घकालिक विकास क्षमता है। उधमिता पूंजी की व्यवस्था आमतौर पर प्रतिष्ठित निवेशकों, निवेश बैंकों और किसी भी अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा की जाती है।
- उत्तर-पूर्व उद्यमिता कोष की स्थापना 100 करोड़ रुपए की शुरुआती धनराशि के साथ की गई थी।
- उद्देश्य:
    - इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों और कौशल विकास को बढ़ावा देना है।
    - इसके अलावा नए उद्यमियों को संसाधन प्रदान करने के उद्देश्य से स्टार्ट-अप और नए व्यावसायिक अवसरों में निवेश करना है।
    - उत्तर-पूर्व उद्यमिता कोष का मुख्य ध्यान ज़्यादातर खाद्य प्रसंस्करण, हेल्थ केयर, पर्यटन, सेवाओं के पृथक्करण, आईटी आदि के क्षेत्र में शामिल उद्यमों पर है।
- धन की सीमा:
    - इस उद्यमिता कोष योजना में पाँच से दस साल की लंबी अवधि वाली समय-सीमा के साथ निवेश की राशि 25 लाख रुपए से लेकर10 करोड़ रुपए के बीच होती है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिये अन्य पहलें:

- उत्तर-पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना (NELRP):
    - इसकी शुरुआत वर्ष 2012 में की गई थी। NERLP एक विश्व बैंक सहायता प्राप्त, बहु-राज्य परियोजना है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) के अधीन है।
    - इस परियोजना को मिज़ोरम, नगालैंड, त्रिपुरा तथा सिक्किम के 11 ज़िलों में लागू किया गया था।
    - इसका उद्देश्य चार पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं, बेरोज़गार युवकों और वंचितों की आजीविका में सुधार लाना है।
    - इस परियोजना में मुख्य रूप से सामाजिक सशक्तीकरण, आर्थिक सशक्तीकरण, साझेदारी विकास परियोजना प्रबंधन तथा आजीविका एवं मूल्य श्रृंखला विकास पर ध्यान दिया गया है।
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विज़न 2020 दस्तावेज़ (North Eastern Region Vision 2020 Document) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिये एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है।
- उत्तर-पूर्व क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप (STINER):
    - STINER का उद्देश्य शैक्षिक, वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से विकसित प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों को कारीगरों और किसानों खासकर महिलाओं तक पहुँचाना है।
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना (NERPSIP):
    - इस परियोजना को दिसंबर 2014 में विद्युत मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में मंज़ूरी प्रदान की गई थी।

- ◆ इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन एवं वितरण संरचना को मज़बूत बनाना है।
- डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल (Destination North East festival):
  - ◆ इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत का शेष भारत के साथ संपर्क एवं संबंध स्थापित करना है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से पर्यटन पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन परियोजना (NERCORMP) और कृषि विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय कोष (IFAD) संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं।

बैड बैंक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) के गवर्नर एक बैड बैंक (Bad Bank) बनाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिये सहमत हुए हैं।

प्रमुख बिंदु

बैड बैंक के विषय में:

- बैड बैंक एक आर्थिक अवधारणा है जिसके अंतर्गत आर्थिक संकट के समय घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा अपनी देयताओं को एक नए बैंक को स्थानांतरित कर दिया जाता है।
- तकनीकी रूप से बैड बैंक एक परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी (Asset Reconstruction Company- ARC) या परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (Asset Management Company- AMC) है जो वाणिज्यिक बैंकों के बैड ऋणों को अपने नियंत्रण में लेकर उनका प्रबंधन और समय के साथ धन की वसूली करती है।
- बैड बैंक ऋण देने और जमा स्वीकार करने की प्रकिया का भाग नहीं होता है, लेकिन वाणिज्यिक बैंकों की बैलेंस शीट ठीक करने में मदद करता है।
- अमेरिका स्थित मेल्लोन बैंक (Mellon Bank) द्वारा वर्ष 1988 में पहला बैड बैंक बनाया गया था, जिसके बाद स्वीडन, फिनलैंड, फ्राँस और जर्मनी सहित अन्य देशों ने इस अवधारणा में अपनाया।
  - ◆ अमेरिका में इसके लिये तनावग्रस्त परिसंपत्ति राहत कार्यक्रम (Troubled Asset Relief Programme- TARP) व्यवस्था की गई है।
  - ◆ आयरलैंड में वित्तीय संकट से उभरने के लिये वर्ष 2009 में राष्ट्रीय परिसंपत्ति प्रबंधन एजेंसी (National Asset Management Agency) की स्थापना की गई थी।

बैड बैंक की भारत में ज़रूरत:

- आर्थिक सुधार हेतु:
  - ◆ RBI ने आशंका जताई है कि बैंकिंग क्षेत्र में महामारी के कारण बैड ऋणों में वृद्धि हो सकती है।
- सरकारी सहायता:
  - ◆ निजी उधारदाताओं द्वारा वित्तपोषित और सरकार द्वारा समर्थित व्यावसायिक रूप से संचालित बैड बैंक, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (Non-Performing Asset) से निपटने के लिये एक प्रभावी तंत्र हो सकता है।
  - ◆ इस बैंक में सरकार की भागीदारी को बैड ऋण से निपटने की प्रक्रिया को तेज करने के साधन के रूप में देखा जाता है।
- बढ़ता NPA:
  - ◆ वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Financial Stability Report): RBI ने आपनी इस रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि बैंकिंग क्षेत्र का सकल NPA सितंबर 2020 की तुलना में 7.5% से बढ़कर सितंबर 2021 में 13.5% तक हो सकता है।

- के वी कामथ कमेटी: भारत के कॉरपोरेट क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के बाद 15.52 लाख करोड़ रुपए के कर्ज़ के कारण तनाव की स्थिति देखी जा रही है, हालाँकि इस क्षेत्र पर महामारी के पहले से ही 22.20 लाख करोड़ रुपए का कर्ज़ था।
  - समिति ने कहा कि खुदरा व्यापार, थोक व्यापार, सड़क और वस्त्र जैसे क्षेत्रों में कंपनियों को तनाव का सामना करना पड़ रहा है।
  - कोविड महामारी से पहले से ही तनाव ग्रस्त क्षेत्रों में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (Non-Banking Financial Company), बिजली, स्टील, रियल एस्टेट और निर्माण शामिल हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण: वित्तीय प्रणाली में तनाव की समस्या से निपटने के लिये कई अन्य देशों ने संस्थागत तंत्र की स्थापना की थी।

चुनौतियाँ:

- गतिशील पूंजी:
  - महामारी-ग्रस्त अर्थव्यवस्था में बैड संपत्ति के लिये खरीदारों को ढूँढ़ना एक चुनौती होगी, खासकर जब सरकारें राजकोषीय घाटे के मुद्दे का सामना कर रही हैं।
- अंतर्निहित मुद्दे की अनदेखी:
  - शासनिक सुधारों के बिना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (कुल NPA में से 86% के लिये ज़िम्मेदार हैं) अतीत की तरह व्यवसाय कर सकते हैं और बैड ऋणों को समाप्त कर सकते हैं।
  - बैड बैंक का विचार सरकारी जेब (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों) से दूसरे (बैड बैंक) को ऋण स्थानांतरित करने जैसा है।
- पुनर्पूंजीकरण के माध्यम से निपटने का प्रावधान:
  - केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बैंकों में पुनर्पूंजीकरण के माध्यम से लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है।
  - बैड बैंक की अवधारणा का विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा बैंकों की बैलेंस शीट को ठीक करने के लिये पुनर्पूंजीकरण की व्यवस्था की गई है, इसलिये बैड बैंक की आवश्यकता नहीं है।
- बाज़ार से संबंधित मुद्दे:
  - वाणिज्यिक बैंकों से बैड बैंक में बैड संपत्ति का स्थानांतरण बाज़ार द्वारा निर्धारित नहीं किया जाएगा।
- नैतिक जोखिम:
  - RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा था कि बैड बैंक NPA को कम करने की प्रतिबद्धता के बिना एक नैतिक खतरा पैदा कर सकता है और बैंकों द्वारा दिये जाने वाले उधार को जारी रख सकता है।

पूर्व के प्रस्ताव:

- भारतीय बैंकों के संघ (Indian Banks' Association) के नेतृत्व में बैंकिंग क्षेत्र ने सरकार और बैंकों से निष्पक्ष (Equity) योगदान का प्रस्ताव करते हुए NPA समस्या के समाधान के लिये एक बैड बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।
- आर्थिक सर्वेक्षण, 2017 में भारतीय बैंकों से उच्च मूल्य के NPA खरीदने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्ति पुनर्वास एजेंसी (Public Sector Asset Rehabilitation Agency- PARA) का सुझाव दिया गया है।

आगे की राह

- समग्र सुधार:
  - जब तक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक प्रबंधन राजनेताओं और नौकरशाहों के प्रति निष्ठावान रहेगा तब तक उनके व्यवसाय में घाटे की स्थिति बनी रहेगी और उनके द्वारा मितव्ययी (Prudential) मानदंडों के आधार पर उधार दिया जाना जारी रहेगा। इसलिये एक बैड बैंक की स्थापना के बारे में बहस को बैंकिंग क्षेत्र में समग्र सुधारों के उचित कार्यान्वयन से पहले किया जाना चाहिये, जैसा कि वर्ष 2015 में शुरू की गई इंद्र धनुष (Indra Dhanush) योजना के तहत परिकल्पित था।
- टेलर मेड अप्रोच:
  - यह एक चुनौती है जिसे कई मोर्चों पर सुधार की आवश्यकता है। सिर्फ बैड बैंक की स्थापना कर देना सुधार के लिये पर्याप्त नहीं हो सकता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में मौजूद बैड लोन की समस्या का समाधान टेलर मेड अप्रोच (Tailor Made Approach) के माध्यम से करना और बैड बैंक का उपयोग अन्य सभी तरीकों के असफल होने पर ही अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिये।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता' (संशोधन) अधिनियम, 2020 का SC द्वारा अनुमोदन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता' (संशोधन) अधिनियम, 2020 [Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Act, 2020] की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है

प्रमुख बिंदु:

पृष्ठभूमि:

- सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 2019 में दिये गए अपने एक आदेश में घर-खरीदारों को वित्तीय लेनदारों का दर्जा देने के सरकारी फैसले को बरकरार रखा था।
    - वित्तीय लेनदार: इसका अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, जिस पर 'वित्तीय ऋण' बकाया है और इसमें ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जिसे इस तरह का ऋण कानूनी रूप से सौंपा गया है या हस्तांतरित किया गया है।
- इसके बाद सरकार ने 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता' (संशोधन) अधिनियम, 2020 पेश किया, जिसके तहत किसी भी रियल एस्टेट डेवलपर के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने के लिये कुल आवंटियों में से कम-से-कम 100 (या कुल आवंटियों के 10%) की संख्या संबंधी शर्त को लागू किया गया।
    - इसका अर्थ है कि रियल एस्टेट डेवलपर/बिल्डर के खिलाफ इन्सॉल्वेंसी कार्यवाही शुरू करने के लिये IBC की धारा-7 के तहत 'नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल' (NCLT) में केवल एक आवंटी द्वारा अपील किये जाने पर प्रतिबंध है।
    - संशोधन अधिनियम की धारा-3 घर-खरीदारों को बिल्डरों के खिलाफ 'कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिज़ोल्यूशन प्रोसेस' (Corporate Insolvency Resolution Process- CIRP) अपनाने की अनुमति देती है, परंतु इसके लिये 100 आवंटियों या कुल आवंटियों के कम-से-कम 10% आवंटियों को संयुक्त रूप से आवेदन करना पड़ता है।
        - आवंटियों को एक ही अचल संपत्ति परियोजना से संबंधित होना चाहिये। एक ही डेवलपर की अलग-अलग परियोजनाओं के पीड़ित आवंटी 100 का समूह नहीं बना सकते हैं
    - वर्तमान में 100 आवेदकों की सीमा पूरी करने के लिये 30 दिन की समयसीमा तय की गई है, अन्यथा वर्ष 2020 के इस अधिनियम के शुरू होने से पहले की लंबित याचिका को वापस ले लिया जाएगा।
- यह प्रावधान कुछ असंतुष्ट घर-खरीदारों/निवेशकों द्वारा अचल संपत्ति परियोजनाओं को बाधा पहुँचाने से बचाने के लिये किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय का आदेश:

- सीमा:
    - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लेनदारों की इन श्रेणियों के संबंध में एक सीमा तय किये जाने से अत्यधिक मुकदमेबाजी की स्थिति पर विराम लगेगा।
    - न्यायालय ने इस कानून पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि एक ही आवंटी को ट्रिब्यूनल में अपील करने का अधिकार देना जोखिम भरा होगा क्योंकि कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन की वजह से डेवलपर के कंपनी प्रबंधन में पूर्ण रूप से बदलाव या प्रतिस्थापन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
        - एक अकेले आवंटी द्वारा की गई इस तरह की पहल योजना के उन अन्य आवंटियों को नुकसान पहुँचाएगी, जिन्हें मौजूदा डेवलपर पर विश्वास था या जो अन्य कानूनी उपायों का पालन कर रहे थे।
    - यह संशोधन कॉर्पोरेट देनदार (रियल एस्टेट डेवलपर्स) की सुरक्षा के प्रयास को दर्शाता है।
- लेनदारों की सहमति:
    - संशोधन यह सुनिश्चित करने की संभावना व्यक्त करता है कि अपील करने से पहले सभी आवेदकों के बीच कम-से-कम एक आम सहमति हो।

आवंटन:

- इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी व्यक्ति के नाम पर एक या अधिक आवंटन हैं या आवंटन उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर है।
- जब किसी व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों के लिये अलग-अलग घरों का आवंटन होता है, उस दौरान वे सभी अलग-अलग आवंटियों के रूप में योग्य होते हैं और 100 आवंटियों की गणना में अलग अलग गिने जाएंगे।

'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता'

अधिनियमन

- IBC को वर्ष 2016 में अधिनियमित किया गया था।

उद्देश्य:

- असफल व्यवसायों की समाधान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज़ करना।
- दिवालियापन की समस्या के समाधान के लिये सभी वर्गों के देनदारों और लेनदारों को एकसमान मंच प्रदान करने के लिये मौजूदा विधायी ढाँचे के प्रावधानों को मज़बूत करना।
- किसी तनावग्रस्त कंपनी की समाधान प्रक्रिया को अधिकतम 270 दिनों में पूरा करना।

इन्सॉल्वेंसी को लागू करने के लिये राशि सीमा:

- मार्च 2020 में सरकार ने कोविड-19 महामारी का सामना कर रहे छोटे और मध्यम उद्यमों के खिलाफ इस तरह की कार्यवाही को रोकने के लिये IBC के तहत इनसॉल्वेंसी की प्रक्रिया के लिये राशि सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी थी।

इन्सॉल्वेंसी समाधान प्रक्रिया को सुगम बनाने के कुछ उपाय:

- इन्सॉल्वेंसी पेशेवर
  - ये पेशेवर दिवाला समाधान प्रक्रिया का प्रबंधन करते हैं, देनदार की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं और लेनदारों को निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिये आवश्यक सूचना प्रदान करते हैं।
- इन्सॉल्वेंसी पेशेवर संस्थान
  - ये संस्थाएँ इन्सॉल्वेंसी पेशेवरों के प्रमाणन और उनसे संबंधित आचार संहिता लागू करने के लिये परीक्षाएँ आयोजित करती हैं।
- इनफॉर्मेशन यूटिलिटी
  - इनफॉर्मेशन यूटिलिटी (IU) ऐसी संस्थाएँ हैं, जो वित्तीय सूचनाओं के डेटा रिपोजिटरी के रूप में कार्य करती हैं और साथ ही किसी देनदार से संबंधित वित्तीय जानकारी प्रदान करती हैं।
- प्राधिकृत अधिकरण
  - कंपनियों के लिये दिवाला समाधान प्रक्रिया की कार्यवाही नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) द्वारा और व्यक्तियों के लिये ऋण वसूली अधिकरण (DRT) द्वारा संपन्न की जाती है।
  - प्राधिकरणों के कर्तव्यों में दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करना, इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल नियुक्त करना और लेनदारों के अंतिम निर्णय को मंज़ूरी देना आदि शामिल हैं।
- दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
  - यह बोर्ड दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत इन्सॉल्वेंसी पेशेवरों, इन्सॉल्वेंसी पेशेवर संस्थानों और इनफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ को विनियमित करता है।
  - इस बोर्ड में भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और विधि मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

नोट

- इन्सॉल्वेंसी: यह एक ऐसी स्थिति होती है, जिसमें कोई व्यक्ति या कंपनी अपने बकाया ऋण चुकाने में असमर्थ होता है।

नोट :

- बैंकरप्सी: यह एक ऐसी स्थिति है जब किसी सक्षम न्यायालय द्वारा एक व्यक्ति या अन्य संस्था को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है और न्यायालय द्वारा इसका समाधान करने तथा लेनदारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिये उचित आदेश दिया गया हो। यह किसी कंपनी अथवा व्यक्ति द्वारा ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता की कानूनी घोषणा है।

भारत नवाचार सूचकांक 2020: नीति आयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नीति आयोग द्वारा भारत नवाचार सूचकांक रिपोर्ट, 2020 जारी की गई, इसमें कर्नाटक ने प्रमुख राज्यों की श्रेणी में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा।

भारत नवाचार सूचकांक

जारीकर्त्ता संस्थान

- यह सूचकांक नीति (National Institution for Transforming India) आयोग द्वारा 'इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस' (The Institute for Competitiveness) के सहयोग से जारी किया जाता है।

वैश्विक नवाचार सूचकांक पर आधारित:

- इस सूचकांक को भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के नवोन्मेषी पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने और इन क्षेत्रों में नवाचार से संबंधित नीतियाँ तैयार करने के लिये वैश्विक नवाचार सूचकांक की तर्ज पर विकसित किया गया है।

दृष्टिकोण:

- इस सूचकांक को पारंपरिक दृष्टिकोण के इतर 'प्रति मिलियन आबादी पर पेटेंट', 'वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशन', 'अनुसंधान पर जीडीपी खर्च का प्रतिशत' जैसे नवोन्मेष सर्वोत्तम मापदंडों पर विचार करके जारी किया जाता है।
- यह भारतीय अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से कवरेज करने के लिये विशिष्ट संकेतकों का उपयोग करता है (उदाहरण- जनसांख्यिकी लाभांश)।

प्रयुक्त संकेतक:

- इस सर्वेक्षण में उपयोग किये जाने वाले संकेतकों में विभिन्न मापदंडों पर शिक्षा का स्तर और गुणवत्ता शामिल है।
  - पीएचडी छात्रों की संख्या और ज्ञान-गहन रोज़गार।
  - इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में नामांकन तथा अत्यधिक कुशल पेशेवरों की संख्या।
  - अनुसंधान एवं विकास में निवेश, पेटेंट और ट्रेडमार्क के लिये किये गए आवेदनों की संख्या।
  - इंटरनेट उपयोगकर्त्ता।
  - FDI अंतर्वाह, कारोबारी माहौल, सुरक्षा और कानूनी वातावरण।

प्रमुख बिंदु:

श्रेणियाँ: नवाचार सूचकांक को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है- प्रमुख राज्य, केंद्रशासित प्रदेश और पहाड़ी एवं उत्तर-पूर्व के राज्य।

प्रमुख राज्य:

- शीर्ष राज्य: इस श्रेणी में कर्नाटक 42.5 के स्कोर के साथ शीर्ष पर रहा।
  - राज्य की सफलता का श्रेय उच्च उद्यम पूंजी सौदों, पंजीकृत भौगोलिक संकेतक, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी निर्यात और उच्च FDI प्रवाह को दिया गया है।
  - महाराष्ट्र के दूसरे स्थान पर होने के अलावा चार दक्षिणी राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल सूचकांक में शीर्ष स्थान पर हैं।
- निम्न राज्य: झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार का स्कोर सूचकांक में सबसे कम है, जिससे उन्हें 'प्रमुख राज्यों' की श्रेणी में सबसे नीचे रखा गया है।
  - बिहार 14.5 अंकों के साथ अंतिम स्थान पर रहा।

पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य:

- पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों की रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर है, इसके बाद उत्तराखंड, मणिपुर और सिक्किम हैं।

  केंद्रशासित प्रदेश/छोटे राज्य:

- दिल्ली ने 46.6 के स्कोर के साथ देश में सबसे अधिक अंक प्राप्त किये हैं, जबकि लक्षद्वीप का स्कोर सबसे कम 11.7 है।
  - दिल्ली ने पिछले वित्तीय वर्ष में नए स्टार्ट-अप और कंपनियों की स्थापना के साथ सबसे अधिक ट्रेडमार्क और पेटेंट आवेदन दर्ज किये हैं।

चुनौतियाँ:

- अनुसंधान में निजी निवेश को आकर्षित करना: भारत सरकार अनुसंधान एवं विकास के लिये एक प्रमुख ऋणदाता की भूमिका निभाती है, जबकि निजी क्षेत्र का निवेश इज़राइल की तुलना में बहुत कम है, जहाँ अनुसंधान एवं विकास में निजी कंपनियों द्वारा किये गए निवेश का हिस्सा 70% है।
- उत्तर-दक्षिण विभाजन को संतुलित करना: रिपोर्ट के निष्कर्ष में दक्षिणी राज्यों ने उत्तर भारतीय राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है।
  - नवाचार में क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिये राज्यों की अभिनव क्षमताओं (प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के अंतर के साथ) को स्थापित करने की आवश्यकता है।
  - शीर्ष राज्यों द्वारा किये गए नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिये इन्हें प्रलेखित और प्रसारित किया जाना चाहिये।
- राज्य स्तरीय नीतियों के सूक्ष्म विश्लेषण की आवश्यकता: भारत जैसे बड़े देश को प्रभावी नीति निर्माण हेतु नवाचार की स्थिति को क्षेत्रीय स्तर पर समझने की आवश्यकता है।
  - सूचकांक के आधार पर प्रत्येक राज्य को अपने विशिष्ट संसाधनों और शक्तियों के आधार पर अपनी स्वयं की नीति तैयार करने की आवश्यकता होती है, जो उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती है।

सुझाव:

- अनुसंधान में अधिक निवेश करना: भारत को अनुसंधान एवं विकास पर निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता है जो कि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.6-0.7% है। यह इज़राइल (4.3%), दक्षिण कोरिया (4.2%), अमेरिका (2.8%) और चीन (2.1%) जैसे देशों के स्तर से काफी कम है।
- उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच अधिक सहयोग से तथा अनुसंधान और विकास पर निवेश में वृद्धि से नवाचार क्षमता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
  - यह देश में शीर्ष अनुसंधान संस्थानों की क्षमता को व्यापक और बेहतर बना सकता है जिससे अधिक-से-अधिक नवाचार क्षमताओं का सृजन किया जा सके।
- एक सहयोगी प्लेटफॉर्म की स्थापना: नवाचार के सभी हितधारकों को उद्योग से जोड़ने के लिये नवप्रवर्तकों, शोधकर्त्ताओं और निवेशकों हेतु एक सामान्य मंच विकसित किया जाना चाहिये।
  - यह उद्योग-अकादमिक संपर्क को मज़बूती प्रदान करने में सहायता करेगा और अपने आविष्कारों को प्रदर्शित करने के लिये नवप्रवर्तकों को एक मंच प्रदान कर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की प्रक्रिया को आसान बनाएगा।

डिजिटल कॉपीराइट भुगतान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गूगल ने ऑनलाइन समाचार सामग्री के लिये डिजिटल कॉपीराइट भुगतान (Digital Copyright Payments) हेतु फ्राँसीसी प्रकाशकों के एक समूह के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

- समाचार प्रकाशकों के साथ रॉयल्टी के बँटवारे को लेकर ऑस्ट्रेलियाई सरकार और विश्व के बड़े तकनीकी प्लेटफॉर्म्स (गूगल और फेसबुक) के बीच रस्साकशी चल रही है।

प्रमुख बिंदु:

गूगल-फ्रेंच सौदा:

- फ्राँस, यूरोपीय संघ के कॉपीराइट नियमों को राष्ट्रीय कानून के रूप में लागू करने वाला पहला देश बना, जिसके चलते नेबरिंग राइट्स लॉ (Neighbouring Rights Law) प्रभाव में आया।
- नेबरिंग राइट्स (Neighbouring Rights): विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के अनुसार, नेबरिंग राइट्स जनता के लिये काम करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के कानूनी अधिकारों की रक्षा करते हैं। वे व्यक्ति और संस्थाएँ जो लोगों को ऐसी विषय सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करती हैं, कॉपीराइट के तहत काम करने से प्रतिबंधित हैं, इसमें पर्याप्त रचनात्मकता या तकनीकी तथा संगठनात्मक कौशल शामिल है।
  - EU द्वारा अपनाए गए नए दिशा-निर्देश यह सुनिश्चित करते हैं कि मीडिया संस्थानों को उनके मूल कंटेंट (मुख्य रूप से समाचार) जिसे फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी तकनीकी संस्थानों द्वारा प्रसारित किया जाता है, को उचित रायल्टी प्रदान की जाए।
- नए कानून के तहत गूगल को प्रकाशकों और समाचार एजेंसियों की मूल सामग्री का पुन: उपयोग करने के बदले उचित भुगतान करने के बारे में उनसे बातचीत के लिये विवश होना पड़ा।

यूरोपीय संघ कॉपीराइट नियम:

- यह एक ऐसा व्यापक ढाँचा स्थापित करने का प्रयास करता है जहाँ कॉपीराइट सामग्री, कॉपीराइट धारक, प्रकाशक, प्रदाता और उपयोगकर्त्ता सभी उन नियमों से लाभान्वित हो सकते हैं, जिन्हें डिजिटल युग के अनुकूल बनाया गया है।
  - यह शिक्षा, अनुसंधान और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु कॉपीराइट सामग्री का उपयोग करने का व्यापक अवसर प्रदान करता है।
  - नागरिकों के लिये कॉपीराइट-सुरक्षित सामग्री की बेहतर सीमा पार और ऑनलाइन पहुँच।
  - कॉपीराइट बाज़ार के बेहतर कामकाज के लिये उचित नियम जो उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं।

ऑस्ट्रेलिया का मुद्दा:

- गूगल ने ऑस्ट्रेलिया से अपने सर्च इंजन को हटाने को कहा है और फेसबुक ने कहा है कि यदि रॉयल्टी भुगतान के प्रस्तावित मानदंडों को लागू किया जाता है तो वह ऑस्ट्रेलियाई उपयोगकर्त्ताओं को अपनी साईट पर समाचार लिंक पोस्ट या साझा करने से रोक सकता है।
  - रायल्टी भुगतान: रॉयल्टी किसी व्यक्ति को दिया जाने वाला वह कानूनी रूप से बाध्यकारी भुगतान है, जो कि उसके द्वारा बनाई गई ओरिज़नल या मूल संपत्ति (कॉपीराइट , फ्रेंचाइजी, और प्राकृतिक संसाधनों सहित) के उपयोग के लिये दी जाती है।
- प्रौद्योगिकी कंपनियों का तर्क :
  - ऑस्ट्रेलियाई मीडिया उद्योग प्रत्येक डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा लाए गए ट्रैफिक द्वारा पहले से ही लाभान्वित हो रहा है।
  - ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित नए नियमों से इन कंपनियों को व्यापक वित्तीय और परिचालन जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।
  - अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित भारी जुर्माने को एक अतिरिक्त हतोत्साहक कदम के रूप में देखा जा रहा है।
- इस मुद्दे पर फ्राँसीसी और ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में मूलभूत अंतर यह है कि ऑस्ट्रेलिया की तरह समझौतों के लिये विवश करने की बजाय फ्राँस ने भुगतान की इस मांग को विशेष रूप से कॉपीराइट से जोड़कर प्रस्तुत किया है।

भारत के लिये महत्त्व:

- डिजिटल प्रौद्योगिकियों ने रचनात्मक सामग्री के उत्पादन, वितरण और इसकी खपत के तरीकों को बदल दिया है।
- यूरोपीय संघ का नए दिशा-निर्देश और ऑस्ट्रेलिया में कॉपीराइट रॉयल्टी को लेकर चल रही रस्साकशी भारत सहित विश्व भर में कॉपीराइट नियमों को अद्यतन करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है ताकि डिजिटल उत्पादकों को भी कॉपीराइट भुगतान में सक्षम बनाने हेतु नीतियों और कानूनों का समन्वयन किया जा सके।

- FICCI-EY रिपोर्ट के अनुसार, भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में वर्ष 2020 के लिये देश में ऑनलाइन समाचार साइटों, पोर्टलों और एग्रीगेटर्स हेतु कुल उपयोगकर्त्ताओं की संख्या लगभग 300 मिलियन बताई गई है।
  - भारत, चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन समाचार की मांग वाला देश है जहाँ इसके उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 282 मिलियन है।
- ड्राफ्ट कॉपीराइट (संशोधन नियम), 2019 भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स और उपयोगकर्त्ताओं के हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
  - भारत में मौजूदा कॉपीराइट कानून:
    - भारत में कॉपीराइट से जुड़े मामलों को कॉपीराइट अधिनियम, 1957 और कॉपीराइट नियम, 2013 द्वारा शासित किया जाता है।
    - 'कॉपीराइट नियम, 2013' को अंतिम बार कॉपीराइट संशोधन नियम, 2016 के माध्यम से वर्ष 2016 में संशोधित किया गया था।

ड्राफ्ट कॉपीराइट (संशोधन नियम), 2019

- शामिल एजेंसी: इसे 'उद्योग संवर्द्धन और आतंरिक व्यापार विभाग' (Department for Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT) द्वारा जारी किया गया था।
- उद्देश्य : इस संशोधन को इसलिये लागू किया जा रहा है ताकि कॉपीराइट अधिनियम को अन्य प्रासंगिक विधानों के समतुल्य लाया जा सके और कॉपीराइट अधिनियम तथा वर्तमान डिजिटल युग में तकनीकी प्रगति के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जा सके।
- ड्राफ्ट नियमों में प्रस्ताव:
  - एक अपीलीय बोर्ड का गठन:
    - कॉपीराइट बोर्ड की जगह एक अपीलीय बोर्ड (Appellate Board) का गठन।
    - बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा।
  - शुल्क निर्धारण योजनाएँ:
    - यह उन तरीकों को भी संशोधित करने का प्रस्ताव करता है जिसकी सहायता से कॉपीराइट सोसायटी (Copyright Societies) अपनी टैरिफ योजनाओं (Tariff Schemes) को सुनिश्चित करती हैं।
- कॉपीराइट सोसायटी: यह एक कानूनी निकाय है जो वाणिज्यिक प्रबंधन के क्षेत्र में रचनात्मक लेखकों को उनके हितों की सुरक्षा का आश्वासन देती है।
- ये सोसाइटी लाइसेंस जारी करती हैं और टैरिफ स्कीम के अनुसार रॉयल्टी जमा करती हैं।
- DPIIT ने संशोधनों में प्रस्ताव दिया है कि कॉपीराइट सोसायटी टैरिफ का निर्धारण करते समय "क्रॉस-सेक्शनल टैरिफ तुलना (Cross-Sectional Tariff Comparisons), आर्थिक अनुसंधान, लेखन के उपयोग की प्रकृति और विस्तार, उपयोग संबंधी अधिकारों का व्यावसायिक मूल्य एवं लाइसेंस-धारियों को लाभ" आदि पहलुओं पर विचार कर सकती है।
- प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, कॉपीराइट सोसायटी द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये 'वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट' (The Annual Transparency) का प्रकाशन अनिवार्य किया जाना चाहिये।

आगे की राह

- सभी हितधारकों के हितों का ध्यान रखना: यह भारत को एक टिकाऊ कानूनी ढाँचे के तहत रचनात्मक सामग्री के ऑनलाइन निर्माण और वितरण के लिये अपनी प्राथमिकताओं को संतुलित करने का अवसर प्रदान करता है।
- परिवर्तन के साथ तालमेल: भारत को यह मानना चाहिये कि कॉपीराइट कानूनों को इंटरनेट के उपयोग में होने वाले परिवर्तन और बाज़ार के डिजिटलाइज़ेशन तथा वैश्वीकरण के साथ तालमेल बनाए रखने के लिये गतिशील होना चाहिये।

नोट :

एनबीएफसी के विनियमन के लिये 4- टियर स्ट्रक्चर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Financial Companies- NBFC) के विनियमन में प्रगतिशील वृद्धि के साथ एक चार स्तरीय संरचना का निर्माण करके एक सख्त नियामक ढाँचा प्रस्तावित किया गया है।

- इस ढाँचे में 180 से 90 दिनों के अतिदेय (Overdue) पर बेस लेयर (Base Layer) की गैर-निष्पादित संपत्तियों (Non Performing Assets- NPAs) के वर्गीकरण का भी प्रस्ताव दिया गया है।
- इससे पहले वर्ष 2020 में RBI ने NBFCs को तरलता सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कई उपायों की घोषणा की थी।
- नोट:
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III (B), (C) और अध्याय V के अंतर्गत निहित प्रावधानों के तहत RBI के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण (DNBS) विभाग को NBFCs के विनियमन और पर्यवेक्षण की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
- RBI के नियामक और पर्यवेक्षक ढाँचे द्वारा अन्य वस्तुओं के साथ-साथ NBFCs का पंजीकरण, उनकी विभिन्न श्रेणियों का विवेकपूर्ण विनियमन, NBFCs द्वारा जमा की स्वीकृति के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करना तथा आंतरिक एवं बाह्य रूप से इस क्षेत्र की निगरानी और पर्यवेक्षण करना शामिल है।
- जमा लेने वाली NBFCs और 'सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट 'नॉन-डिपॉज़िट एक्सेप्टिंग कंपनीज़' (Systemically Important Non-Deposit Accepting) के विनियमन और पर्यवेक्षण की अधिक आवश्यकता है।
- विनियमन और पर्यवेक्षण का मुख्य केंद्र तीन बिंदुओं पर है, जिनमें जमाकर्त्ता का संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण और वित्तीय स्थिरता शामिल हैं।
- RBI को दंडात्मक कार्रवाई करने के लिये RBI अधिनियम, 1934 के तहत भी अधिकार प्राप्त है, जिसमें पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द करना, जमा स्वीकार करने से संबंधित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करना, आपराधिक मामले दर्ज करना या गंभीर मामलों में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत याचिका दायर करना शामिल है।

प्रमुख बिंदु:

उद्देश्य:

- प्रस्तावित ढाँचे का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता की रक्षा करना तथा इस बात को सुनिश्चित करना है कि छोटी NBFCs आसान नियमों के साथ आगे बढ़ रहीं हों।

NBFCs का प्रस्तावित वर्गीकरण (चार स्तरीय संरचना): प्रस्तावित नियामक ढाँचे के अनुसार, NBFCs का नियामक और पर्यवेक्षी ढाँचा चार-स्तरीय संरचना पर आधारित है जो इस प्रकार है:

- बेस लेयर:
  - बेस लेयर की NBFCs को एनबीएफसी-बेस लेयर (NBFC-BL)) के रूप में जाना जाएगा।
  - इस लेयर की NBFCs के लिये कम-से-कम विनियामक हस्तक्षेप को मंज़ूरी प्रदान की गई है।
- मिडिल लेयर:
  - मिडिल लेयर में NBFCs को NBFC- मिडिल लेयर (NBFC-ML) के रूप में जाना जाएगा
  - बेस लेयर की तुलना में इस लेयर के लिये नियामक व्यवस्था सख्त होगी।
  - 'सिस्टमेटिक रिस्क स्पिल ओवर्स (Systemic Risk Spill-Overs) को कम करने के लिये इस लेयर में शामिल होने वाली NBFCs के लिये प्रतिकूल विनियामक मध्यस्थता बैंक द्वारा की जा सकता है।

- अपर लेयर:
  - अपर लेयर की NBFCs को NBFC- अपर लेयर (NBFC-UL) के रूप में जाना जाएगा जो एक नई नियामक संरचना को आमंत्रित करेगा।
  - यह लेयर NBFCs द्वारा संचालित होगी जिसमें जोखिम को व्यवस्थित करने और वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करने की क्षमता है।
  - वर्तमान में इस लेयर के समान कोई नहीं लेयर है अत: यह विनियमन के लिये एक नई लेयर होगी। इस लेयर में शामिल होने वाली NBFCs के लिये विनियामक ढाँचा उपयुक्त और उचित संशोधनों के साथ बैंक जैसा ही होगा।
  - यदि यह पाया गया कि NBFC-UL द्वारा लगातार चार वर्षों तक वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं किया गया है, तो यह संवर्द्धित नियामक ढाँचे से बाहर हो जाएगा।
- टॉप लेयर:
  - आदर्श रूप से इस परत को रिक्त मान लिया जाता है।
  - इस बात की भी संभावना है कि पर्यवेक्षी निर्णय (Supervisory Judgment) व्यवस्थित रूप से कुछ NBFCs को उच्च विनियमन/पर्यवेक्षण के उद्देश्य से महत्त्वपूर्ण NBFCs की टॉप लेयर से बाहर कर सकते हैं।
  - ये NBFCs अपर लेयर के शीर्ष पर एक अलग समूह के रूप में स्थापित होंगी। पिरामिड के आकार में यह टॉप लेयर तब तक रिक्त रहेगी जब तक कि पर्यवेक्षक विशिष्ट NBFCs पर विचार नहीं करेंगे।
  - पर्यवेक्षी निर्णय के अनुसार, यदि अपर लेयर में शामिल कुछ NBFCs को अत्यधिक जोखिम उठाने के रूप में देखा जाता है, तो उन्हें उच्च और पूर्व निर्धारित नियामक/पर्यवेक्षी आवश्यकताओं के लिये रखा जा सकता है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC)

- एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) 'कंपनी अधिनियम, 1956' के तहत पंजीकृत एक कंपनी है जिसके माध्यम से सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियों द्वारा जारी शेयर/बॉन्ड /डिबेंचर/सिक्योरिटी का अधिग्रहण एवं व्यवसाय संबंधी अग्रिम ऋण दिये जाते हैं। ये कंपनी लीजिंग, खरीद-बिक्री, बीमा व्यवसाय, चिट व्यवसाय जैसी प्रकृति की होती हैं लेकिन इनमें कोई भी ऐसी संस्था शामिल नहीं होती है, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि गतिविधि, औद्योगिक गतिविधि, किसी सामान की खरीद या बिक्री (प्रतिभूतियों के अलावा) एवं अचल संपत्ति की खरीद/ निर्माण से संबंधित सेवाएँ प्रदान करना है।
- एक गैर-बैंकिंग संस्थान जो कि एक कंपनी होती है तथा जो किसी भी योजना या व्यवस्था का एकमुश्त या किस्तों में अंशदान या किसी अन्य तरीके से जमा करने के मुख्य व्यवसाय में शामिल है वह एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी भी होती है।
- NBFCs की विशेषताएँ
  - NBFCs मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकता।
  - NBFCs भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं बनते हैं और स्वयं चेक जारी नहीं कर सकते हैं।
  - NBFCs के जमाकर्त्ताओं को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम की जमा बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं है।

ग्रीन बॉण्ड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार, भारत में सूचना विषमता (Asymmetric Information) के कारण ग्रीन बॉण्ड जारी करने की लागत प्राय: अन्य बॉण्डों की तुलना में अधिक रही है।

प्रमुख बिंदु:

ग्रीन बॉण्ड (विवरण):

- ग्रीन बॉण्ड के बारे में:
  - ग्रीन बॉण्ड ऋण प्राप्ति का एक साधन है जिसके माध्यम से ग्रीन 'परियोजनाओं के लिये धन जुटाया जाता है, यह मुख्यत: नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, स्थायी जल प्रबंधन आदि से संबंधित होता है।
    - बॉण्ड जो कि आय का एक निश्चित साधन होता है, एक निवेशक द्वारा उधारकर्त्ता (आमतौर पर कॉर्पोरेट या सरकारी) को दिये गए ऋण का प्रतिनिधित्व करता है।
    - पारंपरिक बॉण्ड (ग्रीन बॉण्ड के अलावा अन्य बॉण्ड) द्वारा निवेशकों को एक निश्चित ब्याज दर (कूपन) का भुगतान किया जाता है।
- वृद्धि:
  - वर्ष 2007 में यूरोपीय निवेश बैंक और विश्व बैंक जैसे कुछ बैंकों द्वारा ग्रीन बॉण्ड लॉन्च किया गया। इसके बाद वर्ष 2013 में कॉरपोरेट्स द्वारा भी इन्हें जारी किया गया जिस कारण इसका समग्र विकास हुआ।
- विनियमन:
  - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- SEBI) द्वारा ग्रीन बॉण्ड जारी करने एवं इन्हें सूचीबद्ध करने हेतु पारदर्शी मानदंडों को लागू किया गया है।
- लाभ:
  - प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी:
    - ग्रीन बॉण्ड जारीकर्त्ता की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं, क्योंकि यह सतत् विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने में सहायक है।
  - प्रतिबद्धताओं की पूर्ति:
    - इनमें जलवायु समझौतों और इन पर हस्ताक्षरकर्त्ताओं द्वारा अन्य हरित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की क्षमता है ।
    - भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Intended Nationally Determined Contribution- INDC) दस्तावेज़ जलवायु सुधार की दिशा में भारत के योगदान और प्रगति के लिये एक कम कार्बन पथ का अनुसरण करने के लक्ष्य का उल्लेख करता है।
  - कम लागत को बढ़ावा:
    - आमतौर पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण की तुलना में ग्रीन बॉण्ड पर कम ब्याज लिया जाता है।
    - हरित निवेश विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के साथ-साथ पूंजी जुटाने की लागत को कम करने में मदद कर सकता है।
  - सनराइज़ सेक्टर
    - ग्रीन बॉण्ड अक्षय ऊर्जा जैसे सनराइज़ सेक्टर के वित्तपोषण को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण रहे हैं, इस प्रकार यह भारत के सतत् विकास में योगदान देते हैं।

RBI द्वारा किये गए हालिया अध्ययन का विवरण:

- वर्तमान शेयर:
  - वर्ष 2018 के बाद से भारत में जारी सभी प्रकार के बॉण्ड में ग्रीन बॉण्ड का हिस्सा मात्र 0.7% रहा है।
  - हालाँकि मार्च 2020 तक गैर-पारंपरिक ऊर्जा के लिये बैंकों द्वारा दिया जाने वाला ऋण, विद्युत क्षेत्र के बकाया कुल बैंक ऋण का लगभग 7.9 प्रतिशत है।
    - भारत में ज़्यादातर ग्रीन बॉण्ड सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों या कॉर्पोरेट्स द्वारा बेहतर वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर जारी किये जाते हैं।

नोट :

- चुनौतियाँ :
  - उच्च कूपन दर:
    - 5 से 10 वर्षों के मध्य की परिपक्व अवधि के साथ वर्ष 2015 के बाद से जारी किये गए ग्रीन बॉण्ड के लिये औसत कूपन दर सामान्यत: इसी अवधि की कॉर्पोरेट सरकार (Corporate Government) के बॉण्ड की तुलना में अधिक होती है।
  - उधार लेने की उच्च लागत:
    - सूचना विषमता के कारण यह सबसे महत्त्वपूर्ण चुनौती रही है। उच्च कूपन दर अधिक उधार लेने की लागत के कारणों में से एक है।
    - सूचना विषमता, जिसे "सूचना विफलता" के रूप में भी जाना जाता है, की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आर्थिक लेन-देन के लिये एक पक्ष के पास दूसरे पक्ष की तुलना में अधिक भौतिक ज्ञान होता है।
- सुझाव:
  - भारत में एक बेहतर सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित करने से परिपक्वता असमानता को कम करने, उधार लेने की उच्च लागत और विभिन्न चरणों में उधार लेने की लागत और संसाधनों के कुशल आवंटन में मदद मिल सकती है।

अन्य चुनौतियाँ:

धन का दुरुपयोग:

- यह गंभीर चर्चा का विषय है कि क्या ग्रीन बॉण्ड जारी करने वालों द्वारा लक्षित परियोजनाएँ पर्याप्त रूप से हरित परियोजनाएँ ही हैं क्योंकि ग्रीन बॉण्ड से प्राप्त आय का उपयोग पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाली परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु किया जा रहा है।

क्रेडिट रेटिंग का अभाव:

- हरित परियोजनाओं और बॉण्डों के लिये क्रेडिट रेटिंग या रेटिंग दिशा-निर्देशों का अभाव है।

अल्पावधि:

- भारत में ग्रीन बॉण्ड की अवधि लगभग 10 वर्ष होती है, जबकि एक सामान्य ऋण की न्यूनतम अवधि 13 वर्ष होती है। इसके अलावा ग्रीन प्रोजेक्ट्स का लाभ मिलने में भी अधिक समय लगता है।

आगे की राह:

- सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक ग्रीन बॉण्ड बाज़ार को विकसित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दिशा-निर्देशों एवं मानकों के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। हरित निवेश के संदर्भ में भी समरूपता की आवश्यकता होती है, क्योंकि विभिन्न कर-सीमाएँ एक निर्धारित सीमा से परे ग्रीन बॉण्ड बाज़ार के लिये विरोधाभासी होंगी।
- उभरते बाज़ारों में जारीकर्त्ताओं के लिये उचित क्षमता निर्माण का प्रयास, जो ग्रीन बॉण्ड से संबंधित लाभों और प्रक्रियाओं की जानकारी प्रदान करते हों, इस बाज़ार में प्रवेश करने हेतु संस्थागत बाधाओं को दूर करने में सहायक होगा।
- रणनीतिक रूप से ग्रीन बॉण्ड के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश निजी निवेश को आकर्षित करने और साथ ही ग्रीन बॉण्ड बाज़ार में निवेशकों का विश्वास स्थापित करने में मदद करता है।

कानून का निर्माण और निरसन

चर्चा में क्यों?

किसानों ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को एक से डेढ़ वर्ष तक टालने के सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। किसान ज़ोर देकर कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं।

- ज्ञात हो कि बीते कुछ वर्षों में संसद ने कई कानूनों को निरस्त किया है और ऐसे भी कई कानून हैं, जो पारित होने के बावजूद कई वर्षों तक लागू नहीं किये गए।

प्रमुख बिंदु

कानून लाना/निरस्त करना

- संसद के पास देश के लिये कानून बनाने और उसे निरस्त करने अथवा समाप्त करने की शक्ति है। (यदि कोई कानून असंवैधानिक है तो न्यायपालिका के पास भी उस कानून को समाप्त करने की शक्ति है।)
- विधेयक एक प्रकार का प्रस्तावित मसौदा होता है, जिसका लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है और केवल राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कोई विधेयक अधिनियम बनता है।
- कानून के संबंध निरसन का अर्थ किसी विशिष्ट कानून को रद्द करने अथवा उसे समाप्त करने से है। कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी भी अधिनियम को पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से समाप्त अथवा निरस्त किया जा सकता है।

राष्ट्रपति की स्वीकृति

- संविधान के अनुच्छेद 111 के मुताबिक, राष्ट्रपति या तो विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है या अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है।
- यदि राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति देता है तो विधेयक को संसद के समक्ष पुनर्विचार के लिये प्रस्तुत किया जाएगा और यदि संसद एक बार पुन: इस विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति के पास उस विधेयक को मंज़ूरी देने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं होगा।
    - इस तरह राष्ट्रपति के पास 'निलंबनकारी वीटो' की शक्ति होती है।

कानून का परिचालन

- नियम एवं विनियम: संसद सरकार को किसी भी अधिनियम के कुशल क्रियान्वयन के लिये नियम एवं विनियम बनाने का दायित्व देती है।
    - सरकार के पास न केवल नियम बनाने की शक्ति है, बल्कि वह स्वयं द्वारा बनाए गए नियम और विनियम को समाप्त कर सकती है।
    - यदि सरकार नियम एवं विनियम नहीं बनाती है तो वह पूरा अधिनियम अथवा उस अधिनियम का कुछ विशिष्ट हिस्सा लागू नहीं होगा।
    - वर्ष 1988 का बेनामी लेन-देन अधिनियम इस तथ्य का प्रत्यक्ष उदाहरण है, जो कि विनियमों के अभाव में लागू नहीं हो सका था।
- समयावधि: संसद की सिफारिश के मुताबिक, सरकार को कानून पारित होने के बाद छ: माह के भीतर नियम बनाने होते हैं।
    - संसदीय समिति के मुताबिक, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा इन सिफारिशों का उल्लंघन किया जा रहा है।

राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ

- प्रकार: राष्ट्रपति के पास मुख्यत: तीन प्रकार की वीटो शक्तियाँ होती हैं- (1) आत्यंतिक वीटो, (2) निलंबनकारी वीटो और (3) पॉकेट वीटो
- अपवाद: संविधान संशोधन विधेयक को लेकर राष्ट्रपति के पास कोई भी वीटो शक्ति नहीं है।
- आत्यंतिक वीटो
    - अर्थ: इसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। इस प्रकार वह विधेयक समाप्त हो जाता है और वह अधिनियम नहीं बन पाता है।
    - इसे प्राय: निम्नलिखित दो स्थितियों में प्रयोग किया जाता है:
        - जब संसद द्वारा पारित विधेयक एक गैर-सरकारी विधेयक अथवा निजी विधेयक हो।
        - जब विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति मिलने से पूर्व ही मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाए और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को विधेयक पर सहमति न देने की सलाह दे।
- निलंबनकारी वीटो
    - अर्थ: राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा देता है।
        - यदि संसद उस विधेयक को पुन: किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिये बाध्य है।

नोट :

- अपवाद: राष्ट्रपति द्वारा धन विधेयक के संबंध में 'निलंबनकारी वीटो' की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

- पॉकेट वीटो
  - अर्थ: इस मामले में राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक पर न तो अपनी सहमति देता है, न उसे अस्वीकृत करता है और न ही लौटता है, किंतु एक अनिश्चितकाल के लिये विधेयक को लंबित कर सकता है।
    - अमेरिकी राष्ट्रपति जिसे 10 दिनों के भीतर विधेयक को वापस भेजना होता है, के विपरीत भारतीय राष्ट्रपति के समक्ष कोई बाध्यकारी समयसीमा नहीं है।
- राज्य विधेयकों पर वीटो
  - राज्यपाल के पास राष्ट्रपति के विचार के लिये राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विशिष्ट प्रकार के विधेयकों को आरक्षित करने का अधिकार है।
  - राष्ट्रपति न केवल पहली बार बल्कि दूसरी बार भी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर अस्वीकृति प्रकट कर सकता है।
    - इस तरह राज्य विधेयकों के मामले में राष्ट्रपति को आत्यंतिक वीटो की शक्ति प्राप्त होती है, न कि निलंबनकारी वीटो की शक्ति।
  - इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधेयकों के संबंध में भी पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।

LLP अधिनियम के तहत अपराधों का डिक्रिमिनलाइज़ेशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कंपनी कानून समिति (Company Law Committee- CLC) ने सीमित देयता भागीदारी अधिनियम (Limited Liability Partnership Act), 2008 के तहत आने वाले अपराधों में से 12 अपराधों को डिक्रिमिनलाइज़ (अपराध की श्रेणी से बाहर) करने और LLPs को गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र (Non-Convertible Debenture- NCD) जारी करने की अनुमति देने की सिफारिश की है ताकि LLP फर्मों के लिये व्यापार सुगमता में सुधार के उद्देश्य से धन जुटाया जा सके।

- देश में कानून का पालन करने वाले कॉरपोरेट्स को व्यवसाय में सुगमता मुहैया कराने और बड़े पैमाने पर हितधारकों के लिये कॉरपोरेट अनुपालन में सुधार करने के उद्देश्य से कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा सितंबर, 2019 में कंपनी कानून समिति (Company Law Committee- CLC) की स्थापना की गई थी।

प्रमुख बिंदु

कंपनी कानून समितियों की सिफारिशें:

- अपराधों का डिक्रिमिनलाइज़ेशन:
  - LLP की भागीदारी की स्थिति में बदलाव पर वार्षिक रिपोर्ट और फाइलिंग आदि जैसे समय पर फाइलिंग से संबंधित विभिन्न अपराध जो धोखाधड़ी से संबंधित नहीं हैं, को डिक्रिमिनलाइज़ करने की सिफारिश की गई है।
  - यद्यपि डिक्रिमिनलाइजेशन के लिये अनुशंसित अपराधों में से किसी के लिये भी वर्तमान समय में संभावित दंड के रूप में कारावास की सज़ा का प्रावधान नहीं है फिर भी समिति ने यह सिफारिश की है कि न्यायालय द्वारा किसी भागीदार या LLP के दुराचार का दोषी पाए जाने के बाद लगाए गए जुर्माने के बजाय कंपनियों को गैर-अनुपालन के लिये अर्थदंड का भुगतान करने की आवश्यकता है।
- अर्थदंड से संबंधित मामले:
  - समिति ने उल्लेख किया है कि न्यायालयों द्वारा लगाए गए जुर्माने के मामले में दोषी व्यक्ति के विभिन्न पदों से अयोग्य ठहराए जाने या अयोग्य होने का जोखिम होता है लेकिन एक उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा दंड लगाए जाने के मामले में इस प्रकार का कोई जोखिम नहीं होगा।
- दंड आरोपित करने वाले प्राधिकारी:
  - LLP अधिनियम के प्रावधानों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन किये जाने की स्थिति में दंड आरोपित का अधिकार कंपनी के रजिस्ट्रार (Registrar of Company- ROC) के पास होना चाहिये।
  - विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कवर करने वाले कंपनी अधिनियम की धारा 609 के तहत नियुक्त ROC का प्राथमिक कर्त्तव्य है कि वह संबंधित राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में कार्यान्वित कंपनियों तथा LLPs का पंजीकरण करे।

- गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र (NCD) जारी करने की अनुमति:
  - LLPs जिन्हें वर्तमान में ऋण प्रतिभूतियाँ जारी करने की अनुमति नहीं है, को NCD जारी करने की अनुमति दी जानी चाहिये ताकि पूंजी जुटाने और वित्तपोषण से संबंधित कार्यों को सुगम बनाया जा सके।

लाभार्थी:

- इस कदम से उन क्षेत्रों में स्टार्टअप्स और छोटी कंपनियों के लाभान्वित होने की संभावना है, जिनके लिये अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है।

सीमित देयता भागीदारी (LLP)

- यह एक भागीदारी है जिसमें कुछ या सभी भागीदारों (क्षेत्राधिकार के आधार पर) की सीमित देयताएँ होती हैं।
- एक LLP में एक भागीदार, दूसरे भागीदार के कदाचार या लापरवाही के लिये ज़िम्मेदार नहीं होता है।
- भागीदारों में परिवर्तन के बावजूद LLP अपने अस्तित्व को जारी रख सकता है। यह अनुबंधों को स्वीकार करने और अपने नाम पर संपत्ति का स्वामित्त्व रखने में सक्षम है।
- LLP एक पृथक विधिक इकाई है। यह अपनी संपत्ति को पूरी क्षमता तक बढ़ाने के लिये उत्तरदायी है लेकिन LLP में भागीदारों की देयता इनके स्वीकृत योगदान तक सीमित है।

LLP बनाम पारंपरिक भागीदारी फर्म:

- "पारंपरिक भागीदारी फर्म" (Traditional Partnership Firm) के तहत प्रत्येक भागीदार अन्य सभी भागीदारों के साथ संयुक्त रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से फर्म के सभी कार्यों के लिये उत्तरदायी होता है।
- LLP संरचना के तहत भागीदार की जवाबदेहिता उसके द्वारा स्वीकृत योगदान तक सीमित है। इस प्रकार प्रत्येक भागीदार व्यक्तिगत रूप से अन्य भागीदारों के गलत कृत्यों या दुराचार के मामले में संयुक्त जवाबदेहिता से परिरक्षित हैं।

कंपनी बनाम LLP:

- किसी कंपनी की आंतरिक प्रशासनिक संरचना को कानून (कंपनी अधिनियम, 2013) द्वारा विनियमित किया जाता है जबकि LLP में आतंरिक प्रशासन भागीदारों के बीच एक संविदात्मक समझौते द्वारा तय होता है।
- LLP में कंपनी की तरह प्रबंधन-स्वामित्व का विभाजन नहीं होता है।
- LLP में तुलनात्मक रूप से कंपनी से अधिक लचीलापन होता है।
- कंपनी की तुलना में LLP के लिये अनुपालन आवश्यकताएँ कम होती हैं।

गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र (NCD)

- ऋणपत्र दीर्घकालिक वित्तीय साधन हैं जिन्हें कंपनियों द्वारा धन उधार लेने के लिये जारी किया जाता है।
- कुछ ऋणपत्रों में एक निश्चित समय के बाद शेयर में परिवर्तित होने की विशेषता होती है तथा ऋणपत्र धारक अपने विवेक के आधार पर उस ऋणपत्र को शेयर में बदल सकता है।
- जिन ऋणपत्रों को शेयरों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उन्हें गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र (NCD) कहा जाता है।
- NCDs दो प्रकार के होते हैं- प्रतिभूत तथा और प्रतिभूति-रहित या गैर-जमानती।
  - प्रतिभूत NCD: यह कंपनी की संपत्ति द्वारा समर्थित होता है। यदि कंपनी दायित्व का भुगतान करने में विफल रहती है तो ऋणपत्र धारक निवेशक उन परिसंपत्तियों के परिशोधन (Liquidation) का दावा कर सकते हैं।
  - प्रतिभूति-रहित NCD: प्रतिभूत NCD के विपरीत इस प्रकार की NCD में कंपनी द्वारा अपने दायित्व का भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में इसके धारक को किसी प्रकार की सुरक्षा प्राप्त नहीं है।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिये अमेरिका की रणनीति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिकी सरकार ने एक गोपनीय दस्तावेज़ को सार्वजनिक किया है जिसमें कहा गया है कि समान विचारधारा वाले देशों के सहयोग से भारत, रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण इंडो-पैसिफिक क्षेत्र (Indo-Pacific Region) में चीन को प्रतिसंतुलित कर सकता है।

- इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिये अमेरिका की रणनीति संबंधी वर्ष 2018 का यह गोपनीय दस्तावेज़ इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन, उत्तर कोरिया, भारत और अन्य देशों के उद्देश्यों, चुनौतियों और रणनीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

प्रमुख बिंदु:

अमेरिका के समक्ष चुनौतियाँ:

- इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के सामरिक महत्त्व को बनाए रखना तथा चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना।
- यह सुनिश्चित करना कि उत्तर कोरिया अमेरिका के लिये किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न न करे।
- निष्पक्ष और पारस्परिक व्यापार को आगे बढ़ाते हुए वैश्विक स्तर पर अमेरिका के आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना।

भारत से संबंधित पहलू:

- भारत सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर अमेरिका का एक पसंदीदा भागीदार देश है जो दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया में समुद्री सुरक्षा के संरक्षण तथा चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने में सहयोग कर सकता है। अत: ऐसी स्थिति में अमेरिका का लक्ष्य भारत का सहयोग प्राप्त करना है:
  - भारत के वैश्विक शक्ति बनने की आकांक्षा का समर्थन किया जाना चाहिये , जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया दृष्टिकोण के साथ इसकी संगतता को उजागर करता है।
  - भारत के साथ मिलकर 'घरेलू आर्थिक सुधार की दिशा' में कार्य करना।
  - रक्षा क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग और क्षमता में वृद्धि करना।
  - पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान के रक्षा मंत्रियों की प्लस बैठक (ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus) में भारत को अधिक-से-अधिक नेतृत्व की भूमिकाएँ प्रदान करना।
  - भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी (Act East Policy) का समर्थन करना।

भारत बनाम चीन:

- भारत-चीन विवाद को हल करने में भारत की मदद करना: अमेरिका का उद्देश्य सैन्य, राजनयिक तथा खुफिया चैनलों के माध्यम से भारत का समर्थन करना है ताकि महाद्वीपीय चुनौतियों जैसे- चीन के साथ सीमा विवाद, नदियों को लेकर विवाद, ब्रह्मपुत्र और चीन की तरफ से भारत में बहने वाली नदियों संबंधी विवाद का समाधान किया जा सके।
- बेल्ट रोड इनिशिएटिव से अलग रहने की भारत की रणनीति का समर्थन: अमेरिका, चीन की बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत चीनी वित्तपोषण के कारण ऋण चक्र में फँस चुके देशों को अवसंरचना विकास संबंधी ऋण देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता चाहता है।
- भारत और जापान के साथ कार्य करना: भारत और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के अन्य देशों के मध्य क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने वाली वित्त परियोजनाओं की सहायता करना।

भारत-अमेरिका संबंध:

- लोकतांत्रिक मूल्यों को साझा करना और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों से संबंधित हितों पर और अधिक ध्यान केंद्रित करना।

- व्यापार और निवेश, रक्षा व सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी एवं साइबर सुरक्षा आदि व्यापक बहु-क्षेत्रीय संबंधों को मज़बूती प्रदान करना।

लोगों के मध्य जुड़ाव: दोनों देशों के राजनीतिक स्पेक्ट्रम/परिदृश्य लोगों के मध्य व्यापक संपर्क और समर्थन, दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों का पोषण करता है।

- दोनों देश ने एक-दूसरे को सैन्य सूचना और सैन्य-तंत्र से संबंधित सहायता प्रदान करने के लिये अनेक रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं-
  - संगतता और सुरक्षा समझौता (Communications Compatibility and Security Agreement -COMCASA)
  - लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरैंडम ऑफ एग्रीमेंट (Logistics Exchange Memorandum of Agreement -LEMOA)
  - सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा (General Security Of Military Information Agreement -GSOMIA)
  - मूल विनिमय और सहयोग समझौता (Basic Exchange and Cooperation Agreement -BECA): यह भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका 2 + 2 वार्ता का परिणाम था।

संयुक्त राज्य अमेरिका-चीन के बीच प्रतिद्वंद्विता:

- विश्व वित्त पर हावी होने की प्रतियोगिता: USA के प्रभुत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन का मुकाबला करने के लिये चीन एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे वैकल्पिक वित्तीय संस्थानों को प्रोत्साहित कर रहा है।
- अंतर्राष्ट्रीय समूहों पर प्रभावी प्रभाव: संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन के उभार को नियंत्रित करने के लिये अपनी 'एशिया धुरी' (Pivot to Asia) नीति के तहत क्वाड पहल (Quad Initiative) और हिंद-प्रशांत नीति (Indo Pacific Narrative) शुरू की है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसमें चीन को शामिल किये बिना G-7 को G-11 तक विस्तारित करने का प्रस्ताव रखा।
- नया शीत युद्ध: USA-चीन का टकराव वैचारिक और सांस्कृतिक सर्वोच्चता, व्यापार युद्ध जैसे कई मोर्चों पर है, जिन्हें अक्सर न्यू शीत युद्ध कहा जाता है।

आगे की राह

- हितों और रिश्तों में संतुलन रखना: भारत को USA-चीन प्रतिद्वंद्विता में पड़ने की बजाय अपनी बढ़ती वैश्विक शक्ति को पहचानना चाहिये। दोनों देशों के साथ रिश्तों को शांतिपूर्ण बनाए रखते हुए अपने स्वयं के हित और विकास को प्राथमिकता देनी चाहिये।
- बहुपक्षीयता को बढ़ावा: भारत नए बहुपक्षवाद द्वारा वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को बढ़ावा दे सकता है जो न्यायसंगत धारणीय विकास के लिये आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवहार दोनों पर निर्भर करता है।

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का अफगानिस्तान दौरा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (National Security Advisor) द्वारा रणनीतिक मुद्दों पर बातचीत करने के लिये अफगानिस्तान का दौरा किया गया।

प्रमुख बिंदु

अंतर-अफगान वार्ता की शुरुआत के बाद पहली आधिकारिक यात्रा:

- यह यात्रा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अंतर-अफगान वार्ता (Intra-Afghan Discussion) के बीच किसी वरिष्ठ भारतीय अधिकारी की यह पहली यात्रा है।
- इस वार्ता की शुरुआत वर्ष 2020 में तालिबान और अफगान सरकार के बीच बैठक (दोहा) में हुई थी।

- इन वार्ताओं की व्यवस्था और संचालन का कार्य संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया जाता है, बैठक में अफगान सरकार और तालिबान के प्रतिनिधि दशकों पुराने युद्ध को समाप्त करने तथा एक राजनीतिक समझौता करने पर सहमत हुए हैं।

चर्चित मुद्दे:

- शांति प्रक्रिया पर विचारों का आदान-प्रदान, अंतर-अफगान वार्ता के दूसरे दौर की शुरुआत और अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने में भारत की भूमिका।
- दोहा शांति समझौते (2020) के बाद अफगानिस्तान से संयुक्त राज्य के सैनिकों के वापस जाने से आतंकवाद का मुकाबला करना और अफगानिस्तान में शांति बनाए रखना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, जिसका मुकाबला दोनों देश साथ मिलकर करेंगे।
- दोहा शांति समझौता: USA और तालिबान द्वारा फरवरी 2020 में दोहा (कतर की राजधानी) में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए:
  - इस समझौते के तहत अमेरिका ने अगले 14 महीनों के अंदर अफगानिस्तान में तैनात अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाने और अफगान सरकार द्वारा गिरफ्तार किये गए तालिबानी लड़ाकों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की थी।
  - तालिबान ने आश्वासन दिया कि वह अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जिहादी संगठनों को अपने बेस के रूप में अफगानिस्तान का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। साथ ही तालिबान ने अफगान सरकार के साथ सीधी बातचीत शुरू करने के लिये भी अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।

अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने में भारत की भूमिका:

- भारत ने अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिये दोहा में आयोजित अंतर-अफगान वार्ता में भाग लेकर तालिबान सहित सभी अफगान दलों के साथ जुड़ने की इच्छा जताई।
- शांति प्रक्रिया हेतु भारत का संदेश
  - अफगान के नेतृत्व और स्वामित्व वाली तथा अफगान-नियंत्रित होनी चाहिये।
  - अफगानिस्तान की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने वाली होनी चाहिये।
  - मानव अधिकारों और लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिये।
- भारत द्वारा अफगानिस्तान के विकास के लिये एक बड़ी धनराशि निवेश की गई है।

भारत के लिये अफगानिस्तान में स्थिरता का महत्त्व

- अफगानिस्तान की स्थिरता और वहाँ एक स्थिर सरकार की मौजूदगी भारत के लिये रणनीतिक दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान में कई महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं में निवेश किया है।
  - अफगानिस्तान की राजनीति और सैन्य प्रणाली में तालिबान की बढ़ी हुई भूमिका और उसके क्षेत्रीय नियंत्रण का विस्तार, भारत के लिये बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि तालिबान का झुकाव पाकिस्तान की ओर माना जाता है।
- ज्ञात हो कि अफगानिस्तान उत्तर में मध्य एशियाई देशों (तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, और ताजिकिस्तान), पूर्व एवं दक्षिण में पाकिस्तान तथा पश्चिम में ईरान के साथ अपनी सीमा साझा करता है।
- अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद वह लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे विभिन्न भारत विरोधी आतंकवादी संगठनों के लिये सुरक्षित स्थान बन सकता है।

आगे की राह

- भारत ने दोहा समझौते (वर्ष 2020) और अफगान शांति वार्ता के लिये अपने समर्थन की पुष्टि की है, साथ ही भारत ने अफगानिस्तान में 'स्थायी शांति एवं सुलह' के लिये भी अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है।
- भारत एक संप्रभु, एकजुट, स्थिर और लोकतांत्रिक अफगानिस्तान के दृष्टिकोण पर विश्वास करता है।
- इस तरह के सक्रिय जुड़ाव और वार्ताओं को जारी रखने से भारत इस क्षेत्र में समान विचारधारा वाली शक्तियों और महत्त्वपूर्ण हितधारकों के साथ काम कर सकेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद वहाँ पैदा होने वाली अस्थिरता के कारण पिछले दो दशकों के दौरान आतंकवाद के खिलाफ भारत को मिली बढ़त बेकार न हो जाए।

ब्रिटेन की संसद में कश्मीर पर चर्चा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत ने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में कश्मीर मुद्दे पर की गई चर्चा को लेकर चिंता ज़ाहिर की है।

- इससे पूर्व अक्तूबर 2020 में धारा 370 के निरसन के तीन माह बाद इटली, ब्रिटेन, फ्रांँस, जर्मनी, चेक गणराज्य और पोलैंड से यूरोपीय संसद के 27 सदस्यों वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने श्रीनगर (कश्मीर) का दौरा किया था।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि

- इस चर्चा का आयोजन यूनाइटेड किंगडम (UK) की संसद के कुछ सदस्यों द्वारा 'कश्मीर की राजनीतिक स्थिति' शीर्षक पर किया गया था।
- इस चर्चा में शामिल सदस्यों ने जम्मू-कश्मीर में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चिंता ज़ाहिर की और यूनाइटेड किंगडम की सरकार से इस क्षेत्र तक पहुँच प्राप्त करने की मांग की, ताकि जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) की प्रत्यक्ष रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत की जा सके।

भारत की चिंता

- इस चर्चा में कश्मीर के संदर्भ में प्रयोग की गई शब्दावली पर भारत ने चिंता ज़ाहिर की है, भारत के अनुसार, ब्रिटिश सांसदों को केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर (जो कि भारत का अभिन्न अंग है) और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के बीच अंतर करना चाहिये।
  - अक्तूबर 1947 में जब कश्मीर की पूर्ववर्ती रियासत को कानूनी रूप से भारत में शामिल किया गया था, तब कश्मीर के कुछ हिस्से पर पाकिस्तान द्वारा ज़बरन अवैध रूप से कब्ज़ा कर लिया गया था।
- इस चर्चा के दौरान जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश की वर्तमान ज़मीनी हकीकत को नज़रअंदाज किया गया और इसके बजाय एक तीसरे देश (पाकिस्तान) द्वारा प्रचारित झूठे दावों जैसे- कथित 'नरसंहार' और 'उग्र हिंसा' आदि पर चर्चा की गई।

भारत का पक्ष

- लंदन में भारतीय उच्चायोग ने रेखांकित किया कि बीते वर्ष शुरू की गई स्मार्ट वाई-फाई (WiFi) परियोजना ने इस क्षेत्र में उच्च गति इंटरनेट के उपयोग को सक्षम बनाया है, वहीं केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में दिसंबर 2020 में हुए आतंकी हमलों, चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति और महामारी जैसी चुनौतियों के बावजूद 'ज़िला विकास परिषद' (DDC) के चुनाव आयोजित किये गए थे।
- भारत ने एक बार पुन: इस बात को दोहराया कि वह शिमला समझौते (वर्ष 1972) और लाहौर घोषणा (वर्ष 1999) के अनुरूप जम्मू-कश्मीर समेत सभी बकाया मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ वार्ता करने को तैयार है।

ब्रिटेन का पक्ष

- ब्रिटेन की सरकार ने स्पष्ट किया है कि यद्यपि नियंत्रण रेखा (LoC) के दोनों ओर मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ मौजूद हैं, किंतु ब्रिटेन भारत-पाकिस्तान के द्विपक्षीय मामले में मध्यस्थता भूमिका नहीं निभाएगा।
- कश्मीर को लेकर ब्रिटेन सरकार की नीति स्थिर और अपरिवर्तित है।
  - ब्रिटेन की सरकार अभी भी यह मानती है कि भारत और पाकिस्तान को कश्मीर के लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए स्थायी राजनीतिक समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिये।

भारत और ओमान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत-ओमान रणनीतिक सलाहकार समूह (India-Oman Strategic Consultative Group-IOSCG) की बैठक आयोजित की गई। कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद ओमान की ओर से यह भारत का पहला उच्च-स्तरीय आधिकारिक दौरा था।

प्रमुख बिंदु:

- महामारी के दौरान भागीदारी: भारत ने ओमान को COVID-19 के टीकों की आवश्यक पूर्ति के संबंध में सहायता का आश्वासन दिया। इसके अलावा महामारी के दौरान भारत ने ओमान को खाद्य और चिकित्सा आपूर्ति की उपलब्ध कराई थी।
  - इससे पहले COVID-19 के दौरान दोनों देशों के बीच एयर बबल व्यवस्था (Air Bubble Arrangement) के संचालन पर संतोष व्यक्त किया गया।
    - एयर बबल दो देशों के बीच हवाई यात्रा की व्यवस्था है। जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक यात्री सेवाओं को फिर से शुरू करना है (COVID-19 महामारी के परिणामस्वरूप नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को निलंबित कर दिया गया है)।
- व्यापक समीक्षा: दोनों पक्षों ने राजनीतिक, ऊर्जा, व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, खनन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा कॉन्सुलर (Consular) संबंधी क्षेत्रों सहित भारत-ओमान संबंधों के पूरे स्पेक्ट्रम की समीक्षा की।

भारत-ओमान संबंध:

पृष्ठभूमि:

- अरब सागर के दोनों देश एक-दूसरे से भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं तथा दोनों के बीच सकारात्मक एवं सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, जिसका श्रेय ऐतिहासिक समुद्री व्यापार संबंधों को दिया जाता है।
- जबकि भारत और ओमान के बीच संबंधों के बारे में जानकारी यहाँ के लोगों के मध्य 5000 वर्षों के संपर्क के आधार पर प्राप्त जा सकती है, वर्ष 1955 में राजनयिक संबंध स्थापित किये गए थे और वर्ष 2008 में इस संबंध को रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया गया था। ओमान, भारत की पश्चिम एशिया नीति का एक प्रमुख स्तंभ रहा है।

राजनितिक संबंध:

- भारत और ओमान के बीच अक्सर उच्चतम स्तर की राजनयिक यात्राएँ होती रही हैं और मंत्री स्तरीय दौरे नियमित रूप से किये जाते हैं।
- सल्तनत ऑफ ओमान (ओमान) खाड़ी देशों में भारत का रणनीतिक साझेदार है और खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council- GCC), अरब लीग तथा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (Indian Ocean Rim Association- IORA) के लिये एक महत्त्वपूर्ण वार्ताकार है।

रक्षा संबंध:

- दोनों देशों के रक्षा मंत्रालय प्रतिवर्ष संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की बैठक में अपने संबंधों की समीक्षा करते हैं।
- भारत और ओमान द्वारा अपनी तीनों सैन्य सेवाओं के बीच नियमित द्विवार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास किया जाता है।
  - सैन्य अभ्यास: अल नजाह
  - वायु सेना अभ्यास: ईस्टर्न ब्रिज
  - नौसेना अभ्यास: नसीम अल बह्र
- वर्ष 2008 से ओमान भारतीय नौसेना के एंटी-पायरेसी मिशनों (Anti-Piracy Missions) को समर्थन दे रहा है और ओवरसीज़ डिप्लॉयमेंट के लिये ओमान द्वारा भारतीय नौसेना जहाज़ों का नियमित रूप से स्वागत किया जाता है।

आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध:

- ओमान के साथ भारत अपने आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के विस्तार को उच्च प्राथमिकता देता है। संयुक्त आयोग की बैठक (JCM) और संयुक्त व्यापार परिषद (JBC) जैसे संस्थागत तंत्र भारत और ओमान के बीच आर्थिक सहयोग मज़बूत करते हैं।
- भारत और ओमान के मध्य मज़बूत द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंध हैं।
  - भारत, ओमान के शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में से एक है।
    - भारत, ओमान के लिये आयात क तीसरा सबसे बड़ा (UAE और चीन के बाद) स्रोत और वर्ष 2018 में इसके गैर-तेल निर्यात के लिये तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार (UAE और सऊदी अरब के बाद) था।

नोट :

- ओमान को भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में खनिज ईंधन, खनिज तेल और उनके आसवन के उत्पाद, बॉयलर, मशीनरी तथा यांत्रिक उपकरण, लोहे या स्टील की वस्तु, विद्युत मशीनरी और उपकरण, कपड़ा एवं वस्त्र, रसायन, चाय, कॉफी, मसाले आदि शामिल हैं।
- ओमान से भारत को आयात की जाने वाली मुख्य वस्तुओं में उर्वरक, खनिज ईंधन, खनिज तेल और उनके आसवन के उत्पाद, बिटुमिनस पदार्थ आदि शामिल हैं।

- भारतीय वित्तीय संस्थान जैसे- भारतीय स्टेट बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम- एयर इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) आदि की शाखाएँ ओमान में स्थित हैं। भारतीय कंपनियों ने ओमान में लोहा और इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, कपड़ा आदि क्षेत्रों में निवेश किया है।
- भारत-ओमान संयुक्त निवेश कोष (OIJIF), भारतीय स्टेट बैंक और ओमान के स्टेट जनरल रिज़र्व फंड (SGRF) के बीच एक संयुक्त उपक्रम है जो भारत में निवेश करने के लिये एक विशेष प्रयोजन वाहन है, का संचालन किया गया है।
- दुकम पोर्ट तक पहुँच: ओमान ने भारत को उसकी नौसेना सहित अपने दुकम बंदरगाह तक पहुँच की अनुमति दे दी है, जो इसकी राजधानी मस्कट से लगभग 550 किमी. दक्षिण में स्थित है। दुकम बंदरगाह विशेष आर्थिक क्षेत्र को हिंद महासागर का गहरा समुद्री सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है।
- दोनों देशों के बीच लिटिल इंडिया (Little India) नामक एक एकीकृत पर्यटन परियोजना को विकसित करने के लिये दुकम में 748 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

सांस्कृतिक सहयोग:

- भारत और ओमान के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध हैं। ओमान में भारतीय प्रवासी समुदाय नियमित रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेज़बानी करता रहता है और भारत के प्रसिद्ध कलाकारों तथा गायकों को आमंत्रित करता है।

ओमान में भारतीय समुदाय:

- ओमान में बड़े स्तर पर रहने वाला भारतीय समुदाय लगभग सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में संलग्न है। वहाँ डॉक्टर, इंजीनियर आदि के रूप में हज़ारों भारतीय काम कर रहे हैं।
- यहाँ कई ऐसे भारतीय स्कूल हैं जो लगभग 45,000 भारतीय बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये CBSE पाठ्यक्रम की पेशकश करते हैं।

आगे की राह:

- भारत के पास अपनी वर्तमान या भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त ऊर्जा संसाधन नहीं हैं। तेज़ी से बढ़ती ऊर्जा मांग ने ओमान जैसे देशों की दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी की आवश्यकता में योगदान दिया है।
- ओमान का दुकम पोर्ट पूर्व में पश्चिम एशिया के साथ जुड़ने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन के मध्य में स्थित है।
- भारत को दुकम पोर्ट औद्योगिक शहर के उपयोग के लिये ओमान के साथ जुड़ने और पहल करने की आवश्यकता है।

ओपन स्काई संधि से अलग हुआ रूस

चर्चा में क्यों?

अमेरिका के 'ओपन स्काई संधि' (OST) से अलग होने की घोषणा के बाद रूस ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा की है।

- रूस के अनुसार, यह संधि सदस्य देशों की सीमाओं में सैन्य गतिविधियों की जाँच के लिये गैर-हथियार वाले निगरानी विमानों की उड़ान की अनुमति देती है और इस संधि से अमेरिका की वापसी के कारण रूस के सामरिक हितों पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है।
- ज्ञात हो कि बीते वर्ष नवंबर माह में अमेरिका ने यह कहते हुए 'ओपन स्काई संधि' (OST) से स्वयं को अलग कर लिया था कि रूस द्वारा इस संधि का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन किया जा रहा है।

नोट

- 'ओपन स्काई संधि', 'ओपन स्काई समझौते' से अलग है। ओपन स्काई समझौता एक द्विपक्षीय समझौता है, जो दो देशों की एयरलाइंस को अंतर्राष्ट्रीय यात्री एवं कार्गो सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु अधिकार प्रदान करता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय यात्री और कार्गो उड़ानों की पहुँच में विस्तार होता है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने भारत के साथ एक 'ओपन स्काई समझौता' करने के प्रति रुचि व्यक्त की है।

प्रमुख बिंदु

संधि से अमेरिका की वापसी का कारण

- रूस का निरंतर गैर-अनुपालन: अमेरिका बीते लगभग एक एक दशक से रूस पर 'ओपन स्काई संधि प्रोटोकॉल' का पालन न करने का आरोप लगाता रहा है। अमेरिका का आरोप है कि एक ओर रूस अमेरिका की निगरानी कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है, वहीं दूसरी और वह अपने मिशन के माध्यम से अमेरिका की सैन्य गतिविधियों के बारे में महत्त्वपूर्ण सूचना एकत्रित कर रहा है।
- यूक्रेनी क्षेत्र पर दावे के लिये संधि का दुरुपयोग: अमेरिका ने आरोप लगाया है कि रूस ने अतिक्रमण द्वारा क्रीमियन प्रायद्वीप में एक हवाई क्षेत्र को ओपन स्काई रीफ्यूलिंग क्षेत्र के रूप में मान्यता देकर अवैध रूप से यूक्रेनी क्षेत्र पर अपने दावे को और मज़बूत करने का कार्य किया।
- महत्त्वपूर्ण अवसंरचना संबंधी जोखिम: अमेरिका का आरोप है कि रूस युद्ध के दौरान संभावित हमले के लिये अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों की महत्त्वपूर्ण अवसंरचना की पहचान कर रहा है।

संधि से रूस की वापसी का कारण

- अमेरिका द्वारा उल्लंघन: अमेरिका और कुछ अन्य देशों को कालिलिनग्राद (पूर्वी यूरोप में रूसी एन्क्लेव जो कि नाटो सहयोगी लिथुआनिया और पोलैंड के बीच स्थित है) में विमानों की उड़ानों की अनुमति नहीं देने के कदम का समर्थन करते हुए रूस ने अमेरिका द्वारा अलास्का के ऊपर उड़ानों पर समान प्रतिबंध लगाने का उदाहरण दिया।
- नाटो देशों से आश्वासन का अभाव: 'ओपन स्काई संधि' से अमेरिका की वापसी के बाद रूस को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के सदस्य देशों से इस संबंध में कोई अपेक्षित आश्वासन नहीं मिला, कि वे संधि के माध्यम से रूस से एकत्र किये गए डेटा को अमेरिका को हस्तांतरित नहीं करेंगे।

निहितार्थ

- यूरोपीय नाटो सदस्य देशों के लिये
  - संधि से रूस की वापसी के कारण अमेरिका के यूरोपीय सहयोगियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जो कि बाल्टिक क्षेत्र में रूसी सैन्य गतिविधियों को ट्रैक करने के लिये 'ओपन स्काई संधि' के डेटा पर निर्भर हैं।
- अन्य संधियों पर प्रभाव
  - 'ओपन स्काई संधि' की विफलता के साथ ही एक और महत्त्वपूर्ण हथियार नियंत्रण संधि का महत्त्व समाप्त हो गया है, जबकि इससे पूर्व वर्ष 2019 में अमेरिका और रूस दोनों ने 'मध्यम दूरी परमाणु बल संधि' से स्वयं को अलग कर लिया था। इस संधि का उद्देश्य परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इंटरमीडिएट रेंज और शॉर्ट-रेंज मिसाइलों के अपने स्टॉक को नष्ट करना था।
  - 'ओपन स्काई संधि' से अमेरिका और रूस की वापसी के कारण फरवरी 2021 में समाप्त होने वाली 'नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि' {New Strategic Arms Reduction Treaty-(START)} के पुनः नवीनीकरण पर संदेह गहरा गया है।
- भारत के लिये
  - वैश्विक शक्तियों के बीच बढ़ते अविश्वास के कारण भारत के लिये भविष्य में अमेरिका और रूस के साथ अपने संबंधों को बनाए रखना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है।

ओपन स्काई संधि (OST)

पृष्ठभूमि

- इस संधि की अवधारणा शीत युद्ध के शुरुआती वर्षों के दौरान अमेरिका द्वारा तनाव को कम करने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई थी।
- सोवियत संघ के विघटन के बाद नाटो सदस्यों और पूर्ववर्ती वारसा संधि में शामिल देशों के बीच मार्च 1992 में फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी (Helsinki) में इस संधि पर हस्ताक्षर किये गए थे।
  - पश्चिम जर्मनी के नाटो में शामिल होने के बाद सोवियत संघ और उसके सहयोगी राष्ट्रों के बीच वारसा संधि (1955) पर हस्ताक्षर किये गए थे।
  - यह एक पारस्परिक रक्षा समझौता था, जिसे पश्चिमी देशों ने पश्चिम जर्मनी के नाटो की सदस्यता के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में माना।

लक्ष्य

- आत्मविश्वास में बढ़ोतरी: इस संधि का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच विश्वास को बढ़ाना और परस्पर सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को मज़बूती प्रदान करना है।

प्रावधान

- निगरानी: इस संधि में 34 हस्ताक्षरकर्त्ता देशों (अमेरिका और रूस सहित) को संधि में शामिल अन्य देशों की सीमाओं में सैन्य गतिविधियों की जाँच के लिये गैर-हथियार वाले निगरानी विमानों की उड़ान की अनुमति है।
  - इस निगरानी के दौरान केवल इमेजिंग उपकरणों की ही अनुमति दी जाती है।
  - इस निगरानी के दौरान उस देश के सदस्य भी निगरानी प्रकिया में हिस्सा ले सकते हैं, जिसकी निगरानी की जा रही है।
- रणनीतिक सूचना साझा करना: सैन्य गतिविधियों, सैन्य अभ्यास और मिसाइल तैनाती आदि पर एकत्रित जानकारी को सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया जाता है।
- अमेरिका और रूस दोनों इस संधि से अलग हो गए हैं।
- भारत इस संधि में शामिल नहीं है।

47वाँ G7 शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

यूनाइटेड किंगडम ने भारतीय प्रधानमंत्री को जून 2021 में आयोजित होने वाले 47वें G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिये अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है।

प्रमुख बिंदु

अन्य आमंत्रित देश

- भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को भी 'अतिथि देशों' के रूप में शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिये आमंत्रित किया गया है।

ब्रिटेन, भारत और G7

- ब्रिटेन, भारत के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सीट का समर्थन करने वाला पहला P5 (सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी देश) सदस्य और वर्ष 2005 में G7 शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित करने वाला पहला G7 सदस्य देश था।

उद्देश्य

- इस सम्मेलन का उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी से मुकाबला करने में मदद के लिये विश्व के अग्रणी लोकतंत्रों को एकजुट करना और अधिक समृद्ध भविष्य का निर्माण करना है।

ग्रुप ऑफ सेवन (G-7)

परिचय

- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी।
- वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिये वार्षिक तौर पर संगठन के सदस्य देशों की बैठक आयोजित की जाती है।
- G-7 संगठन का कोई औपचारिक संविधान और स्थायी मुख्यालय नहीं है। वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान लिये गए निर्णय सदस्य देशों पर गैर-बाध्यकारी होते हैं।

सदस्य

- G-7 औद्योगिक रूप से विकसित लोकतांत्रिक देशों यानी फ्राँस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का समूह है।
- वर्ष 1997 में रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद कई वर्षों तक G-7 को 'G- 8' के रूप में जाना जाता रहा।
- हालाँकि रूस को वर्ष 2014 में क्रीमिया विवाद के बाद समूह से निष्कासित कर दिये जाने के पश्चात् समूह को एक बार पुन: G-7 कहा जाने लगा।

शिखर सम्मेलन

- G-7 शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है और समूह के सदस्यों द्वारा रोटेशन के आधार पर इस सम्मेलन की मेज़बानी की जाती है।
- शिखर सम्मेलन में होने वाली चर्चा के विषय और अनुवर्ती बैठकों समेत लगभग सभी मामले 'शेरपा' द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं, जो कि आमतौर पर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेताओं के प्रतिनिधि अथवा राजनयिक स्टाफ के सदस्य होते हैं।
- सम्मेलन के दौरान यूरोपीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र जैसे महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाता है।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

- नीतियाँ
  - G-7 सदस्य देशों के बीच आंतरिक तौर पर कई असहमतियाँ मौजूद हैं, उदाहरण के लिये आयात पर लगने वाले कर और जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्यवाहियों को लेकर अमेरिका और अन्य सदस्य देशों के बीच विवाद।
  - वैश्विक स्तर पर मौजूदा राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति को सही ढंग से प्रतिबिंबित न कर पाने की वजह से संगठन की आलोचना की जाती है।
- प्रतिनिधित्व का अभाव
  - अफ्रीका, लैटिन अमेरिका या दक्षिणी गोलार्द्ध का कोई देश G-7 संगठन का सदस्य नहीं है।
  - यह अंतर-सरकारी संगठन विश्व की अन्य तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे- भारत और ब्राज़ील आदि से चुनौतियों का सामना कर रहा है।
    - वर्ष 1999 में वैश्विक आर्थिक चिंताओं से निपटने और अधिक देशों को एक साथ लाने के लिये G-20 समूह का गठन किया गया था।

भारत और G-7

- भागीदारी
  - वर्ष 2019 में फ्राँस में आयोजित 45वें G-7 शिखर सम्मेलन में भारत की हिस्सेदारी एक प्रमुख आर्थिक और लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में भारत की रणनीतिक स्थिति को प्रतिबिंबित करती है।

- वर्ष 2020 में अमेरिका द्वारा भी भारत को शिखर सम्मेलन के लिये आमंत्रित किया गया था, हालाँकि यह सम्मेलन महामारी के कारण नहीं हो सका।
- पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शासनकाल के दौरान भी भारत ने पाँच बार G-7 (तत्कालीन G-8 समूह) के सम्मेलनों में भाग लिया था।

- विचार-विमर्श हेतु महत्त्वपूर्ण मंच
  - यह व्यापार, कश्मीर मुद्दे और रूस तथा ईरान के साथ भारत के संबंधों पर G-7 सदस्यों से विचार-विमर्श करने के लिये एक बेहतर मंच उपलब्ध कराता है।
- भारत के लिये G-7 का निहितार्थ
  - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ब्रिक्स और G-20 आदि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में हिस्सेदारी के साथ भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से एक बेहतर वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

भारत -श्रीलंका

चर्चा में क्यों?

हाल ही में श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त द्वारा व्यक्त चिंता के बाद श्रीलंका सरकार ने जाफना विश्वविद्यालय (Jaffna University) में एक ध्वस्त स्मारक के पुनर्निर्माण का निर्णय लिया है।

- वर्ष 2009 में लिट्टे और श्रीलंकाई सेना के बीच गृह युद्ध के दौरान मारे गए तमिल नागरिकों को श्रद्धांजलि देने के लिये स्थापित स्मारक के विध्वंस ने भारत-श्रीलंकाई संबंधों में फिर से श्रीलंकाई अल्पसंख्यक तमिलों के अधिकारों के अप्रिय मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया है।

प्रमुख बिंदु:

श्रीलंका में तमिलों के मुद्दे

- नागरिकता दिये जाने से इनकार: श्रीलंकाई तमिलों की समस्या 1950 के दशक से पहले शुरू हो गई थी। वर्ष 1948 में आज़ादी मिलने के बाद श्रीलंकाई सरकार ने महसूस किया कि तमिल लोग श्रीलंकाई न होकर भारतीय वंशावली से संबंधित हैं।
  - तमिलों की बहुसंख्यक आबादी को श्रीलंका की नागरिकता से वंचित कर दिया गया, जिसके कारण अधिकांश तमिलों को श्रीलंका के चाय बागानों में गरीबी की स्थिति में रहना पड़ा।
- भाषायी भेदभाव: श्रीलंका में सिंहली और तमिलों के बीच संघर्ष वर्ष 1956 में तब शुरू हुआ जब श्रीलंका के राष्ट्रपति ने सिंहली को आधिकारिक भाषा बनाया और तमिलों के खिलाफ बड़े पैमाने पर भेदभाव किया जाने लगा।
- धार्मिक भेदभाव: 1960 के दशक के दौरान तमिल आबादी के खिलाफ भेदभाव जारी रहा क्योंकि बौद्ध धर्म को राज्य में प्राथमिक स्थान दिया गया था और राज्य द्वारा नियोजित उच्च शिक्षा संस्थानों में की जाने वाली भर्ती में तमिलों की संख्या को सीमित कर दिया गया।
- तीव्र आंदोलन: इस अवधि के दौरान सिंहलियों द्वारा किये गए उत्पीड़न के जवाब में तमिलों ने राजनीतिक व अहिंसक विरोध के माध्यम से आंदोलन को जारी रखा, हालाँकि 1970 के दशक में तमिल अलगाववाद और उग्रवाद के प्रति रुझान बढ़ा जिसने LTTE जैसे आतंकवादी संगठन को जन्म दिया।
- लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम/ लिट्टे(LTTE): तमिलों और सिंहलियों के बीच जातीय तनाव और संघर्ष बढ़ने के बाद वर्ष 1976 में वेलुपिल्लई प्रभाकरन के नेतृत्व में लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम/ लिट्टे (Liberation Tiger of Tamil Eelam-LTTE) का गठन किया गया और इसने उत्तरी एवं पूर्वी श्रीलंका, जहाँ अधिकांश तमिलभाषी लोग निवास करते थे, में 'एक तमिल मातृभूमि' के लिये प्रचार करना प्रारंभ कर दिया।
  - विशेष रूप से सिंहलियों के खिलाफ श्रीलंका में कई आतंकवादी गतिविधियों के साथ ही इसने राजीव गांधी (भारत के पूर्व प्रधानमंत्री) की हत्या को अंजाम दिया।

- लंबे संघर्ष और लाखों लोगों के मारे जाने के बाद वर्ष 2009 में LTTE के साथ गृह युद्ध समाप्त हुआ। भारत ने श्रीलंका के इस गृह युद्ध को ख़त्म करने में सक्रिय भूमिका निभाई और श्रीलंका के संघर्ष को एक राजनीतिक समाधान प्रदान करने के लिये वर्ष 1987 में भारत-श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किये।

भारत की चिंता:

- शरणार्थियों का पुनर्वास: श्रीलंकाई गृह युद्ध (2009) से बचकर भारत आए श्रीलंकाई तमिलों की एक बड़ी संख्या तमिलनाडु में शरण लेने की मांग कर रही है। वे लोग श्रीलंका में फिर से निशाना बनाए जाने के डर से वहाँ वापस नहीं लौट रहे हैं। भारत के लिये उनका पुनर्वास करना एक बड़ी चुनौती है।
- तमिलों की अनदेखी: श्रीलंका के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने हेतु श्रीलंकाई तमिलों की दुर्दशा को नज़रअंदाज़ करने के लिये भारत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर इसकी आलोचना की जाती है।
- सामरिक हित बनाम तमिल मुद्दा: अक्सर भारत को अपने पड़ोसी के आर्थिक हितों की रक्षा और हिंद महासागर में चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के लिये रणनीतिक मुद्दों पर अल्पसंख्यक तमिलों के अधिकारों के मुद्दों को लेकर समझौता करना पड़ता है।

भारत-श्रीलंका के बीच निम्नलिखित बिंदुओं पर विश्वास बनाए रखना:

- मुद्रा विनिमय समझौता: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने और देश की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए श्रीलंका के साथ 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मुद्रा विनिमय समझौता किया था।
- उच्च स्तरीय यात्राएँ: भारत और श्रीलंका के बीच राजनीतिक संबंधों को नियमित अंतराल पर होने वाली उच्च स्तरीय यात्राओं के आदान-प्रदान द्वारा चिह्नित किया गया है।
- आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन: गृह युद्ध के दौरान भारत ने आतंकवादी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिये श्रीलंका सरकार का समर्थन किया।
- भारत का 'हाउसिंग प्रोजेक्ट': यह भारत सरकार की श्रीलंका के विकास में सहायता प्रदान करने हेतु प्रमुख परियोजना है। इसकी आरंभिक प्रतिबद्धता गृह युद्ध से प्रभावित लोगों के साथ-साथ बागान श्रमिकों के लिये 50,000 घरों का निर्माण करना है।
- मछुआरों से संबंधित मुद्दा: दोनों देशों के प्रादेशिक जल क्षेत्र की निकटता को देखते हुए, विशेष रूप से पाक जलडमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी में मछुआरों के भटकने की घटनाएँ आम हैं।
  - दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा को पार करने वाले मछुआरों की विवादित स्थिति से निपटने के लिये कुछ व्यावहारिक व्यवस्थाओं पर सहमति व्यक्त की है।
- हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में महत्त्वपूर्ण प्रगति देखने को मिली है।
- व्यापार और निवेश के साथ दोनों देशों के बीच अवसंरचना विकास, शिक्षा, संस्कृति तथा रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
- दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक आपसी समझ साझा करते हैं।
- ध्यातव्य है कि भारत एवं श्रीलंका सार्क (SAARC) और बिम्सटेक (BIMSTEC) के सदस्य हैं और सार्क देशों में भारत का व्यापार श्रीलंका के साथ सबसे अधिक है।
- दिसंबर 1998 में एक अंतर-सरकारी पहल के माध्यम से 'भारत-श्रीलंका फाउंडेशन' (India-Sri Lanka Foundation) की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक, तकनीकी, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है।
- भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 4.5 बिलियन डॉलर का है, जिसमें भारत द्वारा श्रीलंका को किया गया निर्यात लगभग 3.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर और श्रीलंका से भारत को किया गया निर्यात लगभग 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा।
- दोनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'मित्र शक्ति' (Mitra Shakti) और संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 'स्लिनेक्स' (SLINEX) का आयोजन किया जाता है।

नोट :

भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत-नेपाल संयुक्त आयोग (India-Nepal Joint Commission) की छठी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नेपाल ने भारत के साथ कालापानी सीमा विवाद के मुद्दे को उठाया। इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने बिजली, तेल, गैस, जल संसाधन, क्षमता निर्माण और पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।

- भारत ने संयुक्त आयोग में सीमा विवाद के मुद्दे पर चर्चा से स्वयं को दूर रखा क्योंकि सीमा विवादों पर चर्चा के लिये दोनों देशों के बीच पहले से ही एक समर्पित विदेश सचिव स्तरीय तंत्र मौजूद है।

प्रमुख बिंदु:

- इस बैठक के दौरान COVID-19 महामारी से निपटने के लिये नेपाल की वैक्सीन ज़रूरत के बारे में चर्चा की गई, क्योंकि नेपाल द्वारा पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोवीशील्ड वैक्सीन को मंज़ूरी दी जा चुकी है।
- दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने विकास साझेदारी की समीक्षा की और बीरगंज तथा बिराटनगर (नेपाल) में एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) के फायदे पर चर्चा की। इन चौकियों या चेक पोस्ट्स ने दोनों देशों के बीच लोगों के निर्बाध आवागमन और व्यापार संचालन में सहायता की है।
  - तीसरे और चौथे ICP के विकास का कार्य क्रमशः नेपालगंज और भैरहवा में शुरू किया जाना है।
- भारत द्वारा अनुदान सहायता के माध्यम से नेपाल में 'पशुपतिनाथ रिवरफ्रंट डेवलपमेंट' और पाटन दरबार में 'भंडारखाल गार्डन रेस्टोरेशन' नामक दो सांस्कृतिक विरासत परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा।
- इस मौके पर नेपाल के विदेश मंत्री ने 'विश्व मामलों की भारतीय परिषद' (ICWA) को संबोधित किया।
  - 'विश्व मामलों की भारतीय परिषद' की स्थापना वर्ष 1943 में एक थिंक टैंक के रूप में हुई थी। यह विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेशी मामलों के अध्ययन के लिये समर्पित है। भारत का उपराष्ट्रपति ICWA का पदेन अध्यक्ष है।

भारत-नेपाल संबंध:

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- नेपाल, भारत का एक महत्त्वपूर्ण पड़ोसी है और यह सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के कारण भारत की विदेश नीति में विशेष महत्त्व रखता है।
- भारत और नेपाल हिंदू तथा बौद्ध धर्म के संदर्भ में कई समानताएँ साझा करते हैं, जैसे कि भगवान बुद्ध का जन्मस्थान लुंबिनी वर्तमान में नेपाल में स्थित है।
- दोनों देश न सिर्फ एक खुली सीमा और लोगों की निर्बाध आवाजाही को साझा करते हैं, बल्कि उनके बीच विवाह और पारिवारिक संबंधों के माध्यम से घनिष्ठ संबंध भी हैं, जिसे 'रोटी-बेटी के रिश्ते' के रूप में जाना जाता है।
- वर्ष 1950 की भारत-नेपाल शांति और मित्रता संधि ने भारत और नेपाल के बीच मौजूद विशेष संबंधों की आधारशिला रखी।
- भारत के संदर्भ में भारत-नेपाल संबंधों के महत्त्व को दो अलग-अलग स्तरों पर समझा जा सकता है: a. भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये इसका रणनीतिक महत्त्व और b. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की भूमिका में इसका महत्त्व।
- नेपाल से निकलने वाली नदियाँ भारत की बारहमासी नदी प्रणालियों में महत्त्वपूर्ण योगदान (पारिस्थितिकी और जलविद्युत क्षमता के संदर्भ में) देती हैं।

व्यापार और आर्थिक संबंध:

- भारत, नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार होने के साथ विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है, इसके अतिरिक्त यह नेपाल के लगभग एक-तिहाई व्यापार के लिये पारगमन सुविधा प्रदान करता है।

संपर्क:

- नेपाल एक लैंडलॉक देश है और यह भारत से तीन तरफ से घिरा हुआ है, हालाँकि इसकी एक सीमा तिब्बत की ओर खुलती है, परंतु वहाँ वाहनों की पहुँच बहुत ही सीमित है।
- भारत-नेपाल द्वारा दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क को मज़बूत करने, आर्थिक प्रगति और विकास को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न कनेक्टिविटी कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है।
  - काठमांडू (नेपाल) और रक्सौल (भारत) को इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक के माध्यम से जोड़ने के लिये दोनों देशों की सरकारों के बीच एक 'समझौता ज्ञापन' (MoU) पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
  - भारत द्वारा व्यापार और पारगमन व्यवस्था के ढाँचे के तहत अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास पर विचार किया जा रहा है, जो नेपाल को समुद्र तक अतिरिक्त पहुँच प्रदान करेगा इसे भारत द्वारा 'लिंकिंग सागरमाथा (माउंट एवरेस्ट) विथ सागर (हिंद महासागर)' [linking Sagarmatha (Mt. Everest) with Sagar (Indian Ocean)] की संज्ञा दी गई है।

रक्षा सहयोग:

- द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में उपकरण और प्रशिक्षण के प्रावधान के माध्यम से नेपाली सेना के आधुनिकीकरण में सहायता प्रदान करना शामिल है।
- भारतीय सेना के गोरखा रेजीमेंट में आंशिक रूप नेपाल के पहाड़ी ज़िलों से भर्ती किये गए युवाओं को शामिल किया जाता है।
- वर्ष 2011 से भारत प्रतिवर्ष नेपाल के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन करता है जिसे सूर्य किरण के नाम से जाना जाता है।

सांकृतिक संबंध:

- कला, संस्कृति, शिक्षा तथा मीडिया के क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के लिये नेपाल के विभिन्न स्थानीय निकायों के साथ कई पहलों की शुरुआत की गई है।
- भारत ने नेपाल के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान, ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा करने एवं लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के लिये तीन 'सिस्टर सिटी समझौतों' (Sister City Agreements) पर हस्ताक्षर किये हैं। ये हैं- काठमांडू-वाराणसी, लुम्बिनी-बोधगया और जनकपुर-अयोध्या।

मानवीय सहायता:

- नेपाल एक संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्र में आता है जहाँ भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाओं की प्रवणता देखी जाती है, साथ ही इन आपदाओं के कारण जीवन और धन दोनों की भारी क्षति होती है, जिससे यह भारत से मानवीय सहायता प्राप्तकर्त्ता/लाभार्थी सबसे बड़ा देश बना हुआ है।

बहुपक्षीय साझेदारी:

- भारत और नेपाल कई बहुपक्षीय मंचों को साझा करते हैं, जैसे- BBIN (बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल), बिम्सटेक (BIMSTEC), गुट निरपेक्ष आंदोलन (NAM) और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (The South Asian Association for Regional Cooperation-SAARC) आदि।

विवाद और चुनौतियाँ:

- चीन का हस्तक्षेप:
  - एक Landlocked देश होने के नाते नेपाल वर्षों तक भारतीय आयात पर निर्भर रहा और भारत ने नेपाल के मामलों में सक्रिय भूमिका निभाई।
  - हालाँकि हाल के वर्षों में नेपाल भारत के प्रभाव से दूर हुआ है तथा चीन ने धीरे-धीरे निवेश, सहायता व ऋण के माध्यम से इस रिक्त स्थान को भरने का प्रयास किया है।
  - चीन, नेपाल को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में एक प्रमुख भागीदार मानता है और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिये अपनी व्यापक योजनाओं के तहत नेपाल के बुनियादी ढाँचे में निवेश करना चाहता है।

- नेपाल और चीन के बीच द्विपक्षीय सहयोग में हो रही वृद्धि भारत तथा चीन के बीच नेपाल की एक बफर राज्य की भूमिका को कमज़ोर कर सकता है।
- वहीं दूसरी ओर चीन नेपाल में रह रहे तिब्बतियों में चीन विरोधी विचारधारा को पनपने से बचना चाहता है।

- सीमा विवाद:
  - यह मुद्दा नवंबर 2019 में उस समय भड़क उठा जब नेपाल द्वारा अपने देश का एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया गया, जिसमें उत्तराखंड के कालापानी, लिंपियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा बताया गया। इस मानचित्र में सुस्ता (पश्चिम चंपारण ज़िला, बिहार) क्षेत्र को भी देखा जा सकता है।

आगे की राह:

- भारत को 'सीमा-पार जल विवाद के मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानून' के तहत नेपाल के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिये कूटनीतिक रूप से बातचीत करनी चाहिये। इस संदर्भ में भारत और बांग्लादेश के बीच हुए सीमा विवाद समाधान को एक मॉडल के रूप में लिया जा सकता है।
- भारत को नागरिक संपर्क, राजनयिक और राजनीतिक संबंधों के माध्यम से नेपाल के साथ अधिक सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिये।
- किसी छोटे मतभेद को विवाद में नहीं बदलने देना चाहिये बल्कि दोनों देशों को शांति से ऐसे मुद्दों के समाधान हेतु मिलकर कार्य करना चाहिये।

घरेलू प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंक

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक और HDFC बैंक को 'घरेलू प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंकों' (D-SIBs) के रूप में बनाए रखा है।

प्रमुख बिंदु

प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंक (SIBs)

- कुछ बैंक अपने आकार, क्रॉस-ज्यूरिडिक्शनल गतिविधियों, कार्यान्वयन संबंधी जटिलता की कमी, प्रतिस्थापन और परस्पर जुड़ाव के कारण प्रणालीगत रूप से काफी महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं।
- ये बैंक अपनी विशेषताओं के परिणामस्वरूप इतने महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं कि आसानी से विफल नहीं हो सकते हैं। इसी धारणा के चलते संकट की स्थिति में सरकार द्वारा इन बैंकों पर समर्थन किया जाता है।
  - प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंक (SIBs) प्रणालीगत जोखिमों और उनके द्वारा उत्पन्न नैतिक जोखिम से निपटने के लिये अतिरिक्त नीतिगत उपायों के अधीन होते हैं यानी संकट की स्थिति में ये बैंक अतिरिक्त नीतिगत उपायों को अपना सकते हैं।
  - प्रणालीगत जोखिम को किसी कंपनी, उद्योग, वित्तीय संस्थान या संपूर्ण अर्थव्यवस्था की विफलता या विफलता से जुड़े जोखिम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
  - नैतिक जोखिम एक ऐसी स्थिति है, जिसमें एक पक्ष यह मानकर जोखिमपूर्ण घटना में शामिल होता है कि वह जोखिम से सुरक्षित है और जोखिम की लागत किसी दूसरे पक्ष द्वारा वहन की जाएगी।
- इन बैंकों की विफलता के कारण बैंकिंग व्यवस्था द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली आवश्यक सेवाएँ भी बाधित हो सकती हैं, जिससे इनकी संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

पृष्ठभूमि

- G-SIBs: वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) द्वारा बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (BCBS) और अन्य राष्ट्रीय प्राधिकरणों से परामर्श के बाद वर्ष 2011 से वैश्विक-प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंक (G-SIBs) की पहचान की जा रही है।

- वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है, जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली के बारे में सिफारिशें करता है। इसकी स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी। भारत इस अंतर्राष्ट्रीय निकाय का सदस्य है।
- बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (BCBS) द्वारा G-SIBs के आकलन और पहचान करने के लिये कार्यप्रणाली अपनाई जाती है।

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (BCBS) वैश्विक स्तर पर बैंकों का विवेकपूर्ण नियमन करती है। भारतीय रिज़र्व बैंक इसका सदस्य है।

- G-SIIs: वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइज़र्स (IAIS) और अन्य राष्ट्रीय प्राधिकरणों के परामर्श से वर्ष 2013 से वैश्विक- प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बीमाकर्त्ताओं (G-SII) की पहचान कर रहा है।
  - इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइज़र्स (IAIS) वर्ष 1994 में स्थापित 200 से अधिक बीमा पर्यवेक्षकों और नियामकों का एक स्वैच्छिक सदस्यता संगठन है।
  - भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCRA) इसके सदस्य हैं।

घरेलू-प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंक (D-SIBs)

- बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (BCBS) ने अक्तूबर 2012 में D-SIBs से संबंधित अपनी रूपरेखा को अंतिम रूप दिया था। D-SIBs फ्रेमवर्क इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बैंकों की विफलता का प्रभाव घरेलू अर्थव्यवस्था पर न पड़े।
- G-SIBs फ्रेमवर्क के विपरीत D-SIBs फ्रेमवर्क राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा किये गए मूल्यांकन पर आधारित होता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वर्ष 2014 में D-SIBs से संबंधित रूपरेखा जारी की थी। D-SIBs की रूपरेखा के मुताबिक, रिज़र्व बैंक के लिये घरेलू बैंकों को घरेलू- प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंक (D-SIBs) के रूप में नामित करना और उनके प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण स्कोर (SISs) के आधार पर उपयुक्त श्रेणी में रखना आवश्यक है।
  - मूल्यांकन के लिये जिन संकेतकों का उपयोग किया जाता है उनमें बैंक का आकार, परस्पर संबंध, प्रतिस्थापन की स्थिति और कार्यकारी जटिलता आदि शामिल हैं।
  - उनके प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण अंकों के आधार पर बैंकों को विभिन्न समूहों में रखा जाता है। घरेलू-प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंकों (D-SIBs) से अपेक्षा की जाती है कि वे रिस्क वेटेड एसेट्स (RWAs) के 0.20 प्रतिशत से 0.80 प्रतिशत के बीच अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टीयर 1 (CET1) पूंजी आवश्यकता को बनाए रखें।
    - CET1, पूंजी की वह मात्रा होती है, जिसकी उपस्थिति में किसी भी जोखिम का प्रबंधन आसानी से किया जा सकता है। यह एक पूंजीगत उपाय है, जिसे वर्ष 2014 में वैश्विक स्तर पर एक सुरक्षात्मक साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया था, ताकि अर्थव्यवस्था को वित्तीय संकट से बचाया जा सके।
  - यदि भारत में किसी विदेशी बैंक की शाखा एक वैश्विक-प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंक (G-SIBs) के रूप में स्थित है, तो उसे भारत में उसके रिस्क वेटेड एसेट्स (RWAs) के अनुपात में G-SIBs के रूप में लागू अतिरिक्त CET1 कैपिटल सरचार्ज को बनाए रखना होगा।

घरेलू-प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बीमाकर्त्ता (D-SII)

- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा वर्ष 2020-21 के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को घरेलू-प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बीमाकर्त्ताओं के रूप में पहचाना गया है।
- ये बड़े आकार, बाज़ार महत्त्व और घरेलू तथा वैश्विक परस्पर-संबंध वाले ऐसे बीमाकर्त्ता हैं, जिनकी विफलता के कारण घरेलू वित्तीय प्रणाली के समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है।
- IRDAI द्वारा मार्च 2019 में IL&FS संकट, जिसकी विफलता के कारण वित्तीय बाज़ारों में व्यापक पैमाने पर तरलता संकट पैदा हो गया था, के बाद बीमा कारोबार में ऐसी कंपनियों की पहचान की जा रही है।
- इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइज़र्स (IAIS) ने सभी सदस्य देशों को घरेलू- प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बीमाकर्त्ताओं से संबंधित एक नियामक ढाँचा तैयार करने को कहा है।

नोट :

शैडो उद्यमी

चर्चा में क्यों?

शिक्षा (प्रमाण पत्र), वित्त (आसान ऋण के लिये), सट्टेबाज़ी की अर्थव्यवस्था (ऑनलाइन गेम) और स्वास्थ्य सेवा (ई-फार्मेसी) जैसे विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर शैडो उद्यमियों (Shadow Entrepreneurship) की उपस्थिति में वृद्धि देखी जा रही है।

प्रमुख बिंदु:

शैडो उद्यमी के संबंध में:

- शैडो उद्यमी ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी व्यवसाय का प्रबंधन करता है तथा वैध वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री करता है परंतु वह अपने व्यवसायों को सरकार के साथ पंजीकृत नहीं कराता है।
- इसका अर्थ है कि शैडो उद्यमी कर का भुगतान नहीं करते हैं, एक शैडो अर्थव्यवस्था वह स्थिति है जहाँ सरकारी अधिकारियों की पहुँच के बाहर व्यावसायिक गतिविधियाँ की जाती हैं।
- इस प्रकार के व्यवसायों में बिना लाइसेंस वाली टैक्सी सेवा, सड़क किनारे भोजन स्टाल लगाना और छोटे भू-निर्माण आदि कार्य शामिल हैं।
- इंपीरियल कॉलेज बिज़नेस स्कूल (Imperial College Business School) द्वारा 68 देशों पर किये गए एक अध्ययन के अनुसार, इंडोनेशिया के बाद भारत में सबसे अधिक शैडो उद्यमी हैं।

शैडो उद्यमियों में वृद्धि का कारण:

- कराधान और प्रवर्तन: शिथिल प्रवर्तन के साथ उच्च कर की दर कर से बचने, औपचारिक व्यवसायों में निवेश को हतोत्साहित करने और अनौपचारिक क्षेत्र की ओर उद्यमशीलता की गतिविधि को प्रेरित करती है।
- COVID-19 का प्रभाव: शैडो उद्यमी, प्रौद्योगिकी सेवाओं के माध्यम से ऐसी पूरक सेवाएँ प्रदान करते हैं जिन्हें सुनिश्चित करने में पारंपरिक सेवा प्रदाता सक्षम नहीं होते या लॉकडाउन बाधाओं के कारण उपभोक्ताओं तक पहुँचाने में सक्षम नहीं हो पाए।
- प्रौद्योगिकी प्रगति: शैडो उद्यमिता को प्रौद्योगिकी-सक्षम नए बाज़ारों द्वारा भी बढ़ावा मिलता है और इसमें नए तथा तकनीकी ज्ञान रखने वाले उपभोक्ताओं का प्रवेश भी होता है।

लाभ:

- रोज़गार में वृद्धि: अनौपचारिक क्षेत्र की अधिकांश नौकरियाँ शैडो उद्यमिता के अंतर्गत आती हैं। इसके अन्य लाभ इस प्रकार हैं-
- आर्थिक विकास का चालक
- गरीबी में कमी
- गैर कृषि रोज़गार प्रदान कर कृषि पर दबाव को कम करना।
- उपभोक्ताओं के लिये विविध विकल्प मौजूद

शैडो उद्यमियों के समक्ष चुनौतियाँ:

- प्रतिस्पर्द्धा में कमी:
  - छोटी फर्मों का अधिग्रहण बड़ी कंपनियों द्वारा किया जा सकता है।
- संदिग्ध और अवैध:
  - एप-आधारित ऋण प्रदाताओं से संबंधित हाल की घटनाएँ जो कि बहुत अधिक ब्याज दर लगाते हैं और संदिग्ध तरीके से अतिरिक्त वसूली करते हैं।
- आर्थिक नुकसान:
  - सरकार के साथ पंजीकृत न होने के कारण राजस्व का नुकसान होता है।
- भ्रष्टाचार:
  - कानून की पहुँच से परे होने के कारण ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं।

नोट :

- संपत्ति का आकार:
  - अनौपचारिक उद्यमी अपने व्यवसायों में औपचारिक लोगों की तुलना में बहुत कम तीव्रता से निवेश करते हैं, जिसका अर्थ है कि औपचारिकता का परिसंपत्ति के आकार से सकारात्मक संबंध है।

सुझाव:

- अर्थव्यवस्था का औपचारिकरण: जहाँ उचित आर्थिक और राजनीतिक ढाँचा होता है, वहाँ व्यक्तियों में औपचारिक (Formal) उद्यमी बनने तथा अपने व्यवसाय को पंजीकृत कराने की अधिक संभावना होती है, क्योंकि इससे वे उन कानूनों एवं नियमों का लाभ उठा पाते हैं जो उनकी कंपनी की रक्षा करने के लिये होते हैं।
- निगरानी: गुणवत्ता की सुदृढ़ निगरानी की जानी चाहिये। इसके उल्लंघन की स्थिति में दंडनीय सज़ा के रूप में जेल भेजना और सेवाओं पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता है।
- इनाम की स्वीकृति: उन शैडो फर्मों जो कि गैर-शैडो फर्मों के साथ सर्विस प्रदान करने के लिये प्रभावी मोड में शामिल होना चाहते हैं, का स्वागत किया जाना चाहिये।
- एजेंसियों के बीच समन्वय: सरकारी अधिकारियों के बीच स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा या वित्त के क्षेत्र में शैडो उद्यमिता आदि गतिविधियों के संदर्भ में बेहतर समन्वय होना आवश्यक है।

एस-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली

चर्चा में क्यों?

'एस-400 ट्रायम्फ मिसाइल रक्षा प्रणाली' के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने के लिये भारतीय सैन्य विशेषज्ञों का पहला समूह जल्द ही मास्को (रूस) जाएगा।

प्रमुख बिंदु:

पृष्ठभूमि:

- अमेरिका की आपत्तियों और CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) के तहत प्रतिबंधों के खतरे के बावजूद अक्तूबर 2018 में भारत ने रूस के साथ 'एस-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली' के लिये 5.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किये।

एस-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली:

- एस-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा डिज़ाइन की गई एक गतिशील (Mobile) और सतह से हवा में मार करने वाली (Surface-to-Air Missile System- SAM) मिसाइल प्रणाली है। यह विश्व में लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने में सक्षम (Modern Long-Range SAM- MLR SAM) परिचालन के लिये तैनात सबसे खतरनाक आधुनिक मिसाइल प्रणाली है, जिसे अमेरिका द्वारा विकसित 'टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम' (THAAD) से भी बेहतर माना जाता है। I
- यह प्रणाली 30 किमी. तक की ऊँचाई पर 400 किमी. की सीमा के भीतर विमान, मानव रहित हवाई वाहन (UAV) और बैलिस्टिक तथा क्रूज मिसाइलों सहित सभी प्रकार के हवाई लक्ष्यों को भेद सकती है।
- यह प्रणाली एक साथ 100 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है और उनमें से छह को एक साथ लक्षित कर सकती है।

भारत के लिये महत्त्व:

- चीन भी इस प्रणाली को खरीद रहा है, चीन ने इस प्रणाली की छह यूनिट की खरीद के लिये वर्ष 2015 में रूस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये थे, इसकी डिलीवरी जनवरी 2018 में शुरू हुई थी।
  - चीन द्वारा एस-400 प्रणाली का अधिग्रहण किया जाना इस क्षेत्र में एक 'गेम-चेंजर' के रूप में देखा जा रहा है। हालाँकि भारत के खिलाफ इसकी प्रभावशीलता बहुत ही सीमित है।

- भारत के लिये F-35 जैसे उन्नत कोटि के लड़ाकू विमानों का मुकाबला करने सहित दो मोर्चों (चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में) पर युद्ध की चुनौतियों से निपटने हेतु इस प्रणाली को प्राप्त करना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।

भारत-रूस रक्षा सहयोग:

महत्त्वपूर्ण स्तंभ:

- रक्षा सहयोग, भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ है।

नियमित बैठकें:

- भारत और रूस के रक्षा मंत्री दोनों देशों के बीच सक्रिय परियोजनाओं की समीक्षा करने तथा अन्य सैन्य तकनीकी सहयोग के मुद्दों पर चर्चा के लिये वार्षिक रूप से बारी-बारी रूस तथा भारत में बैठक करते हैं।
- वर्ष 2008 में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय (भारत) के रक्षा सचिव और रूस के 'सैन्य तकनीकी सहयोग हेतु संघीय सेवा निदेशक' (FSMTC) की सह-अध्यक्षता में 'उच्च स्तरीय निगरानी समिति' (HLMC) की स्थापना की गई थी।

संबंधों में गिरावट:

- शीत युद्ध के बाद के समय में भारत और रूस के आर्थिक संबंधों में गिरावट देखने को मिली और हाल के वर्षों में अमेरिका, भारत के लिये शीर्ष हथियार आपूर्तिकर्त्ता के रूप में उभरा जिसने रूस को हथियार आपूर्तिकर्त्ता के रूप में दूसरे स्थान (2011-13 के आँकड़ों के आधार पर) पर धकेल दिया।

वर्तमान स्थिति:

- वर्ष 2013-14 में रक्षा खरीद में आई गिरावट में सुधार कर लिया गया है और CAATSA के तहत प्रतिबंधों के भय के बावजूद 'एस-400 हवाई रक्षा मिसाइल प्रणाली' जैसे महत्त्वपूर्ण सौदे की शुरुआत की गई।
- हाल के वर्षों में भारत द्वारा इज़राइल, अमेरिका और फ्राँस के साथ अनुबंधों के माध्यम से अपनी रक्षा आपूर्ति को विकेंद्रीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु रूस अभी भी एक प्रमुख आपूर्तिकर्त्ता बना हुआ है। इसे दोनों देशों के बीच हुए हालिया घटनाक्रमों के आधार पर समझा जा सकता है:
  - भारत ने रूस से 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत वाले मिग 29 और सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण के प्रस्तावों को मंज़ूरी दी है।
  - दोनों पक्ष सफलतापूर्वक AK-203 राइफल और 200 केए-226टी (Ka-226T) यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति से जुड़े अनुबंध के कार्यान्वयन की ओर बढ़ रहे हैं।
- स्टिम्सन सेंटर द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, वर्तमान में भारतीय सैन्य सेवा में 86% उपकरण, हथियार और प्लेटफॉर्म रूसी मूल के हैं।

आयात से लेकर संयुक्त उत्पादन तक:

- समय के साथ दोनों देशों के बीच सैन्य तकनीकी क्षेत्र का सहयोग विशुद्ध रूप से खरीदार-विक्रेता संबंध से आगे बढ़ते हुए उन्नत कोटि के सैन्य प्लेटफॉर्मों के संयुक्त अनुसंधान, डिज़ाइन, विकास और उत्पादन के रूप में विकसित हुआ है।
  - ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल का उत्पादन इसी प्रकार के सहयोग का एक उदाहरण है।

साझा सैन्य अभ्यास:

- युद्धाभ्यास इंद्र, भारत और रूस की सेनाओं के बीच आयोजित किया जाने वाला एक संयुक्त त्रि-सेवा अभ्यास है।

भारत में रूसी मूल के सैन्य उपकरणों की तैनाती:

- नौसेना:
  - भारतीय नौसेना का एकमात्र सक्रिय विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य रूस से लिया गया है। परमाणु सक्षम पनडुब्बी चक्र-II भी रूस से ली गई है।

नोट :

- थल सेना:
  - भारतीय सेना के टी-90 और टी-72 मुख्य युद्धक टैंक रूसी मूल के हैं।
- वायु सेना:
  - भारतीय वायु सेना का सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमान भी रूस से खरीदा गया है।

भारत-सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की 5वीं वार्ता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और सिंगापुर के रक्षा मंत्रियों की 5वीं वार्ता (5th Defence Ministers' Dialogue- DMD) का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सफलतापूर्वक किया गया।

प्रमुख बिंदु:

समझौता:

- दोनों नौ सेनाओं के बीच पनडुब्बी बचाव सहायता और सहयोग को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।

संयुक्त स्टैंड:

- द्विपक्षीय सहयोग:
  - दोनों देशों ने लाइव फायरिंग (Live Firing) और सैन्य पाठ्यक्रमों की क्रॉस-अटेंडेंस (Cross-Attendance) के लिये पारस्परिक व्यवस्था स्थापित करने हेतु किये गए समझौतों को जल्द-से-जल्द पूरा करने के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया।
  - उनके द्वारा अगस्त 2020 में मानवीय सहायता और आपदा राहत (Humanitarian Assistance and Disaster Relief) सहयोग पर समझौते सहित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग का विस्तार करने वाली पहलों का स्वागत किया गया।
  - दोनों देशों की सशस्त्र बलों की साइबर एजेंसियों ने भी संबंधों को मज़बूत करने में सहयोग किया है।
- कोविड-19 का प्रभाव:
  - दोनों देशों ने कोविड-19 महामारी का रक्षा और सुरक्षा कार्यों पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचारों का आदान-प्रदान किया, जिसमें दोनों देशों के सशस्त्र बलों द्वारा अपनाई गई सर्वोच्च कार्य-प्रणालियाँ भी शामिल थीं।
- रक्षा अभ्यास:
  - दोनों देशों द्वारा इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की गई कि भारतीय नौसेना और सिंगापुर नौसेना ने सिंगापुर-भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास (SIMBEX) के 27वें संस्करण का सफलता से संचालन किया व सिंगापुर-भारत-थाईलैंड समुद्री अभ्यास (SITMEX) के दूसरे संस्करण में भी हिस्सा लिया; दोनों अभ्यासों का आयोजन नवंबर 2020 में किया गया था।
  - ये अभ्यास नौ सेनाओं के बीच पारस्परिकता को बढ़ावा देते हैं और देशों की साझा ज़िम्मेदारी को रेखांकित करते हैं, ताकि समुद्री मार्ग को खुला रखा जा सके।

भारत का रुख:

- भारत ने महामारी की चरम अवस्था के दौरान विदेशी श्रमिकों की मदद के लिये सिंगापुर के सशस्त्र बलों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिनमें कई भारतीय नागरिक भी शामिल थे।
- भारत ने क्षेत्रीय सुरक्षा के लिये आसियान को केंद्र में रखने की पुष्टि की और आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक (ASEAN Defence Minister Meeting)-प्लस के सभी प्रयासों के लिये भारत का समर्थन करने का वादा किया।

सिंगापुर का रुख:

- सिंगापुर ने भौगोलिक और जनसंख्या से संबंधित चुनौतियों के बावजूद कोविड-19 मामलों की समग्र संख्या को कम करने में भारत की सफलता की सराहना की।

- इसने HADR पर ADMM-प्लस विशेषज्ञों के कार्य समूह के लिये भारत की आगामी सह-अध्यक्षता के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।

नोट:

- सिंगापुर को 'हेनले पासपोर्ट सूचकांक (Henley Passport Index) 2021' में विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में दूसरा स्थान दिया गया है।
- सिंगापुर के नाम पर होने वाली पहली संयुक्त राष्ट्र संधि, अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि (United Nations Convention on International Settlement Agreements-UNISA) या मध्यस्थता पर सिंगापुर सम्मेलन (Singapore Convention on Mediation) हाल ही में लागू हुई है।
- हाल ही में यूनेस्को (UNESCO) ने अंतर-सरकारी समिति के 15वें सत्र में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में सिंगापुर की हॉकर संस्कृति (Hawker Culture) को शामिल किया था।

भारत-सिंगापुर संबंध

रक्षा और सुरक्षा सहयोग:

- भारत और सिंगापुर आतंकवाद तथा अतिवाद से उत्पन्न चुनौतियों को समान रूप से साझा करते हैं। इसलिये सुरक्षा सहयोग पर व्यापक ढाँचा विकसित करना पारस्परिक रूप से लाभकारी है।
- सिंगापुर हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (Indian Ocean Naval Symposium) और भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास मिलन (MILAN) में भाग लेता है।
- हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (Indian Ocean Rim Association) में सिंगापुर की सदस्यता और ADDM Plus (आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस) में भारत की सदस्यता दोनों देशों को आपसी क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक मंच प्रदान करती है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग:

- सिंगापुर के पहले स्वदेश निर्मित सूक्ष्म उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा वर्ष 2011 में लॉन्च किया गया, इसके बाद वर्ष 2014 में 2 तथा वर्ष 2015 में 6 और उपग्रहों को ISRO द्वारा लॉन्च किया गया।
- दोनों देशों ने जून 2018 में स्वास्थ्य सेवा, साइबर सुरक्षा, स्वचालन (Automation), गतिशीलता, स्मार्ट ऊर्जा प्रणाली और ई-गवर्नेंस में सुधार के लिये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, संज्ञानात्मक कंप्यूटिंग और बड़े डेटा एनालिटिक्स (Analytics) के क्षेत्र में छह समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किये।

व्यापार और आर्थिक सहयोग:

- सिंगापुर आसियान देशों में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- भारत में सिंगापुर का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) $73.3 बिलियन (जून 2018 तक) था, जो कुल विदेशी निवेश का 19% था।
- भारत द्वारा सिंगापुर में किया जाने वाला कुल निवेश 62.9 बिलियन डॉलर (अगस्त 2018 तक) था, इस तरह से भारतीय निवेश के लिये सिंगापुर शीर्ष स्थलों में से एक बन गया है।
- भारतीय उच्चायोग ने वर्ष 2018 में एक स्टार्टअप एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म, इंडिया-सिंगापुर एंटरप्रेन्योरशिप ब्रिज (InSperiaur) भी लॉन्च किया।

इन्फ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी:

- कनेक्टिविटी: सिंगापुर 8 एयरलाइंस के माध्यम से 18 भारतीय शहरों से सीधे जुड़ा हुआ है, भारत और सिंगापुर की एयरलाइंस द्वारा लगभग 616 साप्ताहिक उड़ानों का संचालन किया जाता है।

- स्मार्ट सिटी: सिंगापुर की कंपनियों के एक सहायता संघ (Consortium) द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती को विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा सिंगापुर, उदयपुर और जोधपुर में टाउनशिप के लिये योजना तैयार करने में राजस्थान के साथ, ग्रेटर शिमला को एक एकीकृत टाउनशिप बनाने के लिये हिमाचल प्रदेश के साथ तथा ऑरेंज स्मार्ट सिटी के विकास व पुणे महानगर क्षेत्र की मास्टर प्लानिंग हेतु महाराष्ट्र के साथ मिलकर काम कर रहा है।

सांस्कृतिक सहयोग:

- सिंगापुर में बड़ी संख्या में रहने वाले भारतीय प्रवासी कई सांस्कृतिक समूहों के माध्यम से एवं सिंगापुर के आधिकारिक समर्थन से उच्च स्तरीय सांस्कृतिक गतिविधियों को साझा करते हैं।
- उन्होंने 4वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (International Day of Yoga) पर 173 सभाओं (Session) का आयोजन किया जिसमें लगभग 8000 लोगों ने भाग लिया।
- यहाँ तक कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर सनटेक कन्वेंशन सेंटर (Suntec Convention Centre- दुनिया की सबसे बड़ी HD वीडियो स्क्रीन) में गांधीजी का वीडियो चलाकर मनाया गया।

भारतीय समुदाय:

- सिंगापुर में रहने वाली कुल 3.9 मिलियन आबादी में 3.5 लाख (9.1%) भारतीय नागरिक हैं।
- आसियान-भारत भागीदारी के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 6-7 जनवरी, 2018 को सिंगापुर में आसियान-भारत प्रवासी भारतीय दिवस (Pravasi Bharatiya Divas) मनाया गया।

भारत की वैक्सीन कूटनीति

चर्चा में क्यों?

भारत ने अपने पड़ोसी और प्रमुख साझेदार देशों को कोरोना वायरस (COVID-19) वैक्सीन प्रदान करने का निर्णय लिया है।

- वैक्सीन की शुरुआती खेप को विशेष विमानों द्वारा भूटान एवं मालदीव भेजा जा चुका है।

भारत की कोरोना वायरस वैक्सीन

- हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने देश में कोरोना वायरस के विरुद्ध वैक्सीन के सीमित उपयोग के लिये 'कोविशील्ड' और 'कोवैक्सीन' को मंज़ूरी दी है।
  - कोविशील्ड (Covishield): यह ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राज़ेनेका द्वारा विकसित कोरोना वायरस वैक्सीन को दिया गया नाम है, जिसे तकनीकी रूप से AZD1222 या ChAdOx 1 nCoV-19 कहा जाता है।
  - कोवैक्सीन (Covaxin): यह भारत की एकमात्र स्वदेशी कोरोना वैक्सीन है, जिसे रोग पैदा करने वाले जीवित सूक्ष्मजीवों को निष्क्रिय कर विकसित किया जाता है।

प्रमुख बिंदु

वैक्सीन कूटनीति

- अर्थ: वैक्सीन कूटनीति वैश्विक स्वास्थ्य कूटनीति का हिस्सा है, जिसमें एक राष्ट्र अन्य देशों के साथ संबंधों को मज़बूत करने के लिये टीकों के विकास या वितरण का उपयोग करता है।
- सहयोगात्मक प्रयास: इसमें जीवन रक्षक टीकों और संबंधित तकनीकों का संयुक्त विकास किया जाना भी शामिल है, जहाँ विभिन्न देशों के वैज्ञानिक, संबंधित देशों के बीच राजनयिक संबंधों को महत्त्व दिये बिना सहयोग के लिये एक साथ आते हैं।
- भारत के लिये लाभप्रद: यह भारत को पड़ोसी देशों और संपूर्ण विश्व के साथ अपनी विदेश नीति तथा राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने का एक अभिनव अवसर प्रदान कर सकता है।
  - ज्ञात हो कि इससे पूर्व भारत ने बड़ी संख्या में देशों को महामारी से निपटने के लिये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, रेमेडिसविर और पैरासिटामोल दवाइयाँ तथा साथ ही डायग्नोस्टिक किट, वेंटिलेटर, मास्क, दस्ताने और अन्य मेडिकल उपकरण प्रदान किये थे।
  - भारत ने कई पड़ोसी देशों के लिये क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यशालाओं का भी आयोजन किया है।

भारत की वैक्सीन कूटनीति योजना:

- मालदीव, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल में वैक्सीन की शिपमेंट पहुँचनी शुरू हो गई है, जबकि म्याँमार और सेशेल्स को जल्द ही वैक्सीन की शिपमेंट प्राप्त हो जाएगी।
- श्रीलंका, अफगानिस्तान और मॉरीशस के मामलों में भारत आवश्यक नियामक मंज़ूरी की पुष्टि का इंतज़ार कर रहा है।
- भारत की क्षेत्रीय वैक्सीन कूटनीति का एकमात्र अपवाद पाकिस्तान होगा; जिसने एस्ट्रोज़ेनेका वैक्सीन के उपयोग को मंज़ूरी दे दी है, किंतु अभी तक न तो उसने इस संबंध में भारत से अनुरोध किया है और न ही चर्चा की है।

भारत की वैक्सीन कूटनीति का महत्त्व

- सामरिक महत्त्व
  - दीर्घावधिक ख्याति अर्जित करना: महामारी के कारण आर्थिक मोर्चे पर संकट का सामना कर रहे पड़ोसी देशों के लिये भारत द्वारा दी जा रही वैक्सीन की खेप कई मायनों में काफी महत्त्वपूर्ण है और इससे भारत अपने निकटवर्ती पड़ोसी देशों व हिंद महासागर के देशों में दीर्घकालिक ख्याति अर्जित कर सकेगा।
    - यह भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति के अनुरूप है।
  - चीन की तुलना में रणनीतिक बढ़त: हाल ही में चीन ने नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ बहुपक्षीय वार्ता करते हुए उन्हें कोरोना वायरस वैक्सीन देने की पेशकश की थी।
    - पाकिस्तान के अतिरिक्त अन्य सभी देशों में भारत से जल्द वैक्सीन पहुँचने के कारण चीन की वैक्सीन और मास्क कूटनीति का मुकाबला करने में मदद मिल सकती है।
  - पश्चिमी देशों की तुलना में लाभ: जहाँ एक ओर समृद्ध पश्चिमी देश, विशेष रूप से यूरोप के देश और अमेरिका अपनी विशिष्ट समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वहीं अपने पड़ोसियों और अन्य विकासशील तथा अल्प-विकसित देशों की सहायता करने के लिये भारत की सराहना की जा रही है।
- आर्थिक लाभ
  - वैश्विक आपूर्ति केंद्र के रूप में भारत: भारत के निकट पड़ोसियों के अलावा, दक्षिण कोरिया, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, मोरक्को और दक्षिण अफ्रीका आदि देशों ने भी भारत से वैक्सीन खरीदने की इच्छा व्यक्त की है, जो कि आने वाले समय में भारत को वैश्विक वैक्सीन आपूर्ति का एक प्रमुख केंद्र बना सकता है।
  - भारत के फार्मा विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ोतरी: यदि भारतीय टीके विकासशील देशों की तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं, तो यह भारतीय फार्मा बाज़ार के लिये दीर्घकालिक अवसर उपलब्ध करा सकता है।
  - अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मददगार: यदि भारत दुनिया में कोरोना वैक्सीन का विनिर्माण केंद्र बन जाता है, तो इससे भारत के आर्थिक विकास पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।
- 'वैक्सीन शीत युद्ध' से बचाव
  - अमेरिका और चीन के बीच चल रहे 'शीत युद्ध' में कोरोना वायरस वैक्सीन को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा रहा था, जिसके कारण प्राय: वैक्सीन टीकाकरण कार्यक्रम में देरी हो रही थी। इस प्रकार भारत द्वारा टीकों की शुरुआती शिपमेंट को इस द्विध्रुवी विवाद से बचाव के रूप में देखा जा सकता है।
- नैतिक अधिकार प्राप्त करने में सहायक
  - भारत द्वारा वैक्सीन वितरण कार्यक्रम ऐसे समय में संचालित किया जा रहा है, जब विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक ने विकसित देशों के दवा निर्माताओं के नैतिक भ्रष्टाचार की आलोचना की है। ऐसे में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अधिक-से-अधिक नैतिक अधिकार मिल सकते हैं।
- वैक्सीन राष्ट्रवाद में बाधा
  - 'वैक्सीन राष्ट्रवाद' का आशय उस तंत्र से है, जिसके माध्यम से एक देश पूर्व-खरीद समझौतों का प्रयोग करते हुए अपने स्वयं के नागरिकों या निवासियों के लिये वैक्सीन की खुराक को सुरक्षित करता है और अन्य देशों को वैक्सीन देने से पूर्व अपने घरेलू बाज़ारों को प्राथमिकता देता है।

- वैक्सीन राष्ट्रवाद का मुख्य दोष यह है कि इसके कारण प्राय: कम संसाधन वाले देशों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। ज़रूरतमंद देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराकर भारत ने 'वैक्सीन राष्ट्रवाद' के तंत्र को बाधित किया है।

वैश्विक सहयोग को सक्षम बनाना:

- भारत द्वारा वैक्सीन की आपूर्ति WHO समर्थित कोवाक्स (COVAX) सुविधा तंत्र के माध्यम से किये जा रहे वैश्विक सहयोग को सफल बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

आगे की राह:

- भारत को COVID-19 वैक्सीन की घरेलू ज़रूरत और अपनी कूटनीतिक प्रतिबद्धताओं में संतुलन स्थापित करना होगा। ज्ञात हो कि 16 जनवरी, 2021 को शुरू हुआ भारत का COVID-19 टीकाकरण अभियान विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। भारत के लिये बड़ी चुनौती यह होगी कि वह विश्व को वैक्सीन की आपूर्ति करने के साथ ही अपने उन नागरिकों के लिये भी वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करे, जो इसकी लागत को वहन करने में सक्षम नहीं हैं।

कतर और मिस्र के संबंधों की पुनर्बहाली

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मिस्र ने कतर के साथ अपने राजनयिक और आर्थिक संबंधों को पुन: बहाल करने की घोषणा की है।

- मिस्र उस अरब चौकड़ी या अरब क्वार्टेट (इसके अन्य सदस्य सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन थे) का हिस्सा था, जिसने कतर पर आतंकवाद का समर्थन करने और ईरान के अत्यधिक निकट होने का आरोप लगाया था तथा इसके कारण उन्होंने वर्ष 2017 में कतर की भू, वायु और जलीय/नौसैनिक नाकेबंदी कर दी थी।

प्रमुख बिंदु:

संबंधों की पुनर्बहाली का कारण:

- 'एकजुटता और स्थिरता' समझौता:
  - हाल ही में खाड़ी देशों ने 41वें खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) शिखर सम्मेलन के दौरान 'एकजुटता और स्थिरता'समझौते पर हस्ताक्षर किये।
    - गौरतलब है कि बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य हैं।
  - इस शिखर सम्मेलन में खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्यों ने कतर पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया और कतर के लिये अपनी भूमि, समुद्री और हवाई सीमा को पुन: खोल दिया।
  - अरब चौकड़ी (जिसके तीन सदस्य जीसीसी के सदस्य हैं) के साथ एकजुटता दिखाते हुए मिस्र ने भी कतर के साथ अपने संबंधों को फिर से बहाल कर दिया है।
- ईरान के खिलाफ एकजुटता:
  - मिस्र ने कतर के साथ यह समझौता इसलिये किया है ताकि ईरान सरकार के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के खतरों के खिलाफ खाड़ी क्षेत्र को मज़बूत किया जा सके, गौरतलब है कि ईरान के इन मिसाइल कार्यक्रमों का अमेरिका और जीसीसी सदस्यों ने हमेशा विरोध किया है।
- कतर की बढ़ती शक्ति:
  - कतर विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ ही विश्व में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों में से एक है और यह वर्ष 2022 के फुटबॉल विश्व कप के मेज़बानी भी करेगा।
  - मोहम्मद मोर्सी (वर्ष 2012-13) की सरकार के दौरान कतर, मिस्र का सबसे बड़ा निवेशक था।

- अमेरिकी समर्थन:
  - संयुक्त राज्य अमेरिका और कतर के बीच व्यापक आर्थिक संबंध हैं। अमेरिका, कतर का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक के साथ ही कतर में सबसे बड़ा निर्यातक भी है।
  - कतर और यूएसए के बीच अच्छे आपसी संबंधों के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सभी खाड़ी देशों को एकजुट करने के लिये एकजुटता और स्थिरता समझौते की मध्यस्थता की, जिसने मिस्र के साथ सुलह के लिये भी प्रोत्साहित किया।

पूर्व मतभेद का कारण:

- मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ संबंध:
  - अरब स्प्रिंग और मोहम्मद मोर्सी (मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति जिन्हें कतर का समर्थन प्राप्त था) के पतन के बाद कतर ने मिस्र में अपने प्रभुत्व को बढ़ाने और साथ ही घरेलू स्तर पर अन्य इस्लामी समूहों का समर्थन प्राप्त करने के लिये मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड का समर्थन किया।
  - हालाँकि मुस्लिम ब्रदरहुड को अब्देल फत्ताह अल-सिसी के नेतृत्व में वर्तमान प्रशासन द्वारा परास्त कर दिया गया था, गौरतलब है कि अल-सिसी सरकार को अरब क्वार्टेट का करीबी माना जाता है।
    - खाड़ी देशों के सम्राट और तानाशाह मुस्लिम ब्रदरहुड के नेतृत्त्व में संचालित इस्लामवादी आंदोलनों के खिलाफ हैं क्योंकि ये राजनीतिक सुधारों की मांग करते हैं जो उनके शासन को खतरे में डाल सकता है।
- स्वतंत्र विदेश नीति दृष्टिकोण:
  - पूर्व में कतर पर लंबे समय तक सऊदी अरब का प्रभुत्व रहा है। वर्ष 1995 के बाद से कतर ने एक स्वतंत्र विदेश नीति की शुरुआत की और इसने न केवल अमेरिका, यूरोप, इज़राइल व ईरान जैसे अन्य देशों के साथ बल्कि फिलिस्तीनी, हमास और इस्लामवादी दलों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किये।
  - क्षेत्रीय मध्यस्थता और सहयोग में कतर की इस तरह की हाई-प्रोफाइल भूमिका से जीसीसी सदस्य और मिस्र खुश नहीं थे।
- ईरान के साथ अच्छे संबंध:
  - ईरान के साथ कतर एक विशाल गैस फील्ड साझा करता है, जो इसे ईरानी प्रशासन के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का एक और कारण प्रदान करता है।

भारत के लिये महत्त्व:

- मिस्र के साथ-साथ कतर सहित जीसीसी समूह के सभी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। मध्य-पूर्व के देशों के बीच इस तरह की सुलह और मैत्री भारत के लिये अवसरों का विस्तार कर सकती है।
- खाड़ी क्षेत्र भारतीय वस्तुओं के लिये सबसे बड़े बाज़ारों में से एक है और यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिये हाइड्रोकार्बन का सबसे महत्त्वपूर्ण आपूर्तिकर्त्ता है। इन गैस और तेल भंडार से समृद्ध देशों के बीच शांतिपूर्ण संबंध भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिये अनुकूल हैं।
- खाड़ी देशों में कई लाख प्रवासी भारतीय रहते या रोज़गार करते हैं, इनमें ज़्यादातर श्रमिक हैं जो विकास गतिविधियों में शामिल होते हैं और भारत को प्रेषित धन (Remittances) का प्रमुख स्रोत हैं।
- खाड़ी देशों और मिस्र के साथ बेहतर संबंध भारत को खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति, रक्षा और सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार तथा निवेश के अवसर प्रदान कर सकता है।

अरुणाचल प्रदेश में चीन के नए गाँव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में बुम ला दर्रे से 5 किलोमीटर की दूरी पर चीन द्वारा तीन गाँवों का निर्माण किये जाने की खबरें सामने आई हैं।

- बुम ला दर्रा भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच आधिकारिक सहमति वाले बार्डर पर्सनल मीटिंग (BPM) के चार पॉइंट्स में से एक है।
- इससे पहले वर्ष 2020 में चीन ने रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण एक रेलवे लाइन पर काम शुरू किया था जो सिचुआन प्रांत को तिब्बत में निंगची से जोड़ेगा, यह रेलवे लाइन भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास है।

प्रमुख बिंदु:

पिछले वर्ष निर्मित नया गाँव:

- नवंबर 2020 तक की सैटेलाइट इमेज दर्शाती हैं कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबानसिरी ज़िले में त्सारी चू नदी के तट पर एक पूर्ण विकसित गाँव का निर्माण किया गया है।
  - यह गाँव वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पार कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
  - पहले इस क्षेत्र में चीन ने सैन्य बैरकों का स्थायी निर्माण किया था।
- यह क्षेत्र वर्ष 1959 से चीन के नियंत्रण में है।
- यह मैकमोहन रेखा से कम-से-कम 2 किमी. दक्षिण में (भारतीय क्षेत्र में) स्थित है, जिसे चीन मान्यता नहीं देता है। वर्ष 1962 के युद्ध के बाद भारत ने इस क्षेत्र में गश्त बंद कर दी।
  - चीन के अनुसार, वह मैकमोहन रेखा को इसलिये अस्वीकार करता है क्योंकि वर्ष 1914 में शिमला में आयोजित कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाले तिब्बती प्रतिनिधियों ने मैकमोहन लाइन को मानचित्र पर दर्शाया था जो कि ऐसा करने के लिये अधिकृत नहीं थे।

असहमति के अन्य स्थान:

- वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के संपूर्ण क्षेत्र में लगभग दो दर्जन ऐसे स्थान हैं जिनकी स्थिति को लेकर भारत और चीन के बीच आपसी सहमति नहीं है।
- वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC):
- इसे तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है:
  - पूर्वी क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम तक फैला है (1346 किमी.)।
  - मध्य क्षेत्र का विस्तार उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश में है (545 किमी.)।
  - पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत लद्दाख आता है (1597 किमी.)।
- अरुणाचल प्रदेश का मामला:
  - भारत द्वारा किया जाने वाला दावा LAC से अलग है। यह वह रेखा है जिसे सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी नक्शे पर आधिकारिक रूप में दर्शाया गया था तथा इसमें अक्साई चिन (चीन के कब्ज़े में) भी शामिल है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक 'अभिन्न और अविछिन्न' भाग है।
  - चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा करता है।

चीन का इरादा:

- विश्लेषकों ने गाँव के निर्माण को उस क्षेत्र में चीन के दावे को मज़बूत करने के कदम के रूप में देखा है। चीन द्वारा हाल ही में विवादित सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिक बस्तियों के निर्माण पर ज़ोर दिया गया है। उदाहरण के लिये भूटान से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में भी चीन द्वारा इस प्रकार के निर्माण किये गए हैं।

भारत पर प्रभाव:

- सुरक्षा संबंधी मुद्दे:
  - सीमा के निकट गाँव की स्थापना करना काफी हद तक चीन के लिये सैन्यकर्मियों और सैन्य सामग्री के परिवहन की क्षमता तथा सीमा क्षेत्र में रसद आपूर्ति की सुविधा को बढ़ाएगा।
  - अरुणाचल प्रदेश की सीमा के आस-पास प्रत्यक्ष गतिरोध की स्थिति में चीन लाभप्रद स्थिति में हो सकता है, जैसा कि डोकलाम या हाल ही में लद्दाख में गतिरोध के दौरान देखा गया था।
    - डोकलाम मुद्दा: दरअसल विवादित स्थान डोलाम पठार पर स्थित है, जिसे भारतीय विदेश मंत्रालय और नई दिल्ली स्थित भूटान के दूतावास के बयानों में डोकलाम क्षेत्र कहा गया है।
    - डोलाम पठार और डोकलाम पठार अलग-अलग हैं। डोकलाम पठार को लेकर चीन और भूटान के बीच विवाद है, इसकी भारत के साथ संलग्नता नहीं है।

- डोकलाम पठार, डोलाम पठार के उत्तर-पूर्व में 30 किमी. दूर स्थित है। डोकलाम को चीनी भाषा मंदारिन में डोंगलांग कहा जाता है।
- डोकलाम क्षेत्र कीप (Funnel) के आकार जैसी घाटी के उत्तरी छोर के निकट है, जिसे चुम्बा घाटी कहा जाता है।
- यह घाटी चीन के तिब्बत क्षेत्र में फैली है और वहाँ इसका विस्तार चौड़ाई में 54 किमी. तक है, जबकि मुहाने पर इसकी चौड़ाई केवल 11 किमी. है।
- यह बटांग ला है, जो गंगटोक के पूर्व में स्थित है। कीप जैसी आकार की चुम्बा घाटी का क्षेत्रफल इसके सिरे से आधार तक कुल 70 किमी. है।

भारत द्वारा हाल ही में उठाए गए कदम:

- भारत सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Border Area Development Programme) का 10% धन केवल चीन की सीमा से लगे अपने बुनियादी ढाँचे में सुधार पर खर्च करेगा।
- सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organisation) ने अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरीजो पुल (Daporijo Bridge) का निर्माण सिर्फ 27 दिनों के रिकॉर्ड समय में पूरा किया।
  - यह भारत और चीन के बीच LAC तक जाने वाली सड़कों को जोड़ता है।
- हाल ही में रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग ज़िले में नेचिफु (Nechiphu) में एक सुरंग की नींव रखी।
  - यह सैनिकों को तवांग की तरफ से LAC तक पहुँचने में लगने वाले समय को कम कर देगा, जिसे चीन अपना क्षेत्र बताता है।
- अरुणाचल प्रदेश में BRO पहले से ही 'से ला दर्रा' (Se La Pass) के तहत एक सुरंग का निर्माण कर रहा है जो तवांग को अरुणाचल और गुवाहाटी के बाकी हिस्सों से जोड़ती है।
- अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों से शहरी केंद्रों की ओर जनसंख्या के पलायन (विशेष रूप से चीन सीमा के साथ लगे क्षेत्रों से) को रोकने के लिये केंद्र सरकार से पायलट विकास परियोजनाओं की मांग की है।
- हाल ही में रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के निचली दिबांग घाटी में स्थित सिसेरी नदी पुल (Sisseri River Bridge) का उद्घाटन किया, जो दिबांग घाटी (Dibang Valley) और सियांग (Siang) को जोड़ता है।
- अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी गाँव विजय नगर (चांगलांग ज़िला) में भारतीय वायु सेना ने वर्ष 2019 में एक रनवे का उद्घाटन किया।
- भारतीय सेना ने वर्ष 2019 में अपने पहले एकीकृत युद्ध समूह (Integrated Battle Group) के साथ अरुणाचल प्रदेश और असम में 'हिम विजय' (HimVijay) सैन्य अभ्यास किया।
- भारत के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2018 में असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे सड़क और रेल पुल 'बोगीबील पुल' (Bogibeel Bridge) का उद्घाटन किया था।
  - यह भारत-चीन सीमा के आस-पास के क्षेत्रों में सैनिकों और उपकरणों की त्वरित आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगा।

आगे की राह

- भारत को अपने हितों की रक्षा के लिये सीमा के पास चीन द्वारा किये जाने वाले किसी भी नए विकास से सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा इसे अपने सीमा क्षेत्रों में मज़बूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता है ताकि सैन्यकर्मियों और अन्य सैन्य सामानों को यहाँ आसानी से पहुँचाया जा सके।

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

डॉप्लर वेदर रडार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने दस में से दो स्वदेश निर्मित 'एक्स-बैंड डॉप्लर वेदर रडार्स' (Doppler Weather Radars-DWR) का ऑनलाइन उद्घाटन किया जो हिमालय पर मौसम के बदलावों की बारीकी से निगरानी करेंगे।

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के सहयोग से विकसित एक 'बहु-मिशन मौसम संबंधी डेटा प्रसंस्करण प्रणाली' भी लॉन्च की गई।

प्रमुख बिंदु:

- DWR की डिज़ाइनिंग और विकास का कार्य ISRO द्वारा किया गया है और इसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), बंगलूरू द्वारा किया गया है।

महत्त्व:

- मध्य और पश्चिमी हिमालय को कवर करते हुए ये द्विध्रुवीकृत रडार वायुमंडलीय बदलाव संबंधी डेटा एकत्रित करेंगे और चरम मौसमी घटनाओं के संकेत देंगे।
- उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने, भूस्खलन, भारी बारिश और बर्फबारी का खतरा बना रहता है। मौसम का पूर्वानुमान और चेतावनी सरकारों को समय रहते अग्रिम योजना बनाने और बचाव के उपाय करने में सहायक होगी।

रडार (Radio Detection and Ranging):

- यह एक ऐसा उपकरण है जो स्थान (गति और दिशा), ऊँचाई और तीव्रता, गतिमान एवं गैर-गतिमान वस्तुओं की आवाजाही का पता लगाने के लिये सूक्ष्म तरंगीय क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग करता है।
- डॉप्लर रडार:
  - यह एक विशेष रडार है जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित वस्तुओं के वेग से संबंधित आँकड़ों को एकत्रित करने के लिये डॉप्लर प्रभाव का उपयोग करता है।
- डॉप्लर प्रभाव:
  - जब स्रोत और संकेत एक-दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं तो पर्यवेक्षक द्वारा देखी जाने वाली आवृत्ति में परिवर्तन होता है। यदि वे एक-दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो आवृत्ति बढ़ जाती है और दूर जाते हैं तो आवृत्ति घट जाती है।
- यह एक वांछित लक्ष्य (वस्तु) को माइक्रोवेव सिग्नल के माध्यम से लक्षित करता है और विश्लेषण करता है कि लक्षित वस्तु की गति ने वापस आने वाले सिग्नलों की आवृत्ति को कैसे बदल दिया है।

डॉप्लर वेदर रडार

- डॉप्लर सिद्धांत के आधार पर रडार को एक 'पैराबॉलिक डिश एंटीना' (Parabolic Dish Antenna) और एक फोम सैंडविच स्फेरिकल रेडोम (Foam Sandwich Spherical Radome) का उपयोग कर मौसम पूर्वानुमान एवं निगरानी की सटीकता में सुधार करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- DWR में वर्षा की तीव्रता, वायु प्रवणता और वेग को मापने के उपकरण लगे होते हैं जो चक्रवात के केंद्र और धूल के बवंडर की दिशा के बारे में सूचित करते हैं।

डॉप्लर रडार के प्रकार: डॉप्लर रडार को तरंगदैर्ध्य के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे- एल(L), एस(S), सी(C), एक्स(X), के(K)।

X-बैंड रडार: ये 2.5-4 सेमी. की तरंगदैर्ध्य और 8-12 गीगाहट्र्ज़ की आवृत्ति पर कार्य करते हैं। छोटे तरंगदैर्ध्य के कारण X-बैंड रडार अत्यधिक संवेदनशील होते हैं जो सूक्ष्म कणों का पता लगाने में सक्षम होते हैं।

अनुप्रयोग:

- रडार का उपयोग बादलों की विकास प्रक्रिया (Cloud Development) का अध्ययन करने हेतु किया जाता है क्योंकि रडार जल के छोटे-छोटे कणों तथा हिम वर्षा (हल्के हिमकणों) का पता लगाने में सक्षम होते हैं।
- X-बैंड रडार की तरंगदैर्ध्य काफी छोटी होती है (कम प्रभावी), इसलिये उनका उपयोग लघुकालिक मौसम अवलोकन का अध्ययन करने हेतु किया जाता है।
- रडार के छोटे आकार के कारण यह डॉप्लर ऑन व्हील्स (Doppler on Wheels- DOW) की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सुवाह्य/पोर्टेबल हो सकता है। अधिकांशत: हवाई जहाज़ों में एक्स बैंड रडार का प्रयोग किया जाता है ताकि अशांत और अन्य मौसमी घटनाओं का अवलोकन किया जा सके।
- इस बैंड को कुछ पुलिस स्पीड रडार्स (Police Speed Radars) और कुछ स्पेस रडार्स (Space Radars) से भी साझा किया गया है।

कोविड-19 की त्वरित जाँच के लिये रैपिड ब्लड टेस्ट

- टैग्स: सामान्य अध्ययन-III
- जैव प्रौद्योगिकी

चर्चा में क्यों ?

सेंट लुइस में स्थित वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के 'स्कूल ऑफ मेडिसिन' (School of Medicine) के वैज्ञानिकों ने एक शोध पत्र प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि अपेक्षाकृत सरल और तीव्र गति से होने वाले एक रक्त परीक्षण से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किन COVID-19 रोगियों को गंभीर समस्याओं से ग्रसित होने या मृत्यु का सर्वाधिक खतरा है।

प्रमुख बिंदु

रक्त की जाँच के विषय में:

- यह माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के स्तर को मापता है। यह एक अद्वितीय डीएनए अणु है जो आमतौर पर कोशिकाओं के ऊर्जा केंद्रों के अंदर होता है।
- माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का कोशिकाओं के बाहर और रक्त में प्रवाहित होना इस बात का संकेत है कि शरीर में एक विशेष प्रकार की उग्र कोशिका की मृत्यु हो रही है।

अध्ययन:

- इस अध्ययन में टीम ने कोविड-19 के 97 रोगियों के परीक्षण के लिये अस्पताल में भर्ती होने के दिन उनके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के स्तर को मापा।
- उन्होंने पाया कि आईसीयू में भर्ती या मृत रोगियों में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का स्तर बहुत अधिक था।
    - यह अध्ययन उम्र, लिंग और अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियों से स्वतंत्र रोगियों से संबंधित था।

महत्त्व:

- यह परीक्षण रोग की गंभीरता के साथ-साथ नैदानिक परीक्षणों को बेहतर बनाने के लिये एक उपकरण के रूप में कार्य कर सकता है, जिसके माध्यम से रोगियों की बेहतर पहचान की जा सकती है।

- यह परीक्षण नए उपचारों की प्रभावशीलता को निगरानी करने के नए तरीके के रूप में प्रयोग कर सकता है। संभवत: इसका प्रभावी उपचार माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के स्तर को कम करेगा।
- इसके अलावा इस परीक्षण ने बेहतर परिणामों की भविष्यवाणी की है जो मौजूदा परीक्षणों की तुलना में बेहतर है।
    - कोविड-19 के रोगियों में मापे जाने वाले अधिकांश 'मार्कर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन' जिनकी अभी भी जाँच चल रही है, वे कोशिका मृत्यु के लिये विशिष्ट रूप से उत्तरदायी सूजन के सामान्य निशान हैं।
    - 'इन्फ्लेमेशन' चोट या संक्रमण के लिये शरीर की अंतर्जात प्रतिक्रिया है।
        - 'इन्फ्लेमेशन' के दौरान कुछ प्रोटीन रक्त में प्रवाहित होते हैं; यदि उनकी सांद्रता कम-से-कम 25% बढ़ती या घटती है तो उन्हें प्रणालीगत उत्प्रेरकों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

माइटोकॉन्ड्रियल DNA:

- यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाने वाला छोटा गोलाकार गुणसूत्र है।
    - माइटोकॉन्ड्रिया उन कोशिकाओं में पाए जाने वाले अंग हैं जो ऊर्जा उत्पादन के स्थल हैं। ये 'एडिनोसिन ट्राइ फॉस्फेट' (Adenosine Triphosphate) के रूप में कोशिकीय ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, इसलिये इसे कोशिका का 'पॉवर हाउस' कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होता है।
- यह नाभिक में मौजूद डीएनए (Deoxyribonucleic Acid) से अलग है।
    - माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए छोटा और गोलाकार होता है। इसमें केवल 16,500 या इतने ही बेस पेयर्स (Base Pairs) होते हैं। यह उन विभिन्न प्रोटीनों का कूट-लेखन करता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के लिये विशिष्ट हैं।
    - नाभिकीय जीनोम रैखिक होता है और लगभग 3.3 बिलियन डीएनए बेस पेयर्स (Base Pairs) से मिलकर बना है।
    - माइटोकॉन्ड्रियल जीन आवरण के साथ-साथ क्रोमेटिन से भी युक्त नहीं होता है।
    - नाभिकीय डीएनए के विपरीत माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए माता से विरासत में मिलता है, जबकि नाभिकीय डीएनए माता-पिता दोनों से विरासत में मिलता है।
- यदि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बेस (Mitochondrial DNA Bases) में से कुछ में दोष है तो यह एक उत्परिवर्तन कहलाता है। अगर एक माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी होगी तो मांसपेशियाँ , मस्तिष्क और किडनी जैसे अंग पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न करने में असमर्थ होंगे।

5G प्रौद्योगिकी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunication) ने दूरसंचार कंपनियों और अन्य उद्योग जगत के विशेषज्ञों से अगले 10 वर्षों में 5जी (Fifth Generation) बैंड सहित रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम (Radio Frequency Spectrum) की बिक्री और उपयोग पर जानकारी मांगी है।

प्रमुख बिंदु:

5G प्रौद्योगिकी की विशेषताएँ:

- मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम: 5G नेटवर्क मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम (30-300 गीगाहर्ट्ज़) में काम करेगा। इस नेटवर्क के माध्यम से तीव्र गति से अधिक मात्रा में डेटा भेजा जा सकता है क्योंकि आवृत्ति अधिक होने के कारण यह आसपास के संकेतों से बहुत कम प्रभावित होगा।
- उन्नत LTE: 5G, मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क में नवीनतम दीर्घकालिक अपग्रेड (Long-Term Evolution) है।
- इंटरनेट स्पीड: 5G के हाई-बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट की स्पीड को 20 Gbps (प्रति सेकंड गीगाबिट्स) दर्ज किया गया है, जबकि 4G में इंटरनेट की स्पीड 1 Gbps होती है।
    - 5G नेटवर्क में डाउनलिंक (Downlink) की स्पीड 20 Gb/s और अपलिंक (Uplink) की स्पीड 10 Gb/s होगी।

- 5G में बैंड: 5G मुख्य रूप से 3 बैंड (निम्न, मध्यम और उच्च आवृत्ति स्पेक्ट्रम) में काम करता है, जिसमें सभी के अपने उपयोग के साथ-साथ सीमाएँ भी हैं।
  - कम बैंड का स्पेक्ट्रम: इसमें इंटरनेट की गति और डेटा के आदान-प्रदान की अधिकतम गति 100 Mbps तक होती है।
  - मध्यम बैंड का स्पेक्ट्रम: इसमें कम बैंड के स्पेक्ट्रम की तुलना में इंटरनेट की गति अधिक होती है, फिर भी इसके कवरेज क्षेत्र और सिग्नलों की कुछ सीमाएँ हैं।
  - उच्च बैंड का स्पेक्ट्रम: इसमें अन्य दो बैंडों की तुलना में उच्च गति होती है, लेकिन कवरेज और सिग्नल भेदन की क्षमता बेहद सीमित होती है।

5G प्रौद्योगिकी में बाधाएँ:

- आधारभूत संरचनाएँ: 5G संचार प्रणाली के लिये मौजूदा संरचनाओं में मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। 5G प्रोद्योगिकी से डेटा का ट्रांसफर अधिक दूरी तक नहीं हो सकता है। इसलिये 5G तकनीक हेतु बुनियादी ढाँचे को सक्षम करने की ज़रूरत है।
- उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ: 5G प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिये नया फोन खरीदना पड़ेगा, जिससे उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा।
- पूंजी अपर्याप्तता: दूरसंचार कंपनियों (जैसे भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया) के पास उच्च मूल्य वाले 5G स्पेक्ट्रम को खरीदने के लिये पर्याप्त पूंजी की कमी है।
- 5G अनुप्रयोगों की उपयोगिता: 5G प्रोद्योगिकी क्लाउड, बिग डेटा, एज कंप्यूटिंग आदि के माध्यम से चौथी औद्योगिक क्रांति का एक महत्त्वपूर्ण प्रवर्तक हो सकता है।
  - भारत के लिये: 5G नेटवर्क मोबाइल बैंकिंग और हेल्थ केयर जैसी सेवाओं की पहुँच में सुधार कर सकता है और रोज़गार के नए अवसर सृजित कर सकता है।

5G को सक्षम करने हेतु नीति:

- राष्ट्रीय संचार नीति-2018: इस नीति का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था और समाज में बदलना है। यह कार्य सर्वव्यापी, लचीला और किफायती डिजिटल संचार अवसंरचना तथा सेवाओं की स्थापना कर नागरिकों एवं उद्यमों की सूचना और संचार आवश्यकताओं को पूरा कर किया जाएगा।
- उपभोक्ता केंद्रित और एप्लीकेशन प्रेरित राष्ट्रीय संचार नीति- 2018 हमें 5G, IOT, M2M जैसी अग्रणी टेक्नोलॉजी लॉन्च होने के बाद नए विचारों तथा नवाचार की ओर ले जाएगी।

5G पर वैश्विक प्रगति:

- वैश्विक दूरसंचार कंपनियों द्वारा पहले ही 5G नेटवर्क का निर्माण शुरू किया जा चुका है और अब इसे कई देशों में ग्राहकों के लिये उपलब्ध कराया जा रहा है:
  - संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपने 50 शहरों में 5G की शुरुआत की गई है।
  - दक्षिण कोरिया द्वारा इसे 85 शहरों में शुरू किया गया है।
  - जापान और चीन ने भी 5G मोबाइल सेवा का परीक्षण शुरू कर दिया है।

ओपन-रैन आर्किटेक्चर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India- TRAI) के अध्यक्ष ने कहा कि ओपन-रैन (रेडियो एक्सेस नेटवर्क- RAN) और सॉफ्टवेयर दूरसंचार नेटवर्क के उपयोग से भारतीय संस्थाओं को नेटवर्क उपकरण बाज़ार में प्रवेश करने के नए अवसर मिलेंगे।

प्रमुख बिंदु:

ओपन-रैन के संबंध में:

- ओपन-रैन (O-RAN) कोई तकनीक नहीं है बल्कि मोबाइल नेटवर्क आर्किटेक्चर में एक निरंतर बदलाव है जो विभिन्न प्रकार के वेंडर्स के माध्यम से उप-केंद्रों का उपयोग कर नेटवर्क स्थापित करने की अनुमति देता है।
  - O-RAN में एक ओपन, मल्टी-वेंडर आर्किटेक्चर है, जो मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने के लिये एकल-विक्रेता स्वामित्व आर्किटेक्चर के विपरीत है।
  - O-RAN विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्मित हार्डवेयर को एक साथ संचालित करने के लिये सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है।
- O-RAN की मुख्य अवधारणा RAN में विभिन्न उपकेंद्रों (रेडियो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर) के मध्य प्रोटोकॉल और इंटरफेस को "खोलना" है।
- रेडियो एक्सेस नेटवर्क (RAN):
  - यह दूरसंचार प्रणाली का एक हिस्सा है जो रेडियो कनेक्शन के माध्यम से एक नेटवर्क के अन्य भागों में विशिष्ठ उपकरणों को जोड़ता है।
  - RAN, जो कि विभिन्न उपकरणों जैसे- मोबाइल फोन, कंप्यूटर या किसी भी रिमोट आधारित मशीनों में होता है, मुख्य नेटवर्क के साथ कनेक्शन प्रदान करता है।

RAN के तत्त्व:

- रेडियो यूनिट (RU)- यह वह स्थान है जहाँ रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल प्रसारित, प्राप्त, प्रवर्धित और डिजिटाइज़ किये जाते हैं। RU को एंटीना में एकीकृत किया जाता है या उसके पास स्थापित किया जाता है।
- डिस्ट्रिब्यूटेड यूनिट (DU)- यह वह स्थान है जहाँ रियल टाइम, बेसबैंड प्रोसेसिंग होती है। DU को सेल साइट के पास केंद्रीकृत या स्थित किया जा सकता है।
- केंद्रीकृत यूनिट (CU)- यह वह स्थान है जहाँ आमतौर पर लेस टाइम सेंसिटिव पैकेट प्रोसेसिंग का कार्य होता हैं।

Open RAN की कार्यप्रणाली:

- यह RU, DU और CU के बीच का इंटरफ़ेस है जो ओपन RAN का मुख्य केंद्रबिंदु है।
- इन इंटरफेस (अन्य नेटवर्क के बीच) को खोलने, मानकीकृत करने तथा कार्यान्वयन के लिये प्रोत्साहित किये जाने से नेटवर्क को एक एकल वेंडर पर निर्भर हुए बिना अधिक मॉड्यूलर डिज़ाइन के साथ स्थापित किया जा सकता है।
- इन परिवर्तनों से DU और CU को वेंडर-न्यूट्रल हार्डवेयर पर वर्चुअलाईज़्ड सॉफ्टवेयर फंक्शंस के रूप में संचालित करने की अनुमति मिल सकती है।

पारंपरिक RAN:

- एक पारंपरिक RAN सिस्टम में रेडियो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मुख्य स्थान होता है।
  - इसका अर्थ है कि इसमें प्रयुक्त होने वाले सभी उपकरण एक ही आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान किये जाएंगे और संबंधित ऑपरेटर ऐसा करने में असमर्थ होते हैं, उदाहरण के लिये एक वेंडर के हार्डवेयर और दूसरे वेंडर के सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रेडियो के माध्यम से एक नेटवर्क को स्थापित करना।
- समस्याएँ:
  - विभिन्न प्रदाताओं के सेल साइटों को आपस में मिलाना और उनका मिलान करना आमतौर पर प्रदर्शन में कमी का कारण बनता है।
  - इसका परिणाम यह है कि अधिकांश नेटवर्क ऑपरेटर, कई RAN विक्रेताओं का समर्थन करते हुए एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में एकल विक्रेता का उपयोग कर नेटवर्क स्थापित करेंगे जो नए इनोवेटर्स के प्रवेश के लिये उच्च अवरोधों के साथ विक्रेता लॉक-इन स्थिति का निर्माण कर सकते हैं।

ओपन-रैन का लाभ:

- नवोन्मेष और विकल्प:
  - एक खुला वातावरण पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करता है और जब मूलभूत ज़रूरतों को अधिक विक्रेताओं द्वारा पूरा किया जाएगा तो नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और ऑपरेटरों के लिये अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे।
- नए अवसर:
  - यह भारतीय संस्थाओं के लिये नेटवर्क उपकरण बाज़ार में प्रवेश करने के नए अवसर खोलेगा।
- लागत की बचत:
  - इस दृष्टिकोण के लाभों में नेटवर्क की दक्षता और लचीलेपन में वृद्धि तथा लागत बचत शामिल है।
  - इसके माध्यम से 5G के अधिक लचीला और लागत कुशल होने का अनुमान है।

वैकल्पिक कैंसर-रोधी चिकित्सा

चर्चा में क्यों ?

डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (Department of Science & Technology- DST) से जुड़ी 'इंस्पायर' (Innovation in Science Pursuit for Inspired Research- INSPIRE) फैकल्टी द्वारा ट्रांसजेनिक ज़ेब्राफिश (Transgenic Zebrafish) का उपयोग कर एक वैकल्पिक कैंसर-रोधी चिकित्सा (एंटी-एंजियोजेनिक) पर कार्य किया जा रहा है।

- INSPIRE एक अभिनव/प्रगतिशील कार्यक्रम है जिसे विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभाओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से DST द्वारा प्रायोजित और प्रबंधित किया जाता है। इसे वर्ष 2008 में शुरू किया गया।
- NSPIRE का उद्देश्य देश के युवाओं को विज्ञान की रचनात्मक खोज के लिये प्रोत्साहित करना, कम उम्र की प्रतिभा को विज्ञान के अध्ययन हेतु आकर्षित करना तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रणाली को मज़बूत एवं विस्तारित करने के उद्देश्य से आवश्यक महत्त्वपूर्ण मानव संसाधन पूल का निर्माण कर अनुसंधान एवं विकास तंत्र के आधार का विस्तार करना है।

प्रमुख बिंदु:

एंजियोजेनेसिस:

- यह एक शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें पहले से मौजूद वाहिकाओं (Vessels) में नई रक्त वाहिकाओं का निर्माण होता है ।
- कैंसर (Cancer) की वृद्धि में एंजियोजेनेसिस की अहम भूमिका होती है क्योंकि ट्यूमर (Tumors) को आकार में बड़ा होने के लिये रक्त आपूर्ति की ज़रूरत होती है। ट्यूमर रासायनिक संकेतों (Chemical Signals) को बंद करके उन रक्त कोशिकाओं के विकास को गति प्रदान करता है जो एंजियोजेनेसिस को उत्तेजित करती हैं।
- कीमोथेरेपी (Chemotherapy) के बाद ट्यूमर एंजियोजेनेसिस (Tumor Angiogenesis) को रोकने में कैंसर-रोधी चिकित्सा एक लोकप्रिय रणनीति बन गई है।
  - एंजियोजेनेसिस अवरोधक (Angiogenesis Inhibitors) कैंसर के विरुद्ध प्रयोग होने वाले अद्वितीय एजेंट हैं क्योंकि ये स्वयं ट्यूमर कोशिकाओं के विकास को रोकने के बजाय उन रक्त वाहिकाओं के विकास को ही अवरुद्ध करने का कार्य करते हैं जो ट्यूमर कोशिकाओं को विकसित करती हैं।
- एंटी-एंजियोजेनिक दवाओं की सीमा:
  - हालाँकि नैदानिक रूप से स्वीकृत एंटी-एंजियोजेनिक दवाएँ (Anti-Angiogenic Drugs) अणुओं के प्रवाह का समावेश करने वाले विभिन्न प्रतिपूरक प्रक्रियाओं, जो कि ट्यूमर एंजियोजेनेसिस को सहायता प्रदान करती हैं, के समानांतर सक्रिय होने के कारण प्रभावहीन साबित होती हैं।

वैकल्पिक कैंसर-रोधी चिकित्सा:

- वैज्ञानिक एक वैकल्पिक एंटी-कैंसर चिकित्सा की खोज कर रहे हैं, जिसमें नई रक्त वाहिकाएँ जो कि शरीर के ऊतकों के लिये ऑक्सीजन और पोषक तत्त्वों की आपूर्ति सुनिश्चित करती हैं, मी ट्यूमर के कारण उत्पन्न होने वाली गाँठ को लक्षित किया जाना शामिल है।
- INSPIRE फैकल्टी कैंसर चिकित्सा के प्रमुख लक्ष्य के रूप में एंजियोजेनेसिस का संकेत देने वाले प्रतिपूरक तंत्र संकेतकों (Compensatory Mechanisms Signaling) की भूमिका के बारे में खोज कर रही है।
- INSPIRE फैकल्टी द्वारा इस बात का भी पता लगाया गया है कि ट्यूमर माइक्रोएन्वायरनमेंट (Microenvironment) के तहत नाइट्रिक ऑक्साइड (Nitric Oxide- NO) एंजियोजेनेसिस को बंद करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है और मेलाटोनिन हार्मोन (Melatonin Hormone) ट्यूमर एंजियोजेनेसिस (Tumor Angiogenesis) को दबा/रोक देता है।
- प्रतिपूरक प्रक्रियाएँ प्रभावी कैंसर-रोधी उपचार के विकास में एक संभावित चिकित्सीय लक्ष्य हो सकती हैं।

ट्रांसजेनिक ज़ेब्राफिश प्लेटफॉर्म (TZP):

- INSPIRE फैकल्टी ट्यूमर माइक्रोएन्वायरनमेंट में प्रतिपूरक एंजियोजेनेसिस प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के उद्देश्य से सीआरआईएसपीआर/सीएएस 9 जीन-एडिटिंग टूल का उपयोग कर ट्रांसजेनिक ज़ेब्राफिश (जिनके जीनोम में एक्सोजेनस जीन को जोड़ा गया है) को विकसित करने के लिये कार्य कर रही है।
- ज़ेब्राफिश मॉडल का उपयोग करने का कारण:
  - ट्रांसजेनिक ज़ेब्राफिश मॉडल को इसके तीव्र विकास, पारदर्शी होने, वंशजों में इसकी उच्च वृद्धि एवं फॉरवर्ड एंड रिवर्स जीन मैनीपुलेशन के लिये एक आसान तकनीक होने के कारण इंट्यूससेप्टिव एंजियोजेनेसिस अध्ययन के लिये चुना गया है।

कैंसर

कैंसर के बारे में:

- यह बीमारियों का एक बड़ा समूह है जिसकी शुरुआत शरीर के किसी भी अंग या ऊतक में हो सकती है। इसमें असामान्य कोशिकाएँ अनियंत्रित रूप से बढ़कर शरीर के आस-पास के हिस्सों पर आक्रमण करने और/या शरीर के अन्य अंगों में विस्तार के लिये अपनी सामान्य सीमा से परे वृद्धि करती हैं। इसी प्रक्रिया को बाद में मेटास्टेसिंग कहा जाता है जो कैंसर से मृत्यु का एक प्रमुख कारण है।
- नियोप्लाज़्मा (Neoplasm) और मैलिग्नैंट ट्यूमर (Malignant Tumor) कैंसर के अन्य सामान्य नाम हैं।
- फेफड़े, प्रोस्टेट, कोलोरेक्टल, पेट और यकृत कैंसर पुरुषों में, जबकि स्तन, कोलोरेक्टल, फेफड़े, ग्रीवा और थायरॉयड कैंसर महिलाओं में पाए जाने वाले कैंसर के सबसे आम प्रकार हैं।

कैंसर का भार:

- भारत एवं विश्व में कैंसर पुराने और गैर-संचारी रोगों (Non-Communicable Diseases- NCD) सहित वयस्कों में बीमारियों और मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation- WHO) के अनुसार, वैश्विक स्तर पर मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण कैंसर है तथा वर्ष 2018 में विश्व स्तर पर कैंसर से मृत्यु के लगभग 18 मिलियन मामले देखे गए जिनमें अकेले भारत में 1.5 मिलियन मामले शामिल थे।

रोकथाम और निवारण

- कैंसर के प्रमुख कारकों को नियंत्रित कर 30-50 प्रतिशत मौतों को रोका जा सकता है। प्रमुख कैंसर जोखिम कारकों में तंबाकू का उपयोग, शराब का उपयोग, आहार, पराबैंगनी विकिरण के संपर्क और प्रदूषण आदि शामिल हैं।

उपचार:

- कैंसर के लिये उपलब्ध उपचार में सर्जरी, कैंसर की दवाएँ और/या रेडियोथेरेपी आदि शामिल हैं।
- उपशामक देखभाल (Palliative Care) जो रोगियों एवं उनके परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने पर केंद्रित है, कैंसर देखभाल का एक अनिवार्य घटक है।

अल्ट्रावायलेट-चमकीले तारे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में खगोलविदों ने मिल्की वे गैलेक्सी (आकाशगंगा) में बड़े पैमाने पर जटिल गोलाकार क्लस्टर (NGC 2808) के अन्वेषण के दौरान उसमें अल्ट्रा वायलेट (Ultra Violet- UV) चमकीले तारों को देखा।

- खगोलविदों द्वारा इस कार्य को भारत के पहले मल्टी-वेवलेंथ स्पेस सैटेलाइट (Multi-Wavelength Space Satellite) एस्ट्रोसैट (AstroSat) की सहायता से किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

डेटा:

- वैज्ञानिकों ने अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप (एस्ट्रोसैट पटल से) के डेटा को अन्य अंतरिक्ष मिशनों जैसे-हबल स्पेस टेलीस्कोप (Hubble Space Telescope) और गैया टेलीस्कोप (Gaia Telescope) के साथ-साथ ज़मीन आधारित ऑप्टिकल पर्यवेक्षण से प्राप्त डेटा के साथ मिलाकर प्राप्त किया है।
  - हबल स्पेस टेलीस्कोप: HST या हबल एक स्पेस टेलीस्कोप है जिसे वर्ष 1990 में पृथ्वी की निचली कक्षा (Low Earth Orbit) में स्थापित किया गया था जो अभी भी कार्यरत है। यह अब तक की सबसे बड़ी अंतरिक्ष दूरबीनों में से एक है तथा बहुमुखी उद्देश्यों के लिये प्रयोग की जाती है ।
  - गैया यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की एक अंतरिक्ष वेधशाला है, जिसे वर्ष 2013 में स्थापित किया गया था तथा वर्ष 2022 तक इसके संचालित होने की उम्मीद है। इस अंतरिक्ष वेधशाला को अभूतपूर्व सटीकता के साथ सितारों की स्थिति, दूरी और गति को मापने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है।

खोज से प्राप्त परिणाम:

- लगभग 34 अल्ट्रावायलेट- चमकीले तारों का गोलाकार क्लस्टर पाया गया है। अल्ट्रावायलेट- चमकीले तारों में से एक सूर्य से लगभग 3000 गुना अधिक चमकीला है जिसकी सतह का तापमान लगभग 100,000 केल्विन है।
- गर्म अल्ट्रावायलेट- चमकीले तारों को वैज्ञानिकों ने अपेक्षाकृत शीतल लाल विशाल (Relatively Cooler Red Giant) और मुख्य-अनुक्रम वाले तारों (Main-Sequence Stars) के रूप में अलग किया।
- अधिकतर तारे जिन्हें क्षैतिज शाखा तारे (horizontal Branch Stars) कहा जाता है तथा जिन पर शायद ही कोई बाहरी आवरण/परत होती है, सौरमंडल में विकसित अवस्था में पाए गए। इस प्रकार वे अपने जीवन के अंतिम प्रमुख चरण, जिसे अनंतस्पर्शी विशाल चरण (Asymptotic Giant Phase) कहा जाता है, को छोड़ देने के लिये बाध्य होते हैं जो सीधे सफेद वामन (white dwarfs) में परिवर्तित हो जाते हैं।
  - क्षैतिज शाखा (HB) तारे के विकास का एक चरण है जो शीघ्र ही तारे की लाल वामन शाखा (Red Giant Branch) में परिवर्तित हो जाती है।

महत्त्व:

- तारों के गुण: प्राप्त निष्कर्षों से इन तारों के गुणधर्मों जैसे-उनकी सतह का तापमान, प्रकाश और किरणों के निर्धारण में मदद मिलेगी।
- तारकीय विकास में सहायक: वर्तमान में उत्कृष्ट प्रयोगशालाएँ विद्यमान हैं जहाँ खगोलविद् इस बात को समझ सकते हैं कि किस प्रकार तारों में उनके जन्म और मृत्यु के मध्य विभिन्न चरणों विकसित होते हैं।
  - तारे की मृत्यु: अभी तक यह बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि तारों का जीवन चक्र किस प्रकार समाप्त होता है क्योंकि उनमें से कई का पता इनके तेज़ी से विकसित होने वाले चरणों में नहीं लग पता है। अत: तारे की मृत्यु के कारणों का पता लगाने की दिशा में यह अध्ययन महत्त्वपूर्ण हो जाता है।
- अल्ट्रा वायलेट विकिरण: अल्ट्रा वायलेट विकिरण को चमकीले सितारों की पुरानी तारकीय प्रणालियों से प्राप्त होने वाले पराबैंगनी विकिरण का कारण माना जा सकता है।

नोट :

NGC 2808 के बारे में:

- NGC 2808 तारा समूह कैरिना (constellation Carina) एक गोलाकार क्लस्टर है जो आकाशगंगा में स्थित है तथा हमारी आकाशगंगा के सबसे विशाल तारा समूहों में से एक है। इसमें लाखों सितारे विद्यमान हैं।
- इस क्लस्टर में तारे की कम-से-कम पाँच पीढ़िया विद्यमान हैं।

तारकीय विकास:

- निहारिका/नेबुला:
  - नेबुला अंतरिक्ष में धूल और गैस (ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम) का एक बादल है ।
  - नेबुला सितारों की जन्मस्थली है।
- मुख्य-अनुक्रम वाले तारे:
  - मुख्य अनुक्रम वाले तारे (Main Sequence Stars) वे हैं जिनका निर्माण धूल और गैस के परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण केंद्र में हाइड्रोजन परमाणुओं के हीलियम परमाणु के साथ संलयन के कारण होता है।
  - ब्रह्मांड के अधिकांश अर्थात् लगभग 90% तारे मुख्य अनुक्रम तारे हैं। सूर्य भी एक मुख्य अनुक्रम तारा है।
  - अपने विकास क्रम की अंतिम अवस्था में सूर्य के समान एक विशाल तारा रक्त दानव (Red Giant) में परिवर्तित हो जाता है तथा नेबुला अपनी बाहरी परतों की नाभिकीय ऊर्जा को खोकर अंत में यह एक श्वेत वामन (White Dwarf) में बदल जाता है।
- लाल वामन :
  - कमज़ोर/क्षीण (जिनकी चमक सूर्य की चमक से 1/1000 कम होती है) मुख्य अनुक्रम तारों को लाल वामन कहा जाता है।
- प्रॉक्सिमा सेंचुरी (Proxima Centauri) जो कि सूर्य का सबसे निकटतम तारा है, एक लाल वामन है।

रक्त दानव:

- रक्त दानव का व्यास सूर्य की तुलना में 10 से 100 गुना अधिक होता है।
- ये अत्यधिक चमकीले होते हैं, हालाँकि उनकी सतह का तापमान सूर्य की तुलना में कम होता है।
- रक्त दानव का विकास तारकीय विकास क्रम के अंत में होता है जिसमें तारे के केंद्र में हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है।
- एक विशाल आकार वाले रक्त दानव को सामान्यत: रेड महावामन (Red Supergiant) कहा जाता है।

निहारिका:

- निहारिका (Nebula) गैस और धूल की एक बाह्य परत होती हैजो एक तारे को रक्त दानव (Red Giant) से श्वेत वामन (White Dwarf) में परिवर्तित करने पर लुप्त हो जाती है।

श्वेत वामन :

- श्वेत वामन (White Dwarf) तारे के विकास क्रम का अंतिम चरण होता है जो बहुत छोटा और गर्म होता है।
- श्वेत वामन सामान्य तारों के अवशेष हैं, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में पूरी तरह से समाप्त हो जाती है।
- श्वेत वामन गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण बहुत उच्च घनत्व का विकृत (Degenerate) पदार्थ उत्सर्जित करता है ।

नोवा:

- नोवा (Nova) श्वेत वामन तारे की सतह पर हाइड्रोजन एकत्रित होने के बाद उसमें होने वाला एक तीव्र विस्फोट है।
- इस विस्फोट में अनियंत्रित गति से नाभिकीय संलयन (Nuclear Fusion) की प्रक्रिया होती है जिस कारण तारे की चमक में अस्थायी रूप से वृद्धि होती है।
- सुपरनोवा के विपरीत तारा विस्फोट के बाद अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौट आता है।

नोट :

सुपरनोवा:

- सामान्य शब्दों में सुपरनोवा (Supernova) का अर्थ अंतरिक्ष में किसी भयंकर और चमकीले विस्फोट से है। खगोलविदों के अनुसार, जब एक सितारा अपने जीवन काल के अंतिम चरण में होता है तो वह एक भयंकर विस्फोट के साथ समाप्त हो जाता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं।

  न्यूट्रॉन तारे (Neutron Star), सुपरनोवा घटना के बाद एक तारे के मृत अवशेष होते हैं जो लगभग पूरी तरह से न्यूट्रॉन से बने होते हैं।

एस्ट्रोसैट

- एस्ट्रोसैट (AstroSat) भारत की बहु-तरंगदैर्ध्य दूरबीन (India's Multi-Wavelength Space Telescope) है।
- लॉन्च: इसे ISRO द्वारा वर्ष 2015 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (श्रीहरिकोटा) से PSLV द्वारा लॉन्च किया गया था।
- यह भारत का पहला समर्पित खगोल विज्ञान मिशन है। इस मिशन के वैज्ञानिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल युक्त द्वि-आधारी स्टार सिस्टम में उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं को समझना।
  - न्यूट्रॉन तारे का चुंबकीय क्षेत्र का अनुमान लगाना।
  - हमारी आकाशगंगा के बाहर स्थित तारों के उद्भव क्षेत्रों और तारा प्रणाली में उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं का अध्ययन करना।
  - आकाश में नए अल्पावधि उज्ज्वल एक्स-रे स्रोतों का पता लगाना।
  - पराबैंगनी क्षेत्र में ब्रह्मांड के सीमित क्षेत्र का सर्वेक्षण करना।
- एस्ट्रोसैट मिशन की अनूठी विशेषताओं में से एक यह भी है कि यह उपग्रह विभिन्न खगोलीय वस्तुओं का एक ही समय में बहु-तरंगदैर्ध्य (Multi-Wavelength) अवलोकन करने में सक्षम है।
- ASTROSAT के लिये ग्राउंड कमांड और कंट्रोल सेंटर बंगलूरू में स्थित इसरो दूरमिति अनुवर्तन तथा आदेश नेटवर्क (ISTRAC) में स्थित है।
- इसने भारत को उन देशों की श्रेणी में ला दिया है जिनके पास मल्टी वेवलेंथ स्पेस वेधशालाएँ हैं।
- एस्ट्रोसैट मिशन का न्यूनतम जीवनकाल 5 वर्ष होने की उम्मीद थी।

नोट :

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

यमुना में प्रदूषण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने अनुपचारित सीवेज के कारण जल निकायों के प्रदूषित होने के मामले में संज्ञान लिया है।

- सर्वोच्च न्यायालय हरियाणा द्वारा किये जा रहे यमुना जल प्रदूषण को रोकने के लिये दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दायर एक तत्काल याचिका पर सुनवाई कर रहा था ताकि प्रदूषक तत्त्वों को यमुना नदी में बहाने से रोका जा सके।

प्रमुख बिंदु:

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2017 में 'पर्यावरण सुरक्षा समिति बनाम भारत संघ' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि 'कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स' की स्थापना और/या संचालन के लिये फंड एकत्रित करने हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 31 मार्च, 2017 से पहले मानदंडों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया था कि इन संयंत्रों को स्थापित करने में राज्य सरकार ऐसे शहरों, कस्बों और गाँवों को प्राथमिकता देगी जो औद्योगिक प्रदूषकों और सीवर को सीधे नदियों और जल निकायों में प्रवाहित करते हैं।

संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- संविधान का अनुच्छेद 243W, 12वीं अनुसूची के खंड 6 में सूचीबद्ध मामलों के संबंध में नगरपालिकाओं और स्थानीय अधिकारियों को उनके कार्यों के प्रदर्शन को विभिन्न योजनाओं के उस कार्यान्वयन के साथ निहित करता है, जो उन्हें सौंपा जा सकता है।
  - 12वीं अनुसूची के खंड 6 में "सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन" नामक विषय शामिल है।
- अनुच्छेद-21:
  - पर्यावरण को स्वच्छ रखने का अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल को जीवन के अधिकार के व्यापक परिदृश्य के तहत संरक्षित किया गया है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को दिये गए निर्देश:

- सर्वोच्च न्यायालय ने CPCB को यमुना नदी के किनारे स्थित ऐसी नगरपालिकाओं की पहचान करने वाली एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिन्होंने सीवेज के लिये उचित संख्या में उपचार संयंत्र स्थापित नहीं किये हैं या यह सुनिश्चित करने में अयोग्य है कि सीवेज को नदी में प्रवाहित नहीं किया जाए।

यमुना में प्रदूषण

यमुना में प्रदूषण का कारण:

- औद्योगिक प्रदूषण
  - यमुना नदी हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करती है। हरियाणा के सोनीपत (यमुना के किनारे) में कई औद्योगिक इकाइयाँ हैं। यहाँ अमोनिया का उपयोग उर्वरकों, प्लास्टिक और रंजक के उत्पादन में एक औद्योगिक रसायन के रूप में किया जाता है।
- जल निकास मार्गों का आपस में मिलना:
  - पीने के पानी और सीवेज या औद्योगिक कचरे को प्रवाहित करने वाले निकास मार्गों के आपस में मिल जाने से प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है।

जल में बढ़ती अमोनिया की मात्रा का प्रभाव;

- अमोनिया जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है क्योंकि यह नाइट्रोजन के ऑक्सीकृत रूपों में बदल जाती है। इसलिये यह 'बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड' (Biochemical Oxygen Demand) भी बढ़ाती है।
  - जैविक अपशिष्ट द्वारा जल प्रदूषण को BOD के संदर्भ में मापा जाता है।
- यदि पानी में अमोनिया की सांद्रता 1 PPM से ऊपर है, तो यह मछलियों के लिये विषाक्त होता है।
- मनुष्यों द्वारा 1 PPM या उससे अधिक के अमोनिया स्तर वाले जल के दीर्घकालिक अंतर्ग्रहण के कारण उनके आंतरिक अंगों को नुकसान हो सकता है।

यमुना:

- यह गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में निम्न हिमालय के मसूरी रेंज में बंदरपूँछ चोटी के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है।
- यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में बहती हुई उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (संगम) में गंगा नदी में मिल जाती है।
- लंबाई: युमना नदी की कुल लंबाई 1376 किमी. है।
- महत्त्वपूर्ण बाँध: लखवार-व्यासी बाँध (उत्तराखंड), ताजेवाला बैराज बाँध (हरियाणा) आदि।
- सहायक नदियाँ: युमना नदी की महत्त्वपूर्ण सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा और केन हैं।

अडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020: UNEP

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा जारी 'अडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020' के अनुमान के मुताबिक, विकासशील देशों के लिये जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूलन की वार्षिक लागत वर्ष 2050 तक लगभग चौगुनी हो जाएगी।

- मौजूदा अनुमान के अनुसार, विकासशील देशों के लिये जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूलन की वर्तमान लागत 70 बिलियन डॉलर (5.1 लाख करोड़ रुपए) है, जो कि वर्ष 2030 तक 140-300 बिलियन डॉलर और वर्ष 2050 तक 280-500 बिलियन डॉलर हो जाएगी।

प्रमुख बिंदु

अनुकूलन लागत

- अनुकूलन लागत में अनुकूलन उपायों की योजना बनाने, उसकी तैयारी, सुविधा प्रदान करने और उन्हें लागू करने की लागतों को शामिल किया जाता है।
- अनुकूलन लागत में बढ़ोतरी के कारण यह अनुकूलन वित्त से भी अधिक है, जिसके कारण एक अनुकूलन वित्त अंतराल पैदा हो गया है।
  - अनुकूलन वित्त: जलवायु परिवर्तन के कारण विकासशील देशों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिये यह धन के प्रवाह अथवा वित्तपोषण को संदर्भित करता है।
  - अनुकूलन वित्त अंतराल: यह अनुकूलन लागत और अनुकूलन वित्त के बीच का अंतर होता है।
- वस्तुत: विकसित देशों में अनुकूलन लागत अधिक होती है, किंतु विकासशील देशों के सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में उन्हें अनुकूलन का बोझ अधिक उठाना पड़ता है।
- अफ्रीका और एशिया के विकासशील देश, जो अकेले जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में सक्षम नहीं हैं, अनुकूलन लागत से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।

वैश्विक चुनौतियाँ

- तापमान में बढ़ोतरी: वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि पेरिस समझौते के तहत सभी देश कार्बन कटौती संबंधी वर्तमान प्रतिबद्धताओं का पालन करें तो भी सदी के अंत तक पृथ्वी का तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर की तुलना में 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। यदि हम वैश्विक तापमान में हो रही बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस तक भी सीमित कर पाते हैं तो विश्व के गरीब देशों को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

- महामारी: मौजूदा कोरोना वायरस महामारी ने अनुकूलन प्रयासों को प्रभावित किया और इसके प्रभावों को अभी तक मापा नहीं जा सका है।
- अन्य चुनौतियाँ: वर्ष 2020 में हमें केवल महामारी ही नहीं बल्कि बाढ़, सूखा, तूफान और वनाग्नि जैसी विनाशकारी आपदाएँ भी देखने को मिली हैं, जिन्होंने विश्व भर में लगभग 50 मिलियन लोगों को प्रभावित किया।

जलवायु परिवर्तन के लिये वैश्विक अनुकूलन: विश्व के लगभग तीन-चौथाई देशों ने कम-से-कम एक जलवायु परिवर्तन अनुकूलन उपकरण को अपनाया है और अधिकांश विकासशील देश राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं को अपनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिये भारत की पहलें

- भारत ने 1 अप्रैल, 2020 को भारत स्टेज- IV (BS-IV) उत्सर्जन मानदंडों के स्थान पर भारत स्टेज-VI (BS-VI) को अपना लिया है, ज्ञात हो कि पहले इन मापदंडों को वर्ष 2024 तक अपनाया जाना था।
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)
  - इसे जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया था।
  - यह 2024 तक PM10 और PM2.5 की सांद्रता में 20-30 प्रतिशत की कमी करने हेतु अस्थायी लक्ष्य वाली एक पंचवर्षीय कार्ययोजना है, जिसमें वर्ष 2017 को आधार वर्ष के तौर पर चुना गया है।
- उजाला (UJALA) योजना के तहत 360 मिलियन से अधिक LED बल्ब वितरित किये गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष लगभग 47 बिलियन यूनिट विद्युत की बचत हुई और प्रतिवर्ष 38 मिलियन टन CO_2 की कमी हुई है।
- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन
  - वर्ष 2009 में शुरू किये गए इस मिशन के तहत वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा के उत्पादन का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
  - इस मिशन का उद्देश्य भारत के ऊर्जा उत्पादन में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाना है।
- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPCC)
  - जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना का शुभारंभ वर्ष 2008 में किया गया था।
  - इसका उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे और इससे मुकाबला करने के उपायों के बारे में जागरूक करना है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)

- 05 जून, 1972 को स्थापित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), एक प्रमुख वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है।
- कार्य: इसका प्राथमिक कार्य वैश्विक पर्यावरण एजेंडा को निर्धारित करना, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत् विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिये एक आधिकारिक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना है।
- प्रमुख रिपोर्ट्स: उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, इंवेस्ट इनटू हेल्थी प्लेनेट रिपोर्ट।
- प्रमुख अभियान: 'बीट पॉल्यूशन', 'UN75', विश्व पर्यावरण दिवस, वाइल्ड फॉर लाइफ।
- मुख्यालय: नैरोबी (केन्या)

कार्बन पृथक्करण

चर्चा में क्यों?

कार्बन पृथक्करण/सीक्वेस्ट्रेशन (Carbon Sequestration) के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को विकसित करने और जलवायु परिवर्तन के संकट के समाधान के लिये निवेश बढ़ाया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु:

आवश्यकता:

- ग्लोबल वार्मिंग की दर में वृद्धि और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से यह विचार कार्बन पृथक्करण की कृत्रिम तकनीकों में निवेश करने में मदद कर रहा है।

नोट :

- जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (Intergovernmental Panel on Climate Change) के अनुसार, इस सदी में जलवायु परिवर्तन के तीव्र नकारात्मक प्रभावों को रोकने हेतु राष्ट्रों को वायुमंडल से 100 बिलियन से 1 ट्रिलियन टन के मध्य कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से बाहर निकालने की आवश्यकता होगी और इसे अधिक -सेअधिक पेड़ लगाकर अवशोषित किया जा सकता है।

कार्बन पृथक्करण:

- कार्बन पृथक्करण के तहत पौधों, मिट्टी, भूगर्भिक संरचनाओं और महासागर में कार्बन का दीर्घकालिक भंडारण होता है।
- कार्बन पृथक्करण स्वाभाविक रूप से एंथ्रोपोजेनिक गतिविधियों और कार्बन के भंडारण को संदर्भित करता है।

प्रकार:

- स्थलीय कार्बन पृथक्करण:
  - स्थलीय कार्बन पृथक्करण (Terrestrial Carbon Sequestration) वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वायुमंडल से CO_2 को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पेड़-पौधों से अवशोषित कर मिट्टी और बायोमास (पेड़ की शाखाओं, पर्ण और जड़ों) में कार्बन के रूप में संग्रहीत किया जाता है।
- भूगर्भीय कार्बन पृथक्करण:
  - इसमें CO_2 का भंडारण किया जा सकता है, जिसमें तेल भंडार, गैस के कुओं, बिना खनन किये गए कोल भंडार, नमक निर्माण और उच्च कार्बनिक सामग्री के साथ मिश्रित संरचनाएँ शामिल होती हैं।
- महासागरीय कार्बन पृथक्करण:
  - महासागरीय कार्बन पृथक्करण द्वारा वातावरण से CO_2 को बड़ी मात्रा में अवशोषित, मुक्त और संग्रहीत किया जाता है। इसके दो प्रकार हैं- पहला, लौह उर्वरीकरण (Iron Fertilization) के माध्यम से महासागरीय जैविक प्रणालियों की उत्पादकता बढ़ाना और दूसरा, गहरे समुद्र में CO_2 को इंजेक्ट करना।
  - लोहे की डंपिंग फाइटोप्लांकटन (Phytoplankton) की उत्पादन दर को तीव्र करती है, परिणामस्वरूप फाइटोप्लांकटन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तीव्र कर देते हैं जो CO_2 को अवशोषित करने में सहायक हैं।

विधियाँ:

- प्राकृतिक कार्बन पृथक्करण:
  - यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रकृति ने जीवन के लिये वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को उपयुक्त तरीके से संतुलित किया है। जीव-जंतु कार्बन डाइऑक्साइड को ठीक उसी प्रकार निष्कासित करते हैं, जैसे कि रात के समय पौधे करते हैं।
  - प्रकृति ने पेड़-पौधों, समुद्रों, पृथ्वी और जानवरों को स्वयं कार्बन सिंक, या स्पंज का रूप प्रदान किया। इस ग्रह पर सभी कार्बनिक जीव कार्बन आधारित हैं, अत: जब पौधे और जानवर की मृत्यु हो जाती है तो अधिकांश कार्बन वापस ज़मीन में चला जाता है जिस कारण ग्लोबल वार्मिंग में इसका योगदान काफी कम हो जाता है।
- कृत्रिम कार्बन पृथक्करण:
  - कृत्रिम कार्बन पृथक्करण कई प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जिसमें कार्बन उत्पादन स्रोत पर ही कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित कर (जैसे- फैक्टरी की चिमनी) ज़मीन में दफनाया जाता है।
  - एक प्रस्तावित विधि के अनुसार, महासागरीय सीवेज के तहत कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र की गहराई में इंजेक्ट किया जाता है जहाँ CO_2 की कम मात्रा विद्यमान होती है। CO_2 स्वाभाविक रूप से पानी के दबाव और तापमान के कारण गहराई में नीचे चली जाती है तथा धीरे-धीरे समय के साथ जल में घुल जाती है।
  - एक अन्य उदाहरण भूवैज्ञानिक पृथक्करण है जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को उन पुराने तेल के कुओं, भूमिगत जल स्रोतों और कोयला खदानों जैसे भूमिगत स्रोतों में पंप किया जाता है जिनमें खनन नही किया जाना है।

कृत्रिम कार्बन पृथक्करण की चुनौतियाँ:

- तकनीक का अभाव:
  - तथाकथित रूप से निगमों की बढ़ती संख्या तथा इंजीनियर कार्बन हटाने की तकनीक में धन का निवेश कर रहे हैं।
  - हालाँकि ये प्रौद्योगिकियाँ अभी शुरुआती अवस्था में हैं तथा इनका अधिक-से-अधिक दोहन करने की आवश्यकता है।
- उच्च लागत:
  - कार्बन हटाने की तकनीकें इनके व्यापक उपयोग के लिये बहुत महँगी हैं।
  - कृत्रिम कार्बन पृथक्करण महँगा, ऊर्जा गहन, अपेक्षाकृत अप्रयुक्त है तथा इसका कोई अन्य लाभ भी नहीं है।
- पर्यावरणीय चिंता:
  - कार्बन डाइऑक्साइड को गहरे भूमिगत स्रोतों में संग्रहीत किया जा सकता है। जलाशयों का सही तरीके से निर्माण न होना, चट्टानों में दरारों का पड़ना और टेक्टोनिक प्रक्रियाएँ आदि की वजह से गैस महासागर या वायुमंडल में उत्सर्जित हो सकती हैं, जिसके अनपेक्षित परिणाम देखने को मिल सकते हैं जैसे -हासागर का अम्लीकरण आदि।

कृत्रिम कार्बन पृथक्करण की संभावनाएँ :

- तीव्रता से कार्बन पृथक्करण:
  - कृत्रिम पृथक्करण की तुलना में प्राकृतिक पृथक्करण एक धीमी प्रक्रिया है। इस प्रकार यह उन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्राकृतिक पृथक्करण का अनुपूरक हो सकती है जो जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिये आवश्यक है।
- उत्पादकता में वृद्धि:
  - पुराने तेल के कुओं, जलीय चट्टानी परतों और कोल संस्तर जैसे भूमिगत स्रोतों में संग्रहीत कार्बन बेहतर कृषि उपज और तेल की प्राप्ति में सहायक है।
- रोज़गार सृजन:
  - यह नया और उभरता हुआ क्षेत्र निजी उद्यमियों और पूंजीपतियों को आकर्षित कर रहा है, जो रोज़गार सृजन में मदद कर सकता है।

ई-कचरा प्रबंधन

चर्चा में क्यों ?

इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन नियमों के अनुपालन में भारी गिरावट का हवाला देते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने हाल ही में आदेश दिया है कि नियमों के अनुरूप ई-कचरे का वैज्ञानिक तरीके निपटान सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा ये दिशा-निर्देश केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को जारी किये गए हैं।

ई-कचरा

- कंप्यूटर तथा उससे संबंधित अन्य उपकरण तथा टी.वी., वाशिंग मशीन एवं फ्रिज जैसे घरेलू उपकरण और कैमरे, मोबाइल फोन तथा उससे जुड़े अन्य उत्पाद जब चलन/उपयोग से बाहर हो जाते हैं तो इन्हें संयुक्त रूप से ई-कचरे की संज्ञा दी जाती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घटक और पुर्जे आदि शामिल हैं।
- इसे दो व्यापक श्रेणियों के तहत 21 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:
  - सूचना प्रौद्योगिकी और संचार उपकरण।
  - विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण।
- ई-कचरे के प्रबंधन को लेकर वर्ष 2011 से ही भारत में कानून मौजूद है, जिसके मुताबिक केवल अधिकृत विघटनकर्त्ता (Dismantlers) और पुनर्चक्रणकर्त्ता (Recyclers) ही ई-कचरा एकत्र कर सकते हैं।
  - ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 को वर्ष 2017 में लागू किया गया था।

- भोपाल (मध्य प्रदेश) में घरेलू और वाणिज्यिक इकाइयों से कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान के लिये भारत का पहला ई-कचरा क्लिनिक स्थापित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

भारत में ई-कचरे का उत्पादन

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, भारत में वर्ष 2019-20 में 10 लाख टन से अधिक ई-कचरा उत्पन्न हुआ था। वर्ष 2017-18 के मुकाबले वर्ष 2019-20 में ई-कचरे में 7 लाख टन की बढ़ोतरी हुई थी। इसके विपरीत ई-कचरे के विघटन और पुनर्चक्रण की क्षमता में बढ़ोतरी नहीं हुई है।
- वर्ष 2018 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ट्रिब्यूनल को बताया था कि भारत में ई-कचरे का 95 प्रतिशत पुनर्नवीनीकरण अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा किया जाता है, और अधिकांश स्क्रैप डीलरों द्वारा इसका निपटान अवैज्ञानिक तरीके से इसे जलाकर या एसिड के माध्यम से किया जाता है।

ट्रिब्यूनल के निर्देश

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की रिपोर्टों के आलोक में ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 के वैज्ञानिक तरीके से प्रवर्तन हेतु और अधिक प्रयास किया जाना चाहिये।
  - ट्रिब्यूनल ने ई-कचरा संग्रहण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मिली असफलता की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि वर्ष 2018-19 में तकरीबन 78,000 टन ई-कचरा एकत्रित किया गया था, जो कि 1.54 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले काफी कम है।
- CPCB ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 के नियम 16 के अनुपालन पर विचार कर सकती है, जो कि बिजली एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उनके घटकों या उपभोग्य वस्तुओं अथवा पुर्जों के निर्माण में खतरनाक पदार्थों के उपयोग में कमी से संबंधित है।
- ट्रिब्यूनल ने इस बात की ओर भी ध्यान आकर्षित किया कि ई-कचरे को अवैज्ञानिक रूप से नियंत्रित करने से आवासीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में दुर्घटनाएँ होती हैं। इस विषय पर सतर्कता बनाए रखने और इस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिये CPCB द्वारा ई-कचरे से संबंधित साइटिंग मानदंडों की समीक्षा और उन्हें अपडेट किये जाने की आवश्यकता है, इस समीक्षा तीन माह के भीतर की जा सकती है।
- सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान को रोकने और कानून के सही ढंग से प्रवर्तन के लिये ज़िला प्रशासन के साथ निरंतर सतर्कता के माध्यम से हॉटस्पॉट की पहचान करने हेतु समन्वय करना चाहिये।

ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 को अधिसूचित किया गया था।
  - इस नियम से पहले ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2011 लागू था।
- इस नियम के दायरे में कुल 21 प्रकार के उत्पाद (अनुसूची-1) शामिल किये गए हैं। इसमें अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अलावा कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप (CFL) और मरकरी पारा युक्त लैंप शामिल हैं।
- इस अधिनियम के तहत पहली बार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माताओं को विस्तारित निर्माता ज़िम्मेदारी (EPR) के दायरे में लाया गया। उत्पादकों को ई-कचरे के संग्रहण तथा आदान-प्रदान के लिये उत्तरदायी बनाया गया है।
- डिपॉज़िट रिफंड स्कीम को एक अतिरिक्त आर्थिक साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें निर्माता इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बिक्री के समय जमा राशि के रूप में एक अतिरिक्त राशि वसूलता है और उपभोक्ता को यह राशि उपकरण लौटाने पर ब्याज समेत लौटा दी जाती है।
- निराकरण और पुनर्चक्रण कार्यों में शामिल श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास सुनिश्चित करने का कार्य राज्य सरकारों को सौंपा गया है।
- नियमों के उल्लंघन की स्थिति में दंड का प्रावधान भी सुनिश्चित किया गया है।
- ई-कचरे के निराकरण और पुनर्चक्रण के लिये मौजूदा और आगामी औद्योगिक इकाइयों को उचित स्थान के आवंटन की भी व्यवस्था की गई है।

पर्यावरण बनाम विकास परिचर्चा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India- NHAI) ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में दावा किया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 को संसद द्वारा न केवल पर्यावरण संरक्षण बल्कि 'विदेशी शक्तियों के लिये उदाहरण' हेतु पारित किया गया था।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2013 के केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के एक नोटिफिकेशन, जिसमें 100 किमी. से अधिक लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों को 40 मीटर से अधिक चौड़ा करने के लिये पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट में छूट मांगी गई थी, के खिलाफ एक एनजीओ 'यूनाइटेड कंज़र्वेशन मूवमेंट' (United Conservation Movement) द्वारा याचिका दायर की गई।
- 'यूनाइटेड कंज़र्वेशन मूवमेंट' पर्यावरणीय संस्थाओं का एक समूह है, जिसने पिछले कुछ वर्षों में पश्चिमी घाट, एक टाइगर रिज़र्व और साथ ही एक वन्यजीव क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों के संदर्भ में NHAI परियोजनाओं को चुनौती दी है।

NHAI का दावा:

- NHAI ने यह आरोप लगाया है कि कई गैर-सरकारी संगठन विदेशी शक्तियों के इशारे पर अधिनियम के मानदंडों को बनाए रखने के लिये याचिका दायर करते हैं।
  - अपने भारतीय प्रतिरूपों के माध्यम से 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' (Amnesty International) और 'पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़' (Peoples Union for Civil liberties) जैसी विदेशी संस्थाओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत रिट याचिका दायर की है।
    - संविधान का अनुच्छेद- 32 (संवैधानिक उपचार का अधिकार): यह एक मौलिक अधिकार है, जिसमें कहा गया है कि व्यक्तियों को संविधान द्वारा प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिये सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार है।
- NHAI ने आरोप लगाया है कि भारत में कई संगठन, जो पर्यावरणीय कार्रवाई और मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्य करते हैं, सक्रिय रूप से विकास परियोजनाओं का विरोध करने, सरकारी नीतियों को चुनौती देने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न रहते हैं।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एक ऐसा अधिनियम है जो जून 1972 (स्टॉकहोम सम्मेलन) में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से प्रभावित था।

न्यायालय का निर्णय:

- उच्च न्यायालय ने NHAI के अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि आपत्ति दर्ज करने के तरीके का विश्लेषण करने और पूछताछ के लिये एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित किया जाए।
- उच्च न्यायालय ने 'यूनाइटेड कंज़र्वेशन मूवमेंट' से अपने संविधान तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में की गई गतिविधियों से संबंधित विवरण प्रदान करने को भी कहा है।

विकास बनाम पर्यावरण:

पर्यावरण का महत्त्व:

- पर्यावरण का आर्थिक महत्त्व कुछ पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं से स्पष्ट होता है। इसमें शामिल हैं:
  - प्रावधान सेवाएँ (खाद्य, सिंचाई, पेयजल)।
  - विनियमन सेवाएँ (जलवायु विनियमन, जल गुणवत्ता विनियमन)।
  - सांस्कृतिक सेवाएँ (मनोरंजन और धार्मिक सेवाएँ)।
  - सहायक सेवाएँ (पोषक तत्त्व, रिसाइक्लिंग, मृदा निर्माण)।

- लाखों परिवार विकासात्मक गतिविधियों, उत्पादन और उपभोग के लिये इन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का उपयोग करते हैं।

विकास के साथ पर्यावरण का संबंध:

- आर्थिक विकास के वांछित स्तर को प्राप्त करने के लिये तीव्र औद्योगीकरण और शहरीकरण अपरिहार्य है।
- माना जाता है कि प्रति व्यक्ति आय में पर्याप्त वृद्धि के लिये यह आवश्यक है।
- हालाँकि इन आय अर्जन करने वाली गतिविधियों की वजह से प्रदूषण जैसे नकारात्मक पर्यावरणीय परिणाम उत्पन्न होते हैं।
- व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन और गरीबी में कमी जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये पर्यावरण की गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है।
- यह माना जाता है कि वित्तीय और तकनीकी क्षमताओं में वृद्धि के साथ-साथ आय के स्तर में क्रमिक वृद्धि द्वारा पर्यावरण की गुणवत्ता को बहाल किया जा सकता है।
- वास्तविकता यह है कि विकासात्मक गतिविधियाँ पर्यावरण की गुणवत्ता को खराब करती हैं।

पर्यावरणीय स्थिरता को प्रभावित करने वाले विकासीय कारक:

पर्यावरणीय अनुपालन का अभाव:

- पर्यावरणीय सिद्धांतों की उपेक्षा इस बात का गंभीर संकेत है कि प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से कई बार जन-धन की हानि होती है।
- किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक खतरों से होने वाले जोखिम का वैज्ञानिक रूप से पता लगाने के लिये किये जाने वाले कार्य कभी-कभी ही सही भावना से किये जाते हैं।
- अनियमित खदान और पहाड़ियों में ढलान की मिट्टी के अवैज्ञानिक कटाव का खतरा बढ़ने से भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है।

सब्सिडी का बुरा प्रभाव:

- समाज के कमज़ोर वर्गों के कल्याण के लिये सरकार बड़ी मात्रा में सब्सिडी प्रदान करती है।
- ऊर्जा और बिजली जैसी सेवाओं में सब्सिडी प्रदान करने से इनके अति प्रयोग से पर्यावरणीय स्थिरता प्रभावित होती है।
- इसके अलावा सब्सिडी राजस्व आधार को कम करती है और सरकार की नई स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में निवेश करने की क्षमता को सीमित करती है।

पर्यावरणीय संसाधनों तक पहुँच:

- सभी को प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँच प्राप्त है और कोई भी उपयोगकर्त्ता पर्यावरणीय गिरावट की पूरी लागत वहन नहीं करता है, इसके परिणामस्वरूप संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होता है।

जनसांख्यिकी गतिशीलता की जटिलता:

- बढ़ती जनसंख्या अविकसितता और पर्यावरणीय गिरावट के बीच संबंधों को बढ़ाती है।
- इसके अलावा गरीबी के कारण बड़े परिवार तथा पलायन की समस्या उत्पन्न होती है, जो शहरी क्षेत्रों को पर्यावरणीय रूप से अस्थिर बनाता है।
- दोनों परिणामों की वजह से संसाधनों पर दबाव बढ़ता है और इसके परिणामस्वरूप पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट आती है, उत्पादकता कम हो जाती है और गरीबी बढ़ जाती है।

आगे की राह:

- विकास मानवता के सामने सबसे बड़ी ज़रूरत के साथ-साथ एक चुनौती बना हुआ है। हालाँकि पिछली सदी में अभूतपूर्व आर्थिक और सामाजिक प्रगति के बावजूद गरीबी, अकाल और पर्यावरणीय गिरावट जैसी समस्याएँ अभी भी वैश्विक स्तर पर बनी हुई हैं।
- इसके अलावा अब तक की विकासात्मक प्रगति ने पर्यावरणीय गिरावट और जलवायु परिवर्तन से संबंधित अपूरणीय क्षति को दर्शाना शुरू कर दिया है।
- इस प्रकार पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन किये बिना विकास लक्ष्यों का पालन किया जाना चाहिये।

भारत का आर्कटिक नीति मसौदा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने एक नया आर्कटिक नीति मसौदा तैयार किया है, जिसका उद्देश्य आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान, स्थायी पर्यटन और खनिज तेल एवं गैस की खोज को बढ़ावा देना है।

प्रमुख बिंदु

नीति के बारे में

- नोडल निकाय: भारत ने आर्कटिक में घरेलू वैज्ञानिक अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ावा देने और विभिन्न वैज्ञानिक निकायों के बीच समन्वय हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान का नेतृत्त्व करने के लिये गोवा स्थित नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च (NCPOR) को एक नोडल निकाय के रूप में नामित किया है।
- उद्देश्य
  - आर्कटिक में वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा देना: भारतीय विश्वविद्यालयों में पृथ्वी विज्ञान, जैविक विज्ञान, भू-विज्ञान, जलवायु परिवर्तन आदि विषयों के पाठ्यक्रम में आर्कटिक को शामिल करना और आर्कटिक में वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा देना।
  - योजनाबद्ध अन्वेषण: पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थानों में खनिज/तेल और गैस की खोज के लिये आर्कटिक से संबंधित कार्यक्रमों हेतु प्रभावी योजना तैयार करना।
  - आर्कटिक पर्यटन को बढ़ावा देना: विशेष क्षमता के निर्माण और जागरूकता द्वारा आर्कटिक क्षेत्र में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना।

आर्कटिक के बारे में

- आर्कटिक पृथ्वी के सबसे उत्तरी भाग में स्थित एक ध्रुवीय क्षेत्र है।
- आर्कटिक के अंतर्गत आर्कटिक महासागर, निकटवर्ती समुद्र और अलास्का (संयुक्त राज्य अमेरिका), कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड (डेनमार्क), आइसलैंड, नॉर्वे, रूस और स्वीडन को शामिल किया जाता है।

आर्कटिक पारिस्थितिकी पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव

- समुद्र का बढ़ता स्तर: बर्फ के पिघलने और समुद्री जल के तापमान में हो रही बढ़ोतरी के कारण समुद्र स्तर, लवणता का स्तर और अवक्षेपण पैटर्न प्रभावित होता है।
- टुंड्रा का ह्रास: टुंड्रा क्षेत्र का दलदल में बदलना, पर्माफ्रॉस्ट के विगलन, अचानक आने वाले तूफानों के कारण तटीय इलाकों को होने वाली क्षति और वनाग्नि की वजह से कनाडा एवं रूस के आंतरिक भागों में भारी तबाही के मामलों में वृद्धि हुई है।
  - टुंड्रा: टुंड्रा पारिस्थितिक तंत्र आर्कटिक में और पहाड़ों की चोटी पर पाया जाने वाला वह क्षेत्र है, जहाँ वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, प्राय: यहाँ की जलवायु ठंडी होती है और वर्षा भी बहुत कम होती है।
- जैव विविधता के लिये खतरा: आर्कटिक क्षेत्र की अभूतपूर्व समृद्ध जैव विविधता गंभीर खतरे की स्थिति में है।
  - बर्फबारी में कमी और उच्च तापमान के कारण आर्कटिक समुद्री जीवन, पौधों और पक्षियों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो रहा है, जबकि कम ऊँचाई वाले क्षेत्रों के जीव इस क्षेत्र की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं।
- विलक्षण संस्कृतियों का विलुप्त होना: आर्कटिक में लगभग 40 अलग-अलग स्वदेशी समूह निवास करते हैं, जिनकी संस्कृति, अर्थव्यवस्था और जीवनयापन का तरीका अलग-अलग है। तापमान में बढ़ोतरी के कारण इन विभिन्न समूहों की विशिष्ट संस्कृति पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।

आर्कटिक का वाणिज्यिक महत्त्व

- संसाधन: आर्कटिक क्षेत्र शिपिंग, ऊर्जा, मत्स्य पालन और खनिज संसाधनों में संपूर्ण विश्व के समक्ष विशाल वाणिज्यिक एवं आर्थिक अवसर प्रस्तुत करता है।

- वाणिज्यिक नेवीगेशन
    - उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR): यह एक छोटे ध्रुवीय चाप के माध्यम से उत्तरी अटलांटिक महासागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ता है, जो कि रूस और स्कैंडिनेवियाई देशों के व्यापार में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है।
        - इस मार्ग के खुलने से रॉटर्डम (नीदरलैंड) से योकोहामा (जापान) की दूरी में 40% की कटौती (स्वेज नहर मार्ग की तुलना में) होगी।
        - यह परिवहन अवधि और ईंधन की खपत को कम करने, पर्यावरण उत्सर्जन को सीमित करने तथा समुद्री डकैती के जोखिम को कम करने में मददगार साबित हो सकता है।
    - तेल और प्राकृतिक गैस भंडार
        - एक अनुमान के अनुसार, विश्व में अब तक न खोजे गए नए प्राकृतिक तेल और गैस के भंडारों में से 22% आर्कटिक क्षेत्र में हैं, साथ ही अन्य खनिजों के अतिरिक्त ग्रीनलैंड में विश्व के 25% दुर्लभ मृदा धातुओं के होने का अनुमान है। बर्फ के पिघलने के बाद इन बहुमूल्य खनिज स्रोतों तक आसानी से पहुँचा जा सकेगा।

संबंधित मुद्दे

- इस क्षेत्र में नौचालन की स्थिति खतरनाक है और यह गर्मियों में प्रतिबंधित है।
- गहरे पानी वाले बंदरगाहों की कमी, बर्फ तोड़ने वाले जहाज़ों की आवश्यकता, ध्रुवीय परिस्थितियों के लिये प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी और उच्च बीमा लागत आर्कटिक के संसाधनों के दोहन हेतु कठिनाइयों को बढ़ाता है।
- इसके अलावा खनन और गहरे समुद्र में ड्रिलिंग कार्य में भारी आर्थिक और पर्यावरणीय जोखिम बना रहता है।
- अंटार्कटिका के विपरीत आर्कटिक 'ग्लोबल कॉमन' का हिस्सा नहीं है और न ही इसे नियंत्रित करने वाली कोई विशिष्ट संधि मौजूद है।

आर्कटिक क्षेत्र संबंधी विवाद

- इस क्षेत्र में विस्तारित महाद्वीपीय भागों और समुद्र की तलहटी में संसाधनों पर अधिकार के दावों के लिये रूस, कनाडा, नॉर्वे और डेनमार्क के बीच टकराव है।
- हालाँकि रूस इस क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति है, जिसके पास सबसे लंबा आर्कटिक समुद्र तट, आधी आर्कटिक आबादी और एक मज़बूत सामरिक नीति है।
    - रूस यह दावा करते हुए कि उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR) उसके क्षेत्रीय जल के भीतर है, अपने बंदरगाहों और बर्फ तोड़ने वाले जहाज़ों के उपयोग समेत वाणिज्यिक यातायात से भारी लाभांश की उम्मीद करता है।
    - रूस ने अपने उत्तरी सैन्य ठिकानों को भी सक्रिय कर दिया है, इसके अलावा वह अपने परमाणु सशस्त्र पनडुब्बी बेड़े को नवीनीकृत करने के साथ-साथ अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन भी कर रहा है, जिसमें पूर्वी आर्कटिक में चीन के साथ एक संयुक्त अभ्यास भी शामिल है।
- अपने आर्थिक लाभ को देखते हुए चीन ने 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना' (BRI) के विस्तार के रूप में एक 'ध्रुवीय सिल्क रोड' की अवधारणा प्रस्तुत की है और साथ ही उसने इस क्षेत्र में बंदरगाहों, ऊर्जा, बुनियादी ढाँचे एवं खनन परियोजनाओं में भारी निवेश किया है।

आर्कटिक क्षेत्र में भारत का हित

- पर्यावरणीय हित
    - भारत की व्यापक समुद्री तटरेखा समुद्र की धाराओं, मौसम के पैटर्न, मत्स्य पालन और मानसून पर आर्कटिक वार्मिंग के प्रभाव के प्रति हमें संवेदनशील बनाती है।
    - आर्कटिक अनुसंधान से भारत के वैज्ञानिक समुदाय को हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने की दर का अध्ययन करने में मदद मिलेगी।
- वैज्ञानिक हित
    - शोध केंद्र: भारत ने वर्ष 2007 में आर्कटिक महासागर में अपना पहला वैज्ञानिक अभियान शुरू किया और ग्लेशियोलॉजी, एट्रोसोनिक विज्ञान तथा जैविक विज्ञान जैसे विषयों में अध्ययन करने के लिये जुलाई 2008 में नॉर्वे के स्वालबार्ड में 'हिमाद्री' नाम से एक शोध केंद्र खोला।

- हिमालयी ग्लेशियरों का अध्ययन: आर्कटिक के बदलावों पर हो रहे वैज्ञानिक अनुसंधान, जिसमें भारत का अच्छा रिकॉर्ड रहा है, तीसरे ध्रुव (हिमालय) में जलवायु परिवर्तन को समझने में सहायक होगा।

- रणनीतिक हित
  - चीन का मुकाबला: आर्कटिक क्षेत्र में चीन की सक्रियता के रणनीतिक निहितार्थ और वर्तमान में रूस के साथ इसके आर्थिक तथा रणनीतिक संबंधों में हो रही वृद्धि सर्वविदित है, अत: वर्तमान में इसकी व्यापक निगरानी की आवश्यकता है।
  - आर्कटिक परिषद की सदस्यता: भारत को आर्कटिक परिषद (Arctic Council) में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, जो आर्कटिक पर्यावरण और विकास के पहलुओं पर सहयोग के लिये प्रमुख अंतर-सरकारी मंच है।

आगे की राह

- वर्तमान में यह बहुत आवश्यक है कि आर्कटिक परिषद में भारत की उपस्थिति को आर्थिक, पर्यावरणीय, वैज्ञानिक और राजनीतिक पहलुओं को शामिल करने वाली सामरिक नीतियों के माध्यम से मज़बूती प्रदान की जाए। इस प्रकार नया आर्कटिक नीति मसौदा तैयार करना मौजूदा समय में काफी महत्त्वपूर्ण है।

दृष्टि The Vision

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

रतले पनबिजली परियोजना

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में चिनाब नदी पर स्थित 850 मेगावाट की रतले पनबिजली परियोजना (Ratle Hydropower Project) हेतु 5281.94 करोड़ रुपए के निवेश की मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

रतले पनबिजली परियोजना:

- विशेषताएँ: इसमें 133 मीटर लंबा बाँध और एक-दूसरे से सटे दो बिजली स्टेशन शामिल हैं।
  - दोनों पावर स्टेशनों की स्थापित क्षमता 850 मेगावाट होगी।
- पृष्ठभूमि: तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री ने जून 2013 में इस बाँध की आधारशिला रखी थी।
  - पाकिस्तान अक्सर आरोप लगाता रहता है कि यह परियोजना सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty), 1960 का उल्लंघन करती है।
- हाल की स्वीकृति: इसके तहत लगभग 5282 करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना की गई है और इस परियोजना को 60 महीने के भीतर चालू किया जाएगा।

पाकिस्तान की आपत्तियाँ और सिंधु जल संधि:

- पाकिस्तान सरकार ने वर्ष 2013 में बाँध के निर्माण पर आपत्ति जताते हुए दावा किया था कि यह सिंधु जल संधि के अनुरूप नहीं है।
- भारत को बाँध बनाने की अनुमति विश्व बैंक (World Bank) ने अगस्त 2017 में दे दी थी।
- पाकिस्तान ने विश्व बैंक में अपनी इस आपत्ति को उठाया, लेकिन अब केंद्र ने निर्माण को जारी रखने का फैसला लिया है।
  - विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच नौ साल तक चली बातचीत के बाद वर्ष 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किये गए थे। विश्व बैंक इस संधि का एक हस्ताक्षरकर्त्ता भी है।
  - यह संधि भारत को पूर्वी नदियों के पानी पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करती है, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों के पानी को बिना रोके उपयोग करने का अधिकार देती है।
  - पूर्वी नदियों में रावी, व्यास और सतलज शामिल हैं तो पश्चिमी नदियों में चिनाब, झेलम और सिंधु शामिल हैं।

लाभ:

- रणनीतिक:
  - भारत सरकार जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश बनाने से पहले ही यहाँ रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण जलविद्युत परियोजनाओं में तेज़ी लाने पर विचार कर रही थी, यह परियोजना भी इसी पृष्ठभूमि में आती है। भारत सरकार सिंधु जल संधि के तहत अपने हिस्से के पानी का पूरी तरह से उपयोग करना चाहती है।
  - इस कार्य को चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (China-Pakistan Economic Corridor) के संदर्भ में रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण माना जाता है।
- सामाजिक-आर्थिक विकास: इस परियोजना की निर्माण संबंधी गतिविधियों के परिणामस्वरूप लगभग 4000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार मिलेगा और साथ ही यह परियोजना केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में अहम योगदान देगी।

नोट :

- सस्ती दरों पर बिजली: इससे केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को 5289 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली मिलेगी।
- अधिशेष बिजली: इस परियोजना से उत्पन्न बिजली ग्रिड (Grid) को संतुलन प्रदान करने में मदद करेगी और साथ ही इससे बिजली आपूर्ति की स्थिति में सुधार होगा।
  - ग्रिड के संतुलन के लिये मौजूदा बिजली उत्पादन के बुनियादी ढाँचे को विकसित करना होगा।
- सरकारी राजस्व: जम्मू-कश्मीर को रतले पनबिजली परियोजना (40 वर्ष जीवन चक्र) से 9581 करोड़ रुपए का लाभ होगा।

चिनाब बेसिन पर अन्य परियोजनाएँ:

- कीरू पनबिजली परियोजना:
  - कीरू महा परियोजना की कुल क्षमता 624 मेगावाट है जो चिनाब नदी (किश्तवाड़ ज़िला) पर प्रस्तावित है।
- पकल डल पनबिजली परियोजना:
  - यह जम्मू-कश्मीर के डोडा ज़िले में चिनाब नदी की सहायक मारुसुदर (Marusudar) नदी पर प्रस्तावित एक जलाशय आधारित योजना है।
- दुलहस्ती पावर स्टेशन:
  - यह पावर स्टेशन 390 मेगावाट क्षमता वाली 'रन आफ द रिवर' (Run-of-the-River) स्कीम है, जो चिनाब नदी की जलविद्युत क्षमता का दोहन करती है।
- सलाल पावर स्टेशन:
  - यह एक रन-ऑफ-द-रिवर स्कीम है। इसके तहत 690 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ चिनाब नदी की जल विद्युत क्षमता का उपयोग किया जाता है। यह जम्मू-कश्मीर के रियासी (Reasi) ज़िले में स्थित है।

चिनाब नदी:

- चिनाब नदी भारत-पाकिस्तान होकर बहने वाली एक प्रमुख नदी है और पंजाब क्षेत्र की 5 प्रमुख नदियों में शामिल है।

उद्गम:

- इसका उद्गम भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहुल एवं स्पीति ज़िले में ऊपरी हिमालय के बारालाचा-ला दर्रे के पास से होता है। इसके बाद चिनाब नदी जम्मू-कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से बहती हुई पाकिस्तान के पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है और आगे चलकर सतलज नदी में मिल जाती है।
- चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहुल एवं स्पीति ज़िले के तांडी में दो नदियों चंद्र एवं भागा के संगम से बनती है।
  - भागा नदी सूर्या ताल झील से निकलती है जो हिमाचल प्रदेश में बारालाचा-ला दर्रे के पास अवस्थित है।
  - चंद्र नदी का उद्गम बारालाचा-ला दर्रे (चंद्र ताल के पास) के पूर्व के ग्लेशियरों से होता है।

सामाजिक न्याय

दुर्लभ रोगों के लिये क्राउडफंडिंग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक एक दुर्लभ रोग से पीड़ित दो बच्चों की सहायता के लिये क्राउडफंडिंग की संभावना का पता लगाने का आदेश दिया है।

प्रमुख बिंदु

- संबंधित संवैधानिक प्रावधान
  - दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि 'स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार' एक मौलिक अधिकार है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत 'जीवन के अधिकार' का एक हिस्सा माना है।
- समाज और प्राधिकरण के लिये निर्देश
  - उच्च न्यायालय ने समाज और मुख्य तौर पर प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ऐसे दुर्लभ रोगों से पीड़ित बच्चों के जीवन से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए, भले ही उनके जीवित रहने की संभावना अथवा उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार की संभावना कम ही क्यों न हो।
  - न्यायालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह जल्द-से-जल्द दुर्लभ रोगों के लिये मसौदा स्वास्थ्य नीति, 2020 के कार्यान्वयन को अंतिम रूप दे। ज्ञात हो कि इस मसौदे में उच्च लागत वाले दुर्लभ रोगों के उपचार के लिये क्राउडफंडिंग से संबंधित प्रावधान किये गए हैं।

क्राउडफंडिंग का अर्थ

- क्राउडफंडिंग का आशय बड़ी संख्या में व्यक्तिगत निवेशकों/दानदाताओं के सामूहिक प्रयास से पूंजी जुटाने की एक विधि से है।
- क्राउडफंडिंग के बारे लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे- सोशल मीडिया और क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म आदि का उपयोग किया जाता है, परिणामत: धन इकट्ठा करने के पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक दाताओं तक पहुँच प्राप्त होती है।

प्रकार

- दान-आधारित क्राउडफंडिंग: यह धनराशि एकत्रित करने की वह विधि है, जिसमें बड़ी संख्या में योगदानकर्त्ताओं को व्यक्तिगत रूप से एक छोटी राशि दान करने के लिये कहा जाता है। इसमें योगदानकर्त्ताओं को टोकन रिवॉर्ड दिया जाता है और इसके तहत बहुत कम धनराशि एकत्र होने की संभावना होती है।
- पुरस्कार-आधारित क्राउडफंडिंग: पुरस्कार-आधारित क्राउडफंडिंग के तहत दी गई राशि के बदले योगदान करने वाले को 'रिवॉर्ड' दिया जाता है, जो कि प्राय: किसी उत्पाद अथवा सेवा के रूप में हो सकता है। यद्यपि इस विधि के तहत योगदानकर्त्ताओं को पुरस्कार प्रदान किया जाता है, किंतु इसके बावजूद इस विधि को दान-आधारित क्राउडफंडिंग का ही एक हिस्सा माना जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का वित्तीय रिटर्न शामिल नहीं होता है।
- इक्विटी-आधारित क्राउडफंडिंग: इस विधि के तहत निवेश के बदले एक व्यवसाय में कई निवेशकों को हिस्सेदारी बेची जाती है। यह स्टॉक एक्सचेंज या उद्यम पूंजी पर सामान्य स्टॉक को कैसे खरीदा या बेचा जाता है, के विचार के सामान है। इक्विटी मालिकों के रूप में योगदानकर्त्ताओं को अपने निवेश पर वित्तीय रिटर्न और अंतत: लाभांश प्राप्त होता है।

लाभ

- विशाल नेटवर्क: सोशल मीडिया और क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म के विशाल नेटवर्क का उपयोग कर हज़ारों निवेशकों और दानदाताओं तक आसानी से पहुँचा जा सकता है तथा उन्हें अपने अभियान के बारे में सूचित किया जा सकता है।

नोट :

- प्रस्तुतिकरण: क्राउडफंडिंग संबंधी अभियान के माध्यम से कंपनी के इतिहास, उसके प्राथमिक कार्य, बाज़ार और बाज़ार मूल्य के बारे में आसानी से लोगों को समझाया जा सकता है।
- विचार को मान्यता: क्राउडफंडिंग के माध्यम से किसी अवधारणा अथवा विचार को आम जनता के सामने प्रस्तुत किया जाने से उसे लेकर आम जनता के बीच बनी राय को आसानी से परखा जा सकता है।
- कार्यक्षमता: क्राउडफंडिंग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह विधि धन एकत्रित करने के प्रयासों को केंद्रीकृत और कार्यकुशल बना देती है।

दुर्लभ रोग

- दुर्लभ रोग उस स्वास्थ्य स्थिति को इंगित करता है, जिसका प्रसार अन्य बीमारी या रोगों की तुलना में कम होता है तथा जो सामान्य आबादी में अन्य प्रचलित बीमारियों की तुलना में बहुत कम लोगों को प्रभावित करती है।
  - हालाँकि, दुर्लभ रोगों की कोई सार्वभौमिक स्वीकृत परिभाषा नहीं है तथा विभिन्न देशों में इसकी परिभाषा आमतौर पर भिन्न-भिन्न होती है।
- 80 प्रतिशत दुर्लभ बीमारियाँ आनुवंशिक होती हैं और इसलिये बच्चों पर इनका विपरीत प्रभाव पड़ता है।
- भारत में लगभग 56-72 मिलियन लोग दुर्लभ रोगों से प्रभावित हैं।

ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (Duchenne Muscular Dystrophy- DMD)

- यह एक आनुवंशिक विकार है जिसमें डायस्ट्रोफिन नामक प्रोटीन (मांसपेशियों की कोशिकाओं को बनाए रखने में मदद करता है) के बदलने या परिवर्तित होने के कारण प्रगतिशील मांसपेशियों में विकृति और कमज़ोरी उत्पन्न हो जाती है
- लक्षण:
  - मांसपेशियों में कमज़ोरी
  - पिंडली विरूपण
  - वाडलिंग गैट (चाल बतख के समान हो जाती है)
  - मेरुवक्रता या रीढ़ वक्रता (Lumbar Lordosis)

असमानता वायरस रिपोर्ट: ऑक्सफैम इंटरनेशनल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई असमानता वायरस रिपोर्ट (The Inequality Virus Report) में बताया गया है कि COVID-19 महामारी ने भारत और दुनिया भर में मौजूदा असमानताओं में अत्यधिक वृद्धि की है।

- रिपोर्ट में कहा गया है कि COVID-19 ने लगभग हर देश में आर्थिक असमानता को बढाया है।

प्रमुख बिंदु:

महामारी का अमीरों और गरीबों पर तुलनात्मक प्रभाव:

- भारत ने महामारी के शुरुआती दौर में ही लॉकडाउन को कठोरता से लागू किया। इस लॉकडाउन के प्रवर्तन के कारण अर्थव्यवस्था में ठहराव की स्थिति पैदा हो गई, जिससे बेरोज़गारी, भुखमरी, संकटकालीन पलायन जैसी समस्याएँ देखी गईं।
- जहाँ अमीर लोग महामारी के सबसे बुरे प्रभाव से बचने में सक्षम थे; वहीं औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों ने खुद को आइसोलेट करते हुए घर से काम किया, साथ ही कुछ अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों ने अपनी आजीविका खो दी।
- भारतीय अरबपतियों की संपत्ति में लॉकडाउन के दौरान 35% की वृद्धि हुई जो कि वर्ष 2009 के बाद पहली बार 90% की वृद्धि के साथ 422.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गई। इससे भारत अरबपतियों की संपत्ति के मामले में अमेरिका, चीन, जर्मनी, रूस और फ्राँस के बाद विश्व में छठी रैंकिंग पर आ गया।

अनौपचारिक क्षेत्र पर प्रभाव

- भारत के अनौपचारिक क्षेत्र के कार्यबल पर COVID-19 का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि इस क्षेत्र में 122 मिलियन नौकरियों में से लगभग 75% समाप्त हो गईं।
- अनौपचारिक श्रमिकों के लिये घर से काम करने के अपेक्षाकृत कम अवसर थे। इसी कारण औपचारिक क्षेत्र की तुलना में इस क्षेत्र में अधिक नौकरियाँ समाप्त हो गईं।

शिक्षा पर प्रभाव:

- पिछले वर्ष जैसे-जैसे शिक्षा को ऑनलाइन किया गया, भारत ने असमानताओं के एक नए विकराल रूप 'डिजिटल डिवाइड' (Digital Divide) को देखा।
- एक तरफ जहाँ निजी प्रदाताओं ने घातीय वृद्धि का अनुभव किया है, वहीं दूसरी तरफ भारती के सबसे गरीब 20% परिवारों में से केवल 3% के पास कंप्यूटर और सिर्फ 9% की इंटरनेट तक पहुँच थी।
- यह भी देखा गया कि स्कूली शिक्षा के लंबे समय तक बाधित होने के कारण स्कूल ड्रॉपिंग रेट (विशेष रूप से गरीबों के बीच) के दोगुना होने का जोखिम बढ़ गया है।

स्वास्थ्य संबंधी असमानताएँ:

- ऑक्सफैम ने पाया कि चूँकि भारत सामाजिक-आर्थिक या सामाजिक श्रेणियों में विभक्त डेटा संबंधी मामलों को रिपोर्ट नहीं करता है, इसलिये विभिन्न समुदायों के बीच स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अनुमान लगाना मुश्किल है।
- वर्तमान में भारत में COVID-19 के पॉज़िटिव मामलों की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी संचयी संख्या है और विश्व स्तर पर गरीब, वंचित और कमज़ोर वर्गों में COVID-19 की व्यापकता दर अधिक है।
- बीमारी का प्रसार उन गरीब समुदायों में तेज़ी से हुआ, जो प्राय: गंदगीयुक्त और अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों में रहते थे और आम सुविधाओं जैसे- शौचालय और पानी के स्रोतों का साझा उपयोग करते थे।

स्वास्थ्य सुविधा:

- भारत के शीर्ष 20% परिवारों के 93% की तुलना में केवल 20% गरीब परिवारों में से 6% परिवारों की बेहतर स्वच्छता के गैर-साझा स्रोतों तक पहुँच थी।
- जाति के संदर्भ में अनुसूचित जातियों के सिर्फ 37.2% परिवारों और अनुसूचित जनजातियों के 25.9% परिवारों की गैर-साझा स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच थी, जबकि सामान्य आबादी के लिये यह 65.7% थी।

लैंगिक असमानता:

- रोज़गार:
  - महिलाओं में बेरोज़गारी की दर 15% (COVID-19 से पहले) से बढ़कर 18% हो गई है।
  - महिला बेरोज़गारी में वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत के सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product- GDP) में लगभग 8% या 218 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो सकता है।
  - 'इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ ट्रस्ट' (Institute of Social Studies Trust) के एक सर्वेक्षण के अनुसार, जिन महिलाओं ने अपनी नौकरी नहीं गवाई उनको भी अपनी आय में 83% तक कटौती का सामना करना पड़ा।
- स्वास्थ्य:
  - आय और नौकरी के नुकसान के अलावा गरीब महिलाओं को नियमित स्वास्थ्य सेवा तथा आँगनवाड़ी केंद्रों से मिलने वाला लाभ भी प्रभावित हुआ।
  - यह अनुमान लगाया गया है कि परिवार नियोजन सेवाओं के बंद होने से 2.95 मिलियन अनपेक्षित गर्भधारण, 1.80 मिलियन गर्भपात (1.04 मिलियन असुरक्षित गर्भपात सहित) और 2,165 मातृ मृत्यु की घटनाएँ हो चुकी हैं।

- घरेलू हिंसा:
  - महामारी ने महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को भी बढ़ावा दिया। घरेलू हिंसा के मामलों में नवंबर 2020 तक (पिछले 12 महीनों में) लगभग 60% की वृद्धि हुई।

सुझाव:

- नीति निर्माताओं को धनी व्यक्तियों और अमीर कॉरपोरेट्स पर तत्काल कर लगाने की आवश्यकता है तथा उस पैसे का निवेश सभी के लिये मुफ्त गुणवत्ता वाली सार्वजनिक सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा में किया जाए।
- असमानता के अंतर को कम करना बहुत महत्त्वपूर्ण है लेकिन यह एक मध्यम अवधि का लक्ष्य होना चाहिये। भारत को विकास और वितरण के बीच के अनुक्रमण को (Sequencing) सही करना होगा।
- भारत को सभी लोगों तक सार्वजनिक सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की समान पहुँच प्रदान करने से पहले विकास की ज़रूरत है। अन्यथा यह कम आय के जाल में फँस सकता है।

ऑक्सफैम इंटरनेशनल

- ऑक्सफैम इंटरनेशनल का गठन वर्ष 1995 में हुआ था जो स्वतंत्र गैर-सरकारी संगठनों का एक समूह है।
- "ऑक्सफैम" नाम ब्रिटेन में वर्ष 1942 में स्थापित 'अकाल राहत के लिये ऑक्सफोर्ड सहायता समिति' (Oxford Committee for Famine Relief) से लिया गया है।
  - इस समूह ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ग्रीस में भूख से पीड़ित महिलाओं और बच्चों के लिये भोजन की आपूर्ति हेतु अभियान चलाया।
- इसका उद्देश्य वैश्विक गरीबी और अन्याय को कम करने के लिये कार्य क्षमता को बढ़ाना है।
- ऑक्सफैम का अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय नैरोबी (केन्या) में स्थित है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रदर्शन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वर्ष 2015 में लॉन्च हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Beti Bachao Beti Padhao- BBBP) योजना के 6 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस (24 जनवरी) के अवसर पर BBBP योजना के अब तक के प्रदर्शन पर चर्चा की गई।

- राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत वर्ष 2008 में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी।

प्रमुख बिंदु:

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं (BBBP) योजना के बारे में:

- मुख्य उद्देश्य:
  - लिंग आधारित चयन पर रोकथाम।
  - बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
  - बालिकाओं के लिये शिक्षा की उचित व्यवस्था तथा उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना।
  - बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करना।
- बहुक्षेत्रीय राष्ट्रव्यापी अभियान:
  - BBBP एक राष्ट्रीय अभियान है जो सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कवर करते हुए बाल लिंग अनुपात (Child Sex Ratio- CSR) हेतु चयनित100 ज़िलों में मल्टीसेक्टोरल एक्शन (Multisectoral Action) पर केंद्रित है।
  - यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है।

BBBP योजना का प्रदर्शन:

- जन्म के समय लिंग अनुपात:
    - स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (Health Management Information System- HMIS) से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2014-15 में जन्म के समय लिंग अनुपात 918 था जो वर्ष 2019-20 में 16 अंकों के सुधार के साथ बढ़कर 934 हो गया है।
    - BBBP के अंतर्गत शामिल 640 ज़िलों में से 422 में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-2019 तक SRB में सुधार देखा गया है।
    - महत्त्वपूर्ण उदाहरण:
        - मऊ (उत्तर प्रदेश) में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2019-20 तक लिंग अनुपात 694 से बढ़कर 951 हुआ है ।
        - करनाल (हरियाणा) में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2019-20 तक यह अनुपात 758 से बढ़कर 898 हो गया है।
        - महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2019-20 तक यह 791 से बढ़कर 919 हुआ है।
- स्वास्थ्य:
    - ANC पंजीकरण: पहली तिमाही में प्रसव पूर्व देखभाल (AnteNatal Care- ANC) पंजीकरण में सुधार का रुझान वर्ष 2014-15 के 61% से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 71% देखा गया है।
    - संस्थागत प्रसव में सुधार का प्रतिशत वर्ष 2014-15 के 87% से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 94% तक पहुँच गया है।
- शिक्षा:
    - सकल नामांकन अनुपात (GER): शिक्षा के लिये एकीकृत ज़िला सूचना प्रणाली (UDISE) के अंतिम आँकड़ों के अनुसार, माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में बालिकाओं के सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio-GER) में 77.45 (वर्ष 2014-15) से 81.32 (वर्ष 2018-19) तक सुधार हुआ है।
    - बालिकाओं के लिये शौचालय: बालिकाओं के लिये अलग शौचालय वाले स्कूलों का प्रतिशत वर्ष 2014-15 के 92.1% से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 95.1% हो गया है।

सोच में परिवर्तन:

- BBBP योजना कन्या भ्रूण हत्या, बालिकाओं में शिक्षा की कमी और जीवन चक्र की निरंतरता के अधिकार से उन्हें वंचित करने जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम है।
- बेटी जन्मोत्सव प्रत्येक ज़िले में मनाए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है।

बालिकाओं के लिये अन्य पहलें:

- उज्ज्वला (UJJAWALA): यह मानव तस्करी की समस्या से निपटने से संबंधित है जो वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिये किये गए यौन शोषण व तस्करी के शिकार पीड़ितों और उनके बचाव, पुनर्वास तथा एकीकरण के लिये एक व्यापक योजना है।
- किशोरी स्वास्थ्य कार्ड: किशोर लड़कियों का वज़न, ऊँचाई, बॉडी मास इंडेक्स (Body Mass Index- BMI) के बारे में जानकारी दर्ज करने के उद्देश्य से इन स्वास्थ्य कार्डों को आँगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बनाया जाता है।
- किशोरियों के लिये योजना (Scheme for Adolescent Girls- SAG)।
- सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samridhi Yojana) आदि।

नोट :

कला एवं संस्कृति

जलीकट्टू

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2021 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में पोंगल और जल्लीकट्टू जैसे त्योहारों ने देश में राजनीतिक दलों का ध्यान आकर्षित किया है।

प्रमुख बिंदु:

क्या है जलीकट्टू?

- परंपरा:
    - जल्लीकट्टू लगभग 2,000 वर्ष पुराना एक प्रतिस्पर्द्धी खेल होने के साथ ही बैल मालिकों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम भी है, जिन्हें वे प्रजनन के लिये पालते हैं।
    - यह एक हिंसक खेल है जिसमें प्रतियोगी पुरस्कार प्राप्त करने के लिये बैल को वश/नियंत्रण में करने की कोशिश करते हैं; यदि प्रतियोगी बैल को वश में करने में असफल होते हैं, तो उस स्थिति में बैल मालिक को पुरस्कार मिलता है।
- खेल से संबंधित क्षेत्र:
    - यह जल्लीकट्टू बेल्ट के नाम से विख्यात तमिलनाडु के मदुरई, तिरुचिरापल्ली, थेनी, पुदुक्कोट्टई और डिंडीगुल ज़िलों में लोकप्रिय है।
- कार्यक्रम का समय:
    - यह फसल कटने के समय तमिल त्योहार पोंगल के दौरान जनवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है।
- तमिल संस्कृति में जलीकट्टू का महत्त्व:
    - जल्लीकट्टू को किसान समुदाय के लिये अपनी शुद्ध नस्ल के सांडों को संरक्षित करने का एक पारंपरिक तरीका माना जाता है।
        - वर्तमान समय में जब पशु प्रजनन अक्सर एक कृत्रिम प्रक्रिया के माध्यम से होता है, ऐसे में संरक्षणवादियों और किसानों का तर्क है कि जल्लीकट्टू इन नर पशुओं की रक्षा करने का एक तरीका है, अन्यथा जुताई में इनकी उपयोगिता घटने के साथ इनका उपयोग केवल मांस के लिये ही किया जाता है।
    - जल्लीकट्टू के लिये इस्तेमाल किये जाने वाले लोकप्रिय देशी मवेशी नस्लों में कंगायम, पुलिकुलम, उमबलाचेरी, बारगुर और मलाई मडु आदि शामिल हैं। स्थानीय स्तर पर इन उन्नत नस्लों के मवेशियों को पालना सम्मान की बात मानी जाती है।

जल्लीकट्टू पर कानूनी हस्तक्षेप:

- वर्ष 2011 में केंद्र सरकार द्वारा बैलों को उन जानवरों की सूची में शामिल किया गया जिनका प्रशिक्षण और प्रदर्शनी प्रतिबंधित है।
- वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष 2011 की अधिसूचना का हवाला देते हुए एक याचिका दायर की गई थी जिस पर फैसला सुनाते सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया।

जल्लीकट्टू पर वर्तमान कानूनी स्थिति:

- राज्य सरकार ने इन कार्यक्रमों को वैध कर दिया है, जिसे अदालत में चुनौती दी गई है।
- वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू मामले को एक संविधान पीठ के पास भेज दिया, जहाँ यह मामला अभी लंबित है।

नोट :

द्वंद्वः

- जल्लीकट्टू के संदर्भ में एक द्वंद्व यह बना हुआ है कि क्या इस परंपरा को तमिलनाडु के लोगों के सांस्कृतिक अधिकार के रूप में संरक्षित किया जा सकता है, जो कि एक मौलिक अधिकार है।
  - गौरतलब है कि अनुच्छेद 29(1) के अनुसार, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, को उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।
  - हालाँकि इस विशेष मामले में अनुच्छेद 29(1) पशुओं के अधिकारों के खिलाफ प्रतीत होता है।

अन्य राज्यों में ऐसे खेलों की स्थितिः

- कर्नाटक द्वारा भी कंबाला नामक एक ऐसे ही खेल को बचाने के लिये एक कानून पारित किया है।
- तमिलनाडु और कर्नाटक को छोड़कर, जहाँ बैल को नियंत्रित या उनकी दौड़ का आयोजन अभी भी जारी है, सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2014 के प्रतिबंध आदेश के बाद ऐसे खेल आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र सहित अन्य सभी राज्यों में प्रतिबंधित हैं।

दृष्टि The Vision

चर्चा में

हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021

हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक (Henley Passport Index), 2021 में भारतीय पासपोर्ट को 85वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।

प्रमुख बिंदुः

हेनले पासपोर्ट सूचकांक:

- हेनले पासपोर्ट सूचकांक विश्व के सभी देशों के पासपोर्ट्स की रैंकिंग को दर्शाता है, इस सूची में किसी पासपोर्ट को इस आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है कि पासपोर्ट धारक बिना पूर्व वीजा के कितने देशों की यात्रा कर सकता है।
- मूल रूप से डॉ. क्रिश्चियन एच. केलिन (हेनले एंड पार्टनर्स के अध्यक्ष) द्वारा बनाई गई यह रैंकिंग पूरी तरह से 'इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन' (International Air Transport Association- IATA) के डेटा पर आधारित है, जो विश्व में यात्राओं का सटीक और सबसे बड़ा डेटाबेस रखता है।
- इसे वर्ष 2006 में लॉन्च किया गया था और इसमें 199 पासपोर्ट शामिल हैं।

नवीनतम रैंकिंग:

- शीर्ष रैंक धारक:
  - जापान इस सूचकांक में अपना स्थान (1st) बनाए रखने में सफल रहा, जापानी पासपोर्ट धारक विश्व भर के 191 देशों में पूर्व वीज़ा के बिना भी यात्रा कर सकते हैं।
  - इस सूचकांक में सिंगापुर (190 के स्कोर के साथ) दूसरे स्थान पर और जर्मनी तथा दक्षिण कोरिया (189 के स्कोर के साथ) सामूहिक रूप से तीसरे स्थान पर रहे।
  - पारंपरिक रूप से इस सूचकांक में यूरोपीय संघ के देशों, ब्रिटेन या अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहे हैं। परंतु इस वर्ष एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देश विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देशों के रूप में उभरे हैं क्योंकि इनमें कुछ ऐसे देश शामिल हैं, जहाँ COVID-19 महामारी से उबरने की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू की गई थी।
- निचली रैंक वाले देश:
  - सीरिया, इराक और अफगानिस्तान क्रमशः 29, 28 और 26 के स्कोर के साथ सबसे खराब पासपोर्ट वाले देश बने हुए हैं।
- भारत का प्रदर्शन:
  - इस सूचकांक में भारत 58 के स्कोर के साथ 85वें स्थान पर रहा।
  - भारतीय पासपोर्ट का प्रदर्शन इससे पहले वर्ष 2020 (84वें) और वर्ष 2019 (82वें) में बेहतर रहा था।
- पड़ोसी देशों के साथ तुलना:
  - इस सूचकांक में पाकिस्तान को 107वाँ और नेपाल को 104वाँ स्थान प्राप्त हुआ।

संबंधित सरकारी पहल:

- सरकार द्वारा अधिक-से-अधिक देशों के साथ संबंधों को मज़बूती प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि भारतीय यात्रियों को वीज़ा मुक्त यात्रा, आगमन पर वीज़ा (वीज़ा ऑन अराइवल) और ई-वीज़ा जैसी सुविधाएँ आसानी से मिल सकें और भारतीय नागरिकों के लिये अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाया जा सके।
  - हालाँकि वीज़ा जारी करना और इससे जुड़ी प्रक्रिया संबंधित देश का संप्रभु एवं व्यक्तिगत निर्णय है, परंतु भारतीय नागरिकों के लिये आसान तथा उदारीकृत वीज़ा नीति के मामले को द्विपक्षीय बैठकों में एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अन्य देशों के साथ नियमित रूप से उठाया जाता है।

अस्मी: मशीन पिस्टल

हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी 9 MM मशीन पिस्टल (9mm Machine Pistol) को इन्फैंट्री स्कूल, महोव और DRDO के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (DRDO's Armament Research & Development Establishment-ARDE), पुणे द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।

- मशीन पिस्तौल मुख्य रूप से पिस्तौल का स्व-लोडिंग संस्करण है जो पूरी तरह से स्वचालित है।

प्रमुख बिंदु:

पिस्तौल का नाम 'अस्मी' (Asmi) रखा गया है जिसका अर्थ गर्व, आत्मसम्मान तथा कठिन परिश्रम है।

अस्मी की विशेषताएँ:

- इस पिस्तौल में 9MM की गोली इस्तेमाल की जाएगी।
- इस पिस्तौल का वज़न लगभग 2 किलोग्राम, नाल (Barre) की लंबाई 8 इंच और मैगज़ीन (Magazine) की क्षमता 33 राउंड है।
- इसका ऊपरी रिसीवर एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्युमीनियम तथा निचला रिसीवर कार्बन फाइबर (Carbon Fibre) से बना है।
- इसके ट्रिगर घटक सहित विभिन्न भागों की डिज़ाइनिंग और प्रोटोटाइपिंग में 3डी प्रिंटिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया है।

महत्त्व:

- इसका इस्तेमाल कमांडो, सैनिकों, टैंक तथा विमान कर्मियों आदि द्वारा आमने-सामने की लड़ाई, चरमपंथ विरोधी व आतंकवाद-रोधी कार्यवाहियों में अधिक किया जा सकेगा।

प्रभावी लागत:

- एक मशीन पिस्तौल की उत्पादन लागत लगभग 50 हज़ार रुपए है और इसे निर्यात किये जाने की भी संभावना है।

भारतीय सेना दिवस

भारत में प्रतिवर्ष 15 जनवरी को जवानों और भारतीय सेना के सम्मान में सेना दिवस मनाया जाता है।

- इस वर्ष भारत अपना 73वाँ सेना दिवस मना रहा है।

प्रमुख बिंदु

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- 15 जनवरी, 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा (जो उस समय लेफ्टिनेंट जनरल थे) ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर-इन-चीफ जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना के कमांडर-इन-चीफ का कार्यभार ग्रहण किया। के.एम. करियप्पा इस पद को संभालने वाले पहले भारतीय थे।
- के.एम. करियप्पा ने जय हिंद के नारे को अपनाया, जिसका अर्थ है 'भारत की विजय' (Victory of India)। वह फील्ड मार्शल की फाइव स्टार रैंक प्राप्त करने वाले दो भारतीय सेना अधिकारियों में से एक हैं, जबकि दूसरे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ हैं।

सेना दिवस:

- देश के उन सैनिकों को सम्मान देने के लिये प्रतिवर्ष सेना दिवस मनाया जाता है, जिन्होंने निस्वार्थ सेवा, भाईचारे और देश प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल कायम की है।
- सेना दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष दिल्ली छावनी के करियप्पा परेड ग्राउंड में परेड का आयोजन किया जाता है।

भारतीय सेना:

- भारतीय सेना का उद्भव ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं से हुआ था, जो बाद में 'ब्रिटिश भारतीय सेना' और आखिरकार स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना बन गई।

नोट :

- भारतीय सेना की स्थापना लगभग 126 साल पहले अंग्रेज़ों द्वारा 1 अप्रैल, 1895 को की गई थी।
- ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 (Global Fire Power Index 2021) के अनुसार, भारत की सेना को दुनिया की चौथी सबसे मज़बूत सेना माना जाता है।
    - ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स: इस सूचकांक में देशों की रैंकिंग को 50 मानकों के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिसमें सैन्य संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, भौगोलिक विशेषताएँ और उपलब्ध मानव शक्ति शामिल है।

तिरुवल्लुवर दिवस

प्रधानमंत्री ने 15 जनवरी, 2021 को तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर को उनकी जयंती 'तिरुवल्लुवर दिवस' (Thiruvalluvar Day) के अवसर पर याद किया।

प्रमुख बिंदु:

तिरुवल्लुवर दिवस के संबंध में:

- यह पहली बार 17-18 मई को वर्ष 1935 में मनाया गया था।
- वर्तमान समय में इसे आमतौर पर तमिलनाडु में 15 या 16 जनवरी को मनाया जाता है और यह पोंगल समारोह का एक हिस्सा है।

तिरुवल्लुवर के संबंध में:

- तिरुवल्लुवर जिन्हें वल्लुवर भी कहा जाता है, एक तमिल कवि-संत थे।
    - धार्मिक पहचान के कारण उनकी कालावधि के संबंध में विरोधाभास है सामान्यत: उन्हें तीसरी-चौथी या आठवीं-नौवीं शताब्दी का माना जाता है।
    - सामान्यत: उन्हें जैन धर्म से संबंधित माना जाता है। हालाँकि हिंदुओं का दावा है कि तिरुवल्लुवर हिंदू धर्म से संबंधित थे।
    - द्रविड़ समूहों (Dravidian Groups) ने उन्हें एक संत माना क्योंकि वे जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे।
    - उनके द्वारा संगम साहित्य में तिरुक्कुरल या 'कुराल' (Tirukkural or 'Kural') की रचना की गई थी।
    - इस रचना को तीन भागों में विभाजित किया गया है-
        - अराम- Aram (सद्गुण- Virtue)।
        - पोरुल- Porul (सरकार और समाज)।
        - कामम- Kamam (प्रेम)।

तिरुवल्लुवर का सामाजिक महत्त्व:

- वर्ष 2009 में बंगलूरू के पास उलसूर में प्रसिद्ध तमिल कवि की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। लंदन के रसेल स्क्वायर में स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ के बाहर भी वल्लुवर की एक प्रतिमा लगाई गई है।
    - तिरुवल्लुवर की 133 फुट ऊँची प्रतिमा कन्याकुमारी में भी है।
- अक्तूबर 2002 में तमिलनाडु के वेल्लोर ज़िले में तमिलनाडु सरकार द्वारा तिरुवल्लुवर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।
- वर्ष 1976 में वल्लुवर कोटम नामक एक मंदिर-स्मारक चेन्नई में बनाया गया जो एशिया में सबसे बड़े सभागारों में से एक है।
- 16वीं शताब्दी की शुरुआत में चेन्नई के मायलापुर में एकमबेश्वरेश्वर मंदिर परिसर में तिरुवल्लुवर को समर्पित एक मंदिर बनाया गया था।

नागी-नकटी पक्षी अभयारण्य

हाल ही में बिहार के जमुई ज़िले के नागी-नकटी पक्षी अभयारण्य (Nagi-Nakti Bird Sanctuary) में पहले राज्य-स्तरीय पक्षी उत्सव 'कलरव' (Kalrav) का आयोजन किया गया।

- इस तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश के विशेषज्ञों और पक्षी प्रेमियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से किया गया।

नोट :

प्रमुख बिंदुः

अभयारण्य के संबंध में:

- नागी बाँध और नकटी बाँध दो अलग अभयारण्य हैं परंतु एक-दूसरे के नज़दीक होने के कारण इन्हें एक ही पक्षी क्षेत्र के रूप में माना जा सकता है।
- नागी-नकटी पक्षी अभयारण्य विविध प्रकार के पक्षियों और प्रवासी पक्षियों का विस्तृत निवास क्षेत्र है, जो यूरेशिया, मध्य एशिया, आर्कटिक सर्कल, रूस तथा उत्तरी चीन आदि स्थानों से शीत ऋतु के दौरान यहाँ आते हैं।

एवियन जीव:

- इन अभयारण्यों में पक्षियों की 136 से अधिक प्रजातियों को देखा गया है।
- बार-हेडेड गीज़: वेटलैंड्स इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 1,600 बार-हेडेड गीज़ (Bar-headed Geese), जो कि इस किस्म की वैश्विक आबादी के लगभग 3% हैं, को यहाँ देखा गया है। इससे प्रभावित होकर बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा पक्षियों की आबादी के संरक्षण के लिये नागी बाँध पक्षी अभयारण्य को वैश्विक रूप से महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया।
- बार-हेडेड गीज़:
  - वेटलैंड इंटरनेशनल, वेटलैंड के संरक्षण और उद्धार के लिये समर्पित एक वैश्विक गैर-लाभकारी संगठन है।
  - बर्डलाइफ इंटरनेशनल विभिन्न संरक्षण संगठनों की एक वैश्विक भागीदारी है, जो पक्षियों, उनके निवास स्थान और विश्व में जैव विविधता के संरक्षण हेतु प्रयासरत है। यह प्राकृतिक संसाधनों के न्यायोचित इस्तेमाल की वकालत करता है।
  - अन्य प्रमुख पक्षी: इंडियन कोर्सर (Indian Courser), इंडियन सैंडग्राउज़ (Sandgrouse), येलो-वॉटल्ड लैपविंग (Yellow-wattled Lapwing) और इंडियन रॉबिन (Robin)।
- अभयारण्यों की जैव विविधता के लिये बड़े खतरे: कृषि अपवाह; सिंचाई और वन विभागों के बीच भूमि विवाद; इन क्षेत्रों में मछली पकड़ना।

बिहार के अन्य पक्षी अभयारण्य:

- गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य, गया
- कावर झील पक्षी विहार, बेगूसराय
- कुशेश्वर आस्थान पक्षी अभयारण्य, दरभंगा

भारतीय सेना द्वारा UAV की खरीद

हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आइडियाफोर्ज (Idea Forge) के साथ 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के 'हाई अल्टीट्यूड ड्रोन्स' (High-Altitude Drones) की खरीद हेतु अनुबंध किया गया है।

- आइडियाफोर्ज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-बॉम्बे (IIT-B) के पूर्व छात्रों द्वारा स्थापित किया गया एक स्टार्ट-अप है।
- यह अनुबंध 'स्विच यूएवी' (SWITCH UAV) ड्रोन के उच्च ऊँचाई वाले संस्करण की खरीद से संबंधित है, जो पूर्णतः एक स्वदेशी प्रणाली है और जिसका उपयोग निगरानी कार्यों में किया जाता है।

प्रमुख बिंदुः

अनुबंध का महत्व:

- यह भारतीय रक्षा खरीद प्रक्रिया में स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीतिक प्रक्रिया का प्रतीक है।
- यह एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार सरकार द्वारा वित्तपोषित स्टार्ट-अप देश के विकास में मदद कर सकता है।
- किसी भी भारतीय उपकरण निर्माता द्वारा ड्रोन की खरीद हेतु किये गए अनुबंध मूल्य के संदर्भ में यह इस प्रकार का सबसे बड़ा आदेश है।

सेना के लिये UAV का महत्त्व:

- आर्मी ने SWITCH UAV के उच्च ऊँचाई वाले एक ऊर्ध्वाधर टेक-ऑफ और लैंडिंग ड्रोन के उन्नत संस्करण की खरीद हेतु आदेश दिया है । यह एक फिक्स्ड-विंग हाइब्रिड (Fixed-Wing Hybrid) मानवरहित हवाई वाहन (Unmanned Aerial Vehicle- UAV) है। इसमें निम्नलिखित विशेषताएँ पाई जाती हैं:
  - 15 किमी. रेंज के साथ उड़ान का अधिक समय।
  - यह लगभग 2.6 मीटर लंबा और 1.8 मीटर चौड़ा है जिसका वज़न 6.5 किलोग्राम से कम है।
  - उच्च सुरक्षा और सरल क्रियान्वयन।
  - इसका उपयोग खुफिया, निगरानी और टोही (Surveillance and Reconnaissance- ISR) मिशन हेतु दिन-रात किसी भी समय निगरानी करने के लिये कठिन वातावरण में लंबी अवधि तक संचालन हेतु किया जाता है।
  - फोटोग्रामेट्री (Photogrammetry) में उपयोग: फोटोग्राफिक चित्रों और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएंट इमेजरी के पैटर्न की रिकॉर्डिंग, मापन एवं उनके विवरण के माध्यम से भौतिक वस्तुओं और पर्यावरण के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने की तकनीक के रूप में उपयोगी।
- अन्य अनुप्रयोग: भीड़ की निगरानी, आपदा प्रबंधन, कृषि तथा खनन गतिविधियों के सटीक निर्धारण इत्यादि में।

गवि गंगाधरेश्वर मंदिर: कर्नाटक

आसमान में बादल घिरे होने के कारण गवि गंगाधरेश्वर मंदिर (कर्नाटक) में इस वर्ष 'सूर्य मज्जना' नामक वार्षिक घटना प्रभावित हुई है।

प्रमुख बिंदु:

- अवस्थिति: यह मंदिर कर्नाटक के बंगलूरू में स्थित है।
- नाम का अर्थ:
  - इस मंदिर का नाम इसकी स्थलाकृतिक विशेषताओं और पौराणिक कथाओं के संयोजन के आधार पर रखा गया है: गवि (गुफा) और गंगाधरेश्वर (शिव) का अर्थ है ऐसे भगवान जो गंगा को धारण करते हैं।
- स्थापना:
  - ऐसा माना जाता है कि इसके वर्तमान स्वरूप का निर्माण केम्पेगौड़ा प्रथम ने करवाया था।

वास्तु विशेषताएँ:

- खगोल आधारित वास्तुकला: विजयनगर शैली में निर्मित इस मंदिर में अद्वितीय खगोलीय रॉक कट वास्तुकला का उपयोग किया गया है, जिसके कारण हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ सूर्य महायज्ञ का आयोजन होता है।
- सूर्य मज्जना:
  - हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य की किरणें गुफा (गेवि) में स्थित शिवलिंग पर गिरती हैं, जिससकी वजह से शिवलिंग दस मिनट तक चमकता रहता है।
- दो एकाश्म संरचनाएँ:
  - प्रांगण के अग्रभाग में सूर्योपासना और चंद्रपाना नाम की दो अखंड संरचनाएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक विशाल खंभा है तथा एक सहायक खंभा भी है।
  - उनके पास गोलाकार संरचनाओं पर एक-दूसरे के सामने बैठे हुए बैलों की नक्काशी की गई है।
- शिव का प्रतीक चिह्न:
  - मंदिर परिसर शिव की प्रतिमा से जुड़ी अखंड संरचनाओं से सुशोभित है, जैसे- त्रिशूल और डमरू (घंटे के आकार का दो सिर वाले डमरू)।

- दो संरचनाओं के बीच में एक पीतल का ध्वजस्तंभ और एक छोटा शावक आवास है जिसमें नंदी (शिव का वाहक) की प्रतिमा है।

केम्पेगौडा प्रथम:

- केम्पेगौड़ा प्रथम विजयनगर साम्राज्य के अधीन एक सामंती राजा था।
- उसने वर्ष 1537 में बंगलूरू शहर की स्थापना की और इसका नाम अपने परिवार के देवता केमपम्मा के नाम पर रखा।
- उसे पीने के पानी और सिंचाई जैसे उद्देश्यों के लिये कई झीलों या केरों (Keres) के निर्माण का श्रेय भी दिया जाता है। जैसे-धर्मबुद्धि झील।

कर्नाटक के अन्य स्थल:

- बसवकल्याण
- हंपी (विश्व विरासत स्थल)
- बादामी
- ऐहोल आदि

इंडोनेशिया का सेमरू ज्वालामुखी

हाल ही में इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में स्थित सेमरू ज्वालामुखी (Semeru Volcano) में विस्फोट हुआ है। इंडोनेशिया में स्थित अन्य ज्वालामुखी जिनमें मेरापी ज्वालामुखी (जावा) और सिनाबंग ज्वालामुखी (सुमात्रा) शामिल हैं, में कुछ समय पूर्व ही विस्फोट हुआ था।

प्रमुख बिंदु:

सेमरू ज्वालामुखी:

- सेमरू- जिसे "द ग्रेट माउंटेन" के रूप में भी जाना जाता है जावा का सबसे उच्चतम ज्वालामुखी शिखर है तथा सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है।
- इसमें अंतिम बार दिसंबर, 2019 में विस्फोट हुआ था।
- इंडोनेशिया में विश्व के सक्रिय ज्वालामुखियों की सर्वाधिक संख्या होने के साथ-साथ इसके पैसिफिक रिंग ऑफ फायर (Pacific's Ring of Fire) में अवस्थित होने के कारण यहाँ भूकंपीय उथल-पुथल का खतरा भी बना रहता है।
- सेमरू ज्वालामुखी भी सूंडा प्लेट (यूरेशियन प्लेट का हिस्सा) के नीचे स्थित इंडो-ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के उप-भाग के रूप में निर्मित द्वीपीय चाप (Island Arcs) का हिस्सा है। यहाँ निर्मित खाई को सुंडा खाई के नाम से जाना है जावा खाई (Java Trench) इसका प्रमुख खंड/भाग है।

पैसिफिक रिंग ऑफ फायर:

- रिंग ऑफ फायर, जिसे सर्कम-पैसिफिक बेल्ट (Circum-Pacific Belt) के रूप में भी जाना जाता है, सक्रिय ज्वालामुखियों और लगातार आने वाले भूकंपों के कारण प्रशांत महासागर में निर्मित एक मार्ग है।
- यह प्रशांत (Pacific), कोकोस (Cocos), भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई (Indian-Australian), नाज़का (Nazca), उत्तरी अमेरिकी (North American) और फिलीपीन प्लेट्स (Philippine Plates) सहित कई टेक्टोनिक प्लेटों के मध्य एक सीमा का निर्धारण करती है।

द्वीपीय चाप:

- ये तीव्र ज्वालामुखीय और भूकंपीय गतिविधि तथा ओरोज़ेनिक (पर्वत-निर्माण) प्रक्रियाओं से जुडेज समुद्री द्वीपों की लंबी, घुमावदार श्रृंखलाएँ हैं।
  - एक द्वीपीय चाप में सामान्यत: एक लैंड मास (Land Mass) या आंशिक रूप से संलग्न उथला समुद्र शामिल होता है।

- उत्तल क्षेत्र के साथ हमेशा एक लंबी, संकीर्ण गहरी गर्त/खाई विद्यमान होती है।
- समुद्र के इन गहरे क्षेत्रों में सबसे बड़ी एवं गहरी महासागरीय गर्त पाई जाती है जिसमें मारियाना (दुनिया की सबसे गहरी खाई) और टोंगागर्त शामिल हैं।

- भूगर्भिक विशेषता के इन प्रारंभिक उदाहरणों में अलेउतियन-अलास्का गर्त (Aleutian-Alaska Arc) और कुरील-कामचटका गर्त (Kuril-Kamchatka Arc) शामिल हैं।

पश्चिमी विक्षोभ

भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department-IMD) के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance- WD) के कारण शीघ्र ही हिमालय क्षेत्र के प्रभावित होने की संभावना है।

- विक्षोभों के परिणामस्वरूप जम्मू के मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी और बारिश हो सकती है।

प्रमुख बिंदु:

- पश्चिमी विक्षोभ को भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले एक 'बहिरूष्ण उष्णकटिबंधीय तूफान' के रूप में चिह्नित किया जाता है, जो एक निम्न दबाव का क्षेत्र है तथा उत्तर-पश्चिम भारत में अचानक वर्षा, बर्फबारी और कोहरे के लिये ज़िम्मेदार है।
- पश्चिमी विक्षोभ का अर्थ इसके नाम में ही निहित है:
  - पश्चिमी विक्षोभ की दिशा 'पश्चिम' से 'पूर्व' की ओर होती है।
    - ये हाई अल्टीट्यूड पर पूर्व की ओर चलने वाली वर्स्टली जेट धाराओं (Westerly Jet Streams) के साथ यात्रा करते हैं-
  - विक्षोभ का तात्पर्य 'विक्षुब्ध' क्षेत्र या कम हवा वाले दबाव क्षेत्र से है।
    - प्रकृति में संतुलन मौजूद है जिसके कारण एक क्षेत्र में हवा अपने दबाव को सामान्य करने की कोशिश करती है।
- "बहिरूष्ण कटिबंधीय तूफान" शब्द में तूफान कम दबाव के क्षेत्र को संदर्भित करता है तथा "अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय"का अर्थ है उष्णकटिबंधीय के अतिरिक्त। चूँकि पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से बाहर होती है, इसलिये "बहिरूष्ण कटिबंधीय" शब्द उनके साथ जुड़ा हुआ है।
- पश्चिमी विक्षोभ का संबंध उत्तरी भारत में वर्षा, बर्फबारी और कोहरे से जुड़ा हुआ है। इसके कारण पाकिस्तान और उत्तरी भारत में वर्षा और बर्फबारी होती है। पश्चिमी विक्षोभ अपने साथ लाने वाली नमी को भूमध्य सागर और/या अटलांटिक महासागर से ग्रहण करते हैं।
- सर्दियों में होने वाली वर्षा और प्री-मॉनसून वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है जो उत्तरी उपमहाद्वीप क्षेत्र में रबी की फसल के विकास के लिये महत्त्वपूर्ण होती है।
- पश्चिमी विक्षोभ हमेशा ही अच्छे मौसम के सूचक नहीं होते हैं। ये बाढ़, भूस्खलन, धूल भरी आँधी, ओलावृष्टि, शीत लहर से लोगों की मृत्यु , बुनियादी ढाँचे की क्षति तथा आजीविका को प्रभावित करने वाली चरम मौसमी घटनाओं का कारण भी बन सकते है।
  - पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में विशेषज्ञों की राय उत्तराखंड में आई वर्ष 2013 की बाढ़ के संबंध में अलग है, जिसमें तीन दिनों तक लगातार वर्षा के बाद 5000 से अधिक लोग मारे गए थे।

इंडियन स्टार टोर्टोइज़

हाल ही में आंध्र प्रदेश से ओडिशा को तस्करी किये जा रहे इंडियन स्टार टोर्टोइज़ (Indian Star Tortoise) को जब्त किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- आवास:
  - इंडियन स्टार टोर्टोइज़ भारतीय उप-महाद्वीप में विशेष रूप से भारत के मध्य और दक्षिणी हिस्से में पाया जाता है। इसके अलावा यह पश्चिमी पाकिस्तान और श्रीलंका में भी पाया जाता है।

- संरक्षण स्थिति:
  - वन्यजीवन संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची IV में शामिल।
    - अनुसूची IV: इस सूची में उन प्रजातियों को शामिल किया गया है जो लुप्तप्राय नहीं हैं। इसमें संरक्षित प्रजातियों को शामिल किया जाता है लेकिन किसी भी उल्लंघन के मामले में दंड का प्रावधान अनुसूची-I और अनुसूची-II की तुलना में कम है।
  - वन्यजीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (CITES) पर कन्वेंशन: परिशिष्ट
  - IUCN स्थिति: सुभेद्य
- खतरा: प्रजातियों को दो प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ता है- पहला, कृषि के कारण आवास का नष्ट होना और दूसरा, पालतू पशुओं के व्यापार (Pet Trade) हेतु उन्हें अवैध रूप से पकड़ना।
  - वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (Wildlife Crime Control Bureau) के अनुसार इंडियन स्टार टोर्टोइज़ का 90% व्यापार अंतर्राष्ट्रीय पालतू जानवरों के बाज़ार (International Pet Market) के माध्यम से किया जाता है।
  - यदि इंडियन स्टार टोर्टोइज़ की तस्करी इसी गति से जारी रही तो वर्ष 2025 तक इनकी संख्या में 30% से अधिक की गिरावट देखी जा सकती है।
- संरक्षण के लिये किये गए प्रयास:
  - हाल ही में भारत के परिशिष्ट II से परिशिष्ट I में इंडियन स्टार टोर्टोइज़ के संरक्षण की स्थिति को उन्नत करने के प्रस्ताव को वन्यजीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (CITES) द्वारा अनुमोदित किया गया था।

बांदीपुर टाइगर रिज़र्व

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिज़र्व के नज़दीक नुगु जलाशय में फँसे एक जंगली हाथी को बचाया गया है।

- बाघ जनगणना 2018 के अनुसार, देश में मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक दूसरे स्थान पर है जहाँ बाघों की सर्वाधिक संख्या विद्यमान है।

प्रमुख बिंदु:

- स्थापना: इसकी स्थापना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वर्ष 1973 में की गई थी। वर्ष 1985 में वेणुगोपाला वन्यजीव पार्क से सटे क्षेत्रों को शामिल कर इसके क्षेत्रफल में वृद्धि की गई तथा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया।
- अवस्थिति: यह कर्नाटक के दो निकटतम ज़िलों (मैसूर और चामराजनगर) में फैला हुआ है तथा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के त्रि-जंक्शन क्षेत्र में स्थित है। यह नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व का एक हिस्सा है।
- पारिस्थितिक विविधता: यह देश के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है जो चारों ओर से निम्नलिखित जैव विविधता संपन्न क्षेत्रों से घिरा हुआ है:
  - दक्षिण में मुदुमलाई टाइगर रिज़र्व (तमिलनाडु)।
  - दक्षिण-पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य (केरल)।
  - काबिनी जलाशय उत्तर-पश्चिम में बांदीपुर और नागरहोल टाइगर रिज़र्व को अलग करता है।
- जैव विविधता: यह विभिन्न पुष्प प्रजातियों और जीव विविधता से संपन्न क्षेत्र है और देश के मेगा जैव विविधता क्षेत्रों (Mega Biodiversity Areas) के रूप में पहचाना जाता है।
  - बांदीपुर के साथ-साथ नागरहोल, मुदुमलाई, सत्यमंगलम और वायनाड में बाघों की वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है।
  - यह विश्व में एशियाई हाथियों की आबादी का सबसे बड़ा आश्रय स्थल है तथा मैसूर एलीफेंट रिज़र्व (Mysore Elephant Reserve- MER) का हिस्सा है।
- नदियाँ और उच्चतम बिंदु: यह पार्क उत्तर में कबिनी नदी और दक्षिण में मोयार नदी के मध्य स्थित है। नुगु नदी पार्क के मध्य से बहती है। पार्क का उच्चतम बिंदु हिमवद गोपालस्वामी बेट्टा (Himavad Gopalaswamy Betta) नामक पहाड़ी पर स्थित है।

- कर्नाटक में अन्य टाइगर रिज़र्व :
  - भद्रा टाइगर रिज़र्व (Bhadra Tiger Reserve)
  - नागरहोल टाइगर रिज़र्व (Nagarahole Tiger Reserve)
  - डंडेली-अंशी टाइगर रिज़र्व (Dandeli-Anshi Tiger Reserve)
  - बिलिगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर टाइगर रिज़र्व (Biligiri Ranganatha Swamy Temple (BRT) Tiger Reserve)
- इसके अलावा मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य को बाघ आरक्षित क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव दिया गया है।

एशियाई हाथी

- उप-प्रजातियाँ: एशियाई हाथी की तीन उप-प्रजातियाँ हैं- भारतीय, सुमात्रा और श्रीलंकाई।
- संरक्षण स्थिति:
  - IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय सूची में शामिल।
  - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अनुसूची I में शामिल।
- संरक्षण हेतु प्रयास :
  - गज यात्रा।
  - हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी हेतु कार्यक्रम (Monitoring the Illegal Killing of Elephants- MIKE)।
  - प्रोजेक्ट एलीफेंट।

गुरु गोबिंद सिंह जयंती

हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुरु गोबिंद सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

प्रमुख बिंदु:

गुरु गोबिंद सिंह:

- दस सिख गुरुओं में अंतिम गुरु गोबिंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर, 1666 को पटना, बिहार में हुआ था।
  - गुरु गोबिंद सिंह की जयंती नानकशाही कैलेंडर पर आधारित है, जिसके अनुसार, वर्ष 2021 में उनकी जयंती 20 जनवरी के दिन मनाई गई, जबकि पिछले वर्ष यह 2 जनवरी को मनाई गई थी।
- गुरु गोबिंद सिंह अपने पिता 'गुरु तेग बहादुर' यानी नौवें सिख गुरु की मृत्यु के बाद 9 वर्ष की आयु में 10वें सिख गुरु बने।
- वर्ष 1708 में उनकी हत्या कर दी गई थी।

योगदान:

- धार्मिक योगदान:
  - उन्हें सिख धर्म में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिये जाना जाता है, जिसमें बालों को ढकने के लिये पगड़ी की शुरुआत भी शामिल है।
  - उन्होंने खालसा या पाँच 'ककार' (Khalsa or the Five 'K's) के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया।
    - ये पाँच 'ककार' हैं- केश, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण। ये आस्था की पाँच वस्तुएँ हैं जिन्हें एक खालसा को हमेशा धारण करना चाहिये।
  - उन्होंने खालसा योद्धाओं के पालन करने हेतु कई अन्य नियम भी निर्धारित किये, जैसे- तंबाकू, शराब, हलाल मांस से परहेज आदि। खालसा योद्धा निर्दोष लोगों को उत्पीड़न से बचाने के लिये भी कर्तव्यनिष्ठ थे।
  - उन्होंने अपने बाद गुरु ग्रंथ साहिब (खालसा और सिखों के धार्मिक पुस्तक) को दोनों समुदायों का अगला गुरु घोषित किया।

- सैन्य:
  - उन्होंने वर्ष 1705 में मुगलों के खिलाफ मुक्तसर की लड़ाई लड़ी थी।
  - वर्ष 1704 में आनंदपुर की लड़ाई में गुरु गोबिंद सिंह की माँ और उनके दो नाबालिग पुत्रों की हत्या कर दी गई थी। इस लड़ाई में उनके बड़े बेटे की भी मौत हो गई।
- साहित्यिक योगदान:
  - उनके साहित्यिक योगदान में 'जाप साहिब', 'बेंती चौपाई', 'अमृत सवाई', आदि शामिल हैं।
  - उन्होंने ज़फरनामा भी लिखा था जो मुगल बादशाह औरंगज़ेब को लिखा गया एक पत्र था।

युद्धाभ्यास डेज़र्ट नाइट-21

भारतीय वायु सेना (Indian Air Force- IAF) तथा 'फ्राँसीसी वायु और अंतरिक्ष बल' द्वारा जोधपुर हवाई अड्डे पर 20-24 जनवरी, 2021 के बीच 'डेज़र्ट नाइट-21' (Desert Knight-21) नामक एक द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- इस युद्धाभ्यास में दोनों पक्षों द्वारा राफेल विमानों को शामिल किया गया और दोनों प्रमुख वायु सेनाओं के बीच समन्वय में वृद्धि होने के भी संकेत है।
- वर्तमान में युद्धाभ्यास 'डेज़र्ट नाइट-21' के लिये फ्राँसीसी सैन्य टुकड़ी को एशिया में उनकी 'स्काईरोज़ तैनाती' (Skyros Deployment) के हिस्से के रूप में तैनात किया गया है।
  - भारत और फ्राँस के राफेल लड़ाकू जेट 'एक्सरसाइज़ स्काईरोज़' (Exercise SKYROS) नामक युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं।
  - सितंबर 2020 से अब तक भारतीय वायु सेना में आठ राफेल लड़ाकू जेट को शामिल करते हुए उनका परिचालन शुरू किया गया है। गौरतलब है कि भारत द्वारा वर्ष 2016 में 7.87-बिलियन यूरो की लागत से फ्राँस के साथ 36 राफेल जेट विमानों के लिये अनुबंध किया गया था।
- भारत और फ्राँस के बीच रक्षा अभ्यास:
  - वरुण (Varuna) – नौसैनिक युद्धाभ्यास
  - गरुण (Garuda) –वायुसेना अभ्यास
  - शक्ति (Shakti) – संयुक्त सैन्य अभ्यास

नोट:

- भारतीय वायु सेना द्वारा हिंद महासागर के संपूर्ण विस्तारित क्षेत्र पर अपने हवाई प्रभुत्व का प्रदर्शन करने के लिये गगन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया जाता है।
  - इसमें सभी भू-भागों जैसे- रेगिस्तान, अधिक ऊँचाई, समुद्री परिदृश्य में संचालन और विशेष अभियान शामिल है जिसे रियल टाइम एरियल कॉम्बैट, हवा से सतह पर मुकाबला, पैराट्रूपर अटैक और मेडिकल इवेकुएशन (Medical Evacuation) जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए संचालित किया जाता है।
- 'गरुड़ शक्ति' भारत एवं इंडोनेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
- 'मित्र शक्ति' भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है।

शाहीन-III मिसाइल

हाल ही में पाकिस्तान ने शाहीन-III मिसाइल (Shaheen-III Missile) का सफल परीक्षण किया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

पाकिस्तान की शाहीन-III मिसाइल:

- यह परमाणु क्षमता वाली सतह-से-सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2,750 किमी. तक के लक्ष्य को भेद सकती है।
- मिसाइल का प्रक्षेपण हथियार प्रणाली के विभिन्न डिज़ाइन और तकनीकी मापदंडों को पुन: मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था।

अन्य हालिया विकास:

- हाल ही में चीन-भारत के मध्य बढ़ते तनाव के दौरान चीन ने भारत से चीनी और पाकिस्तानी वायु सेनाओं के मध्य ईगल-IX (या शाहीन-IX) सैन्य अभ्यास को एक तटस्थ दृष्टिकोण से देखने के लिये कहा था।

भारत की कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें:

- शौर्य मिसाइल
- ब्रह्मोस मिसाइल
- पृथ्वी मिसाइल
- अग्नि मिसाइल आदि।

अभ्यास कवच

देश के एकमात्र संयुक्त बल कमान के रूप में अंडमान एवं निकोबार कमान (ANC) के तहत त्रिस्तरीय सेना के संसाधनों को मिलाकर एक वृहद् संयुक्त सैन्य अभ्यास 'अभ्यास कवच' (Exercise Kavach) का संचालन किया जाएगा।

- अंडमान और निकोबार कमांड (ANC) जिसका मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर है, में पहला इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड (Integrated Theatre Command) है।

प्रमुख बिंदु:

- भागीदारी: इस अभ्यास में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना एवं तटरक्षक बल भाग लेंगे।
- विशेषताएँ: इस अभ्यास में समुद्री निगरानी संसाधनों के इस्तेमाल में तालमेल कायम करना, वायु एवं समुद्री हमलों, वायु रक्षा, पनडुब्बी एवं लैंडिंग ऑपरेशनों के समन्वित अनुप्रयोग शामिल हैं।
  - संयुक्त बल अंडमान सागर एवं बंगाल की खाड़ी में बहुक्षेत्रीय, उच्च मारक क्षमता तथा रक्षात्मक प्रणाली को कार्यान्वित करेगा।
  - तीनों सेनाओं के अभ्यास का लक्ष्य संयुक्त युद्धक क्षमताओं को बेहतर बनाना और संचालन संबंधी तालमेल बढ़ाने की दिशा में मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) तैयार करना है।
- लाभ: यह अभ्यास किसी विषम खतरे से निपटने में सभी एजेंसियों की तैयारियों की जाँच करेगा।
  - विषम खतरे का आशय किसी एक बल द्वारा अपनाई गई अपरंपरागत रणनीतियाँ और कार्यनीति से है।
- इस तरह के अभ्यास की आवश्यकता: वर्ष 1993 और वर्ष 2008 के मुंबई हमलों का कारण खराब समुद्री सीमा सुरक्षा थी।
- तटीय सुरक्षा के लिये अन्य अभ्यास:
  - अभ्यास सी-विज़िल।
  - ट्रॉपेक्स (Theatre-level Readiness Operational Exercise) का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में किया जाता है।

स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन (SAAW)

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation- DRDO) ने स्वदेश में निर्मित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन (Smart Anti-Airfield Weapon- SAAW) का सफल 'कैप्टिव एंड रिलीज़' उड़ान परीक्षण किया है। यह परीक्षण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के हॉक-I विमान के ज़रिये किया गया।

नोट :

- DRDO द्वारा पिछले पाँच वर्षों में किये गए परीक्षणों की श्रृंखला में SAAW का यह नौवाँ सफल परीक्षण था।

प्रमुख बिंदु

- पृष्ठभूमि: यह प्रणाली ग्लाइड बम श्रेणी से संबंधित है और इसका विकास 2012-13 के आस-पास भारतीय वायु सेना (Indian Air Force- IAF) से महत्त्वपूर्ण आदानों के साथ शुरू हुआ। पहली बार इसका परीक्षण वर्ष 2016 में किया गया था।

ग्लाइड बम (Glide Bomb): यह एक ऐसा बम है जिसे वायुसेना के लड़ाकू विमानों द्वारा निर्देशित प्रणाली यानी गाइडेंस मैकेनिज़्म का प्रयोग कर वांछित लक्ष्य पर सटीकता से दागा जा सकता है।

- विनिर्माण: DRDO के हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत (Research Centre Imarat- RCI) द्वारा।
- विशेषताएँ:
  - इसे ज़मीनी लक्ष्यों, विशेष रूप से प्रतिकूल एयरफील्ड बुनियादी ढाँचों या रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण अन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  - यह 125 किलोग्राम वज़न श्रेणी का स्मार्ट वेपन है जो स्थल पर स्थित शत्रु की एयरफील्ड संपत्तियों जैसे- रडार, बंकर, टैक्सी ट्रैक और रनवे को 100 किलोमीटर की दूरी से निशाना बना सकता है।
  - इस उच्च सटीकता वाले निर्देशित बम का वज़न भी इस श्रेणी की अन्य हथियार प्रणालियों की तुलना में कम है।
- अन्य संबंधित विकास: अक्तूबर 2020 में शत्रु के रडार और संचार संपत्तियों को लक्षित करने के लिये डिज़ाइन की गई एक अन्य हथियार प्रणाली रुद्रम (Rudram) का परीक्षण किया गया था।
  - रुद्रम, भारतीय वायु सेना के लिये विकसित भारत की पहली स्वदेशी एंटी-रेडिएशन मिसाइल है।
  - रुद्रम को भारतीय वायु सेना (IAF) की 'सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस' (SEAD) क्षमता बढ़ाने के लिये विकसित किया गया है।
    - SEAD रणनीति के कई पहलुओं में से एक के रूप में एंटी-रेडिएशन मिसाइलों का उपयोग मुख्य रूप से दुश्मन की हवाई रक्षा परिसंपत्तियों पर हमले के लिये हवाई युद्ध के प्रारंभ में किया जाता है।

24वाँ हुनर हाट

22 जनवरी से 04 फरवरी, 2021 तक लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में 24वें "हुनर हाट" (Hunar Haat) का आयोजन किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदुः

हुनर हाट के विषय में:

- हुनर हाट अल्पसंख्यक समुदायों के कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों की प्रदर्शनी है। उल्लेखनीय है कि देश में पहले हुनर हाट का आयोजन नवंबर 2016 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के दौरान प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया गया था।

विषयवस्तु/थीम:

- वोकल फॉर लोकल (Vocal for Local)।

आयोजनकर्त्ता:

- इसका आयोजन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 'उस्ताद' योजना के तहत किया जाता है।
  - 'उस्ताद' का पूरा नाम विकास के लिये पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन (Upgrading the Skills and Training in Traditional Arts/Crafts for Development- USTTAD) है।
  - इसका लक्ष्य अल्पसंख्यकों की पारंपरिक कला/शिल्प की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना है।

उद्देश्य:

- हुनर हाट का उद्देश्य मास्टर कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक पाक विशेषज्ञों को बाज़ार तथा रोज़गार के अवसर प्रदान करना है।

- इसमें ऐसे शिल्पकारों, बुनकरों और कारीगरों के कौशल को संवर्द्धित करने की परिकल्पना की गई है जो पहले से ही पारंपरिक पुश्तैनी कामों में लगे हुए हैं।

महत्त्व:

- देश के विभिन्न स्थानों में आयोजित हो रहे "हुनर हाट", दस्तकारों, शिल्पकारों के लिये उत्साहवर्द्धक और लाभदायक साबित हो रहे हैं। एक ओर जहाँ "हुनर हाट" में लाखों लोग आते हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों द्वारा दस्तकारों, शिल्पकारों से करोड़ों रुपए की स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी भी की जाती है।
  - पिछले लगभग 5 वर्षों में "हुनर हाट" के माध्यम से 5 लाख से अधिक दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों और उनसे जुड़े लोगों को रोज़गार एवं रोज़गार के अवसर उपलब्ध हुए हैं।

को-विन एप

कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की निगरानी और प्रबंधन में सुधार की दृष्टि से हाल ही में को-विन/Co-WIN (पूरा नाम- Covid Vaccine Intelligence Network) एप के सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया है।

प्रमुख बिंदु

एप के विषय में:

- Co-WIN एक क्लाउड आधारित सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म है और इसे भारत के कोविड-19 प्रतिरक्षण कार्यक्रम से संबंधित महत्त्वपूर्ण सूचनाओं के प्रबंधन हेतु तैयार किया गया है। इसके तहत किये जाने वाले कार्यों में सूचना प्रबंधन में लाभार्थियों का पंजीकरण, टीकाकरण हेतु केंद्रों का आवंटन, लाभार्थियों को उनके टीकाप्रदाता/वैक्सीनेटर के नाम के साथ संदेश भेजना और कोल्ड स्टोरेज में वैक्सीन की शीशियों की लाइव निगरानी करना शामिल है।

संबद्ध एजेंसियाँ:

- Co-WIN प्लेटफॉर्म का संचालन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वामित्व में किया जा रहा है तथा पूर्व में इसका उपयोग देश भर में पल्स पोलियो एवं अन्य महत्त्वपूर्ण प्रतिरक्षी कार्यक्रमों के संचालन हेतु किया जाता था।
  - कोविड-19 टीकों के वितरण हेतु भी इस मंच का विस्तार किया गया है, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ-साथ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इसके लिये बैकेंड और तकनीकी बुनियादी ढाँचे के संचालन का कार्य कर रहे हैं।

विशेषताएँ:

- निगरानी तथा ट्रैकिंग: यह एप टीकाकरण अभियान की निगरानी और टीकाकरण के लिये सूचीबद्ध लाभार्थियों की रियल टाइम ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है।
  - इस प्रकार यह प्रॉक्सी टीकाकरण का मुकाबला करने में भी मदद करता है।
- आधार (Aadhaar) सक्षम: यह एप आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभार्थियों की सटीक पहचान करेगा।

रिसा

त्रिपुरा की राज्य सरकार का लक्ष्य वहाँ के पारंपरिक परिधान रिसा (Risa) को राष्ट्रीय स्तर पर त्रिपुरा के विशिष्ट परिधान (Tripura's Signature Garment) के रूप में बढ़ावा देना है।

- इसके लिये आँगनवाड़ी और आशा कार्यकर्त्ताओं को रिसा वर्दी प्रदान करने के साथ-साथ त्रिपुरा हथकरघा तथा हस्तशिल्प विकास निगम में रिसा बनाने के लिये प्रशिक्षण की सुविधा जैसी विभिन्न पहलों की शुरुआत की गई है।
- रिसा की ब्रांडिंग 'इंडिया हैंडलूम ब्रांड' के तहत की जा रही है जो केंद्र सरकार की 'वोकल फॉर लोकल' पहल का समर्थन करता है।

प्रमुख बिंदु:

रिसा के संबंध में:

- रिसा हाथ से बना एक कपड़ा है जिसका इस्तेमाल महिलाएँ शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने के लिये करती हैं।
- पारंपरिक त्रिपुरी पोशाक के तीन हिस्से होते हैं- रिसा, रिग्नयी और रिकुतु।
  - रिग्नयी: इसे मुख्य रूप से शरीर के निचले परिधान के रूप में जाना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है 'पहनने के लिये'। इसे भारत के मुख्य परिधान 'साड़ी' की स्वदेशी किस्म के रूप में समझा जा सकता है।
  - रिकुतु: रिकुतु से शरीर के ऊपरी हिस्से को साड़ी की तरह ढकते हैं। रिकुतु का प्रयोग भारतीय साड़ी की चुनरी या पल्लू के तौर पर भी किया जाता है।
- कभी-कभी रिसा का उपयोग किसी व्यक्ति को टोपी या स्टोल देकर उसके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिये भी किया जाता है।

सांस्कृतिक महत्त्व:

- त्रिपुरा की 12 से 14 वर्ष की किशोर लड़कियों को सबसे पहले रिसा को रिसा नामक कार्यक्रम में पहनने के लिये दिया जाता है।
- रिसा का उपयोग पुरुषों द्वारा शादी और त्योहारों के दौरान पगड़ी के रूप में भी किया जाता है।
- त्रिपुरा के लगभग सभी 19 स्वदेशी जनजातीय समुदायों में रिसा का प्रचलन आम है। हालाँकि प्रत्येक समुदाय के अपने अलग-अलग डिज़ाइन हैं।
- इसका प्रयोग आदिवासी समुदायों द्वारा धार्मिक महोत्सव जैसे गरिया पूजा में किया जाता है।
- गरिया पूजा महोत्सव
  - यह त्रिपुरा का एक प्रमुख महोत्सव है, जिसका आयोजन चैत्र महीने के अंतिम दिन किया जाता है।
  - यह त्रिपुरा की नृजातीय जनजातियों- त्रिपुरी और रींगस द्वारा एक फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है।
  - इस महोत्सव के दौरान गरिया नृत्य भी किया जाता है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार

हाल ही में 32 बच्चों को उनकी असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिये 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार' (Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar) से सम्मानित किया गया है।

- ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष भारत के राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के पहले सप्ताह में प्रदान किये जाते हैं।

प्रमुख बिंदु:

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को दो श्रेणियों के अंतर्गत दिया जाता है:

- बाल शक्ति पुरस्कार।
- बाल कल्याण पुरस्कार।

बाल शक्ति पुरस्कार:

- मान्यता:
  - यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् नवाचार, शैक्षिक योग्यता, सामाजिक सेवा, कला और संस्कृति, खेल और बहादुरी में बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिये दिया जाता है।
- योग्यता:
  - कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है तथा जिसकी आयु 5-18 वर्ष के बीच है, इस पुरस्कार को पाने के योग्य है।

- पुरस्कार:
  - इस पुरस्कार के तहत एक पदक, 1,00,000 रुपए का नकद पुरस्कार, 10,000 रुपए कीमत का बुक वाउचर, एक प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।
- पृष्ठभूमि:
  - इसे वर्ष 1996 में असाधारण उपलब्धि के लिये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के रूप में स्थापित किया गया और वर्ष 2018 से बाल शक्ति पुरस्कार के रूप में जाना गया।

बाल कल्याण पुरस्कार:

- मान्यता:
  - यह उन व्यक्तियों और संस्थानों को दिया जाता है, जिन्होंने बाल विकास, बाल संरक्षण और बाल कल्याण के क्षेत्र में बच्चों के लिये उत्कृष्ट योगदान दिया है।
- योग्यता:
  - कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक हो और भारत में रहता हो तथा 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु का हो (संबंधित वर्ष के 31 अगस्त को) एवं बच्चों के हित में कम-से-कम 7 वर्ष से कार्य कर रहा हो।
  - कोई संस्था जो पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित नहीं है और 10 वर्ष से बाल कल्याण के क्षेत्र लगातार कार्यरत हो।
- पुरस्कार:
  - दोनों श्रेणियों (व्यक्तिगत और संस्थान) में से प्रत्येक में तीन पुरस्कार दिये जाते हैं जिसमें क्रमशः 1,00,000 रुपए और 5,00,000 रुपए का नकद पुरस्कार शामिल है।
- पृठभूमि:
  - इसे वर्ष 1979 में बाल कल्याण पुरस्कार के रूप में स्थापित किया गया था जिसे वर्ष 2018 से राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार के रूप में जाना गया।

पद्म पुरस्कार 2021

हाल ही में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर वर्ष 2021 के लिये पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई।

प्रमुख बिंदु:

पुरस्कार विजेता (वर्ष 2021):

- इस वर्ष कुल 119 पद्म पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे, जिनमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्म श्री शामिल हैं।

कुछ पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता (कुल 7 में से):

- श्री शिंजो आबे (पूर्व जापानी प्रधानमंत्री), श्री एस.पी. बालासुब्रमण्यम (गायक,मरणोपरांत), डॉ.बेल्ले मोनप्पा हेगड़े (चिकित्सा), श्री सुदर्शन साहू (कला), आदि।

कुछ पद्म भूषण पुरस्कार विजेता (कुल 10 में से):

- सुश्री कृष्णन नायर शांतकुमारी चित्रा (कला), श्री तरुण गोगोई (लोक-कार्य), सुश्री सुमित्रा महाजन (लोक-कार्य), श्री राम विलास पासवान (लोक-कार्य,मरणोपरांत), आदि।

कुछ पद्म श्री पुरस्कार विजेता (कुल 102 में से):

- श्री गुलफाम अहमद (कला), सुश्री पी.अनीथा (खेल), श्री राम स्वामी अन्नवरपु (कला) आदि।

नोट :

पृष्ठभूमि:

- भारत में पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के अवसर पर की जाती है।
- 1954 में स्थापित यह पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है।

उद्देश्य:

- यह पुरस्कार उन सभी क्षेत्रों की गतिविधियों या विषयों में उपलब्धियों को सम्मानित करने का प्रयास करता है, जिसमें सार्वजनिक सेवा का भाव शामिल होता है।

श्रेणियाँ:

- ये पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिये जाते हैं:
  - पद्म विभूषण (असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिये)
  - पद्म भूषण (उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिये)
  - पद्मश्री (किसी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिये)
- पद्म विभूषण, पद्म पुरस्कारों के पदानुक्रम में सर्वोच्च सम्मान है और इसके बाद 'पद्म भूषण' और 'पद्म श्री' आते हैं।

विषय/कार्यक्षेत्र:

- ये पुरस्कार विभिन्न विषयों/गतिविधियों के क्षेत्रों, जैसे- कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार तथा उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि में दिये जाते हैं।

चयन प्रक्रिया:

- पद्म पुरस्कार समिति:इन पुरस्कारों को पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर प्रदान किया जाता है, इस समिति को हर वर्ष भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा गठित किया जाता है।
- राष्ट्रपति द्वारा वितरण: ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वर्ष मार्च/अप्रैल के महीने में वितरित किये जाते हैं।

भारत रत्न:

- भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
- यह मानव सेवा के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा/सर्वोच्च प्रदर्शन के लिये प्रदान किया जाता है।
- भारत रत्न के लिये सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को की जाती है।
- भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या किसी एक वर्ष में अधिकतम तीन तक ही सीमित है।

कान्हा टाइगर रिज़र्व

हाल ही में मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिज़र्व (Kanha tiger reserve) के बफर ज़ोन (Buffer Zone) क्षेत्र में एक बाघिन मृत पाई गई।

प्रमुख बिंदु:

- अवस्थिति: कान्हा टाइगर रिज़र्व मध्य प्रदेश के दो ज़िलों- मंडला (Mandla) और बालाघाट (Balaghat) में 940 वर्ग किमी. के क्षेत्र में फैला हुआ है।
- इतिहास: वर्तमान कान्हा टाइगर रिज़र्व क्षेत्र पूर्व में दो अभयारण्यों- हॉलन (Hallon) और बंजार (Banjar) में विभाजित था। वर्ष 1955 में इसे कान्हा नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया तथा वर्ष 1973 में कान्हा टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया।
  - कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है।

विशेषताएँ:

- जीव-जंतु:
  - मध्य प्रदेश का राजकीय पशु- हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा या स्वैम्प डियर (Swamp deer or Rucervus duvaucelii) विशेष रूप से कान्हा टाइगर रिज़र्व में पाया जाता है।
  - अन्य प्रजातियों में टाइगर, तेंदुआ, भालू, गौर और भारतीय अज़गर आदि शामिल हैं।
- पेड़-पौधे:
  - यह अपने सदाबहार साल के जंगलों (शोरिया रोबस्टा) के लिये जाना जाता है।
- यह भारत में आधिकारिक शुभंकर, "भूरसिंह द बारहसिंगा" (Bhoorsingh the Barasingha) का पहला टाइगर रिज़र्व है।

मध्य प्रदेश में अन्य टाइगर रिज़र्व :

- संजय-दुबरी टाइगर रिज़र्व।
- पन्ना टाइगर रिज़र्व।
- सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व।
- बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व।
- पेंच टाइगर रिज़र्व।

कोर और बफर ज़ोन

- प्रबंधन के उद्देश्य से 'कोर - बफर' रणनीति के तहत टाइगर रिज़र्व की स्थापना की जाती है।
- कोर क्षेत्रों में वानिकी, लघु वनोपज संग्रह, चराई, मानव बस्तियाँ और अन्य किसी भी प्रकार के जैविक हस्तक्षेप (Biotic Disturbances) की अनुमति नहीं होती है जो कि संरक्षण की दिशा में एक विशेष कदम है।
- बफर जोन (Buffer Zone) का प्रबंधन एक बहुउद्देश्यीय उपयोगी क्षेत्र (Multiple Use Area) के रूप में किया जाता है, जिसमें भूमि का संरक्षण उन्मुख उपयोग शामिल होता है, यह हितधारक समुदायों को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट साइट के इको डेवलपमेंटल (Eco Developmental) हेतु लागत सुविधा प्रदान करने के अलावा कोर क्षेत्र में जंगली जानवरों की पूर्व संरक्षित आबादी को निवास स्थान प्रदान करने जैसे उद्देश्यों की भी पूर्ति करता है।

बारहसिंगा (Barasingha)

- उप-प्रजाति: भारतीय उपमहाद्वीप में बारहसिंगा/स्वैम्प डियर की तीन उप-प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जो इस प्रकार हैं:
  - नेपाल में पाया जाने वाला वेस्टर्न स्वैम्प डियर (Rucervus duvaucelii)
  - साउथन स्वैम्प डियर/हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा (Rucervus duvaucelii branderi) मध्य और उत्तर भारत में पाया जाता है।
  - काजीरंगा (असम) और दुधवा नेशनल पार्क (उत्तर प्रदेश) में पाए जाने वाले इस्टर्न स्वैम्प डियर (Rucervus duvaucelii ranjitsinhi)
- स्वैम्प डियर की संरक्षण स्थिति:
  - IUCN की रेड लिस्ट: सुभेद्य
  - CITES: परिशिष्ट I
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची I

35वीं प्रगति बैठक

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (Pro-Active Governance And Timely Implementation- PRAGATI) के 35वें संस्करण की अध्यक्षता की। यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) आधारित मल्टीमॉडल प्लेटफॉर्म है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें शामिल हैं।

- इसमें दस परियोजनाओं की समीक्षा की गई जिनमें कुल 54,675 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। साथ ही प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना (Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Pariyojana) की भी समीक्षा की गई।

प्रमुख बिंदु:

प्रगति के बारे में:

- प्रगति (PRAGATI) को वर्ष 2015 में लॉन्च किया गयाI यह प्रो-एक्टिव गवर्नेंस और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन हेतु एक मल्टीमॉडल प्लेटफॉर्म है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें शामिल हैं।
- इसे प्रधानमंत्री कार्यालय (Prime Minister's Office- PMO) की टीम द्वारा राष्ट्रीय सूचना केंद्र (National Informatics Center- NIC) की मदद से तैयार किया गया है।
- यह पीएम को संबंधित केंद्र और राज्य के अधिकारियों के साथ ज़मीनी स्तर पर स्थिति की पूरी जानकारी और नवीनतम दृश्यों के साथ चर्चा करने में सक्षम बनाता है।
    - PRAGATI में तीन विशिष्ट नवीनतम तकनीकों का समावेश किया गया है जिसमें डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग और भू-स्थानिक तकनीक शामिल है।
- यह एक त्रिस्तरीय प्रणाली (PMO, केंद्र सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव) है।

उद्देश्य:

- शिकायत निवारण।
- कार्यक्रम क्रियान्वयन।
- परियोजना की निगरानी।

महत्त्व:

- यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है क्योंकि यह भारत सरकार के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों को एक साथ मंच पर लाता है।
- यह प्रमुख हितधारकों की वास्तविक समय पर उपस्थिति के साथ-साथ विनिमय में ई-पारदर्शिता एवं ई-जवाबदेही हेतु एक मज़बूत प्रणाली है।
- यह ई-गवर्नेंस और सुशासन हेतु एक नवीनतम परियोजना है।

चिंताएँ:

- राज्यों के राजनीतिक अधिकारियों को शामिल किये बिना राज्य सचिवों के साथ पीएम की सीधी बातचीत राज्य की राजनीतिक कार्यकारी को कमज़ोर कर रही है।
- यह पीएमओ के अतिरिक्त संवैधानिक कार्यालय (Extra-Constitutional Office) को अधिक शक्तिशाली बनाता है।

कला उत्सव 2020

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा कला उत्सव 2020 का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि यह शिक्षा में कला को प्रोत्साहित करने के लिये आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है।

प्रमुख बिंदु:

कला उत्सव (Kala Utsav):

- संबंधित मंत्रालय: कला उत्सव शिक्षा के क्षेत्र में कला को बढ़ावा देने के लिये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय (MoE) की एक पहल है।
    - इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) के तहत शुरू किया गया था, जिसे अब 'समग्र शिक्षा - स्कूल शिक्षा के लिये एक एकीकृत योजना' के तहत अन्य योजनाओं के साथ मिला दिया गया है।

- उद्देश्य: कला उत्सव का उद्देश्य देश में माध्यमिक स्तर पर स्कूली छात्रों की कलात्मक प्रतिभा को पहचानना, इसके पोषण और प्रदर्शन के लिये मंच प्रदान करना है।
    - ज़िला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर इस उत्सव की संरचना एक कला उत्सव के रूप में की गई है जिसमें कला प्रस्तुतियाँ एवं प्रदर्शनियाँ सम्मिलित हैं।
- कार्यान्वयन:
    - कला (संगीत, रंगमंच, नृत्य, दृश्य कला और शिल्प) की शिक्षा के संदर्भ में यह पहल राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 (NCF-2005) की अनुशंसाओं पर आधारित है।
- महत्त्व:
    - कला उत्सव 2020 में स्वदेशी खिलौने और खेल अनुभाग को शामिल किये जाने से 'वोकल फॉर लोकल' (Vocal for Local) पहल को समर्थन प्राप्त हुआ है।
    - यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है जो शिक्षा के माध्यम से कला और संस्कृति को बढ़ावा देने पर ज़ोर देती है।
    - यह माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिये सौंदर्यशास्त्र और कलात्मक अनुभवों को बढ़ाकर, समग्र शिक्षा योजना (Samagra Shiksha Scheme) को अतिरिक्त समर्थन प्रदान करता है, जो 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के अनुरूप भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इसकी जीवंत विविधता के बारे में जागरूकता फैलाने में प्रमुख भूमिका निभाता है।
    - यह छात्रों में तर्क शक्ति, समझदारी, समस्या को सुलझाने, संज्ञानात्मक और निर्णायक क्षमताओं को बढ़ाता है, जो छात्र के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं।

कला को बढ़ावा देने हेतु शुरू की गई अन्य पहलें:

- कला संस्कृति विकास योजना (केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय)।
- अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिये योजना (केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय)।

विविध

जेम्स नाइस्मिथ

हाल ही में गूगल ने प्रोफेसर और बास्केटबॉल खेल के आविष्कारक जेम्स नाइस्मिथ को डूडल बनाकर सम्मानित किया है। जेम्स नाइस्मिथ का जन्म कनाडा के ओंटारियो में हुआ था। जेम्स नाइस्मिथ ने वर्ष 1891 की सर्दियों के दौरान बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किया था। असल में प्रोफेसर जेम्स नाइस्मिथ एक ऐसा इंडोर खेल विकसित करना चाहते थे, जिसे सर्दियों के दौरान आसानी से खेला जा सके। इस तरह जेम्स नाइस्मिथ ने बास्केटबाल की शुरुआत की, जिसमें दीवार पर ऊँचाई में एक टोकरी लगी थी और सभी खिलाड़ियों को अंक अर्जित करने के लिये उस टोकरी में सॉकर गेंद डालनी थी। साथ ही किसी को चोट लगे इसके लिये उन्होंने नियम बनाया था कि कोई भी खिलाड़ी सॉकर गेंद के साथ भाग नहीं सकता, बल्कि उन्हें गेंद एक-दूसरे के ज़रिये आगे बढ़ानी होगी। बास्केटबॉल को पहली बार वर्ष 1904 में ओलंपिक खेल सेंट लुइस में एक डेमोंस्ट्रेशन स्पोर्ट्स के रूप में प्रस्तुत किया गया था। बास्केटबॉल को 28 खिलाड़ियों की दो टीमों द्वारा 28m x 15m के कोर्ट पर खेला जाता है, जिसमें सभी खिलाड़ियों को गेंद बास्केट में डालकर अंक अर्जित करने होते हैं। बास्केटबॉल को 10-10 मिनट की चार स्लॉट्स में खेला जाता है।

कागज़ रहित/पेपरलेस बजट

1 फरवरी, 2021 को प्रस्तुत किया जाने वाला केंद्रीय बजट मौजूदा कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र पूर्ण रूप से कागज़ रहित/पेपरलेस होगा। गौरतलब है कि आज़ादी के बाद यह पहला अवसर होगा, जब केंद्रीय बजट को कागज़ पर प्रकाशित नहीं किया जाएगा और यह पूर्णत: पेपरलेस होगा। केंद्र सरकार को दोनों सदनों से इस संबंध में अनुमति मिल गई है। ज्ञात हो कि बजट के प्रकाशन के कारण प्रतिवर्ष लगभग 100 से अधिक लोगों को एक साथ प्रिंटिंग प्रेस में तकरीबन दो सप्ताह तक काम करना पड़ता है, जो कि मौजूदा महामारी की दृष्टि से काफी खतरनाक है। इस व्यवस्था के मुताबिक, संसद के सभी सदस्यों को बजट की डिजिटल कॉपी प्रदान की जाएगी। बजट के साथ-साथ आर्थिक सर्वेक्षण को भी कागज़ पर प्रिंट नहीं किया जाएगा, बल्कि वह भी डिजिटल कॉपी के रूप में उपलब्ध होगा। 29 जनवरी, 2021 को शुरू हो रहा मौजूदा वर्ष का बजट सत्र 8 अप्रैल, 2021 तक चलेगा और इसे कुल दो हिस्सों में विभाजित किया जाएगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जो वित्तीय वर्ष के दौरान अपेक्षित राजस्व और अनुमानित व्यय को दर्शाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वहीं वर्ष 1970-71 का केंद्रीय बजट इस मायने में खास था कि उसे पहली बार किसी महिला (तत्कालीन प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री इंदिरा गांधी) द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा नियम, 2021

हाल ही में झारखंड सरकार ने 'झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा नियम, 2021' जारी किये हैं, साथ ही झारखंड राज्य ने अपने गठन के बाद पहली बार झारखंड सिविल सेवा से संबंधित नियम बनाए हैं। झारखंड सिविल सेवा को लेकर बनाए गए नए नियमों के मुताबिक, झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में परीक्षाओं का कैलेंडर प्रकाशित किया जाएगा। इस तरह अब राज्य में प्रतिवर्ष परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। नए नियमों में कहा गया है कि मेंस (लिखित) परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापन रिक्तियों की कुल संख्या से लगभग 15 गुना अधिक होगी। इन नियमों में स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों से संबंधित कोई नियम नहीं बनाया गया है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा इस संबंध में प्रावधान किया गया है। झारखंड सिविल सेवा के लिये इन नियमों की आवश्यकता को इस बात से समझा जा सकता है कि झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा बीते 20 वर्षों में केवल 6 परीक्षाओं का आयोजन किया गया है। इस तरह इन नियमों के माध्यम से झारखंड में सिविल सेवा में चयन की प्रक्रिया को और अधिक व्यवस्थित किया जा सकेगा।

सड़क सुरक्षा माह

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 18 जनवरी, 2021 को नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ करेंगे। यह आयोजन सभी सड़क उपयोगकर्त्ताओं के लिये सड़कों को सुरक्षित बनाने की दिशा मं् एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम का आयोजन देश भर में आम जनता, विशेषकर युवाओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। साथ ही इसका उद्देश्य सभी पक्षकारों

को सड़क सुरक्षा हेतु योगदान बढ़ाने का अवसर प्रदान करना है। इस माह के दौरान स्कूलों और कॉलेजों के साथ-साथ वाहन चालकों और सड़क का उपयोग करने वाले आम लोगों के लिये विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सड़क दुर्घटना के कारणों और दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों को रेखांकित किया जाएगा।

विस्टाडोम कोच

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों से नर्मदा ज़िले के केवड़िया, जहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है, तक संचालन हेतु आठ ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इस कदम का प्राथमिक उद्देश्य आदिवासी बेल्ट में पर्यटन को आकर्षित करना है। इन आठ ट्रेनों में से अहमदाबाद-केवड़िया के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस में विस्टाडोम कोच का प्रयोग किया गया है। 'विस्टाडोम कोच' भारतीय रेलवे द्वारा निर्मित एक प्रकार के अत्याधुनिक कोच हैं, जिन्हें मुख्य तौर पर यात्रा के दौरान यात्रियों के लिये आराम के साथ-साथ उन्हें आसपास के क्षेत्रों का अनुभव प्रदान करने हेतु बनाया गया है। इस कोच का निर्माण तमिलनाडु स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा निर्मित इन नए और अत्याधुनिक कोचों में हवाई जहाज़ों के समान फोल्डेबल स्नैक टेबल हैं, साथ ही इनमें ब्रेल भाषा में सीट नंबर, डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन तथा स्पीकर के साथ इंटीग्रेटेड इन-बिल्ट एंटरटेनमेंट सिस्टम भी शामिल है। विस्टाडोम कोच की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें यात्रा के दौरान आसपास के माहौल का लुत्फ उठाने के लिये बड़ी खिड़की के साथ एक ऑब्ज़रवेशन लाउंज बनाया गया है। साथ ही इस कोच में CCTV सर्विलांस, फायर अलार्म सिस्टम और एक LED बोर्ड भी लगाया गया है।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव

हाल ही में गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) के 51वें संस्करण की शुरुआत की गई। प्रतिवर्ष 20-18 नवंबर के बीच आयोजित होने वाले इस सुप्रसिद्ध फिल्म समारोह को बीते वर्ष महामारी के प्रसार के चलते स्थगित कर दिया गया था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) की शुरुआत वर्ष 1952 में की गई थी, पहली बार इस महोत्सव का आयोजन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के संरक्षण में भारत सरकार के फिल्म डिवीज़न द्वारा किया गया था। गौरतलब है कि वर्ष 1975 से इस महोत्सव का आयोजन वार्षिक तौर पर किया जाता है और अब तक इसके कुल 50 संस्करण आयोजित किये जा चुके हैं। वर्तमान में इस समारोह का आयोजन गोवा सरकार और फिल्म समारोह निदेशालय (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय) द्वारा संयुक्त तौर पर किया जाता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) का उद्देश्य फिल्म निर्माण कला की उत्कृष्टता को प्रस्तुत करने के लिये एक साझा मंच प्रदान करना है। महोत्सव के 51वें संस्करण में बांग्लादेश को फोकस देश के रूप में चुना गया है, जिसका उद्देश्य वहाँ की सिनेमाई उत्कृष्टता और सिनेमा के विकास में उसके योगदान को रेखांकित करना है।

ITC क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत-जापान के बीच समझौता

भारत और जापान ने हाल ही में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ITC) के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। भारत सरकार का दूरसंचार विभाग और जापान सरकार का संचार मंत्रालय 5G से जुड़ी प्रौद्योगिकियों, दूरसंचार सुरक्षा, भारत के द्वीपीय क्षेत्रों के लिये सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रणाली, स्पेक्ट्रम प्रबंधन, स्मार्ट सिटी, ऊँचाई वाले इलाकों में ब्रॉडबैंड की सुविधा प्रदान करने, आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा आदि क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। इसके अलावा जापान के उद्योग जगत के भागीदारों और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की भारत सरकार की कंपनियों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इस दौरान भारतीय पक्ष ने 5G और 5G आधारित सेवाओं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), डिजिटल स्वास्थ्य सेवा आदि के क्षेत्र में जापानी निवेशकों के लिये भारत में मौजूद अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला।

'सक्षम 2021'

जीवाश्म ईंधन उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन (PCRA) ने बढ़ते कार्बन फुटप्रिंट के प्रतिकूल स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय प्रभावों को रेखांकित करते हुए महीने भर चलने वाला 'सक्षम 2021' अभियान लॉन्च किया है। 'सक्षम 2021' का उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्वच्छ ईंधनों की ओर प्रेरित करना तथा जीवाश्म ईंधन के इष्टतम उपयोग के लिये लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना है। गौरतलब है कि 'सक्षम 2020' संस्करण के दौरान देश भर में आयोजित लगभग 47,000 कार्यक्रमों के ज़रिये लगभग 9 करोड़ लोगों से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क किया गया था। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (PCRA), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्त्वावधान में स्थापित एक पंजीकृत सोसाइटी है। एक गैर-लाभकारी संगठन तथा राष्ट्रीय सरकारी संस्था के रूप में PCRA देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहन देने की दिशा में कार्य कर रहा है।

नोट :

वन स्कूल, वन आईएएस' कार्यक्रम

हाल ही में केरल के राज्यपाल द्वारा राज्य के मेधावी और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के तकरीबन 10,000 छात्रों को सिविल सेवाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये मुफ्त कोचिंग प्रदान करने हेतु 'वन स्कूल, वन आईएएस' कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम का आयोजन केरल के 'वेदिक एरुडाइट फाउंडेशन' द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर सरकारी और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों के ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्र के छात्रों को शामिल किया जाएगा। यह उच्च शिक्षण मंच विद्यार्थियों को भविष्य की योजना बनाने और उन्हें एक सिविल सेवक के रूप में स्वयं का विकास करने में सहायता प्रदान करेगा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए राज्य के गवर्नर ने कहा कि 'एक सिविल सेवक के रूप में कार्य करना देश के हज़ारों युवाओं का सपना होता है, किंतु उनमें से अधिकांश लोग यह नहीं जानते हैं कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने की शुरुआत कहाँ से करनी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को अनुभवी सिविल सेवकों के माध्यम से उचित मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकेगा।

उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान

17 जनवरी, 2021 को सुप्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और पद्म विभूषण से सम्मानित उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का मुंबई में 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 3 मार्च, 1931 को उत्तर प्रदेश के बदायूँ में जन्मे उस्ताद गुलाम मुस्तफा अपने भाई- बहनों में सबसे बड़े थे। उस्ताद गुलाम मुस्तफा प्रसिद्ध संगीतकारों के परिवार से थे। उन्हें बुनियादी शास्त्रीय संगीत का प्रारंभिक प्रशिक्षण अपने पिता से मिला था, इसके पश्चात् उन्होंने अपने चचेरे भाई, उस्ताद निसार हुसैन खान के अधीन संगीत का अध्ययन किया। संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें वर्ष 1991 में पद्मश्री, वर्ष 2006 में पद्म भूषण और वर्ष 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2003 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि कलाकारों को दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सम्मान है।

'रक्षिता' एंबुलेंस

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने हाल ही में केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) को एक मोटर बाइक-आधारित एंबुलेंस प्रदान की है, जिसे मुख्य तौर पर भीड़भाड़ वाली सड़कों और दूरदराज़ के स्थानों में रहने वाले लोगों को त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। 'रक्षिता' नाम की इस बाइक-आधारित एंबुलेंस को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की एक प्रमुख प्रयोगशाला 'इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज़' (INMAS) द्वारा विकसित किया गया है। 'रक्षिता' एंबुलेंस उन क्षेत्रों के लिये काफी लाभदायक साबित होगी, जहाँ बड़ी एंबुलेंस के माध्यम से नहीं पहुँचा जा सकता है। इस एंबुलेंस में एक आकस्मिक निकासी सीट (CES) भी है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर लगाया और निकाला जा सकता है। इसमें मेडिकल और ऑक्सीजन किट भी मौजूद है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर तत्काल प्रयोग किया जा सकता है। ज्ञात हो कि केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों को भारत भर में कई दुर्गम स्थानों पर नियुक्त किया जाता है, ऐसे में पारंपरिक एंबुलेंस के माध्यम से घायल और बीमार जवानों को अस्पताल पहुँचाना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है, DRDO द्वारा विकसित 'रक्षिता' एंबुलेंस से जवानों का समय पर उपचार करने में मदद मिलेगी।

श्रम आंदोलन संग्रहालय

केरल में जल्द ही विश्व श्रम आंदोलन के इतिहास को दर्शाने वाला भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय लॉन्च किया जाएगा। केरल के इस श्रम संग्रहालय में तमाम तरह के दस्तावेज़ों का एक विशाल भंडार मौजूद होगा, इससे विश्व के (विशेष तौर पर भारत के) श्रम आंदोलनों के स्वरूप को समझने में सहायता मिलेगी। इससे राज्य में देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इस संग्रहालय में चित्रों, दस्तावेज़ों और अन्य प्रदर्शनों के माध्यम से विश्व श्रम आंदोलन के इतिहास और केरल के श्रम आंदोलन के इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा। तकरीबन 9.95 करोड़ रुपए की लागत के साथ इस संग्रहालय का नवीकरण संबंधी 97 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है।

गुच्छी मशरूम

जम्मू-कश्मीर स्थित एक गैर-सरकारी संगठन ने गुच्छी मशरूम के लिये 'जीआई टैग' (GI Tag) की मांग करते हुए आवेदन दाखिल किया है। ध्यातव्य है कि जम्मू-कश्मीर के डोडा ज़िले में उगने वाली 'गुच्छी मशरूम' दुनिया की सबसे महँगी मशरूमों में से एक है। गुच्छी मशरूम एक वन उपज है, जिसे प्राय: स्थानीय लोगों और आदिवासियों द्वारा जंगल से एकत्र किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसकी कीमत 20000 रुपए प्रति किलो है। डोडा ज़िले के समशीतोष्ण वनों में पाए जाने वाले इस खाद्य कवक में कई औषधीय गुण मौजूद होते हैं, इसलिये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसकी कीमत काफी अधिक होती है। जम्मू-कश्मीर में गुच्छी मशरूम का वार्षिक उत्पादन लगभग 45 टन के आसपास है।

नोट :

यद्यपि यह जंगली मशरूम मुख्य तौर पर डोडा ज़िले के जंगलों और चरागाहों में पाई जाती है, किंतु यह कुपवाड़ा, पहलगाम, शोपियां, किश्तवाड़ और पुंछ के ऊँचाई वाले कुछ क्षेत्रों में भी पाई जाती है। विदित हो कि मशरूम को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन B का एक समृद्ध स्रोत भी माना जाता है। जीआई टैग मिलने से उन किसानों को काफी लाभ होगा जो गुच्छी मशरूम का संग्रहण करते हैं अथवा उसकी खेती करते हैं। बीते वर्ष जून माह में जम्मू-कश्मीर के केसर को 'जीआई टैग' प्रदान किया गया था।

डॉ. वी. शांता

19 जनवरी, 2021 को भारत की सुविख्यात ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. वी. शांता का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 11 मार्च, 1927 को जन्मी डॉ. शांता का संबंध वैज्ञानिकों और चिकित्सकों के परिवार से था। उन्होंने वर्ष 1949 में मद्रास मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की, जिसके बाद उन्होंने वर्ष MD (आब्सटेट्रिक्स एंड गायनोकॉलोजी) की डिग्री प्राप्त की। डॉ. शांता वर्ष 1955 में अड्यार कैंसर संस्थान में शामिल हुई थीं तथा वर्ष 1980 और वर्ष 1997 के बीच वे इसकी निदेशक भी रहीं। डॉ. वी. शांता को मुख्य तौर पर कैंसर के क्षेत्र में किये गए उनके कार्य के लिये पहचाना जाता है। डॉ. शांता तमिलनाडु राज्य के योजना आयोग (स्वास्थ्य) की सदस्य थीं। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की सलाहकार समिति में भी काम किया था। कैंसर और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए डॉ. शांता को पद्म विभूषण (वर्ष 2016), पद्म भूषण (वर्ष 2006), पद्म श्री (वर्ष 1986) और मैग्सेसे पुरस्कार (वर्ष 2005) से सम्मानित किया गया था।

पराक्रम दिवस

केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि वर्ष 2021 से प्रतिवर्ष 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को 'पराक्रम दिवस' के रूप में मनाया जाएगा। इस संबंध में घोषणा करते हुए केंद्र संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने 23 जनवरी, 2021 से शुरू होने वाले नेताजी के 125वें जयंती वर्ष को 'राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार तरीके' से मनाने का निर्णय लिया है। साथ ही इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आयोजित किया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी, 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। इंडियन सिविल सर्विस से इस्तीफा देने के पश्चात् वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए और वर्ष 1938 तथा 1939 में कॉन्ग्रेस के अध्यक्ष बने। 18 अगस्त, 1945 को हुए विमान हादसे में रहस्यमयी स्थिति में सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई थी, यह घटना लोगों के लिये पहेली बनी हुई है।

कोकबोरोक दिवस

19 जनवरी को त्रिपुरा में 43वें कोकबोरोक दिवस का आयोजन किया गया। एस अवसर पर पारंपरिक पोशाक में लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। 'कोकबोरोक' त्रिपुरा की मूल भाषा है। इसमें 'कोक' का अर्थ है 'भाषा' और 'बोरोक' का अर्थ है 'लोग'। 'कोकबोरोक' भाषा को लेकर 19 जनवरी, 1979 को त्रिपुरा विधानसभा में विधेयक पारित किया गया था, जिसमें 'कोकबोरोक' को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई और तब से इसका उपयोग सरकारी कार्यालयों में किया जाता रहा है। कोकबोरोक भाषा में लेखन की शुरुआत तकरीबन 300 वर्ष पूर्व त्रिपुरा के राजा महेंद्र देबबर्मा के शासनकाल के दौरान हुई थी। वर्तमान में त्रिपुरा की आदिवासी आबादी का 70 से 75 फीसदी हिस्सा 'कोकबोरोक' भाषा बोलता है।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल

19 जनवरी, 2021 को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) ने अपना 16वाँ स्थापना दिवस मनाया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की स्थापना 19 जनवरी, 2006 को की गई थी। इस विशेष टास्क फोर्स का गठन किसी खतरनाक आपदा स्थिति के प्रति विशेष प्रतिक्रिया के लिये किया गया था। इसकी स्थापना 'आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005' के तहत 8 बटालियनों के साथ की गई थी। वर्तमान में NDRF में 12 बटालियन हैं जिनमें BSF और CRPF से तीन-तीन और CISF, SSB एवं ITBP से दो-दो बटालियन हैं तथा इसकी प्रत्येक बटालियन में 1149 सदस्य हैं। स्थापना के बाद से NDRF ने अपनी कार्यकुशलता से देश-विदेश में प्रशंसा प्राप्त की है। प्रारंभ में NDRF के कर्मियों को नियमित कानून-व्यवस्था बहाल करने के उद्देश्य से तैनात किया जाता था। हालाँकि वर्तमान में NDRF कर्मी प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदा में त्वरित सहायता प्रदान करने और आपदा क्षेत्र से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने एवं राहत सामग्री का वितरण करने आदि कार्यों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में NDRF वैश्विक स्तर पर अग्रणी आपदा प्रबंधन बल के रूप में उभरा है। यह बल अन्य देशों में आपदा के समय सहायता प्रदान करने के साथ ही भारत समेत विभिन्न देशों के सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

माउंट सेमरू

इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी माउंट सेमरू में विस्फोट हो गया है। माउंट सेमरू इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित सबसे उच्चतम और सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, जो कि 3,676 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। माउंट सेमरू वर्ष 1967 से लेकर वर्तमान तक लगभग निरंतर विस्फोट की स्थिति में है और एक अनुमान के मुताबिक, इसमें प्रत्येक 20 मिनट में छोटे विस्फोट होते हैं। माउंट सेमरू को 'द ग्रेट माउंटेन' भी कहा जाता है और यह इंडोनेशिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन पर्वतारोहण स्थलों में से एक है। इस सक्रिय ज्वालामुखी में पिछली बार दिसंबर माह में विस्फोट हुआ था, तब लगभग 550 लोगों को सुरक्षित निकाला गया था। इंडोनेशिया के 'रिंग ऑफ फायर' (Ring of Fire) या परिप्रशांत महासागरीय मेखला (Circum-Pacific Belt) में अवस्थित होने के कारण यहाँ कई सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और यह क्षेत्र भूकंप प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 'रिंग ऑफ फायर' प्रशांत महासागर के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ विवर्तनिक प्लेटें आपस में मिलती हैं।

ड्रैगन फ्रूट

गुजरात सरकार ने 'ड्रैगन फ्रूट' का नाम बदलकर 'कमलम' करने का प्रस्ताव रखा है। ड्रैगन फ्रूट दक्षिण और मध्य अमेरिका के स्वदेशी जंगली कैक्टस की प्रजाति का एक फल है। ड्रैगन फ्रूट का अंदरुनी हिस्सा प्राय: सफेद या लाल रंग का होता है, हालाँकि पीले रंग के अंदरूनी हिस्से वाले दुर्लभ ड्रैगन फ्रूट भी पाए जाते हैं, साथ ही इसमें किवी फ्रूट की तरह छोटे बीज भी होते हैं। विश्व में ड्रैगन फ्रूट का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक वियतनाम है, जहाँ 19वीं शताब्दी में फ्राँसीसी यह फल लाए थे। लैटिन अमेरिका के अलावा थाईलैंड, ताइवान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इज़राइल और श्रीलंका में भी ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन किया जाता है। ड्रैगन फ्रूट को 1990 के दशक में भारत में लाया गया और वर्तमान में यह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में उगाया जाता है। यह सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है और इसे अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है।

मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का राज्य दिवस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जनवरी, 2021 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के राज्य दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दीं। गौरतलब है कि 21 जनवरी, 1972 को ये तीनों राज्य उत्तर-पूर्वी क्षेत्र अधिनियम (पुनर्गठन), 1971 के तहत पूर्ण राज्य बने। 15 अगस्त, 1947 से पहले शांतिपूर्ण वार्ताओं के ज़रिये लगभग सभी राज्यों, जो कि भारत की सीमाओं से लगे हुए थे, को भारतीय संघ में मिलाने का प्रयास किया गया। अधिकांश राज्यों के शासकों ने 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन' नामक दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किये जिसका मतलब था कि उन राज्यों ने भारतीय संघ का हिस्सा बनने के लिये अपनी सहमति दे दी है। सितंबर 1949 में भारत सरकार ने मणिपुर को भारत में शामिल करने के लिये विलय समझौते पर हस्ताक्षर करवाने में सफलता प्राप्त की थी। भारत संघ में त्रिपुरा रियासत का विलय 15 नवंबर, 1949 को हुआ था। रानी कंचन प्रभा ने त्रिपुरा रियासत के भारतीय संघ के साथ विलय में अहम भूमिका निभाई थी। मेघालय, भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक छोटा पहाड़ी राज्य है जो 2 अप्रैल, 1970 को असम राज्य के भीतर एक स्वायत्त राज्य के रूप में अस्तित्व में आया।

क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन प्रयोगशाला

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन प्रयोगशाला विकसित करने के लिये अमेज़न वेब सर्विसेज़ (AWS) के साथ सहयोग की घोषणा की है। इस नई प्रयोगशाला का उद्देश्य कंप्यूटर डेवलपरों, वैज्ञानिकों और शैक्षणिक समुदायों को क्वांटम कंप्यूटिंग के विकास हेतु उपयुक्त माहौल प्रदान करना है। भारतीय वैज्ञानिक समुदाय को उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुँच प्रदान करना देश में वैज्ञानिक प्रगति की दिशा में महत्त्वपूर्ण हो सकता है। इस प्रयोगशाला में शोधकर्त्ताओं से विषय विशेषज्ञों के साथ कार्य करने हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। चयनित आवेदकों को क्वांटम कंप्यूटिंग हार्डवेयर, सिमुलेटर और प्रोग्रामिंग उपकरण प्रदान किये जाएंगे। हालाँकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह नई प्रयोगशाला 'नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ एंड एप्लीकेशन्स' (NM-QTA) के दायरे में आती है अथवा नहीं। केंद्र सरकार ने बीते वर्ष केंद्रीय बजट (2020-21) में नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ एंड एप्लीकेशन्स (NM-QTA) के तहत पाँच वर्ष के लिये 8,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की थी। इस मिशन का उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ी तकनीकों को विकसित करना एवं भारत को अमेरिका एवं चीन के बाद इस क्षेत्र में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बनाना है। क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीक के महत्त्व को देखते हुए तमाम देशों द्वारा इस क्षेत्र में निवेश किया जा रहा है, चीन ने अपनी 'नेशनल लेबोरेटरी फॉर क्वांटम इन्फार्मेशन साइंसेज़' में 10 बिलियन डॉलर का निवेश किया है।

'अवलोकन' सॉफ्टवेयर

हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने 'अवलोकन' नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, जो राज्य सरकार को राज्य में लागू कुल 1,800 कार्यक्रमों पर राज्य सरकार के 39 विभागों द्वारा किये गए व्यय से संबंधित डेटा प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। 'अवलोकन' सॉफ्टवेयर एक पारदर्शी ई-गवर्नेंस उपकरण है, जो कि राज्य में विभिन्न विकास कार्यक्रमों के तहत सरकारी अनुदान और आवंटन से संबंधित निर्वाचन-क्षेत्रवार आँकड़े प्रदान करेगा। इन आँकड़ों के आधार पर सरकार को धन जारी करने संबंधी निर्णय लेने में मदद मिलेगी, यह सरकार को उपलब्ध वित्त संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करने में सक्षम बनाएगा। राज्य के सभी ज़िला आयुक्तों को नियमित अंतराल पर सॉफ्टवेयर में डेटा रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया गया है। इस सॉफ्टवेयर को कर्नाटक सरकार के तहत सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेंस (CSG) द्वारा विकसित किया गया है, वहीं इस सॉफ्टवेयर पर नियंत्रण और इसके स्वामित्व का अधिकार राज्य सरकार के योजना, कार्यक्रम निगरानी एवं सांख्यिकी विभाग के पास हैं।

राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद

हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद में 28 गैर-आधिकारिक सदस्यों को नामांकित किया है, जिसमें बायजू के संस्थापक बायजू रविंद्रन, ज़ेस्टमनी (ZestMoney) के सह-संस्थापक लिज़्ज़ी चैपमैन और एक्सिलर वेंचर्स के अध्यक्ष क्रिस गोपालकृष्णन समेत कई अन्य स्टार्टअप्स के संस्थापक और निवेशक शामिल हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद के गैर-आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) ने देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिये एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने हेतु आवश्यक उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिये बीते वर्ष जनवरी माह में एक राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की स्थापना की थी। यह परिषद आम नागरिकों विशेष तौर पर छात्रों के बीच नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये उपाय सुझाएगी; अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों और अर्द्ध-शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी; सृजन, संरक्षण एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देगी तथा इसे आसान बना देगी और लागत को कम करके व्यवसायों को शुरू करने, संचालित करने तथा बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करेगी, जिसमें गैर-आधिकारिक सदस्यों की विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा।

मनरेगा कार्य दिवसों में वृद्धि

रोज़गार के अवसरों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत कार्य दिवसों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया जाएगा। आँकड़ों की मानें तो अब तक राज्य में कुल 12.19 लाख जॉब कार्ड प्रदान किये जा चुके हैं, जिसमें से 2.66 लाख जॉब कार्ड वर्ष 2020 में दिये गए थे। यह निर्णय राज्य रोज़गार गारंटी परिषद की हालिया बैठक के दौरान लिया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राज्य में उन बेरोज़गार लोगों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 'उत्तराखंड आजीविका एप' भी लॉन्च किया, जो कि रोज़गार के अवसरों की तलाश में हैं। ध्यातव्य है कि महामारी की शुरुआत के बाद से ही मनारेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या में बढ़ोतरी करने की मांग की जा रही थी, क्योंकि महामारी और लॉकडाउन के कारण लाखों की संख्या में बेरोज़गार प्रवासी श्रमिक अपने गाँवों में लौट गए और अब उनमें से कई पूर्णत: मनरेगा मज़दूरी पर निर्भर हैं।

जल गुणवत्ता परीक्षण के लिये महिलाओं को प्रशिक्षण

हाल ही में जल शक्ति मंत्री ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार जल्द ही महत्त्वाकांक्षी 'जल जीवन मिशन' के तहत जल की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिये प्रत्येक गाँव से पाँच महिलाओं को प्रशिक्षित करेगी। सरकार वर्ष 2024 तक सभी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रत्येक गाँव में सुलभ एवं सस्ती जल-गुणवत्ता परीक्षण अवसंरचना स्थापित करेगी। ज्ञात हो कि देश में 52000 से अधिक स्थान ऐसे हैं, जहाँ फ्लोराइड और आर्सेनिक आदि की अधिकता के कारण जल काफी प्रदूषित है और पीने योग्य नहीं है। पंजाब और राजस्थान के कई क्षेत्रों में कीटनाशकों के अधिक उपयोग के कारण पानी की गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है, ऐसे में पीने योग्य स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के चलते जल की गुणवत्ता की जाँच करने हेतु लोगों को प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप के माध्यम से पीने योग्य पानी की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना भारत जैसे देश में एक महत्त्वपूर्ण घटक है, यहाँ वर्ष 2015 में 163 मिलियन लोगों के पास पीने योग्य स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं था, यह आँकड़ा किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक है। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार द्वारा 'जल जीवन मिशन' की शुरुआत की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप के माध्यम से जलापूर्ति (हर घर जल) सुनिश्चित करना है। इस मिशन के कार्यान्वयन के लिये जल शक्ति मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया है।

नोट :

लखनऊ में AI-संचालित कैमरे

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस सार्वजनिक स्थानों पर स्मार्ट कैमरे लगाने जा रही है, जो संकट की स्थिति में महिलाओं के चेहरे के भावों को समझकर उनकी तस्वीरों को स्वचालित रूप से क्लिक करेंगे और एस संबंध में निकटतम पुलिस वाहन को सतर्क करेंगे। लखनऊ शहर में पुलिस द्वारा पहचाने गए 200 'हॉटस्पॉट' स्थलों में से प्रत्येक में ऐसे पाँच-पाँच AI-संचालित कैमरे लगाए जाएंगे। 'हॉटस्पॉट' स्थलों में मुख्यत: वे क्षेत्र शामिल हैं, जहाँ प्राय: लड़कियों और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की सबसे अधिक शिकायतें दर्ज होती हैं। इन AI-संचालित कैमरों को कुछ विशिष्ट 40-45 घटनाओं और संभावनाओं पर प्रतिक्रिया करने के लिये सेट किया जाएगा। लखनऊ पुलिस द्वारा किया जा रहा यह प्रयास राजधानी लखनऊ में महिलाओं के लिये सुरक्षित माहौल बनाने में मददगार साबित होगा और इससे महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की घटनाओं में भी कमी आएगी।

माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार

भारतीय युवा गणितज्ञ, निखिल श्रीवास्तव को दो अन्य गणितज्ञों के साथ प्रतिष्ठित 2021 के 'माइकल और शीला हेल्ड' पुरस्कार के संयुक्त विजेता के रूप में नामित किया गया है। निखिल श्रीवास्तव को यह पुरस्कार कैडिसन-सिंगर समस्या और रामानुजन ग्राफ पर लंबे समय से अनुत्तरित प्रश्नों को हल करने के लिये दिया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया (बर्कले) के निखिल श्रीवास्तव के अलावा स्विट्ज़रलैंड के एडम मार्कस और अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के डैनियल एलन स्पीलमैन का भी इस पुरस्कार के लिये चयन किया गया है। 'माइकल एंड शीला हेल्ड' पुरस्कार कॉम्बीनेटोरियाल और डिस्क्रीट ऑप्टिमाइजेशन अथवा कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित विषयों जैसे- एल्गोरिदम और कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी के क्षेत्रों में उत्कृष्ट, नवीन, रचनात्मक और प्रभावशाली अनुसंधान को मान्यता प्रदान करने के लिये प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत विजेताओं को एक पदक और एक लाख अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2017 में की गई थी।

एबेल 370

हाल ही में नासा ने आकाशगंगाओं के एक विशाल क्लस्टर, एबेल 370 की एक अद्भुत इमेज जारी की है। पृथ्वी से लगभग 4.9 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित एबेल 370 एक आकाशगंगा क्लस्टर है, जिसमें कई सौ आकाशगंगाएँ मौजूद हैं। आकाशगंगा क्लस्टर, संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे बड़े खगोलीय निकाय होते हैं, जो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण एक साथ रहते हैं। आकाशगंगाओं के अलावा आकाशगंगा क्लस्टर में एक्स-किरणों का उत्सर्जन करने वाली मल्टीमिलिन-डिग्री गैस की विशाल मात्रा और डार्क मैटर भी मौजूद होता है। डार्क मैटर, आकाशगंगा क्लस्टर को एक साथ बनाए रखने के लिये गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान करता है।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के स्थापना दिवस को चिह्नित करने के लिये भारत में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी, 1950 को हुआ था। भारत सरकार ने राजनीतिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस पर '25 जनवरी' को वर्ष 2011 से 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। वर्ष 2021 के लिये इस दिवस की थीम 'मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और सूचित करना' है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने के पीछे निर्वाचन आयोग का उद्देश्य अधिक मतदाता, विशेष रूप से नए मतदाता बनाना है। इस दिवस पर मतदान प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता का प्रसार किया जाता है। निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है, जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन हेतु उत्तरदायी है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति के पदों के लिये चुनावों का संचालन करता है। भारत निर्वाचन आयोग में मूलत: केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, किंतु वर्तमान में इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त शामिल हैं।

राष्ट्रीय बालिका दिवस

भारत में प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य लिंगभेद के कारण भारतीय समाज में लड़कियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को दूर करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करना है। यह दिवस लड़कियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता पर ज़ोर देता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 2008 में बालिका के अधिकारों और बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के महत्त्व को रेखांकित करने के लक्ष्य के साथ की गई थी। ध्यातव्य

है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 11 अक्तूबर को मनाया जाता है। भारतीय समाज और संस्कृति में सदियों से लैंगिक असमानता एक बड़ी चुनौती रही है। इस भेदभाव और असमानता की शुरुआत लड़की के जन्म लेने से पूर्व ही शुरू हो जाती है। भारत सरकार ने महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव की इस स्थिति को बदलने और सामाजिक स्तर पर लड़कियों की स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान, 'सुकन्या समृद्धि योजना', बालिकाओं के लिये मुफ्त या अनुदानित शिक्षा और कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में सीटों का आरक्षण आदि शामिल है।

उकेरिया जोशी

भारत में दुर्लभ चींटी वंश की दो नई प्रजातियों की खोज की गई है। केरल और तमिलनाडु में पाई गई चींटी 'उकेरिया' वंश की प्रजातियाँ, इस दुर्लभ वंश की विविधता को बढ़ाती हैं। ये एंटेनल खंडों (Antennal Segments) की संख्या के आधार पर अपने वंश की अन्य प्रजातियों से अलग हैं। इनमें से एक केरल के पेरियार बाघ अभयारण्य में पाई गई है जिसका नाम प्रख्यात विकासमूलक जीवविज्ञानी प्रोफेसर अमिताभ जोशी के सम्मान में 'उकेरिया जोशी' (Ooceraea Joshii) रखा गया है। मदुरै (केरल) के अलागरकोईल में खोजी गई दूसरी प्रजाति उकेरिया डीकैमरा (Ooceraea Decamera) है, डीकैमरा दस खंडों वाले एंटेनल को संदर्भित करती है।

भू-खतरा प्रबंधन के लिये समझौता ज्ञापन

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने तकनीकी आदान-प्रदान के क्षेत्र में सहयोग को मज़बूती प्रदान करने और स्थायी भू-खतरा प्रबंधन में सहयोग के लिये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये है। समझौते के अनुसार, DRDO और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भू-खतरा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। यह पहल देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर भूस्खलन एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। समझौते के तहत DRDO की विशेषज्ञता का उपयोग देश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर भूस्खलन, हिमस्खलन एवं अन्य प्राकृतिक कारणों से होने वाले नुकसान के स्थायी समाधान तलाशने हेतु किया जाएगा। सहयोग के लिये पहचाने गए कुछ क्षेत्रों में गंभीर हिमस्खलन/भू-खतरों की विस्तृत जाँच, राष्ट्रीय राजमार्गों पर भू-खतरों के स्थायी शमन उपायों हेतु योजना, डिज़ाइन एवं निर्माण आदि शामिल हैं। साथ ही इसमें सुरंग, निगरानी और शमन उपायों की देखरेख आदि भी शामिल है।

जेल पर्यटन

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हाल ही में एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से 'जेल पर्यटन' पहल की शुरुआत की है। पुणे की 150 वर्ष पुरानी यरवदा जेल से शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य आम लोगों को ऐतिहासिक जेलों को नज़दीक से देखने की सुविधा प्रदान करना है। इस पहल के माध्यम से स्कूल और कॉलेज के छात्रों, इतिहास के जानकारों और आम नागरिकों को हमारे इतिहास के एक नवीन पहलू को अनुभव करने में सहायता मिलेगी। इस पहल के पहले चरण में तकरीबन 500 एकड़ में फैली महाराष्ट्र की यरवदा जेल के कुछ हिस्सों को आम जनता के लिये खोल दिया जाएगा। आगामी चरणों में इस पहल को नागपुर, नासिक, ठाणे, रत्नागिरि जैसी अन्य जेलों तक विस्तारित किया जाएगा। ज्ञात हो कि यरवदा जेल न केवल महाराष्ट्र में बल्कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी जेलों में से एक है। ब्रिटिश शासन के दौरान इस जेल में महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस समेत विभिन्न भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया था। इन महान नेताओं को जिन कोठरियों में रखा गया था, उन्हें स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया है और वे ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाने में इन महान नेताओं द्वारा दिये गए बलिदानों को चिह्नित करते हैं।

मैन्युफैक्चर्ड सैंड (एम-सैंड) पॉलिसी-2020

राजस्थान सरकार ने हाल ही में मैन्युफैक्चर्ड सैंड (एम-सैंड) को लेकर अपनी बहुप्रतीक्षित नीति जारी की है, जिससे तहत निर्माण कार्य के लिये मैन्युफैक्चर्ड सैंड का उत्पादन करने वाली इकाइयों को उद्योग का दर्जा दिया गया है। साथ ही इससे 'बजरी' (रिवर सैंड) पर निर्भरता को भी कम किया जा सकेगा। विदित हो कि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में 'बजरी' (रिवर सैंड) के अवैध खनन पर रोक लगा दी थी। यह नीति निर्माण उद्योग के लिये भविष्य में काफी महत्त्वपूर्ण साबित होगी। यह नीति नई इकाइयों के माध्यम से रोज़गार के अवसर पैदा करने में मदद के साथ-साथ खनन क्षेत्रों में भारी मात्रा में उत्पन्न कचरे के मुद्दे को भी संबोधित करने में सहायक होगी। यह नई नीति प्राकृतिक 'बजरी' के दीर्घकालिक विकल्प के रूप में मैन्युफैक्चर्ड सेंड (एम-सैंड) की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। यह नीति निवेशकों को राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले प्रोत्साहन और सुविधाओं का उपयोग कर एम-सैंड इकाइयों को स्थापित करने में सक्षम करेगी। यह न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक होगी, बल्कि इससे आम जनता के बीच एम-सैंड की प्रभावकारिता को लेकर विश्वास पैदा किया जा सकेगा। मैन्युफैक्चर्ड सैंड (एम-सैंड) का उत्पादन खदानों से निकाले गए कठोर ग्रेनाइट पत्थरों और चट्टानों को तोड़कर किया जाता है। वर्तमान में राजस्थान में तकरीबन 20 एम-सैंड इकाइयाँ कार्यरत हैं, जो प्रतिदिन 20,000 टन एम-सैंड का उत्पादन करती हैं।

नोट :

भारत पर्व- 2021

26 जनवरी, 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर 'भारत पर्व- 2021' के आयोजन की शुरुआत की गई। यह 31 जनवरी तक चलेगा। इस मेगा आयोजन का उद्देश्य भारतीय नागरिकों के बीच देशभक्ति की भावना को जागृत करना और देश की समृद्ध एवं विविध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना है। वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर लाल किले की प्राचीर के सामने पर्यटन मंत्रालय द्वारा 'भारत पर्व' का आयोजन किया जाता रहा है। इसमें कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मंडप अपने पर्यटन स्थलों, व्यंजनों, हस्तशिल्प और अन्य विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। इस तरह 'भारत पर्व' भारत की सांस्कृतिक विविधता की एक अनूठी झलक प्रस्तुत करता है। इस आयोजन से देश के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों को 28 राज्यों और आठ केंद्रशासित प्रदेशों की कला, संस्कृति, भोजन, कपड़े और परंपराओं को जानने-समझने का अवसर मिलेगा। इस वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा।

अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन

विश्व प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक, लेखक और अकादमिक डॉ. जयंत नार्लीकर को अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के 94वें संस्करण के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, मराठी भाषा के लेखकों का एक वार्षिक सम्मेलन है, जिसे इस वर्ष मार्च माह में नासिक (महाराष्ट्र) में आयोजित किया जाएगा। पहले अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1878 में किया गया था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता समाज सुधारक, लेखक तथा न्यायाधीश महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। इस सम्मेलन को मराठी भाषा में साहित्यिक वार्ता, बहस, अभिव्यक्ति और साहित्यिक आलोचना का केंद्रीय मंच माना जाता है।

गुईसेपे कोंटे

कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आलोचना के चलते इटली के प्रधानमंत्री गुईसेपे कोंटे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। गुईसेपे कोंटे को वर्ष 2018 में इटली का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। इससे पूर्व उन्होंने अपने कॅरियर का अधिकांश हिस्सा कानून के प्रोफेसर के रूप में बिताया और वर्ष 2013 से वर्ष 2018 के बीच वे इतालवी प्रशासनिक ब्यूरो के सदस्य भी रहे। ज्ञात हो कि इटली की सरकार महामारी के कारण गंभीर दबाव का सामना कर रही थी, कोरोना महामारी के प्रकोप की शुरुआत के बाद से इटली में लगभग 85,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है, साथ ही महामारी का इटली की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। इसके कारण सरकार को उच्च बेरोज़गारी और सार्वजनिक ऋण जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा था। इटली आपेननीनी (Apennine) प्रायद्वीप पर दक्षिणी यूरोप में स्थित है। ऑस्ट्रिया, फ्राँस, वेटिकन सिटी, सैन मैरिनो, स्लोवेनिया और स्विट्ज़रलैंड के साथ इटली अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भूमध्यसागर में मौजूद सबसे बड़े द्वीपों में से दो द्वीप यथा- सिसीली और सार्डिनिया इटली से ही संबंद्ध हैं।

वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल: तेजस

नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज़ इंकॉर्पोरेटेड (NICSI) की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा 'तेजस' नाम से एक वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल लॉन्च किया गया, जो कि नागरिकों को नीतिगत निर्णयों और सरकारी सेवाओं एवं उनके वितरण से जुड़ी दक्षता में सुधार के उद्देश्य से सार्थक जानकारी जुटाने के लिये उपलब्ध डेटा के माध्यम से महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री द्वारा 'ई-नीलामी भारत' (यह सरकारी संस्थानों की इलेक्ट्रॉनिक फारवर्ड और रिवर्स नीलामी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से 24X7 ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराएगी) और 'वर्क फ्रॉम एनीवेयर' पोर्टल भी लॉन्च किया गया, यह पोर्टल महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और काम की सुगमता सुनिश्चित करने के लिये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचार की सुविधा उपलब्ध कराएगा। नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज़ इंकॉर्पोरेटेड, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। इसका प्राथमिक कार्य केंद्र एवं राज्य सरकारों और देश भर के अन्य सार्वजनिक उपक्रमों को ई-गवर्नेंस से जुड़ी परियोजनाओं के लिये एंड-टू-एंड आईटी समाधान प्रदान करना है।

आयुष्मान CAPF

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के कर्मियों और उनके परिवारजनों के लिये 'आयुष्मान CAPF' योजना की शुरुआत की है। यह योजना असम के गुवाहाटी में CAPF समूह केंद्र में शुरू की गई है। इस योजना के कारण केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के 50 लाख कर्मियों और उनके परिवारों को लाभ प्राप्त होगा। इस योजना के तहत CAPF कर्मी और उनके परिवार के सदस्य देश भर के 24,000 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों में पूर्णत: पेपरलेस और कैशलेस सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम होंगे।

इसके अलावा गैर-सूचीबद्ध अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं के मामले में प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है। असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल (BSF), सशस्त्र सीमा बल (SSB), केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के कर्मियों और उनके आश्रितों को योजना के तहत कवर किया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय कस्टम दिवस

26 जनवरी, 2021 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय कस्टम दिवस का आयोजन किया गया। इस वर्ष यह दिवस 'एक टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला के लिये सीमा शुल्क वसूली में तेज़ी, नवीकरण और लचीलापन' थीम के साथ आयोजित किया गया। यह दिवस विश्व भर की सीमाओं पर वस्तु और माल के प्रवाह की देखभाल के कार्य के लिये कस्टम अधिकारियों और एजेंसियों को सम्मानित करता है। विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) द्वारा गठित यह दिवस वर्ष 1953 में बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आयोजित सीमा शुल्क सहयोग परिषद (CCC) के उद्घाटन सत्र की शुरुआत को चिह्नित करता है। वर्ष 1994 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद का नाम बदलकर विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) कर दिया गया। यह एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी निकाय है और वर्तमान में इसके कुल 183 सदस्य हैं।

आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने 'आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ' नाम से एक नई पुरस्कार श्रेणी की घोषणा की है। इस वर्ष से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा महिला और पुरुष दोनों ही वर्गों में 'आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ' की घोषणा की जाएगी। इस पुरस्कार के चयनकर्त्ताओं के समूह में पूर्व खिलाड़ी, प्रसारणकर्त्ता और दुनिया भर के खेल पत्रकार शामिल होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) द्वारा प्रतिमाह दोनों वर्गों (महिला और पुरुष) से तीन-तीन खिलाड़ियों को नामित किया जाएगा, जिसमें से प्रत्येक वर्ष एक-एक खिलाड़ी का इस पुरस्कार के लिये चयन होगा। इस पुरस्कार का चयन पूर्ण रूप से एक माह के दौरान खिलाड़ी के प्रदर्शन पर आधारित होगा और इसमें ऑन-फील्ड प्रदर्शन तथा अन्य उपलब्धियाँ भी शामिल होंगी। इस पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक माह के दूसरे सोमवार को की जाएगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) द्वारा वर्ष 2004 से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरस्कारों की घोषणा की जा रही है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की पहचान करना और उन्हें मान्यता प्रदान करना है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) द्वारा ये पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किये जाते हैं, जिनमें 'क्रिकेटर ऑफ द इयर', 'टेस्ट प्लेयर ऑफ द इयर' और 'इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द इयर' आदि प्रमुख हैं।

माउंट मेरापी

इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी 'माउंट मेरापी' में हाल ही विस्फोट हो गया। 2,968 मीटर (9,737 फुट) ऊँचा यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया के घनी आबादी वाले द्वीप जावा और वहाँ के प्राचीन शहर याग्याकार्टा के पास है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में स्थित दर्जनों ज्वालामुखियों में से सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है और बीते कुछ वर्षों में इसमें लगातार विस्फोट हो रहा है। वर्ष 2010 में माउंट मेरापी में हुए बड़े विस्फोट में 347 लोगों की मौत हुई थी। इंडोनेशिया 270 मिलियन लोगों की आबादी वाला एक द्वीपसमूह है, जिसके 'रिंग ऑफ फायर' (Ring of Fire) या परिप्रशांत महासागरीय मेखला (Circum-Pacific Belt) में अवस्थित होने के कारण यहाँ कई सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और यह क्षेत्र भूकंप प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 'रिंग ऑफ फायर' प्रशांत महासागर के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ विवर्तनिक प्लेटें आपस में मिलती हैं। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर ही अवस्थित 'माउंट सेमरू' में भी विस्फोट हुआ था।

केरल का 'जेंडर पार्क'

केरल सरकार द्वारा 300 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 'जेंडर पार्क' का संचालन जल्द ही (फरवरी माह से) शुरू हो जाएगा। यह 'जेंडर पार्क' देश में अपनी तरह का पहला प्रयास है, जो राज्य में लैंगिक असमानता का मुकाबला करने में मदद करेगा। इस 'जेंडर पार्क' के पहले चरण में एक जेंडर म्यूज़ियम, जेंडर लाइब्रेरी, कन्वेंशन सेंटर और एक एम्फीथिएटर का उद्घाटन किया जाएगा। जेंडर म्यूज़ियम में उन विभिन्न सामाजिक संघर्षों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिनके कारण महिलाओं की स्थिति में बदलाव आया, इसमें पुनर्जागरण आंदोलन भी शामिल है। जेंडर लाइब्रेरी के माध्यम से जेंडर के संबंध में जागरूकता पैदा करने के साथ ही विकास में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना का प्रयास किया जाएगा। अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर में 500 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। केरल के इस 'जेंडर पार्क' में सभी परियोजनाओं को 'यूएन वीमेन' का सहयोग मिलेगा।

नोट :

पथराघाट विद्रोह

जलियाँवाला बाग हत्याकांड से लगभग पच्चीस वर्ष पूर्व 28 जनवरी, 1894 को असम के पथराघाट (वर्तमान पाथरीघाट) में ब्रिटिश सैनिकों ने सौ से अधिक किसानों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वर्ष 1826 में असम में ब्रिटिश शासन की शुरुआत के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा राज्य की विशाल भूमि का सर्वेक्षण शुरू किया गया। इस सर्वेक्षण के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने भूमि कर लगाना शुरू कर दिया, इस कर के कारण किसानों में असंतोष पैदा हो गया। वर्ष 1893 में ब्रिटिश सरकार ने कृषि भूमि कर में 70-80 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया, जिससे किसानों के बीच असंतोष में और अधिक बढ़ गया और संपूर्ण असम में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। यद्यपि ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक थे, किंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें देशद्रोह के रूप में देखा गया और 28 जनवरी, 1894 को किसानों तथा ब्रिटिश सरकार के बीच संघर्ष के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर फायरिंग शुरू कर दी जिसमें सौ से अधिक किसानों की मौत हो गई।

प्रबुद्ध भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी, 2021 को रामकृष्ण मिशन की मासिक पत्रिका 'प्रबुद्ध भारत' के 125वें वार्षिकोत्सव समारोह को संबोधित करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के आग्रह पर वर्ष 1896 में यह पत्रिका शुरू की थी। भारत के प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान के संदेश को प्रसारित करने में प्रबुद्ध भारत पत्रिका एक महत्त्वपूर्ण माध्यम रही है। इसका प्रकाशन चेन्नई से शुरू किया गया था, जहाँ से दो वर्ष तक इसका प्रकाशन होता रहा और बाद में इसे उत्तराखंड के अल्मोड़ा से प्रकाशित किया जाने लगा। अप्रैल 1899 में पत्रिका के प्रकाशन का स्थान कोलकाता स्थित 'अद्वैत आश्रम' में स्थानांतरित कर दिया गया और तब से यह पत्रिका वहीं से प्रकाशित हो रही है। भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता, दर्शन, इतिहास, मनोविज्ञान, कला और अन्य सामाजिक मुद्दों पर लेखन के माध्यम से प्रबुद्ध भारत ने अपनी छाप छोड़ी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, भगिनी निवेदिता, श्री अरबिंदो, पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे लेखकों ने कई वर्षों तक पत्रिका में योगदान किया। इस पत्रिका को भारत की सबसे लंबे समय तक प्रकाशित होने वाली अंग्रेज़ी पत्रिका के रूप में भी जाना जाता है।

CSIR और लद्दाख प्रशासन के बीच समझौता

विज्ञान और प्रौद्योगिकी (S&T) हस्तक्षेप के माध्यम से विकास की प्रकिया में तेज़ी लाने के उद्देश्य से वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) और केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं। इस समझौते का उद्देश्य लद्दाख के जैव-संसाधनों का इष्टतम उपयोग, इस क्षेत्र में नकदी फसलों की शुरुआत करना और प्राकृतिक संसाधनों की खोज करने आदि क्षेत्रों के लिये एक ज्ञान आधारित साझेदारी स्थापित करना है। इस समझौते के तहत CSIR के अलग-अलग संस्थान अपनी मुख्य दक्षताओं के आधार पर लद्दाख में अनुसंधान और विकास (R&D) तथा अन्य सामाजिक परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास (R&D) संगठन है, जो कि मुख्य तौर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यरत है। CSIR एक अखिल भारतीय संस्थान है जिसमें 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, 39 दूरस्थ केंद्रों, 3 नवोन्मेषी परिसरों और 5 इकाइयों का एक सक्रिय नेटवर्क शामिल है। CSIR रेडियो और अंतरिक्ष भौतिकी, समुद्र विज्ञान, भू-भौतिकी, रसायन, ड्रग्स, जीनोमिक्स, जैव प्रौद्योगिकी और नैनोटेक्नोलॉजी से लेकर खनन एयरोनॉटिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और सूचना प्रौद्योगिकी आदि व्यापक क्षेत्रों में कार्य करता है।

शहीद दिवस

राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी की पुण्यतिथि की स्मृति में प्रतिवर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1948 में आज ही के दिन नाथूराम गोडसे ने दिल्ली के बिड़ला हाउस में महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गांधी जी का जन्म पोरबंदर की रियासत में 2 अक्तूबर, 1869 को हुआ था। वर्ष 1893 में गांधी जी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका चले गए और वहाँ उन्होंने अश्वेतों तथा भारतीयों के विरुद्ध गहरा भेदभाव महसूस किया। उन्हें अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता के लिये भारत के संघर्ष और सत्य एवं अहिंसा की उनकी नीति के लिये याद किया जाता है। गांधी जी ने अपनी संपूर्ण अहिंसक कार्य पद्धति को 'सत्याग्रह' का नाम दिया। उनके लिये सत्याग्रह का अर्थ सभी प्रकार के अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ शुद्ध आत्मबल का प्रयोग करने से था। गांधी जी एक महान शिक्षाविद भी थे, उनका मानना था कि किसी देश की सामाजिक, नैतिक और आर्थिक प्रगति अंततः शिक्षा पर निर्भर करती है। गांधी विरोधी गांधी जी को भारत के बँटवारे और पाकिस्तान के निर्माण के लिये उत्तरदायी मानते हैं और नाथूराम गोडसे ने भी गांधी जी की हत्या करने के लिये यही तर्क दिया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के लिये नाथूराम गोडसे और सह-साजिशकर्त्ता नारायण आप्टे को 15 नवंबर, 1949 को फाँसी दी गई थी।

नोट :

कृष्ण देव सेठी

हाल ही में जम्मू-कश्मीर संविधान सभा के एकमात्र जीवित सदस्य कृष्ण देव सेठी का 93 वर्ष की आयु में जम्मू में निधन हो गया है। कृष्ण देव सेठी नौशेरा विधानसभा क्षेत्र से जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिये भी चुने गए थे। अगस्त 1947 में भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त हुई और पाकिस्तान के रूप में एक मुस्लिम बहुल देश का गठन हो गया। भारत की तत्कालीन रियासतों को ब्रिटिश सरकार द्वारा तीन विकल्प दिये गए, जिसके तहत वे या तो भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल हो सकते थे या फिर वे स्वतंत्र रह सकते थे। अक्तूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित आदिवासी समूहों ने जम्मू-कश्मीर पर हमला कर दिया और जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने सुरक्षा प्राप्त करने की शर्त पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन (IoA) पर हस्ताक्षर कर दिये, जिससे जम्मू-कश्मीर, भारत का हिस्सा बन गया। मार्च 1948 में महाराजा हरि सिंह ने जम्मू-कश्मीर में एक अंतरिम सरकार का गठन किया और शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नामित किया गया। वर्ष 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ और वर्ष 1951 में जम्मू-कश्मीर के लिये एक अलग संविधान बनाने हेतु राज्य की संविधान सभा का गठन किया गया। जम्मू-कश्मीर संविधान सभा के लगभग सभी सदस्य शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस से संबंधित थे। वर्ष 1956 में जम्मू-कश्मीर के संविधान को अपनाया गया और राज्य को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया गया। वर्ष 1957 में जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा को विघटित कर दिया गया।

दृष्टि The Vision

नोट :